खण्ड-354, अंक-4
शुक्रवार, 16 माघ, शक संवत् 1903
(5 फरवरी, 1982 ई0)

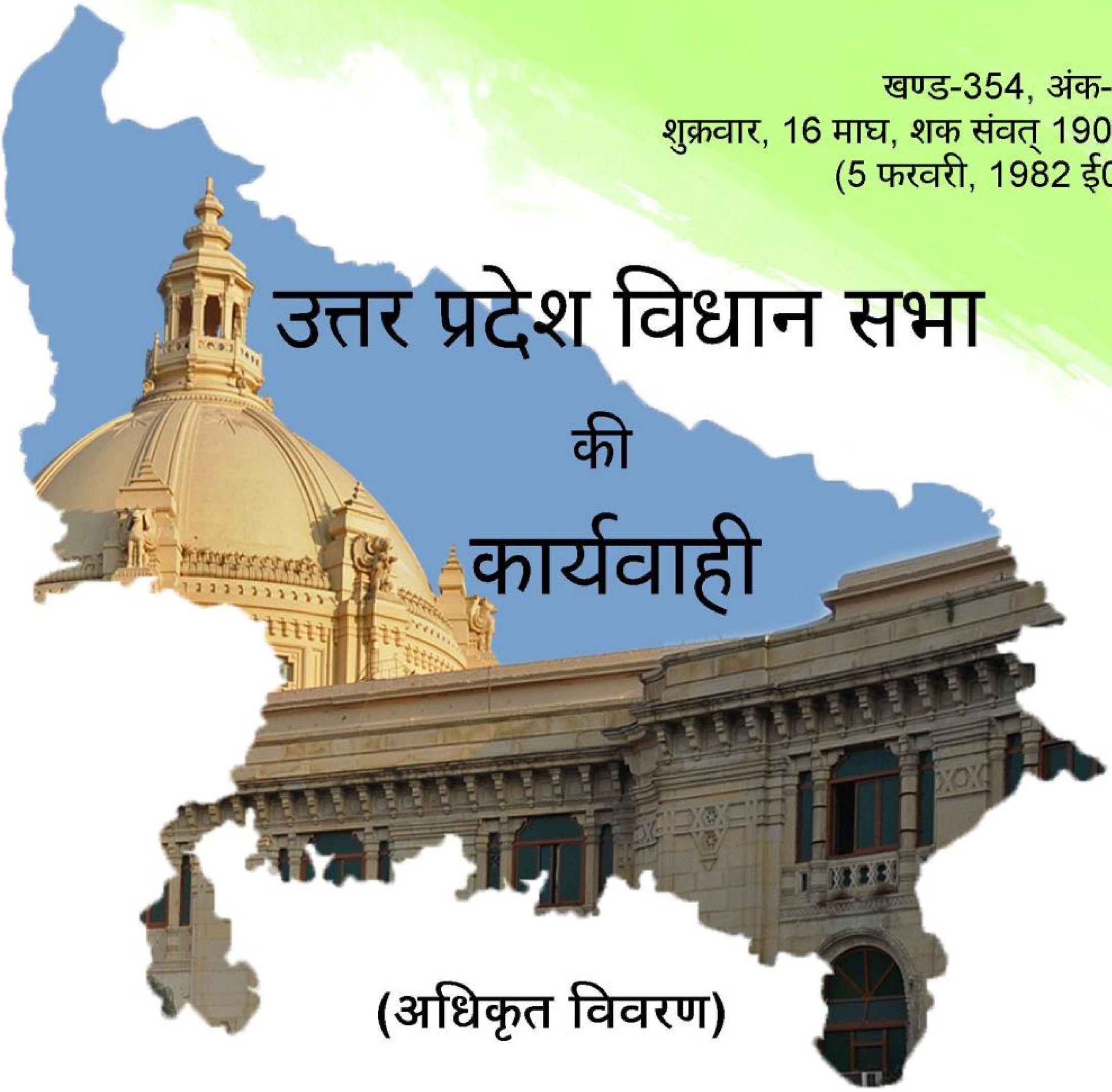

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 354 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	507–510
प्रश्नोत्तर	511–593
सहकारी चीनी मिल रसड़ा, जिला बलिया एवं सहकारी चीनी मिल सठियाव, जिला आजमगढ़ के अधिकारियों द्वारा गन्ना किसानों का गन्ना न खरीदे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	594
बरेली जनपद के ग्राम गरेमडाम से निकली नहर के कट जाने से कतिपय ग्रामों की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	594
जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रजवारे रामपुर के हरिजनों पर सवर्णों द्वारा हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	594–595
तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर की अनिश्चितकाल की बन्दी से छात्रों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	595
मथुरा तथा आस-पास के गांव की गायों द्वारा गोकुल निर्वाचन क्षेत्र के गांवों की फसल नष्ट किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	596
मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	596–597
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	597–600
श्री हरी किशन श्रीवास्तव द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर समय दिए जाने की मांग ..	600–601
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	601
बलिया जनपद के पैदल यात्रियों के साथ लखनऊ में किए गए दुर्व्यवहार एवं उनकी गिरफ्तारी तथा विधान भवन के समक्ष हरिजन सत्याग्रही की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	601–613
1982–83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (समाप्त) ..	613–668
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	668
जनपद वाराणसी में थाना मुगलसराय के अन्तर्गत ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत अग्रेतर वक्तव्य ..	669–672
थाना भगतपुर तथा थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत पड़ी डकैतियों के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	672–674
मत्थियां	675–685

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बज कर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 336

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फरुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) फतेहपुर
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदाबीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)

गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महंथ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नरायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)

बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मंजूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
माता प्रसाद पण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (गोरखपुर) (उर्फ लल्लन जी)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन बारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोण्डा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राजकिशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम स्वरूप निमन्त्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)

राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
बासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्यासागर नौटियाल, श्री (टिहरीगढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ीगढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायण तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, (बिजनौर)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
संत बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरिवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
श्री हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 5 फरवरी, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[प्रथम शुक्रवार (22-1-82) के मा0 गन्ना विकास मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित तारांकित प्रश्न]

बभनान चीनी मिल, बस्ती पर किसानों का बकाया धन

*11--श्री रियासत हुसैन--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बभनान चीनी मिल, बस्ती पर किसानों का कितना रुपया आज दिनांक 28-1-81 तक गन्ने के मूल्य का तथा अन्य मदों का बकाया है और उसको अदा न किये जाने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री राम मिलन सिंह, भू0 पू0 विधायक, बस्ती का कोई पत्र मुख्य मंत्री और गन्ना मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

बभनान चीनी मिल, बस्ती पर दिनांक 31-1-81 तक स्थिति के अनुसार किसानों के गन्ना मूल्य तथा अन्य मदों की बकाया धनराशि भुगतान हेतु अवशेष निम्न प्रकार है --

	वर्ष 1980-81 से पूर्व वर्षों का (लाख रु0)	1980-81 वर्ष का (लाख रु0)
गन्ना मूल्य	26.16	6.26
कमीशन	1.64	0.26
ब्याज	20.50	शून्य
योग ..	48.30	6.52

वर्ष 1980-81 का समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 1980-81 से पूर्व वर्षों का अवशेष भारत सरकार द्वारा दिनांक 13-3-1979 को मिल का प्रबन्ध लिए जाने के पूर्व का है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न में दर्शित माननीय भू0 पू0 विधायक, बस्ती का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, दो साल से ज्यादा का टाइम हो गया जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा 13-3-79 से पहले का पैसा है। आखिर अब तक केन्द्र सरकार या जिसकी तरफ रुपया है जो किसान का बकाया है उसके अदा करने के सिलसिले में क्या कार्यवाही की गयी है, उसमें क्या कठिनाई आ रही है और इस समय कितना रुपया किसानों का बकाया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

अध्यक्ष जी, आपके प्रश्न का उत्तर इसमें स्पष्ट है कि गत वर्ष का कोई पैसा बकाया नहीं है। इसके पूर्व का पैसा बकाया है। दूसरा यह है कि इसका जो प्रबन्ध है वह भारत सरकार के अन्तर्गत कस्टोडियन देख रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है। भारत सरकार का लिखा गया है कि इसका पैसा अति शीघ्र भुगतान कर दें। उसके लिए आपको बता दूं ताकि दुबारा आवश्यकता न रहे। इसमें यह तय किया गया है कि इस साल लगभग एक लाख बोरी शुगर पैदा होने की संभावना है उसमें से जो बेची जायेगी उसका 20 रु0 प्रति बोरा के हिसाब से काट कर उन किसानों के बकाया का भुगतान किया जा सके। इसी को लेकर हमने कुल 6 लाख का भुगतान करा दिया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मैं जानना चाहता हूं कि जिन शक्कर मिलों पर भारत सरकार का कस्टोडियन बैठा है और जिन पर काश्तकारों का करोड़ों रुपया बाकी है, उस बकाये को क्या मंत्री जी मय ब्याज के किसानों को दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न तो बभनान चीनी मिल का केवल है। इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछ लें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

तो जो काश्तकारों का रुपया बकाया है, उसको वह ब्याज सहित दिलवायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मैंने स्पष्ट कहा है कि जो मिल पैसा देंगे बकाये का, तब वह मिल चल पायेंगे। हमने सारा भुगतान गत वर्ष का करा दिया है। यह पिछला पैसा है। जो पुराने मिल मालिक थे, उनका यह बड़ा पुराना पैसा बाकी है। इसको हम पूरी तरह से दिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं। और ब्याज के बारे में देखेंगे, पहले मूल तो मिल जाए, फिर आगे वह देखा जाएगा।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

यह बभनान चीनी मिल बहुचर्चित मिल है, उसको लेकर वहां बहुत विवाद और किसानों में निराशा व्याप्त है, तो वह कस्टोडियन भारत सरकार का हो या प्रदेश सरकार के हाथ में हो, उत्तर प्रदेश में जो कानून उपलब्ध हैं, उसके अन्तर्गत क्या मंत्री जी उससे रुपये की वसूली के लिए प्रक्रिया अपनायेंगे, जो इस सम्बन्ध में दूसरी मिलों के साथ वह अपनाते हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

हमारे उत्तर में स्पष्ट है कि हमारे अधिकार क्षेत्र सीमित हैं। हम अपने अधिकार क्षेत्र में जो कुछ कर सकते हैं, उसमें कोताही नहीं करेंगे।

रामपुर तथा समस्त उ0प्र0 में गन्ना सहकारी समितियों द्वारा किसानों को दिए गए ऋण पर ब्याज वसूलने की पद्धति

*14--श्री बलवीर सिंह (रामपुर) (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी समितियों ने रामपुर तथा समस्त उत्तर प्रदेश में किसानों को दिए गए ऋण पर एकमुश्त ब्याज एक वर्ष नौ माह छः माह तथा तीन माह का लगा दिया जाता है और कृषकों से एक साथ बिना गिने वसूली की जाती है तथा उस पर 18 1/2 प्रतिशत ब्याज भी लिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सहकारी गन्ना विकास समितियों की उप विधियों की संख्या 106 में यह प्राविधान है कि अप्रैल से जून तक लिए गए ऋण पर नौ मास का, जुलाई से अक्तूबर तक लिए गए ऋण पर छः मास का और नवम्बर से मार्च तक लिए गए ऋण पर 12 मास का ब्याज लगाया जाय। तदनुसार ब्याज की वसूली की जाती है।

चूंकि गन्ना संघ व्यावसायिक बैंकों से 17·50 से 18·35 तक प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण लेकर गन्ना समितियों को उर्वरक तथा कीटनाशक दवायें उपलब्ध कराता है अतः गन्ना समितियां 18 1/2 प्रतिशत की दर से कृषकों से ब्याज की वसूली करती हैं।

श्री धम्मन सिंह गहलौत--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ना विभाग को छोड़कर समस्त सहकारी विभागों में यह नियम है कि जिस दिन ऋण लिया जाता है और जिस दिन अदा किया जाता है तो उसके बीच की अवधि यानी तारीख का सूद लगाया जाता है। तब यह पद्धति गन्ना विभाग में क्यों लागू नहीं की जा सकती है?

दूसरे जितना किसान ऋण लेता है गन्ना समितियां उसको किसान की पहली पर्चियों से काट लेती हैं। किसान को सर्दी की मौसम में नगदी की जरूरत होती है लेकिन उसे एक पैसा भी गन्ने के मूल्य का नहीं मिल पाता है तो क्यों नहीं उससे वह ऋण की धनराशि पूरी-पूरी पर्चियों से लगातार काटा जाये?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

ऐसा नहीं है। गन्ना संघ बैंकों से 17·50 से 18·35 तक प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण लेकर गन्ना समितियों को उर्वरक तथा कीटनाशक दवायें उपलब्ध करता है। अतः गन्ना समितियां 18 1/2 प्रतिशत की दर से कृषकों से ब्याज की वसूली करती हैं। प्रश्नोत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है और विभागों से जो ऋण लिया जाता है वह लम्बी अवधि के लिए लेते हैं। एक समिति में 10 हजार से लेकर 40 हजार तक सदस्य होते हैं, उन सबसे पैसा

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 14 श्री धम्मन सिंह गहलौत ने पूछा।

वसूलना मुश्किल होता है। जैसे मार्च-अप्रैल में ऋण कोई लेता है। हमारी मिलें नवम्बर से चलती हैं। तो इस तरह से देखा गया कि औसतन कुछ 6 महीने में और कुछ 8 महीनों में वसूल करती हैं। इसलिए दिनवार हिसाब लगाना मुश्किल है। समितियों ने यह व्यवस्था समितियों के सदस्यों की सहमति से की है। इसमें कोई लूटता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

मान्यवर, मैं तो अच्छी तरह से समझता हूं क्योंकि मैं गन्ना किसान हूं। लेकिन चूंकि माननीय मंत्री जी के पास यह नया विभाग है, वे शायद न समझते हों। किसानों से कभी कोई सहमति नहीं ली गई और आपके पूर्व मंत्री जी ने तथा गन्ना आयुक्त ने वह आश्वासन दिया था कि सूद वसूलने की पद्धति ठीक नहीं है उसमें सुधार किया जायेगा। तो उसमें सुधार करने पर क्या आप विचार कर रहे हैं?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जो नियम हमारे बने हुए हैं वे स्पष्ट हैं, फिर समितियों की वार्षिक बैठक होती है जिसमें निर्णय लिए जाते हैं।

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

नियम और उपविधियां सब हैं, मगर उनमें अगर कोई गलत बात है तो क्या आप उसे ठीक नहीं करेंगे, उसमें संशोधन पर विचार नहीं करेंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

अगर आप लिखकर दे देंगे हमें तो उसे हम दिखवा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

किसानों को इन शेड्यूल्ड बैंक से ऋण साढ़े दस और 11 परसेन्ट पर मिलता है कृषि कामों के लिए और इस कारण वे इन्हीं बैंकों से ही ऋण लेते हैं और आपके यहां का पैसा पड़ा रह जाता है क्योंकि रेट सूद का ज्यादा होने के कारण कोई उसे नहीं लेता। तो इस बात को देखते हुए क्या आप अपने यहां के इन सभी ऋण को जो सोसायटी से दिए जाते हैं, बन्द करेंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

हमारा जो उत्तर है उसमें स्पष्ट लिख दिया है। इसके अलावा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय जी से मिलकर यह प्रयास किया गया है कि हमें कम सूद पर पैसा मिले ताकि हम किसानों को लाभ पहुंचा सकें।

श्री जयदीप सिंह--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि समितियों की वार्षिक बैठक होती है और उसमें निर्णय लिए जाते हैं। तो क्या अगर कोई समिति यह निर्णय लेती है कि जितने दिन तक किसान के पास ऋण रहे उतने दिन का ही ब्याज उससे लिया जाए, तो क्या उस निर्णय के अनुसार कार्य किया जायेगा?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं अगर ऐसा हो तो। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री विचित्र मणि सिंह, भू0 पू0 अध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास लि0 समिति, पिपराइच, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

*16--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने गन्ना आयुक्त को श्री विचित्र मणि सिंह, भू0 पू0 अध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास लि0 समिति पिपराइच, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्र दिनांक 29-8-80 दिया है? यदि हां, तो कृत कार्यवाही से क्या मंत्री जी अवगत करायेंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां।

प्रश्नगत समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री विचित्र मणि सिंह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के उपरान्त गन्ना आयुक्त द्वारा दिनांक 28-12-81 द्वारा उनसे 2905 रु0 की धनराशि अधिभार के रूप में जमा करने के आदेश पारित किए गए हैं।

जहां तक कोआपरेटिव हायर सेकेन्डरी स्कूल की प्रबन्ध समिति से सम्बन्धित शिकायत का प्रश्न है इस पर उक्त धारा 68 में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं पायी है और इसे गन्ना आयुक्त ने जिला निरीक्षक को अभिदिष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

श्री केदार नाथ सिंह--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि धारा 68 की कार्यवाही किस कारण सम्भव नहीं हो सकेगी? और जब यह निष्कर्ष निकला कि वह विद्यालय गन्ना समिति का था, तो उस अधिकारी (जिला विद्यालय निरीक्षक) के पास भेजने का क्या औचित्य है, जबकि उनको उस विद्यालय को पुनः समिति को हस्तान्तरित करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जिला विद्यालय निरीक्षक वगैरह के अधिकार क्षेत्र का ही मामला था। हमारे विभाग का जो कर्त्तव्य था वह कर दिया, तो उन्हीं को लिखा गया कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत वैधानिक व्यवस्था करें।

श्री केदार नाथ सिंह--

धारा 68 की कार्यवाही किन कारणों से सम्भव नहीं हो पा रही है? और जब जिला विद्यालय निरीक्षक इस बात के लिए सक्षम नहीं हैं कि वह पुनः विद्यालय को गन्ना समिति को लौटा दें, तो क्यों नहीं सक्षम अधिकारी द्वारा डायरेक्टर को लिखा गया, ताकि वह अपने दायित्व का उपयोग करते हुए, कार्य करते हुए उसमें शासक नियुक्त हो सकता, तो ऐसा शासन को पत्र क्यों नहीं लिखा गया?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, धारा 68 की कार्यवाही हुयी है । हमारे गन्ना आयुक्त महोदय ने उसकी जांच की जिनकी एक लम्बी रिपोर्ट है और उसके तहत उन्होंने आदेश किए हैं । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है उस पर जो विभाग का दायित्व है उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है । प्रशासक की नियुक्ति विभाग नहीं करता है, उसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ही सक्षम है ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर साफ नहीं हुआ है । आपको हमारी रक्षा करनी है, जो प्रश्न मैंने पूछा था उस का यह उत्तर नहीं हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं सक्षम अधिकारी को प्रशासक की नियुक्ति के लिए लिखा गया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिए ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता । आप कृपया बैठिए ।

श्री केदार नाथ सिंह--

आप मेरी बात तो सुन लीजिए । प्रश्न करने का हमारा कोई अभिप्राय ही पूरा नहीं हुआ है । मेरी व्यवस्था को प्रश्न तो सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का इस पर प्रश्न नहीं होता । आप कृपया बैठ जायें ।

[प्रथम शुक्रवार (22-1-82) के माननीय गन्ना विकास मंत्री के प्रार्थना-पत्र पर स्थगित अतारांकित प्रश्न]

शासकीय रिसीवर चीनी मिल रामकोला, देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अनियमितताओं की जांच

53--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल रामकोला, जिला देवरिया के शासकीय रिसीवर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अधिकारियों से दुर्व्यवहार तथा अनियमितताओं के बारे में कोई जांच वर्ष 1977-78 में करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां। जांच जिलाधिकारी, देवरिया के माध्यम से कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री आर० पी० विश्वकर्मा, जो गन्ना विकास विभाग के अधिकारी हैं, के विरुद्ध चीनी मिल में नियुक्तियों, प्रोन्नतियों तथा स्थायीकरण के मामलों में अनियमितायें करने, लकड़ी की खरीद में गड़बड़ी करने, गन्ना क्रय केन्द्रों से गन्ने की ढुलाई में धन का अपव्यय करने, चूने की खरीदारी में गड़बड़ी करने, चीनी की बिक्री तुलनात्मक रूप से कम दरों पर करने आदि के आरोप सही पाये गये। उनके सम्बन्ध में श्री विश्वकर्मा के विरुद्ध औपचारिक अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। श्री विश्वकर्मा को आरोप-पत्र दिया जा चुका है, और उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर आगे कार्यवाही प्रगति पर है।

जिला कार्यालय, पीलीभीत के मृतक लिपिक श्री टंडन की विधवा का नौकरी हेतु प्रार्थना-पत्र

54--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कार्यालय, पीलीभीत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक (श्री टंडन), जिनकी मृत्यु कार्यरत रहते हुए वर्ष 1975 में हो गयी, की विधवा पत्नी द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र नौकरी के लिए (प्रार्थना-पत्र) गन्ना आयुक्त को माह मार्च, 1981 में मिला ? यदि हां, तो अब तक उन्हें नौकरी दी गयी अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक दे दी जायेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां।

श्री टंडन की विधवा का नौकरी हेतु प्रार्थना-पत्र मार्च, 1981 में प्राप्त हुआ था जिसमें अभिलषित-पद का उल्लेख नहीं किया गया था। शैक्षिक योग्यता की न्यूनता के कारण वे लिपिकवर्गीय पद के लिए अर्ह नहीं हैं। अतः उन्हें इस कोटि का कोई पद नहीं दिया जा सका। उन्हें चतुर्थ श्रेणी का पद मिल सकता है। अतः गन्ना आयुक्त को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसा कोई पद रिक्त होने पर, यदि श्रीमती टंडन उसकी इच्छुक हों तो, उन्हें नियमानुसार नियुक्ति देने की कार्यवाई करें।

गन्ना विकास परिषद् सियोहरा व धामपुर (बिजनौर), लक्सर व रुड़की (सहारनपुर) तथा मवाना, बागपत व सिकौती टांडा (मेरठ) में निर्माण कार्यों में घोटाले के फलस्वरूप दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

57--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिटर एवं सीनियर आडिटर ने गन्ना विकास परिषद् सियोहरा व धामपुर (जनपद बिजनौर), लक्सर व रुड़की (जनपद सहारनपुर), मवाना, बागपत व सिकौती टांडा (जनपद मेरठ), में निर्माण कार्यों में हुए घोटालों के बारे में 1-4-73 से 31-3-81 तक जो रिपोर्ट्स की हैं या स्पेशल रिपोर्ट्स की हैं उस रिपोर्ट्स पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा किन-किन रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? और कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ना विकास परिषद्, सियोहरा व धामपुर (जनपद बिजनौर), लक्सर व रुड़की (जनपद सहारनपुर), मवाना, बागपत व सिकौती टांडा (जनपद मेरठ) में निर्माण कार्यों के बारे में 1-4-73 से 31-3-81 तक जो रिपोर्ट्स की हैं, उसकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

1—सियोहरा व धामपुर (बिजनौर)

अधिक भुगतान एवं त्रुटिपूर्ण सड़क निर्माण की आपत्तियां जांच के उपरान्त निराधार पाई गईं ।

2—लक्सर व रुड़की (सहारनपुर)

स्पेशल आडिट रिपोर्ट्स के आधार पर श्री एन० डी० शर्मा, सहायक अभियन्ता, श्री आर० एस० वर्मा, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, श्री हरपाल सिंह, गन्ना पर्यवेक्षक दोषी पाये गये जिन्हें निलम्बित करके अनुशासनिक कार्रवाई के पश्चात् दंडित किया गया ।

3—मवाना, बागपत व सिकौती टांडा (मेरठ)

आडिट रिपोर्ट्स के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई :—

(1) श्री ओ० पी० वैश्य, अवर अभियन्ता की सेवायें समाप्त की गई ।

(2) सर्वश्री वी० पी० सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा वी० के० अग्रवाल, अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी ।

(3) सर्वश्री एस० एन० पांडे, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा राजेन्द्र कुमार शर्मा, लिपिक के विरुद्ध कार्रवाई प्रगति में है ।

सहायक चीनी आयुक्त, सीतापुर के कार्यालय का अन्य भवनों में स्थानान्तरण

59—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर में सहायक चीनी आयुक्त के लिए कार्यालय हेतु जो भवन किराए पर लिया गया है उस भवन से कार्यालय दूसरे भवनों में स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा इस भवन में सहायक आयुक्त का मात्र निवास हो गया है ? यदि हां, तो क्या इस परिवर्तन के लिए शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गयी थी ? यदि हां, तो स्वीकृति कब मिली तथा कार्यालय कब स्थानान्तरित किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ना निरीक्षक, सीतापुर अपने क्षेत्र के पदेन सहायक चीनी आयुक्त भी हैं । पुराना कार्यालय भवन 1957 में किराये पर लिया गया था और तभी से उसके एक भाग में उनका आवास तथा अवशेष भाग में कार्यालय बना हुआ था । वह व्यवस्था तदेव ही अब भी विद्यमान है । शनैः शनैः खंडसारी उद्योग के विकास व तत्सम्बन्धी कार्य में अधिक वृद्धि के साथ ही कर्मचारीगण की संख्या में वृद्धि होने

पर कार्यालय हेतु अतिरिक्त आवश्यकता होने पर एक अन्य भवन 2-10-80 से किराये पर लिया गया है । कार्यालय हेतु उपलब्ध कुल स्थान निर्धारित मानकों के अनुरूप है और तद्नुसार नया भवन किराये पर लेने की विधिवत् अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई है ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं गन्ना निरीक्षक द्वारा सरकारी वाहन से बद्रीनाथ तथा वैष्णों देवी की यात्रा सम्बन्धी शिकायती-पत्र

60--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, 1980 में गलत यात्रा कार्यक्रम बना कर बद्रीनाथ तथा वैष्णों देवी की यात्रा राजकीय वाहन से किये जाने सम्बन्धी कोई शिकायत अक्तूबर, 1980 में ही गन्ना आयुक्त को गन्ना विभाग के मुख्यालय पर नियुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध मिली ? यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

हां, शिकायत निम्नलिखित थी--

"शुगर केन इन्सपेक्टर मुजफ्फरनगर त्रिपाठी विद एण्ड, शुगर कमिश्नर (सुरेश चन्द्र दीक्षित) आउट आफ स्टेशन फार बद्रीनाथ फ्राम मुजफ्फरनगर"

उक्त शिकायत की जांच कराई गई तथा शिकायत निराधार पायी गई ।

61--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अति० चीनी आयुक्त (श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित) के विरुद्ध अक्तूबर, 1980 में कोई इस आशय की सूचना श्री धर्मपाल सिंह, निवासी मुजफ्फरनगर द्वारा मिली कि 20 अक्तूबर, 1980 से उन्होंने (अति० चीनी आयुक्त ने) शासकीय वाहन से बद्रीनाथ तथा वैष्णों देवी की यात्रा की परन्तु इस अवधि में अपना फर्जी सरकारी दौरा दिखाया ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है तथा इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

अक्तूबर, 1980 में मुजफ्फरनगर के श्री धर्मपाल सिंह से प्राप्त तार द्वारा शासन को यह सूचना मिली कि गन्ना निरीक्षक श्री त्रिपाठी, अतिरिक्त चीनी आयुक्त, श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित के साथ 20-10-80 से मुजफ्फरनगर से बाहर हैं बद्रीनाथ के लिए। इस विषय की जांच की गई । अतिरिक्त चीनी आयुक्त ने वैष्णों देवी की यात्रा नहीं की । बद्रीनाथ की यात्रा की थी जो सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृत अवकाश की अवधि में की गई थी और उस यात्रा का कोई सरकारी दौरा इस अधिकारी ने नहीं दिखाया था । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

गन्ना विकास विभाग में विभिन्न शासनादेशों का लाभ गन्ना सेवा श्रेणी दो के अधिकारियों को न मिलना

129--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभागों में निम्न शासनादेशों का लाभ गन्ना सेवा श्रेणी दो के अर्ह अधिकारियों को आज तक नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

(1) शासनादेश संख्या 253/सी० डी०/12 एस-28(20)/76, दिनांक अप्रैल, 1976 दो जिला गन्ना अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड देने विषयक ।

(2) शासनादेश संख्या वे0 प0 395/दस-89 (एम)-74, दिनांक 18-3-76 लोक सेवा आयोग से चयनित श्रेणी दो के अधिकारियों को अग्रिम वृद्धि देने विषयक ?

(3) मुख्य सचिव के अ0 शा0 प0 सं0 734/को-4/78-79 कार्मिक अनुभाग दिनांक 28-11-79 अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण करने विषयक ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

तीनों मदों में उल्लिखित शासनादेशों के कार्यान्वयन की स्थिति प्रत्येक मद के सम्मुख अंकित है :--

सं0 253/सी0 डी0/12 एस-28(20)/76, दिनांक अप्रैल, 1976 का कोई शासनादेश नहीं है, न गन्ना सेवा श्रेणी दो में उस समय सेलेक्शन ग्रेड का ही कोई प्राविधान था।

किन्तु शासनादेश सं0 2531/सी0 डी0/12 एस-28(20)/76, दिनांक 30-4-77 में जिला गन्ना अधिकारी के दो पदों को उच्चीकृत किया गया था जिन पर अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची अन्तिम रूप से निर्धारित न होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी।

सं0 1431/सी0 डी0/छियालिस-28(59)/81, दिनांक 30-6-81 द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा चुका है।

श्रेणी दो के तीन अधिकारियों के स्थायीकरण के आदेश दिनांक 14-10-81 को प्रसारित किये जा चुके हैं। शेष के सम्बन्ध में उपलब्ध स्थायी पदों के तथा विभिन्न मामलों में गुणावगुण के आधार पर विचार हो रहा है।

गन्ना विकास सहकारी समिति संघ मुडेरवा, बरेली में पांच वर्ष से अधिक कार्यरत लिपिकों का स्थानान्तरण

130--श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना विकास सहकारी समिति संघ मुडेरवा, जनपद बरेली में वर्तमान समय में लिपिक पद पर कार्यरत कौन-कौन व्यक्ति पांच वर्षों से अधिक समय से हैं ? क्या सरकार ऐसे लोगों का स्थानान्तरण करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा --

प्रश्नगत समिति में वर्तमान समय में दो लिपिक सर्वश्री राम प्रसाद मिश्र और रघुनन्दन प्रसाद यादव पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

इस कोटि के कर्मचारियों के जिला स्तर पर स्थानान्तरण के अधिकार उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी सेवा नियमों के अन्तर्गत जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण को हैं जिसे इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश गन्ना आयुक्त ने दिये हैं।

श्री भारत प्रकाश मिश्र को बुढ़वल शुगर मिल से सेवा मुक्ति के बाद बकाया धनराशि

131--श्री अम्बिका सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री भारत प्रकाश मिश्र, बुढ़वल शुगर मिल लि0 (राज्य चीनी निगम की इकाई) बुढ़वल (बाराबंकी) अपने पद से सेवा मुक्त हो चुके हैं ? और उनकी कई मदों का धनराशि बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री मिश्र के बकाए की धनराशि को तत्काल भुगतान कराने की कृपा करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां । इस बात का परीक्षण किया जा रहा है कि विधिक रूप में इस बकाये के भुगतान करने का दायित्व पूर्व मालिक का है अथवा राज्य चीनी निगम का और यदि दायित्व राज्य चीनी निगम का हुआ तो बकाये का भुगतान परीक्षण के बाद यथाशीघ्र सम्भव कर दिया जायगा ।

गन्ना विकास विभाग के गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर में कार्यरत कर्मचारियों की अपने पैतृक विभाग में वापसी हेतु कार्यवाही

170--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि निदेशक, गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या 14270 i-iii-(1)-2-ए, दिनांक 4-3-81 द्वारा गन्ना शोध परिषद् में ऐसे सभी कार्यरत कर्मचारी, जो गन्ना विकास विभाग के जोनल एण्ड एक्सटेंशन स्कीम में कार्यरत हैं और गन्ना विकास विभाग के कर्मचारी हैं, के गन्ना विकास विभाग में वापस जाने हेतु विकल्प मांगा था ? यदि हां, तो अभी तक इन कर्मचारियों के विकास विभाग में वापस जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

शोध सम्बन्धी सभी योजनाओं के साथ जोनल एंड स्वायल एक्सटेंशन स्कीम को भी उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के गठन के बाद उक्त परिषद् को हस्तान्तरित कर दिया गया था । यह योजना अन्ततः उक्त परिषद् के अधीन रहे या गन्ना आयुक्त के, यह प्रश्न उ0 प्र0 लोक सेवा अधिकरण के एक निर्णय के परिपेक्ष्य में शासन के विचाराधीन है । अतः सम्बन्धित कर्मचारियों के गन्ना आयुक्त के संगठन में वापस होने के विकल्प के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, तिलहर, शाहजहांपुर में उप प्रधान प्रबन्धक के पद पर श्री मुनि गोपाल मल्होत्रा की नियुक्ति पर आपत्ति

174--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 'दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0,' तिलहर (शाहजहांपुर), जो इस वर्ष प्रारम्भ होने जा रही है, के स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार उप प्रधान प्रबन्धक का कोई पद नहीं है, फिर इस पद पर श्री मुनि गोपाल, उप प्रधान प्रबन्धक को नियुक्ति कर के मिल पर अतिरिक्त भार क्यों बढ़ाया जा रहा है ? क्या उपरोक्त अधिकारी को उपरोक्त पैटर्न के

अनुसार हटाने के लिए प्रश्नकर्ता विधायक ने दिनांक 11-9-81 को जिलाधिकारी, शाहजहांपुर एवं दिनांक 14-10-81 को प्रबन्धक/निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ को अपने पत्र प्रेषित किए हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, तिलहर (शाहजहांपुर) के स्टाफिंग पैटर्न में उप प्रधान प्रबन्धक का पद नहीं है । श्री मुनि गोपाल मल्होत्रा उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 की सेवा में सन् 1973 में उप प्रधान प्रबन्धक के पर पर नियुक्त किये गये थे और तदैव ही विभिन्न सहकारी चीनी मिलों में कार्य करते रहे हैं । तिलहर मिल पर अतिरिक्त व्ययभार नहीं है, क्योंकि उस स्तर का रु0 1000-1800 वेतनमान का एक अन्य पद मिल में रिक्त है । माननीय प्रश्नकर्ता विधायक ने जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को अनेक मांगों का जो ज्ञापन दिनांक 11-9-81 को दिया था उसमें एक मांग श्री मल्होत्रा को इस मिल से हटाये जाने की भी थी । प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 को माननीय विधायक से श्री मल्होत्रा के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ । तिलहर मिल की स्थापना सम्बन्धी अवशेष कार्य समय से पूरा कर मिल में नियुक्तियों तथा अन्य समस्त आवश्यक व्यवस्था पूरी कर मिल को समय से चालू करने हेतु श्री मल्होत्रा की दक्षता एवं अनुभव के कारण उन्हें इस मिल में स्थानान्तरण पर रमाला चीनी मिल से लाया गया था । मिल ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है । उसके कार्य संचालन की स्थिति सामान्य होने पर श्री मल्होत्रा के इस मिल में आगे बने रहने अथवा अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने पर विचार किया जायगा ।

शुगर मिल बुढ़वल (बाराबंकी) पर किसानों की बकाया धनराशि

186—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शुगर मिल बुढ़वल, (जनपद बाराबंकी) के किसानों का गन्ना मूल्य वर्ष 1968-69 तथा 1970-71 अब भी बाकी है ? जबकि सरकार ने गन्ना यूनियन बुढ़वल को बकाए की सारी धनराशि भुगतान हेतु दे दिया था ? यदि हां, तो गन्ना किसानों को उनका पैसा भुगतान न किए जाने का कारण क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[दूसरे शुक्रवार (29-1-82) के मा0 गन्ना विकास मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित अतारांकित प्रश्न]

पिपराईच गन्ना समिति के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

8—श्री केदारनाथ सिंह

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-8-80 व 5-9-80 व 15-9-80 व 25-9-80 द्वारा पिपराईच गन्ना समिति के सचिव के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायत प्रेषित किया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी और कौन-कौन सी शिकायतें जांच में सही पाई गयीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 26-8-80, 5-9-80 और 15-9-80 प्राप्त हुए हैं। पत्र दिनांक 25-9-80 प्राप्त नहीं हुआ।

प्राप्त पत्रों पर संयुक्त गन्ना आयुक्त द्वारा जांच करायी गयी जिससे कुछ बिन्दुओं पर पुनः विस्तृत जांच की आवश्यकता समझी गयी है और तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

कृषक गन्ना सहकारी समिति लि0, लखीमपुर के भूतपूर्व विशेष सचिव के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा जांच

20--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषक गन्ना सहकारी समिति लिमिटेड, लखीमपुर के भू0 पू0 विशेष सचिव के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-4-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां। कृषक सहकारी समिति लिमिटेड लखीमपुर के भूतपूर्व विशेष सचिव के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-4-81 का 23-10-81 को प्राप्त हुआ है जिसमें समिति के धन का दुरुपयोग करने, भूतपूर्व लेखाकार को समिति प्रांगण में बने आवासगृह में अवैध रूप से रखने आदि की शिकायतें हैं। शिकायतों की जांच विभागीय अधिकारी द्वारा कराई जा रही है।

गन्ना अधिकारियों तथा बीज उत्पादन अधिकारियों की नियुक्ति का आधार

22--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-1-1981, जो जिला गन्ना अधिकारियों एवं बीज उत्पादन अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां।

द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर शासन के अन्तिम निर्णय के आधार पर जिला गन्ना अधिकारी और बीज उत्पादन अधिकारी, जो एक ही संवर्ग के पद हैं, का पुनरीक्षित वेतनमान रु0 850-1720 स्वीकृत किया गया है।

जिला गन्ना अधिकारी और बीज उत्पादन अधिकारी एक ही संवर्ग के पद हैं और इन पदों पर समय-समय पर होने वाली तैनाती अनेक प्रशासनिक पक्षों को ध्यान में रखकर की जाती है केवल वरिष्ठता के आधार पर इन पदों पर तैनाती करने का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जा सकता।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़ के कतिपय पदोन्नतियों का निरस्तीकरण

32--श्री पंचानन राय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियांव, जनपद आजमगढ़ के कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति जनवरी, 80 में की गयी थी और 7 माह बाद बिना किसी कारण के उसे निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो निरस्त किए जाने के क्या आधार हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां ।

जिलाधिकारी, आजमगढ़ सम्बन्धित मिल समिति के प्रशासक भी हैं और इन पदों के लिये उनकी स्वीकृति आवश्यक थी । पदोन्नतियां प्रधान प्रबन्धक ने बिना आवश्यक स्वीकृति के कर दी थीं । अतः अनियमित होने के कारण उन्हें निरस्त कर दिया गया ।

सहकारी गन्ना समिति, बिलारी, मुरादाबाद द्वारा ग्राम सनाई के कृषकों को आवंटित बीज

41--श्री रियासत हुसैन--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सनाई तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद केन सोसायटी बिलारी में किन-किन लोगों को 250 कुन्टल से अधिक बीज इस वर्ष दिया गया है ? और इन लोगों के पास कितनी-कितनी जमीन है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सहकारी गन्ना समिति, बिलारी के ग्राम सनाई में इस वर्ष किसी भी कृषक को 250 कुन्टल से अधिक बीज नहीं दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन व्यय तथा उत्पादन बढ़ाने के उपाय

44--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के पूरब तथा पश्चिम में वर्ष 1980-81 में प्रति हेक्टेयर गन्ना पैदा करने में लागत खर्च क्या है ? पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार कौन उपाय कर रही है ? और इसका सारा ब्योरा क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

प्रति हेक्टेयर गन्ना पैदा करने में लागत खर्च का अनुमान पूरे प्रदेश के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर भारत सरकार के अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा अनुमानित किया जाता है । वहां से 1980-81 के आंकड़े या अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

2--प्रदेश की चीनी मिलों से सुरक्षित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु किये जा रहे प्रमुख उपायों का ब्योरा निम्न प्रकार है :

1---उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के माध्यम से अधिक चीनी पर्ता एवं उपज देने वाली गन्ने की उन्नतिशील नई जातियों के उद्भव एवं परीक्षण की व्यवस्था की गयी है ।

2---बोवाई हेतु शुद्ध स्वस्थ एवं रोग रहित बीज की व्यवस्था के लिए प्रति वर्ष चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में आधार, प्राथमिक तथा माध्यमिक पौधशालायें स्थापित कराई जाती हैं ।

3---वैज्ञानिक संस्तुतियों के आधार पर गन्ने की उन्नतिशील खेती से अवगत कराने हेतु गन्ना किसानों के खेतों पर प्रतिवर्ष गन्ना फसल प्रदर्शनी की व्यवस्था की जाती है ।

4---लघु एवं सीमान्त किसानों के साथ ही साथ अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के किसानों को फसल रक्षा यंत्र उपलब्ध कराये जाते हैं । इसके लिए 25 प्रतिशत एवं 33 1/3 प्रतिशत क्रमशः, क्रय किये गये यंत्रों पर अनुदान भी दिया जाता है । बुवाई से लेकर कटाई तक की अवधि में कीट प्रकोप से बचाने के लिए गन्ना कृषकों को नियंत्रण कार्य हेतु भी सहायक अनुदान दिया जाता है । इसके साथ ही बीज/भूमि उपचार के अतिरिक्त पेड़ी गन्ने पर यूरिया छिड़काव का भी कार्यक्रम सम्पादित किया जाता है ।

5---गन्ना कृषकों को विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण एवं भ्रमण के कार्यक्रम भी विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं ।

6---विभाग उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए ऋण की व्यवस्था कराता है जिससे कि समय पर किसानों को निर्धारित मात्रा में इनकी उपलब्धि सम्भव हो सके ।

7---किसानों को चीनी मिलों में आपूर्ति किये गये गन्ने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य से उच्चतर एवं अत्यन्त लाभकर गन्ना मूल्य दिलाया जा रहा है ताकि वे गन्ने की पैदावार बढ़ाने के प्रति और भी प्रोत्साहित हो सकें ।

गन्ना समिति बाराबंकी के कर्मचारी आवास गृहों में अनधिकृत निवासियों के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

47---श्री हरिवंश सहाय---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना समिति बाराबंकी के कर्मचारी आवास गृहों में अनधिकृत रूप से निवास कर रहे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु मेरे पत्र दिनांक 15--9-81 पर जांच कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

सहकारी गन्ना विकास समिति, बाराबंकी के कर्मचारी आवास गृहों में अनधिकृत रूप से निवास कर रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

दिनांक 15-9-81 प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में अनधिकृत रूप से निवास कर रहे कर्मचारियों से आवास गृहों को खाली कराने और सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाई किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

बहेड़ी चीनी मिल की पेराई क्षमता तथा बहेड़ी क्षेत्र के गन्ने के व्यावर्तन पर विचार

55--श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार बहेड़ी क्षेत्र जिला बरेली में गन्ना की अत्यधिक उपलब्ध मात्रा और उससे बहुत कम पिराई क्षमता को देखते हुए तुरन्त बहेड़ी क्षेत्र का गन्ना दूसरी मिलों को भेजने के आदेश पारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

वर्तमान सीजन में बहेड़ी चीनी मिल को 180 दिन पेराई हेतु 28·49 लाख कुन्टल गन्ने की मात्रा निर्धारित की गई थी। इस चीनी मिल के क्षेत्र में 29·00 लाख कुन्टल गन्ने के सट्टे कृषकों से चीनी मिल को पूर्ति हेतु किये गये हैं। दिनांक 15-1-82 तक चीनी मिल द्वारा 7·08 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई की जा चुकी है। अतः सट्टे के अनुसार 15-1-82 तक 21·92 लाख कुन्टल गन्ना अवशेष रह जाता है जिसे चीनी मिल के प्रतिनिधि ने, दिनांक 27-1-82 की बैठक में, पेर कर समाप्त करने का आश्वासन दिया है।

जहां तक बहेड़ी चीनी मिल के क्षेत्र से गन्ने के व्यावर्तन का प्रश्न है गन्ने की स्थिति की समीक्षा समय-समय पर सीजन के दौरान की जा रही है एवं यदि किसी चीनी मिल में गुंजाइश पाई गई तो उसके व्यावर्तन पर विचार किया जायेगा ताकि क्षेत्र की सभी चीनी मिलें समानान्तर समय से सीजन 1981-82 के लिये गन्ना पेराई का समापन करने की स्थिति में हो सके।

सठियांव चीनी मिल द्वारा नान-रिफन्डेबुल डिपाजिट के रूप में कटौती

56--श्री पंचानन राय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 5वें शुक्र के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 में नान रिफन्डेबुल डिपाजिट में कुल कितनी धनराशि की कटौती हुई है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इस धनराशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

वर्ष 1978-79 में सठियांव चीनी मिल द्वारा नान-रिफन्डेबुल डिपाजिट के रूप में 5,77,368·75 रु० की कटौती की गई थी। मिल समिति के लगातार घाटे में चलने के कारण नान-रिफन्डेबुल डिपाजिट धन का उपयोग गन्ना मूल्य के भुगतान एवं गन्ना विकास कार्य में किया गया है।

कानपुर के ग्राम मांचा निवासी श्री महेश नारायण द्वारा अनधिकृत रूप से पावर क्रशर चलाने के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल, विधान परिषद् के पत्र पर कृत कार्यवाही

64--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि श्री महेश नारायण, निवासी गांव मांचा, तहसील पुखरायां, जनपद कानपुर क्रशर का लाइसेंस का नवीनीकरण कराये बगैर अनधिकृत रूप से चला रहे थे और इसी शिकायत के आधार पर सहायक चीनी आयुक्त श्री सुबोध कुमार मिश्र ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1980 को मौके पर पकड़ कर उसे सील कर दिया था ? क्या यह भी सही है कि उक्त महेश नारायण ने अनधिकृत रूप से सील तोड़ कर क्रशर पुनः चलाया और उसकी जांच द्वारा पुष्टि होने पर पुनः सील किया गया ? यदि हां, तो इस अनधिकृत कार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां, श्री महेश नारायण, निवासी ग्राम मांचा, तहसील पुखरायां, जिला कानपुर द्वारा अनधिकृत रूप से पावर क्रशर चलाने एवं सील तोड़ कर पुनः अनधिकृत रूप से पावर क्रशर चलाने के कारण विभाग ने उनके विरुद्ध दो अभियोजन उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 8 के अन्तर्गत चलाये थे। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अभियोगों में जुर्माना किया गया।

68--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री महेश नारायण, निवासी गांव मांचा, तहसील पुखरायां, जनपद कानपुर द्वारा अनधिकृत रूप से क्रशर चलाने व सील तोड़ कर पुनः क्रशर चलाने सम्बन्धी श्री उदय नारायण सिंह के पत्र को संलग्न न कर श्री महीपाल सिंह शास्त्री, नेता विरोधी दल, विधान परिषद् ने अपना जो पत्र दिनांक 18 अगस्त, 1981 को गन्ना आयुक्त महोदय को दिया था, उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्री महीपाल सिंह शास्त्री, नेता विरोधी दल, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 18 अगस्त, 1981 के साथ संलग्न श्री उदय नारायण सिंह के शिकायती पत्र में क्षेत्रीय खांडसारी निरीक्षक के सम्बन्ध में अनधिकृत पावर क्रेशर चलाने वाले श्री महेश नारायण को बचाने का आरोप था। यह आरोप जांचोपरान्त निराधार पाया गया। विभाग द्वारा श्री महेश नारायण पर अनधिकृत पावर क्रशर चलाने के दो अभियोग चलाये गये। माननीय न्यायालय द्वारा एक अभियोग में श्री महेश नारायण व श्री ब्रह्म प्रकाश पर क्रमशः 250, 250 रुपये और दूसरे अभियोग में श्री महेश नारायण पर 250 रुपये जुर्माना किया गया है।

प्रबंध निदेशक, गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र

74--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-9-81 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किससे कराई गई ? जांच रपोर्ट क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जो नहीं ?

अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश गन्ना संघ के दो सीनियर एकाउन्ट्स आफिसर्स के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में श्री नन्द किशोर सिंह विधायक का पत्र

81--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश लखनऊ में दो सीनियर एकाउन्ट्स आफिसर विगत 10 वर्षों से एक ही सेक्शन में कार्यरत हैं तथा इन लोगों को हटाने के सम्बन्ध में विधायक श्री नन्द किशोर सिंह का पत्र दिनांक 17-11-81 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

माननीय विधायक श्री नन्द किशोर सिंह का पत्र दिनांक 17-11-81 दो सीनियर एकाउन्ट्स अफिसरों के हटाने के सम्बन्ध में नहीं अपितु उनके कार्यों की अदला-बदली के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ।

चूंकि ये अधिकारी उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ के अधिकारी हैं, अतः उक्त संघ के अध्यक्ष को इन सुझावों पर विचार करने के निर्देश दिये गये ?

उत्तर प्रदेश गन्ना संघ के डेड स्टाक का विवरण, अन्य समितियों में शेयर, अन्य समितियों में जमा धन तथा कमीशन की प्राप्ति

82-85--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कितने लागत का डेड स्टाक है ? क्या डेड स्टाक की स्टाक बुक है ? डेड स्टाक को खरीदने हेतु क्या कोटेशन आमंत्रित किया गया है ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ? क्या डेड स्टाक की पड़ताल करने का आदेश दिया जायेगा ?

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना संघ, लखनऊ का कितना शेयर प्रदेश के विभिन्न समितियों में है तथा उससे कितना सूद मिलता है ?

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का प्रदेश के विभिन्न समितियों में कितना गन्ना मूल्य जमा है तथा कितने रुपये का बांड्स है ?

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि गन्ना संघ को कितना कमीशन प्रति वर्ष पिछले 3-4 वर्षों से प्राप्त होता आ रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इन प्रश्नों के उत्तर हेतु सूचना एकत्र करने में जो श्रम और समय का व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप नहीं होगा ।

प्रदेश के जिला गन्ना अधिकारियों तथा उप गन्ना आयुक्त के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच के विवरण की मांग

86—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच सन् 1977 से 1981 के बीच चली ? उनके नाम क्या हैं, अभियोग क्या था तथा जांचोपरान्त कौन-सी कार्यवाही की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना संघ के वाहनों का विवरण तथा उनके उपयोग पर व्यय के विवरण की मांग

87—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में 31 अक्तूबर, 1981 को कितनी कार, जीप तथा अन्य गाड़ियां हैं ? किस-किस गाड़ी नं0 को कौन-कौन उपयोग करता है तथा गाड़ीवाइज वर्ष 1979-80, 1980-81 में कितना पेट्रोल, डीजल खर्च हुआ ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना संघ में प्रतिनियुक्त कर्मचारी तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते पर व्यय

88—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि 31-10-81 को गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कितने अधिकारी व कर्मचारी डेपुटेशन पर कब से हैं, उनके नाम क्या हैं तथा ये डेपुटेशन के पूर्व कहां काम करते थे ? संघ को डेपुटेशन में कितना एलाउन्स देना पड़ता है और लोगों के डपुटेशन पर नियुक्ति का कारण क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना संघ से गन्ना आयुक्त के पी0 ए0 को प्रदत्त सुविधाओं पर व्यय

89—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से गन्ना आयुक्त के पी0 ए0 को कितनी सुविधाएं प्रदान की गई हैं ? उन पर सालाना कितना धन संघ को व्यय करना पड़ रहा है ? वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में कितना धन बोनस, आनरेरिया, जीप, टेलीफोन, चपरासी तथा मकान किराया पर संघ को अदा करना पड़ा ? गन्ना आयुक्त के पी0 ए0, संघ का कौन-सा काम करते हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

गन्ना आयुक्त के पी0 ए0 को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्वीकृति के आधार पर उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ द्वारा 100 रु0 मासिक अतिरिक्त कार्य भत्ता दिया जाता है। तदनुसार उन्हें वर्ष 1979-80 में 1,122.58 रु0 तथा वर्ष 1980-81 में 1,146.67 रु0 अतिरिक्त कार्य भत्ते के रूप में संघ द्वारा दिया गया। इस भत्ते को छोड़ कर उनके लिए बोनस, आनरेरिया, जीप, टेलीफोन, चपरासी तथा मकान किराया की मदों पर गन्ना संघ द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना संघ के अध्यक्ष की हैसियत से गन्ना आयुक्त को जो कार्य करना पड़ता है, उसके निस्तारण में उनके पी0 ए0 संघ के कार्य के निमित्त वैयक्तिक सहायक का अतिरिक्त कार्य करते हैं।

उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी समिति संघ के महाप्रबन्धक व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

90--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-1-81, जो उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ के महाप्रबन्धक एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है, इसमें क्या शिकायतें हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां।

प्रश्नगत-पत्र में निम्नलिखित शिकायतों का उल्लेख है--

(1) अतिथि सत्कार में फिजूल खर्ची,

(2) संघ में सरकारी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर अनावश्यक व्यय किया जाना,

(3) विगत 5 वर्षों में संघ में हुई नियुक्तियों में अनियमितता,

(4) संघ के लिए अनावश्यक रूप से मोटर गाड़ियों की खरीद,

(5) तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 जांच का उल्लेख।

उपर्युक्त शिकायतों में से कुछ शिकायतें सामान्य तथा अविशिष्ट प्रकृति की थीं, जिन पर पूर्ण तथ्यों के अभाव में जांच करना सम्भव नहीं था। सभी विशिष्ट शिकायतों पर गन्ना आयुक्त द्वारा जांच कराई गई जिसमें कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिस पर कोई कार्रवाई वांछित हो।

सहकारी गन्ना समिति, शाहगंज, जौनपुर में सीजनल एवं स्थायी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या एवं प्रतिशत तथा आरक्षित कर्मचारियों के साथ अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

107 -श्री लालसा--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत सहकारी गन्ना समिति, शाहगंज, जौनपुर में कुल कितने कर्मचारी अलग-अलग सीजनल एवं स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं और उनमें अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या और प्रतिशत क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

108--श्री लालसा--

क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 में जो सीजनल व स्थायी कर्मचारी की भर्ती की गयी थी उसमें कई अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के साथ बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में गन्ना समिति के उपाध्यक्ष (श्री पारस नाथ पाण्डेय) ने लिखित शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उक्त इन अनियमितताओं एवं अनुसूचित जाति के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश के उल्लंघन करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश की चीनी मिलों का वितरण तथा सरकार के नियन्त्रणाधीन चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

109--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी चीनी मिल हैं उनमें से कितने सरकार के नियंत्रण में चल रही हैं और सरकार के नियंत्रण में चलने वाली मिलों में कितने वर्ष पुरानी मशीनरी काम कर रही है और उनमें से कितनी मिलों में सरकार ने आधुनिकतम मशीन बनाने का अब तक प्रबन्ध किया है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उनमें से कितने मिलों की मशीनरी आधुनिकतम कर दी जायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चीनी मिल की मशीनरी की औसत उम्र कितनी होती है और उस उम्र को पार करने पर उसकी दक्षता में किस प्रकार की कितनी कमी आती है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इस वर्ष प्रदेश में 91 चीनी मिलें कार्यरत हैं । अट्ठारह चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं, जिनमें से बाजपुर, सरसावां, बागपत तथा बझोला अपेक्षाकृत कुछ पुरानी हैं और शेष सब पिछले 10 वर्षों की अवधि में स्थापित की गई हैं । शेष चीनी मिलों का प्रबन्ध शुगर अन्डरटेकिंग (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेंट)

ऐक्ट, 1978 के प्राविधानों के अनुसार इस समय भारत सरकार के नियंत्रण में है, किन्तु स्वामित्व मिल मालिकों का ही है। इसी प्रकार की दस अन्य चीनी मिलें हैं जिनका प्रबन्ध अस्थायी रूप से उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा नियुक्त अदालतों के हाथ में है तथा डोईवाला चीनी मिल, जिसका प्रबन्ध इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगूलेशन) ऐक्ट के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत नियन्त्रक के रूप में राज्य चीनी निगम द्वारा किया जा रहा है। इन 11 चीनी मिलों का स्वामित्व भी सम्बन्धित मिल मालिकों के पास ही है। अट्ठारह चीनी मिलें राज्य चीनी निगम के स्वामित्व में हैं जिनमें से पांच नई हैं। इस प्रकार उपरोक्त 29 पुरानी मिलों की स्थापना औसतन 40-50 वर्ष पूर्व की है किन्तु उनमें के केवल 13 पर स्वामित्व प्रदेश सरकार के संस्थान राज्य चीनी निगम का है। इनमें से पिपराइच चीनी मिल नीलाम में क्रय की गई थी और तत्सम्बन्धी विवाद अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में निलम्बित होने के कारण स्वामित्व का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। शेष 12 चीनी मिलों के पुनर्वासन आधुनिकीकरण एवं विस्तार का कार्यक्रम विचाराधीन है। राजौली, टांडा तथा खड्डा का कार्य प्रगति पर है और पेराई सत्र 1982-83 में उसके पूरा हो जाने की आशा है। तीन चार अन्य मिलों पर कार्य प्रारम्भ किया गया है और शेष के लिये लाइसेन्स प्राप्त कर एवं अपेक्षित वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित कर यथा शीघ्र सम्भव यह कार्य पूरा किये जाने का प्रयास है।

चीनी मिलों की आयु के बारे में आकलन करने हेतु कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि यदि मिल का समुचित रूप से रख-रखाव किया जाय तो उसकी आयु लगभग 25-30 वर्ष की होती है। तदोपरान्त क्षरण तथा टूट-फूट के कारण मशीनों की अदला-बदली से कार्य क्षमता पर पड़ने वाले कुप्रभाव का अनुमान लगाना कठिन है किन्तु असली आयु के पार करने के बाद चीनी मिलें आर्थिक दृष्टि से लाभकर सिद्ध नहीं होती।

एस० सी० डी० आई०, बस्ती के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट

122—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एस० सी० डी० आई०, बस्ती के विरुद्ध वर्ष 1980-81 में आडिट रिपोर्ट है? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है तथा उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां, एस० सी० डी० आई, बस्ती के विरुद्ध जीप की मरम्मत आदि में अनियमितताओं की आडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिस पर उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर को जांच करके आख्या देने के निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश गन्ना संघ के कतिपय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदत्त सुविधाओं का आधार

123—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में वर्ष 1980-81 में किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों को निवास सुविधा,

हाउस एलाउन्स, डेपूटेशन एलाउन्स, डबल डियूटी एलाउन्स मिला है ? और उसका आधार क्या है ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सहकारी गन्ना विकास समिति, नवाबगंज, गोंडा के सेवानिवृत्त लेखाकार श्री श्याम नारायण सिंह को ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान

125--श्रीमती गौरी देवी--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम नारायण सिंह ग्राम चतुरबन्दुआरी, पोस्ट भटवली बाजार, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर को आदेश पत्र संख्या 175, 155, दिनांक 20-2-78 द्वारा सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, नवाबगंज, गोंडा से लेखाकार के रूप में सेवानिवृत्त किया गया और क्या उक्त श्री श्याम नारायण सिंह, सेवा निवृत्त लेखाकार को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्री श्याम नारायण सिंह सेवानिवृत्त लेखाकार, सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, नवाबगंज, गोन्डा का ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है ।

भविष्य निधि में से समिति के लेखे में जमा 2497·00 रु0 का भुगतान उक्त समिति द्वारा कर दिया गया है, शेष रकम का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर द्वारा किया जाना है जिसके लिये समिति द्वारा उन्हें लिखा जा चुका है ।

प्रदेश की कतिपय सहकारी समितियों में चुनाव न होने के कारण व उनकी संख्या

140--श्री अकबर हुसैन--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी सहकारी गन्ना समिति हैं जहां पर समितियों के चुनाव पिछले 5 वर्षों या इससे भी अधिक वर्षों से नहीं हुए हैं ? उक्त समितियों में चुनाव न कराने के क्या कारण हैं ? अब चुनाव कब कराये जायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

प्रदेश की कुल पांच सहकारी गन्ना समितियों में पिछले पांच या अधिक वर्षों से चुनाव नहीं हुये हैं । इन पांच समितियों में सम्पूर्णानगर समिति के मई, 1976 में निलम्बित होने के पश्चात् वहां तदर्थ रूप में गठित कमेटी कार्यरत है और इसके विधिवत् गठन हेतु चुनाव की कार्यवाही की जा रही है । लखीमपुर खीरी, बिलारी और बभनान की तीन गन्ना समितियों के चुनाव, न्यायालय द्वारा जारी स्थागनादेशों के कारण सम्पन्न नहीं कराये जा सके हैं । पांचवीं समिति नन्दगंज के चुनाव उस समय बाढ़ की स्थिति को देखते हुए गत सितम्बर मे गोरखपुर क्षेत्र की गन्ना समितियों के चुनावों को स्थगित करने के शासकीय निर्णय के कारण रुके हुए हैं ।

सर शादी लाल शुगर मिल, मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर पर कृषकों का बकाया

148—श्री हुकम सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद की सर शादी लाल शुगर मिल, मन्सूरपुर पर क्षेत्र के गन्ना कृषकों का लाखों रुपया बकाया है जो चीनी मिल मालिक अपनी मनमानी एवं हठधर्मी के कारण अदा नहीं कर रहे हैं ? सरकार ने उपर्युक्त धन की अदायगी के लिए क्या उपाय किये हैं ? क्या उक्त मिल के अधिग्रहण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मुजफ्फरनगर जनपद की सरशादी लाल शुगर मिल, मन्सूरपुर पर गन्ना मूल्य का निम्नलिखित अवशेष है :

		रु0
वर्ष 1970-71		73,174.64
वर्ष 1981-82	..	49,53,464·87
	..	50,26,639·51

वर्ष 1970-71 की अवशेष धनराशि मिल तथा गन्ना समितियों के बीच विवादास्पद है, किन्तु समितियों द्वारा यह धनराशि गन्ना किसानों को भुगतान की जा चुकी है ?

चालू सत्र 1981-82 के गन्ना मूल्य की वसूली हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम 48-क के अन्तर्गत कुल उत्पादित चीनी पर बैंकर्स से प्राप्त होने वाले अग्रिम से 85 प्रतिशत धनराशि पृथक् गन्ना मूल्य खाते में रखे जाने का प्राविधान है ।

उक्त मिल के अधिग्रहण का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

हरदोई चीनी मिल पर किसानों का बकाया तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

149—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जनपद की शुगर मिल पर 1 दिसम्बर, 1981 तक किसानों का कितना भुगतान देय है ? यह भुगतान किन-किन वर्षों का है ? सरकार ने देय की अदायगी कराने के लिये सम्बन्धित मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

हरदोई चीनी मिल पर दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 तक की स्थिति के अनुसार किसानों का बकाया गन्ना मूल्य कुल 126.99 लाख रु0 है जिसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	अवशेष गन्ना मूल्य (लाख रु0)
1976-77 से पूर्व	2.20
1976-77	..
1977-78	99.76
1978-79	..
1979-80	..
1980-81	..
1981-82	25.03

वर्ष 1977-78 तथा उसके पूर्व वर्षों के बकाया भुगतान हेतु मिल पर वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया किन्तु इसके विरुद्ध मिलों ने रिट याचिकायें दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं जो इस समय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली व उच्च न्यायालय, बेंच लखनऊ के विचाराधीन हैं।

राज्य चीनी निगम में प्रधान प्रबन्धकों का संवर्ग

152--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य चीनी निगम की यूनिट में प्रधान प्रबन्धकों का कोई कैडर बनाने का विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में प्रधान प्रबन्धकों का कैडर पहले से ही बना हुआ है।

उत्तर प्रदेश गन्ना समिति संघ के प्रेस द्वारा क्रयित कागज की दरें

162--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना संघ, उ0 प्र0, लखनऊ के प्रेस में वर्ष 79-80, 80-81 तथा 81-82 (चालू वर्ष) में कागज किस रेट से खरीदा गया ? रेट में अन्तर का कारण क्या था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

गन्ना समिति संघ, लखनऊ के प्रेस में प्रश्नगत वर्षों में क्रय किये गये कागज की दरों का विवरण संलग्न है।

दरों में अन्तर समय-समय पर परिवर्तित होने वाले बाजार भाव के कारण है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 675 पर।)

जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय, लखीमपुर में वित्तीय अनियमितताएं

171—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला गन्ना कार्यालय, खीरी लखीमपुर में वर्ष 1977 से 80 के बीच राजकीय कैश बुक में आडिट द्वारा गबन पकड़ा गया ? क्या जिला गन्ना अधिकारी (एस0 एन0 राय) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या हुआ ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जिला गन्ना कार्यालय, लखीमपुर खीरी में 1977 से 1980 की अवधि की लेखा सम्बन्धी जांच विभागीय लेखा संगठन द्वारा की गयी थी जिसमें कई वित्तीय अनियमितताएं पायी गयीं और गबन की आशंका व्यक्त की गयी । अतः मामले की पूरी छानबीन कराई जा रही है ।

इस प्रसंग में तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी के विषय में अनुशासनिक कार्यवाई करने का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी अर्थात् शासन द्वारा नहीं हुआ है ।

केन यूनियन, रामकोला, देवरिया के लोन लेजर में गड़बड़ी के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

182— श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि पंजाबी केन यूनियन, रामकोला, देवरिया के लोन लेजर में गड़बड़ी किये जाने के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिसे जगदीश नारायण शाही ने प्रश्नकर्ता के माध्यम से तत्कालीन गन्ना मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सेवरही गन्ना समिति, देवरिया के अन्तर्गत कृषकों की संख्या, गन्ने का क्षेत्रफल तथा कृषकों को प्रदत्त बोरिंग सुविधा

191—श्री ध्रुव राय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत सेवरही समिति में गन्ना विकास के अन्तर्गत कृषकों की संख्या कितनी है ? 1980-81 में इस जोन में कितने हेक्टेयर में गन्ना था और इस वर्ष कितने हेक्टेयर में गन्ना है ? पिछले वर्ष अतिरिक्त बोरिंग की सुविधा कितने किसानों को दी गयी थी और इस वर्ष कितने किसानों को दी गयी है ? यदि संख्या में अन्तर बहुत है तो इसका कारण क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राजस्व विभाग, बस्ती में नियुक्त किये गये कृषि विभाग के छटनी-शुदा अमीनों का वेतन निर्धारण

*1--श्री रामेश्वर नाथ चौबे--(अनुपस्थित)

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि शासनादेश संख्या जी-2-777/दस-142, दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 के अधीन जनपद बस्ती के राजस्व विभाग में वर्ष 1975 से 80 में खपाए गए कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीनों में किन-किन अमीनों का वेतन निर्धारण किया गया है ? क्या यह सच है कि कुछ अमीनों के वेतन निर्धारण में उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इसे पूरा करायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

जनपद बस्ती में वर्ष 1975 से 80 तक नियुक्त किये गये कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीनों में से संलग्न सूची में उल्लिखित 21 अमीनों का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या जी-2-777/दस-142, दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 के अनुसार ही किया गया है। केवल एक संग्रह अमीन (श्री कृष्ण दास पाठक) का वेतन निर्धारण उक्त शासनादेश के अनुसार नहीं किया जा सका है। इस मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु जिलाधिकारी, बस्ती को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 679 पर।)

[शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सहायक चीनी आयुक्त के नये व पुराने कार्यालय भवन का किराया तथा पुराने कार्यालय भवन का आवास के रूप में उपयोग

*1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--(अनुपस्थित)

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर में सहायक चीनी आयुक्त कार्यालय के लिए जो भवन 30 रुपया प्रति माह पर आवंटित था उसे बदल कर लगभग 539 रुपया प्रतिमाह के भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया और 30 रुपए वाले भवन में सहायक आयुक्त का निवास बन गया जबकि 30 रुपये वाले भवन में 530 रुपये भवन की तुलना में लगभग तिगुना स्थान है ? यदि हां, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

गन्ना निरीक्षक, सीतापुर अपने क्षेत्र के पदेन सहायक चीनी आयुक्त भी हैं। पुराना कार्यालय भवन वर्ष 1957 में किराये पर लिया गया था और तभी से उसके एक भाग में उनका आवास तथा अवशेष भाग में उनका कार्यालय बना हुआ था। यह व्यवस्था उसी प्रकार अब भी विद्यमान है। पूरे भवन का किराया 65 रुपये प्रति माह है। आवास के भाग का किराया 35 रुपये प्रति माह तथा कार्यालय के भाग का किराया 30 रु0 प्रति माह है। शनैः शनैः खाण्डसारी उद्योग के विकास व तत्सम्बन्धी कार्य में अधिक वृद्धि के साथ ही कर्मचारीगण की संख्या में वृद्धि होने पर कार्यालय हेतु

अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होने पर एक अन्य भवन 500 रुपये प्रति माह किराये पर दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 से लिया गया है। नये भवन को किराये पर लेने की विधिवत् अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई है। नये भवन की अपेक्षा पुराने भवन में तिगुना स्थान कार्यालय के लिए है, यह सही नहीं है।

विद्युत् अनुरक्षण खंड, बाराबंकी के अधिशासी अभियन्ता श्री ए0 एच0 अन्सारी द्वारा अनियमित खरीद के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

*2—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि विद्युत् अनुरक्षण मण्डल, बाराबंकी के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री ए0 एच0 अन्सारी ने वर्ष 1972–73 में बिना अधिकार के वर्क आर्डर द्वारा 34.62 लाख रुपए का सामान बाजार मूल्य से ज्यादा देकर खरीद लिए जिस पर आडिट ने भी आब्जेक्शन किया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

श्री ए0 एच0 अन्सारी पर विद्युत् अनुरक्षण खंड, बाराबंकी के कार्यकाल अगस्त, 1971 से अप्रैल, 1974 के बीच लगभग 50.80 लाख रुपये के सामान के खरीदारी अपनी वित्तीय सीमा के बाहर वर्क आर्डर एवं सप्लाई आर्डर द्वारा करने तथा अधिक दर पर सामान क्रय करने का आरोप था, जिसके लिए उनको परिषद् के आदेश दिनांक 3 अप्रैल, 1974 द्वारा निलम्बित कर दिया गया था तथा उनके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की गई थी जिसके फलस्वरूप उन्हें निलम्बन काल में पूरा वेतन भत्ता आदि न देकर केवल निर्वाह भत्ता दिया गया और उनकी चरित्र पंजी में निन्दा प्रविष्टि अंकित कर दी गई। श्री अन्सारी को 15–6–1977 को उक्त दन्ड दिए जाने के बाद बहाल कर दिया गया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 250 रुपये के वर्क आर्डर की जगह उन्होंने 50.80 लाख रुपये का वर्क आर्डर दिया। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन पर जो आरोप थे और उन आरोपों की जो जांच प्रस्तुत की कमेटी ने, उसकी रिपोर्ट क्या थी और उनको बहाल करने का आधार क्या था ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, उनके विरुद्ध पूरी तरह से जांच करने के बाद गम्भीर आरोप नहीं पाया गया और इसी कारण उन्हें 1977 में बहाल कर दिया गया। लेकिन विजीलेंस में उनके विरुद्ध इन्क्वायरी अभी जारी है और जैसे ही वहां से रिपोर्ट आ जायेगी, उनके विरुद्ध कार्यवाही फिर की जायगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर, बहाली के बाद उनकी जब दुबारा पोस्टिंग लखीमपुर में हुई और यही अनियमितताएं वहां पर भी उनके विरुद्ध पायी गयीं और उन्हें दुबारा सस्पेन्ड किया गया और आज तक सस्पेन्ड हैं। ऐसी स्थिति में उनको सेवा मुक्ति का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, उन्हें बहाल किया गया, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी का कार्य नहीं सौंपा गया, उसको अटैच पोस्ट पर रखा गया गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने अनियमितताय की, जिससे दुबारा फिर सस्पेन्ड किया गय। फिर जब जांच रिपोर्ट आयेगी, तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी।

गोपालपुर कृषि फार्म, मिर्जापुर पर सरकारी देयों के बकाये तथा फार्म की नीलामी

*3--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोपालपुर कृषि फार्म (मिर्जापुर) के ऊपर 30-8-80 व 30-8-81 को कितने रुपये का लैंड रेवेन्यू तथा दूसरे देय बकाय थे ? क्या यह सही है कि बकाया देयों की वसूली नहीं हो पाई इसलिए अगस्त, 81 से पूर्व उक्त फार्म को नीलाम किया गया ? और उसको किन-किन व्यक्तियों ने नीलाम में लिया। उनके नाम व पते क्या हैं ? क्या वे लोग फार्म मालिकों के ही घर के हैं ? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री को शिकायतें भेजी गयी हैं ? वह क्या हैं ?

राजस्व उपमंत्री (श्री सरजू प्रसाद 'सरोज')--

जिला मिर्जापुर के गोपालपुर सहकारी कृषि फार्म के ऊपर दिनांक 30-8-80 तथा 30-8-81 को भू-राजस्व एवं अन्य देयों के कुल बकाये की धनराशि क्रमशः रुपया 1,75,939.19 तथा 1,92,908.16 थी। बकाया देयों की वसूली न होने के कारण गोपालपुर सहकारी कृषि फार्म की कुल भूमि की नीलामी 15 व 16 अप्रैल, 1981 को की गयी। नीलाम में बोली बोलने वालों के नाम व पते सहित सूची संलग्न† है। खतौनी के अवलोकन से यह पता चलता है कि निम्नलिखित तीन व्यक्ति उनके समक्ष अंकित खातेदार के सम्बन्धी हैं --

बोली बोलने वाले का नाम	सम्बन्ध	सह-खातेदार का नाम
1--सविता सिंह	पुत्री	श्री राम नरायन सिंह
2--सुनीता सिंह	पुत्री	तदेव
3--राजीव सिंह	पुत्र	तदेव

इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग में माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित कोई शिकायती-पत्र नहीं प्राप्त हुए हैं।

श्री ऊदल--

मान्यवर, इतना बड़ा जाल-बट्टा है आप लिस्ट देख लें, 30-30 बीघा का नीलाम किया गया था और सह-खातेदार का नाम नहीं बताया गया है। लेकिन मंत्री

† छापी नहीं गयी।

जो गल्ती को छिपाना चाहते हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने जो लिखकर दिया है, उसका आखिरी देख लें। राजेशपति त्रिपाठी पुत्र श्री लोकपति त्रिपाठी, निवासी-औरंगाबाद, वाराणसी लिखा है। ये लोकपति त्रिपाठी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वह हैं और दूसरे इनके नाम से बीसों जगह 30-30 बीघा लिया गया है, दूसरों के नाम पर। मुझे बड़े दुःख के साथ आज नाम लेना पड़ रहा है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और दुःख से आज नाम लेना पड़ रहा है। हमारे एक माननीय सदस्य, मांडवी प्रसाद जी जो सत्ता पक्ष में एम० एल० ए० हैं, वह भी खातेदार थे। उन्होंने बीसों-बीसों जगह दूसरे के नाम से लिया है।

(व्यवधान)

(शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आदरणीय सदस्य, बस्ती से जो आते हैं, जो कमलापति त्रिपाठी के दामाद हैं, उनकी स्त्री के नाम, उनके परिवार वालों के नाम से ली गयी है, इसी लिस्ट में है मान्यवर, और मान्यवर, राम नारायण सिंह के नाम पचासों बीघा ली गयी है। कोठारी जो जनरल मैनेजर वहां का था, उसके नाम भी जमीन एलाट की गयी है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार मेरी बातों को मानकर, कि सीलिंग ऐक्ट लागू नहीं किया गया है, फर्जी नीलामी की गई। इस पूरे मामले की जांच विजीलेंस से कराने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री ऊदल—

मान्यवर, इन नीलामी की पूरी जांच, खातेदारों के परिवार वालों के फर्जी नाम देकर जगह अपने नाम से लिया है और जिनका नाम हमने लिया है उसकी जांच विजीलेंस से कराने को तैयार है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

बकाये के आधार पर इस जमीन की नीलामी हुई। यह बात कही जाती है कि 30 बीघे करके नीलामी हुई, क्यों हुई ? 30 बीघे इसलिए नीलाम हुई है कि सीलिंग ऐक्ट जो है उसमें साढ़े 12 एकड़ के ऊपर कोई जमीन नहीं खरीद सकता है। इसलिए प्लाट बनाया गया। 30 बीघे उसके अन्दर आता है और उस आधार पर नीलामी हुई। इसमें 242 लोगों ने नीलामी लिया है। कौन किसका रिश्तेदार है। हमारी खतौनी के हिसाब से तीन आदमी खातेदार के रिश्तेदार हैं, दिया हुआ है। किसी के रिश्तेदार की जमीन नीलामी में लेने या खरीदने में मेरी समझ में नहीं आता कि कोई बन्दिश है।

श्री ऊदल—

मंत्री जी ने कहा कि कौन किसका रिश्तेदार है। मान्यवर, आखिरी पृष्ठ के....।

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल करें ।

श्री ऊदल—

30/30 जो 30 बीघे की नीलामी की गई है राजेश पति त्रिपाठी पुत्र श्री लोकपति त्रिपाठी, निवासी औरंगाबाद, बनारस क्या वह स्वास्थ्य मंत्री लोकपति त्रिपाठी नहीं हैं और उनके यह लड़के नहीं हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह लड़के हैं, भाई हैं या भतीजे हैं····

(व्यवधान)

जो लिस्ट कम्प्लीट थी दी, गई है, चाहे कोई हो ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं यह जानना चाहूंगा क्या माननीय मंत्री जी बेनामे की सूची जो यहां पर उत्तर में दिया है, उस पूरी सूची की छानबीन कराकर नाम व पते सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

सदन के पटल पर तो रखा है । आप बैठ जायं । प्रश्न यह था सूक्ष्म में गोपालपुर फार्म की नीलामी लगान न देने के कारण हुई और किसने नीलामी लिया। उसकी सूची दे दी और उन्होंने बताया कि नीलामी हुई और उस फार्म का लगान बकाया रहने के कारण नीलामी हुई । 30 बीघे इसलिये किया गया कि सीलिंग के अन्तर्गत कोई अधिक नहीं खरीद सकता है । नीलामी में कौन खातेदार है कौन रिश्तेदार है, यह सब लिखा है और मंत्री जी ने यह भी कहा कि नीलाम में खरीदने के लिये कोई बन्दिश उनकी समझ में नहीं है । तो अब कौन सी बात बाकी है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

नीलामी की पूरी प्रक्रिया हुई होगी, दूसरों ने बोली बोली होगी तो उसको सदन के पटल पर मंत्री जी रखें ।

श्री मोहन सिंह—

प्रश्न यह है कि जिन लोगों के आधिपत्य में यह फार्म था उनसे इसलिये निकल गया कि इस पर लगान बाकी था जिससे फार्म का नीलाम हुआ और बोली वह बोले जो फार्म के मालिक के रिश्तेदार थे । इसलिये नीलामी की प्रक्रिया दोषपूर्ण ढंग से करायी गयी कि फार्म जिनसे निकल रहा है वह उनके रिश्तेदारों के हाथों में चला जाय, आरोप भी यह लगाया गया है कि अधिकारियों और मंत्रि मंडल के वरिष्ठ सदस्य जो अधिग्रहणकर्ता थे उनकी साजिश से वैधानिक प्रक्रिया नीलामी की पूरी नहीं हुई । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जो नीलामी की वैधानिक प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार बोली बोलने की नोटिस, अखबारों के जरिये सूचना कि फार्म नीलाम होने जा रहा है, पूरी की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, श्री मोहन सिंह का प्रश्न है कि क्या नीलामी की प्रक्रिया दोषपूर्ण है या कायदे के अनुसार है, यह बता दें ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मेरी जानकारी के आधार पर पूरी प्रक्रिया की गयी है, लेकिन एक सहखातेदार ने मंडलायुक्त के यहां अपील दायर किया है, वह विचाराधीन है, इसलिये यदि इसमें कोई कमी होगी तो वहां पर निर्णय उसका हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं जांच पुनः कराने की मांग करता हूं और उसकी लिस्ट दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मंत्रिमंडल के सदस्य की चोरी पकड़ी जाय तो काशीनाथ जी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए वह मेरी बात को सुनें, धीरज से।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

नियम 52 के अन्तर्गत इस पर ढाई घंटे की बहस की मैं मांग करता हूं।

श्री विजय सिंह राना--

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि साढ़े बारह एकड़ सीलिंग की सीमा में आता है। तो श्री लोकपति त्रिपाठी के पुत्र के पास सीमा के अंदर पहले से जमीन थी कि नहीं, यह मंत्री जी बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

इसके लिए दूसरा प्रश्न करें ?

जनपद हरदोई में मल्लावां में चीनी मिल की स्थापना पर विचार

*4--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां में सहकारी चीनी मिल की स्थापना के सिलसिले में शासन के निर्देश पर कोई प्रस्ताव 1981 में जिलाधिकारी, हरदोई का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कार्यवाही में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जनपद हरदोई के मल्लावां में चीनी मिल की स्थापना की सम्भावना का परीक्षण शासन के निर्देश पर गन्ना आयुक्त द्वारा किया गया था और अप्रैल, 1981 में यह सूचित किया गया कि इस क्षेत्र में चीनी मिल की आवश्यकता के अनुसार गन्ना मिल को उपलब्ध न हो सकेगा। हरदोई के जिलाधिकारी से मल्लावां के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ था। फिर भी इस सम्बन्ध में पुनः परीक्षण किया जा रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मल्लावां बड़ा ऐतिहासिक स्थान है । 1864 से ही यह जिला केन्द्र था । अंग्रेजों के खिलाफ भूमिका अदा करने के कारण यहां से जिला केन्द्र हटा दिया गया। तो इस सहकारी चीनी मिल का परीक्षण किस अधिकारी द्वारा कराया गया और अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कराने पर उसने सहकारी चीनी मिल की स्थापना के लिये संस्तुति दी या नहीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, यह तो प्रश्न के उत्तर में ही स्पष्ट है । वहां पर गन्ना उपलब्ध नहीं है इसलिये वहां चीनी मिल नहीं लगायी जा सकती है । मैं पुनः दिखवा रहा हूं अगर वहां गन्ना उपलब्ध होगा तो चीनी मिल लगायेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं जानना चाहता हूं कि परीक्षण किस अधिकारी से कराया गया, उसकी क्या संस्तुति है ?

श्री अध्यक्ष—

बताया तो है कि गन्ना आयुक्त ने जांच की है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, गन्ना आयुक्त ने मल्लावां देखा ही नहीं होगा ।

मेरा प्रश्न है कि अब परीक्षण किसके द्वारा करा रहे हैं और उसका नतीजा कब तक आ जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, इसके लिये समय लगता है । सर्वे करना पड़ता है और गन्ना की उपलब्धता देखनी पड़ती है । हमारा एक विभाग है उस विभाग पर इसकी जिम्मेदारी डाली जाती है । चीनी मिल के लिये वहां 4, 5 लाख क्विंटल गन्ना की अनुमानित उपलब्धता है । अगर वहां 1,250 टन की फैक्टरी भी लगायें तो 16, 18 लाख क्विंटल गन्ना चाहिये । तो गन्ना वहां उपलब्ध नहीं है ।

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के परगनाधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें

*5—फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के परगनाधिकारी के विरुद्ध सरकारी अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अपाहिजों को मिलने वाले कम्बल में घपला करने आदि विषयों से सम्बन्धित शिकायतें माह जनवरी, 1981 में उन्हें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरजू प्रसाद 'सरोज'—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

यह 15 दिन के बाद आयेगी । यह प्रश्न विधान सभा के पिछले सत्र में स्वीकार हुआ था और यह सरकार बराबर उस परगनाधिकारी को बचाने के लिये अनेक उपाय कर रही है ।

श्री अध्यक्ष--

छोड़िये यह बाद में आयेगा ।

ग्राम पटेहरा, मिर्जापुर निवासी श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह के निधन के उपरान्त उनकी जमीन की अनियमित अमलदरामदगी

*6--श्री दिवाकर विक्रम सिंह (अनुपस्थित) --

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम पटेहरा, परगना बड़हर, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर के श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री ध्रुव नारायन सिंह के खाता नं0 75 पर उनके भाई रवीन्द्र बहादुर सिंह तथा महेन्द्र बहादुर सिंह का नाम अमलदरामद करके राजस्व कागजों में दिनांक 6-12-80 को दर्ज कर दिया गया है जबकि श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह का निधन 3-12-80 को हुआ था ? यदि हां, तो कैसे ? क्या यह भी सत्य है कि किसी की जायदाद पर अमलदरामद करने हेतु एक महीने की नोटिस देनी अनिवार्य है ? क्या मन्त्री जी उक्त अनियमितताओं को समाप्त करके दोषी अधिकारी अथवा कर्मचारी को दंडित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, इस मामले में पर्यवेक्षक कानूनगों द्वारा भू-लेख नियमावली के पैरा-433ग तथा लेखपाल द्वारा भू-लेख नियमावली के पैरा-क 82 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है ।

जहां तक उत्तराधिकारी का नाम अंकित करने से पूर्व 1 माह की नोटिस देने का प्रश्न है निविदादित मामले में, जिसका आदेश पर्यवेक्षक कानूनगों प-क 11 पर देता है, एक माह की नोटिस देना अनिवार्य नहीं है । विवादग्रस्त मामले में 1 माह पूर्व घोषणा पत्र जारी करने का प्राविधान है जो नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है ।

जहां तक अनियमितता दूर करने का प्रश्न है, मृतक व वरासत के ही सम्बन्ध में श्रीमती चन्द्रमुखी देवी आदि द्वारा पर्यावेक्षक कानूनगों द्वारा आदेश पारित किये जाने के पश्चात् एक बाद तहसीलदार के न्यायालय में दायर किया गया है, जिसके निस्तारण के बाद अनियमितता स्वयं दूर हो जायेगी । लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है और पर्यावेक्षक कानूनगों को उसके मूल पद लेखपाल पर प्रत्यावर्तित करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का अलग-अलग मूल्य निर्धारित करने का आधार

*7--श्री किरनपाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए घोषित गन्ने का पश्चिमी व पूर्वी उ0 प्र0 के लिए 21 रु0 50 पैसे व 20 रु0 20 पै0 क्रमशः प्रति क्विंटल दाम किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

भारत सरकार द्वारा न्यूनतम गन्ना मूल्य प्रति वर्ष ईख (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के प्राविधानों के अन्तर्गत गन्ने की उत्पादन लागत, किसानों को दूसरी फसलों पर मिलने वाला मूल्य, कृषि उत्पादनों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धि गन्ने से चीनी परता आदि तत्वों को ध्यान में रखते हुये निर्धारित किया जाता है। इस वर्ष भारत सरकार ने 8.5 प्रतिशत या उससे कम परते से सम्बद्ध न्यूनतम गन्ना मूल्य 13 रु0 प्रति कुन्टल निर्धारित किया है। इस आधार पर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों के लिए चीनी परता के अनुसार निर्धारित गन्ने का मूल्य 13 रु0 तथा 16.52 रु0 प्रति कुन्टल के बीच आता है। तथापि प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें गन्ने का अधिक लाभकर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने पश्चिमी, मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 21.50 रु0 तथा 20.50 रु0 प्रति क्विंटल परामर्श मूल्य के रूप में उच्चतर गन्ना मूल्य इंगित किए हैं।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, जो गन्ने की लागत का जिक्र किया गया है तो यह किस विश्व-विद्यालय या शोध केन्द्र से निकलवायी गयी है और इस कीमत का अधार क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इसका तो मैं वक्तव्य दे चुका हूं। उसमें सारी बातें स्पष्ट हो गयीं थीं।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, वक्तव्य तो पहले आया था।

यह किस विश्वविद्यालय से मूल्य निकलवाया गया है ?

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, यह भी कोई जवाब हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

मा0 मंत्री जी यह बता दें कि यह मूल्य किस आधार पर लगाया गया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, तमाम सारे आंकड़े हैं इस सम्बन्ध में इस सरकार के और भारत सरकार के और इसके लिए तमाम आई0 ए0 एस0 आफिसर्स बैठे हैं।

(शोर)

अनेक सदस्य--

जब आई0 ए0 एस0 आफिसर इन आंकड़ों को देखेगा तो जो मंत्री उनके ऊपर बैठे हैं, वह क्या करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (मुख्य मंत्री)--

माननीय अध्यक्ष जी, गत वर्ष पश्चिमी जिलों में कुछ समय के लिए गन्ने का मूल्य 20 रु0 प्रति क्विंटल था, तत्पश्चात् 23 रु0 प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को गन्ने का भाव दिया गया था और शासन का यह लक्ष्य बावजूद इसके

कि यह रिपोर्ट आयी कि यदि 17-18 रु0 अधिक मूल्य देने से मिलों में नुकसान होगा, लेकिन जब यह नियम बनाया जा चुका था कि किसान का गन्ना एक भाव में ही पूरे वर्ष खरीदा जायेगा तो इसको देखते हुए 20 रु0 और 23 रु0 दोनों भावों का औसत रेट साढ़े 21 आते थे, वह दिया गया। इस आधार पर यह मूल्य तय किया गया है, जबकि इस भाव में भी जो 45 मिलें सरकारी क्षेत्र की हैं उनमें लगभग 33 करोड़ रु0 का घाटा आयेगा, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद मिलों का हित न देखकर किसानों का हित देखा गया है कि वह सुरक्षित और खुशहाल रहे, यही आधार गन्ने के मूल्य का रखा गया है।

(मेंजे थपथपायी गयीं)

श्री हुकम सिंह—

मा0 मंत्री जी एवं मा0 मुख्य मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जो उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को देखने के लिए यहां तमाम आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 बैठे हैं तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यहां जो मंत्रीगण की एक फौज इन अधिकारियों पर बैठायी गयी है, वह क्या करेगी और दूसरे किसान के उत्पादन से आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 को क्या, उसका गन्ना किस भाव में बिके या किस भाव में न बिके। दूसरे मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो बताया कि 20 रु0 और 23, दोनों भावों को मिलाकर जो औसत आया साढ़े 21 रु0 कर दिया गया। तो माननीय मुख्य मंत्री जी को यह जानकारी होगी कि मिलें 14 नवम्बर से चली हैं और 17 नवम्बर को 20 रु0 गन्ने का भाव घोषित किया गया था और फिर 7 दिसम्बर को यह घोषणा होती है कि 23 रु0 में गन्ने का भाव किसानों को दिया जायेगा जो 30 अप्रैल तक रहा। तो इस प्रकार किसानों का 10 प्रतिशत गन्ना 21 रु0 में और 90 प्रतिशत गन्ना 23 रु0 में बिका तो यह आधार जो बना है, इसमें किसानों का हित है या अहित। केवल इन आंकड़ों को मिलाकर एक ही भाव बना दिया गया है और किसान की उत्पादन लागत को देखकर नहीं बनाया गया है और दूसरी बात हर चीज के दाम जो किसानों की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं खाद्य, बिजली, पानी, मिट्टी का तेल, चीनी, सीमेंट आदि चीजों के भाव बढ़े हैं। ऐसी परिस्थिति में उसके बढ़े हुए दाम 23 रु0 से साढ़े 21 रु0 किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मा0 अध्यक्ष जी, आंकड़ों के अतिरिक्त, किसानों का सन्तोष भी एक मौलिक चीज है। अगर इस आधार पर इसका परीक्षण किया जाय तो विश्वसनीय ढंग से कहा जा सकता है कि मौजूदा भाव से किसान पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री दामोदर शर्मा—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह मेरठ सर्किट हाउस में पहुंचे थे तो शासक दल के विधायकों का एक प्रतिनिधिमण्डल मुख्य मंत्री जी से मिला था और उन्होंने यह कहा था कि 21.50 रु0 कीमत कम है और 26 रु0 प्रति क्वि0 गन्ने की कीमत दी जाय ? क्या मुख्य मंत्री जी इस बात को सच मानकर यह बताने की कृपा करेंगे कि कि गन्ने का मूल्य 26 रु0 प्रति क्वि0 किया जा रहा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आपने वहां पर सर्किट हाउस में 26 रु0 के भाव के लिये कहा था और उसके पहले ही दो जगह अपने सरप्राइज विजिट पर जब मैं किसानों के बीच हलीकाप्टर से उतरकर आया था, तब पूछने पर उन्होंने बताया कि पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, केवल मिट्टी के तेल की कुछ शिकायत उन्होंने जरूर की लेकिन गन्ने के भाव के बारे में पूछने पर उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा कि "बिल्कुल ठीक है" ।

श्री दामोदर शर्मा--

लेकिन आश्वासन जो दिया था, उसका क्या हुआ, जिसमें यह कहा था कि 26 रु0 प्रति क्वि0 गन्ने का मूल्य कर देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि गन्ने का दाम या किसी फसल का दाम तय करते समय सन्तुष्टि की बात नहीं होती है बल्कि यह बात होती है कि लागत मूल्य के बाद मुनाफा मिल रहा है या नहीं । महाराष्ट्र में और अन्य जगहों पर भी जब गन्ना मिलें चलीं तो वहां पर 28 रु0 प्रति क्वि0 गन्ने का दाम दिलवाना शुरू किया । हमारे ही देश में दूसरे सूबे की सरकारें 28 रु0 प्रति क्वि0 दिलवा रही हैं तो इनको दिलवाने में क्या दिक्कत है ? यदि इनको वहां के विषय में जानकारी नहीं है तो जानकारी करके क्या यही गन्ना मूल्य दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जहां तक हम लोगों का लेखा-जोखा है, अभी तक पिछले 5 वर्ष के आंकड़े ले लिये जायं उसमें जितना लाभ मिला है, उस लाभ को अगर तुलना की जाय तो इन वर्षों में सर्वाधिक भाव होंगे ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट की आवाजें)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि वर्ष 1978, 79, 80, 81 और 82 में गन्ने का भाव क्या रखा था सरकार ने यानी 1977 से 1982 के बीच में क्या वृद्धि हुई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी ने उत्पादन लागत को आधार बताया । क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल की और इस साल की उत्पादन लागत में कितने परसेन्टेज की बढ़ोत्तरी हुई और क्या उस बढ़ोत्तरी के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने गन्ने का मूल्य फिक्स करने का अनुरोध किया ? और अगर किया तो उसे न दिये जाने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया ।

श्री रियासत हुसैन--

बहुत छोटा सा प्रश्न है, आपने यह कहा कि उत्पादन लागत को बेस बनाकर गन्ने का मूल्य रखा जाता है। तो मान्यवर, मैं तो परसेन्टेज की बात पूछ रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मान्यवर, मोहन सिंह से ही मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी एक प्रश्न प्रमोद कुमार जी का है कि 1977 से 1982 तक गन्ने का मूल्य क्या है और दूसरा प्रश्न श्री रियासत हुसैन जी का है उत्पादन लागत के बारे में।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैंने परसेन्टेज मांगी है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष की कितने परसेन्ट लागत बढ़ी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, 1976-77 में न्यूनतम गन्ने का मूल्य था 8 रुपया और अधिकतम गन्ने का मूल्य दिया गया था 10·80 पैसा। 1977-78 में न्यूनतम गन्ने का मूल्य था 8·50 और अधिकतम दिया गया था 11·00 रु0। 1978-79 में न्यूनतम गन्ने का मूल्य था 10·00 रु0 और अधिकतम दिया गया था 12·71 1979-80 में न्यूनतम गन्ने का मूल्य था 12·50 और अधिकतम दिया गया था 16·03। ठीक इसी प्रकार 1980-81 में गन्ने का न्यूनतम मूल्य था 13·00 रु0 और जब कि अधिकतम दिया गया 28·00 रु0। उत्पादन लागत के बारे में श्रीमन्, मैंने जो स्टेटमेन्ट दिया था उसमें कह दिया था कि उत्पादन लागत 13·00 रु0 प्रति क्विन्टल आती है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं तो यह मांग रहा हूं कि पिछले वर्ष के मुकाबले में इस साल गन्ने की उत्पादन लागत में कितने परसेन्ट की बढ़ोत्तरी हुई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मेरे दफ्तर में आ जाइये, तमाम आंकड़े आपको दे दिए जायेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने पिछले पांच सालों का मूल्य का हवाला दे दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने मूल उत्तर में जो बात कही है कि उत्पादन की लागत के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो आपने जो अपने आई0 ए0 एस0 आफिसर्स के द्वारा उत्पादन का परसेन्टेज निकलवाया है, वह बतावीजिए ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां। परसेन्टेज के आधार पर ही दिया जा रहा है यह कोई मनगढ़न्त नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, क्या मंत्री जी गन्ने की उत्पादन लागत का परसेन्टेज बतायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, इतने भड़भड़ में मेरी कुछ समझ में बात आयी नहीं, इसे दोहरा दें ।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि आपके पास पूरे केलकुलेशन होंगे तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल का, दोनों का कम्पेरीजन करके आप यह बतला दें कि दोनों सालों में कितनी उत्पादन लागत बढ़ी और उस परसेन्टेज के आधार पर गन्ने का मूल्य न बढ़ाये जाने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

बढ़े हुए परसेन्टेज के आधार पर ही गन्ने का मूल्य दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी उत्पादन लागत बढ़ी है या नहीं, पहले तो इसका जवाब आप दे दें ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, यह तो आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

तो मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें तब तक ये आंकड़े मंगा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

स्थगित कर दें मान्यवर, यह स्थगित होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

यह क्या तरीका है कि आप सब लोग खड़े हो गए, आप लोग बैठें । माननीय मंत्री जी, प्रश्न यह है, स्पष्ट सुन लें और जो उत्तर देना चाहें दे दें, पिछले वर्ष से इस वर्ष उत्पादन लागत बढ़ी है अथवा नहीं और अगर बढ़ी है तो उसी हिसाब से मूल्य दिया जा रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मेरे पास 1976-77 के आंकड़े हैं और उसके बाद 1981-82 के हैं । जो 1977-78 के आंकड़े थे उसके हिसाब से 7·99 दिया था और आज 11·19 पैसा हो गया है और उसी अनुपात से दाम दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

केवल पिछले वर्ष और इस वर्ष का पूछ रहे हैं ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

गन्ने की अलग--अलग स्थिति है और गन्ने की लागत कम करने का प्रयास किया गया है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी सूचना मंगा लें, आप इसको स्थगित कर दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप हर प्रश्न को पूछ रहे हैं और इस तरह से बोलते हैं जिसका अर्थ होता है कि आप डांटना चाहते हैं । यह कतई ठीक नहीं है । प्रश्न यह है कि पिछले वर्ष की जो उत्पादन लागत थी, इस वर्ष बढ़ी है या नहीं, केवल इसका उत्तर चाहते हैं और उसी के हिसाब से गन्ने की कीमत दिलायी जायेगी या नहीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इसके लिए मान्यवर, सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, सूचना की आवश्यकता है ।

*8--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*9--श्री रियासत हुसैन--

[23वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के ग्राम सेहास शुमाली में हरिजनों को आवंटित भूमि तथा अन्य ग्रामवासियों को आवंटित कृषि योग भूमि

*10--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के ग्राम सेहास शुमाली में जो पट्टा किया गया है उसमें हरिजनों और गरीबों को दिया गया पट्टा जमीन पर न देकर नदी में दे दिया गया है, जिस कारण वे खेती करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं ? क्या यह सही है कि इसी ग्राम की अच्छी जमीन दूसरे गांव के लोगों के नाम पट्टे पर दी गयी है ? यदि हां, तो सरकार ने अपने स्तर पर सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों के प्रति क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री सरयू प्रसाद 'सरोज'--

वर्ष 1975 में ग्राम सेहास शुमाली में 59 व्यक्तियों को भूमि का पट्टा दिया गया । उनमें से केवल 23 व्यक्तियों की भूमि मौके पर नदी है । 5

व्यक्ति अन्य ग्राम सभाओं के निवासी हैं तथा दो व्यक्तियों को सार्वजनिक आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। शेष 29 व्यक्ति जो हरिजन व गरीब वर्ग के हैं आवंटित भूमि पर काबिज हैं। यह सही है कि 5 व्यक्ति जो अन्य ग्राम सभाओं के हैं, उन्हें कृषि योग्य भूमि मिली है। इस सम्बन्ध में दोषी पाये गए प्रधान, लेखपाल व पर्यवेक्षक कानूनगो के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 22 व्यक्ति जिनको पट्टे मिले हैं, उनकी कितनी जमीन नदी में है और 5 अन्य व्यक्तियों को, जो दूसरे गांव के रहने वाले हैं, उनको कितनी जमीन मिली है पट्टे पर तथा अन्य लोगों को कितनी जमीन पट्टे पर दी गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, माननीय सदस्य सूची देखें, उसमें सारा विवरण दिया हुआ है

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

सूची हमारे पास नहीं है, केवल जवाब है।

श्री अध्यक्ष--

सूची उपलब्ध करा दें।

श्री बैजनाथ कुरील--

सूची आपको उपलब्ध करा दी जायेगी।

जनपद सुल्तानपुर के बन्धुआ कलां में निर्माणाधीन विद्युत् उपकेन्द्र से विद्युत् आपूर्ति

*11--मुईद अहमद--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के बन्धुआ कलां स्थान पर 33/11 के0 बी0 सब स्टेशन का निर्माण 2 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा लाईन आदि खींची जा चुकी है ? क्या यह सही है कि सारा कार्य पूर्ण होने के बाद भी सब स्टेशन के उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं। बन्धुआ कलां 33/11 के0 बी0 विद्युत् उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य अभी चल रहा है। इस उपकेन्द्र की विद्युत् आपूर्ति के लिए के0 बी0 लाइन का निर्माण तथा उपकेन्द्र से निकाली जाने वाली 11 के0 बी0 लाइनों का निर्माण कार्य भी अभी चल रहा है अतः उपभोक्ताओं को इस सब स्टेशन से बिजली देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, आपके माध्यम से....

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

विद्युत् वितरण खंड, उन्नाव में गबन तथा रिकार्ड रूम में अग्निकांड की जांच

*12--श्री गया सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् विभाग के उन्नाव केन्द्रीय कार्यालय में माह मई, 1981 व उसके आसपास की तिथियों में स्पेशल आडिट किया गया ? अगर हां, तो उसमें कितने धनराशि की गड़बड़ी पाई गयी और उस गड़बड़ी से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह बात सत्य है कि उसी जांच के दौरान दिनांक 7 मई, 1981 को उस रिकार्ड में आग लग गयी जिसमें भारी बकाया धनराशि अंकित थी ? अगर हां, तो जिन संदिग्ध परिस्थितियों में रिकार्ड में आग लगी उसकी जांच किसी अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

यह बात सत्य है कि विद्युत् वितरण खंड, उन्नाव का अंकेक्षण जुलाई, 1980 अप्रैल, मई 1981 में उप निदेशक (आन्तरिक सम्प्रेक्षा), लखनऊ क्षेत्र की आडिट पार्टी ने किया था और 34991·82 रु0 का गबन निकाला था। यह गबन सर्वश्री नूरुल हसन, कैशियर तथा श्री एल0 बी0 लाल श्रीवास्तव, असिस्टेन्ट सुपरवाइजर ने किया था। 7 मई, 1981 को अंकेक्षण के समय में उपरोक्त खंड के रिकार्ड रूम में आग लग गई जिसमें कि करीब दो ट्रक भार कागजात नष्ट हो गए यह आग किस तरह से लगाई गई या लगी इसे जानने के लिए परिषद् ने सम्पूर्ण मामले को विद्युत् के सतर्कता विभाग को कार्यालय ज्ञापन संख्या 2863 जो0/एस0 ई0, बी0 के0 ए0 आई0-116-बी0 बी0-81, दिनांक 4 दिसम्बर, 1981 को सौंप दिया है। उपरोक्त खंड का स्पेशल आडिट विद्युत् परिषद् के आडिट विभाग द्वारा दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 से शुरू कर दिया गया है। विद्युत् परिषद् ने निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया है :--

1--श्री बी0 के0 गुप्ता, सहायक लेखाकार (राजस्व)।

2--श्री एस0 के0 बाजपेयी, सहायक अभियंता, (राजस्व)।

3--श्री आर0 एस0 गुप्ता, अधिशासी अभियंता।

4--श्री एल0 बी0 लाल श्रीवास्तव, असिस्टेन्ट सुपरवाइजर।

5--श्री नूरुल हसन, कैशियर।

स्पेशल आडिट का कार्य अभी चल रहा है।

गोरखपुर मंडल में लेखपालों का प्रशिक्षण

*13--श्रीमती गौरी देवी--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर मंडल में वर्ष 1979-80 में लेखपालों के प्रशिक्षण का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया में लगभग 125 लेखपाल बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है । गोरखपुर मंडल में 1431 अप्रशिक्षित लेखपालों से, प्रशिक्षित लेखपालों के अभाव में, कार्य लिया जा रहा है । इनमें से 854 के विनियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

विद्युत उपकेन्द्र, डिबाई, बुलन्दशहर के निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदारों का भुगतान

*14—श्री बलवीर सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के कस्बा डिबाई में 132 के0 वी0 विद्युत का सब-स्टेशन निर्माण 1978-79 से प्रारम्भ हुआ ? यदि हां, तो कितने ठेकेदारों ने काम किया और किन-किन ठेकेदारों का कितना-कितना भुगतान शेष है और अब तक उनका भुगतान न करने का क्या कारण है, उसके लिए कौन उत्तरदायी हैं ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । 132 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र, डिबाई, जनपद बुलन्दशहर के निर्माण में 26 ठेकेदारों को काम दिया गया तथा पूरे किए जा चुके कार्यों के लिए केवल दो ठेकेदारों को कुल 13,202.24 का भुगतान करना शेष है । उक्त ठेकेदारों ने अपना कार्य 28-12-81 को ही पूरा किया है । प्रश्न नहीं उठता ।

परीक्षा तापीय परियोजना की आवासीय कालोनी की चहारदीवारी

*15—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत महीनों मई, जून, जुलाई, 81 में परीक्षा थर्मल पावर की आवास कालोनी, झांसी की चहार दीवारी निर्माण होने के कुछ दिनों के बाद तुरन्त गिर गयी ? यदि हां, तो क्या शासन ने इसकी जांच करवाई ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । यह सत्य है कि परीक्षा तापीय परियोजना की आवास कालोनी की चहार दीवारी के दो हिस्से जिनकी सम्मिलित कुल लम्बाई 95 मीटर है, निर्माण के पश्चात् गिर गये ।

जी हां ।

ग्राम नौवा अव्वल, गोरखपुर के हरिजनों को आवंटित भूमि का कब्जा

*16—श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम नौवा अव्वल, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में हरिजनों को जो पट्टा मिला था उस भूमि पर कब्जा न मिलने के विरोध में 20 जुलाई, 1978 को जिलाधीश, गोरखपुर के कार्यालय के सामने जन प्रतिनिधियों ने अनशन किया था, जिसे तत्कालीन जिलाधिकारी के आश्वासन के

बाद समाप्त किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त गांव के हरिजनों को अभी तक उनके लिए आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पनकी पावर हाउस, कानपुर में हुये विस्फोट की जांच पर व्यय तथा इकाई को पुनः चालू करने की अनुमानित लागत

*17--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 10 अगस्त, 1981 को कानपुर स्थित पनकी पावर हाउस में विस्फोट के क्या कारण थे तथा उससे कितनी क्षति हुई है ? क्या यह सही है कि भारतीय विशेषज्ञों द्वारा विस्फोट का कारण न जान सकने के बाद विदेशी विशेषज्ञों से जांच कराई जा रही है ? यदि हां, तो इस जांच पर कितना खर्च हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त क्षति ग्रस्त इकाई कब तक तथा कितनी लागत से पुनः चालू हो जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

पनकी तापीय विद्युत गृह में 10 अगस्त, 1981 को 32 मेगावाट क्षमता का टरबो जनरेटर नं0 2 क्षति ग्रस्त हो गया था । उक्त दुर्घटना के कारणों की जांच तथा हुयी क्षति का मूल्यांकन करने का कार्य एक उच्च स्तरीय समिति को सौंपा गया है जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुयी है । क्षतिग्रस्त टरबाइन विदेश से मंगाई गयी थी तथा उसकी स्थापना भी विदेशी फर्म द्वारा ही की गयी थी । अतएव उसी विदेशी फर्म के विशेषज्ञों को जांच में मदद के लिए बुलाया गया था । विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने पर लगभग 2.67 लाख रु0 का खर्च हुआ । क्षतिग्रस्त यूनिट को पुनः चालू करने में लगभग दो वर्ष का समय लगने का अनुमान है । क्षतिग्रस्त यूनिट को पुनः चालू करने पर आने वाली लागत का सही अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है ।

प्रदेश में चकबन्दी की कार्यवाही में सामूहिक कटौती द्वारा गूल, ड्रेन, कैनाल आदि हेतु जमीन

*18--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिन जिलों में चकबन्दी की कार्यवाही चल रही है तथा पुनः चकबन्दी की जाने वाली हैं, उक्त क्षेत्रों में गूल, ड्रेन, कैनाल आदि निकाले जाने हेतु सामूहिक कटौती के आधार पर क्या भूमि लिए जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त आधार पर कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि गांव के क्षेत्रफल के दस प्रतिशत से अधिक भूमि सामूहिक कटौती द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायगी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम अल्हेमऊ व सरौदा में चकबन्दी में हुयी अनियमितताओं का निराकरण

*19--श्री झिलमिट राम--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के तहसील मुहम्मदाबाद के अन्तर्गत ग्राम अल्हेमऊ व सरौदा में चकबन्दी द्वारा की गयी अनियमितताओं व गल्तियों का निराकरण कर शुद्ध स्थल व अभिलेखों व मानचित्रों को बनाने का आदेश चकबन्दी आयुक्त ने अपने पत्र संख्या 216 सी0 जी0 1475 दिनांक 13-3-78 द्वारा श्री डी0 एन0 लाल, डी0 डी0 सी0, आजमगढ़ को निर्गत किया था ? उक्त आदेश के अनुपालन में शुद्ध मानचित्र व अभिलेख व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही को सदन के संज्ञान में लायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परीक्षा तापीय परियोजना, झांसी में छत गिरने के कारण और घायलों तथा मृतक को सहायता

*20--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि परीक्षा थर्मल प्लान्ट में अक्तूबर, 1981 के अन्तिम सप्ताह अथवा नवम्बर, 1981 के प्रथम सप्ताह में निर्माणाधीन कंकरीट की स्लेब गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 27 मजदूर घायल हो गये ? यदि हां, तो छत गिरने का कारण क्या था और मजदूर के परिवार वालों को व घायल मजदूरों को सरकार ने क्या सहायता दी ? इस घटना के लिए दोषी कौन लोग पाए गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री--

जनपद झांसी में स्थित परीक्षा तापीय परियोजना, झांसी में दिनांक 4-11-1981 को सायंकाल 5-20 बजे डी0 एम0 प्लान्ट बिल्डिंग का स्लेब जो निर्माणाधीन था, उसका कुछ भाग अचानक गिर गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है ।

> परीक्षा तापीय परियोजना में डी0 एम0 प्लान्ट बिल्डिंग का कार्य ठेका द्वारा उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ द्वारा जो कि उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम है, कराया जा रहा है । दिनांक 4-11-1981 को सायंकाल 5-20 बजे जबकि छत स्लेब में कंकरीट डाली जा रही थी अचानक छत का कुछ भाग नीचे गिर गया । उक्त दुर्घटना अनुमानतः किसी बल्ली के हिल जाने अथवा अपने स्थान से हट जाने से हुई प्रतीत होती है । जिसके लिये किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

दुर्घटना में उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कुल 26 मजदूर घायल हो गये जिनको तुरन्त वाहनों द्वारा झांसी मेडिकल कालेज पहुंचा कर भर्ती कराया

गया । जिनमें से एक की मृत्यु हो गई, शेष सब मजदूर उपचारोपरान्त स्वस्थ होकर अस्पताल से मुक्त कर दिये गये हैं ।

मृतक के परिवार एवं घायलों को उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई :

1--अ--मृतक की विधवा को 2500 रु0 ।

ब--मृतक के दाह संस्कार के लिये 1000 रु0 ।

2--घायल मजदूरों को प्रति व्यक्ति 200 रु0 ।

3--इसके अतिरिक्त घायल मजदूरों के उपचार का पूर्ण व्यय निगम द्वारा वहन किया गया ।

अतारांकित प्रश्न

तहसीलदार पद पर स्थायीकरण हेतु घुड़सवारी एवं ट्रेजरी ट्रेनिंग से छूट पर विचार

1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार पद पर स्थायीकरण की शर्तों में से घुड़सवारी प्रमाण-पत्र एवं ट्रेजरी ट्रेनिंग से छूट देने सम्बन्धी शासन ने कोई निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कब ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त निर्णय पर लोक सेवा आयोग एवं कार्मिक विभाग, न्याय विभाग से प्रशासकीय विभाग को उनकी सहमति, परामर्श आदि भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उसका कार्यान्वयन होने में विलम्ब किस स्तर पर किया जा रहा है ? क्या सरकार ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री ब्रजनाथ कुरील--

अभी शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

लोक सेवा आयोग की सहमति और कार्मिक विभाग तथा न्याय विभाग के परामर्श प्राप्त हो गये हैं । किन्तु कतिपय बिन्दुओं पर 1 दिसम्बर, 1981 के पत्र द्वारा राजस्व परिषद् की आख्या तथा संस्तुति मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायगा किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद आजमगढ़, ग्राम अमुवारी नरायनपुर के सेक्टर नं0 5 एवं सेक्टर नं0 10 की पैमाइश न किए जाने सम्बन्धित शिकायती-पत्र

2--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम अमुवारी नरायनपुर के सेक्टर नं0 5 एवं सेक्टर नं0 10 की पैमाइश न किए जाने से सम्बन्धित श्री संत सेवक सिंह का शिकायती-पत्र

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 1980 के साथ उप संचालक चकबन्दी, सगड़ी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 31-10-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्राम अमुवारी नरायनपुर के सेक्टर नं0 5 एवं सेक्टर नं0 10 में चकों की पैमाइश का कार्य माह जून, 1980 में आरम्भ किया गया था, ग्राम बड़ा होने, लोगों में आपसी तनाव होने तथा वर्षा ऋतु आरम्भ हो जाने के कारण पैमाइश का कार्य पूरा करने में समय लगा । उक्त सेक्टरों में पैमाइश का कार्य दिनांक 31-10-1981 तक पूरा कर दिया गया है ।

3--श्री हरिवंश सहाय--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

4--श्री हरिवंश सहाय--

[22-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 122 द्वारा उत्तरित ।]

सहायक अभिलेख अधिकारी के कार्यालय में विभिन्न पदों पर रखे गये स्थानापन्न कर्मचारी

5--श्री हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में सहायक अभिलेख अधिकारी के कार्यालय में कितने स्थानापन्न कर्मचारी रखे गये तथा किन-किन पदों पर रखे गए हैं ? छटनी शुदा कर्मचारियों को क्यों नहीं रखा गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अभिलेख कार्यालय, गोरखपुर की जांच एवं कृत कार्यवाही

6--हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभिलेख कार्यालय, गोरखपुर की जांच राजस्व परिषद् उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा माह अक्तूबर, 1981 में हुई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर के ग्राम जीतवारपुर एवं बेल्चा से सम्बन्धित अभिलेखों की पंचियों में रकबा गलत दर्ज होने तथा मुख्य अभिलेख के गायब होने तथा वहां के 7 ग्रामों के नक्शे, खतरा खतौनी आदि रेगुलर लेखपाल द्वारा गायब किये जाने, पाये गये । उक्त अनियमितताओं को ठीक करने के आदेश राजस्व परिषद द्वारा दिये जा चुके हैं तथा दोषी लेखपाल के विरुद्ध पहले से ही रिपोर्ट दर्ज है और उन पर मुकदमा चल रहा है ।

गन्ने में लगे रोग के निवारण हेतु उपलब्ध कराई गई दवा के प्रभावहीन होने पर जांच

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गन्ने में लगे रोग के निवारण हेतु उपलब्ध कराई गई दवा से फायदा न होने के सम्बन्ध में दिनांक 28 सितम्बर, 1981 अथवा उसके आस-पास प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें मिला ? यदि हां, तो उसमें मुख्य क्या शिकायतें थीं तथा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रश्नकर्ता का 8 सितम्बर, 1981 का पत्र प्राप्त हुआ है । यह शिकायत टापबोरर के लिये फ्यूराडान दवा के प्रभावहीन होने की है ।

विशेषज्ञों के मतानुसार फ्यूराडान प्रभावहीन दवा नहीं है, पर किन परिस्थितियों में उससे कहीं कहीं फायदा नहीं हुआ, इसकी जांच और इस विषय में उचित कार्यवाई गन्ना आयुक्त द्वारा करायी जा रही है ।

श्री तेज कृष्ण प्रसाद, भू0 पू0 लिपिक, बस्ती को बकाया वेतन का भुगतान

8—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की करेगी कि श्री तेजकृष्ण प्रसाद, भू0 पू0, लिपिक बस्ती कलेक्ट्रेट, जनपद बस्ती का निविदि बकाया वेतन मु0 2934.05 पै0 जिसका भुगतान 1960-61 ई0 में हो जाना चाहिये था, का भुगतान 16 साल बाद 7-5-77 को किया गया ? यदि हां, तो क्या उन निविदि भुगतान पर श्री तेजकृष्ण प्रसाद को स्थायी निहित की दर से ब्याज दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री तेज कृष्ण प्रसाद को बकाया वेतन का भुगतान 6-7-77 को किया गया । उन्हें बकाया वेतन पर कोई ब्याज नहीं दिया गया क्योंकि नियमों में बकाया भुगतान पर ब्याज देने का प्राविधान नहीं है ।

9—श्री ऊदल—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

नियामत अताउल्लाह अन्सारी, गांव तिलवार, जिला वाराणसी के दोनों बैलों की विद्युत् स्पर्श से मृत्यु तथा क्षतिपूर्ति

10—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 4थे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 58 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियामत अताउल्लाह अन्सारी, गांव तिलवार, पो0 दांदूपुर, जिला वाराणसी के दोनों बैलों के विद्युत् स्पर्श से मर जाने की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मुख्य विद्युत् निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत् परिषद् ने जो एक हजार रुपये की

धनराशि स्वीकृत क्षतिपूर्ति के रूप में की थी ? क्या मालिक को दे दी गई ? यदि हां, तो कब ?

श्री सुनील शास्त्री—

परिषद् द्वारा स्वीकृत 1000 रु0 (एक हजार रुपया) मात्र का भुगतान अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् खण्ड द्वितीय, वाराणसी द्वारा कम्पेनसेशन कमिश्नर/जिलाधिकारी वाराणसी को चेक संख्या 877011, दिनांक 21-10-81 द्वारा किया जा चुका है ।

सी0 ओ0 ज्ञानपुर, वाराणसी श्री के0 पी0 सिंह के न्यायालय में फर्जी दाखिल-खारिज का मुकदमा तथा एस0 डी0 ओ0 द्वारा मुकदमे की जांच

11—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 ओ0, ज्ञानपुर, वाराणसी श्री के0 पी0 सिंह के नाम एक फैसला फर्जी मुकदमा नं0 324 का बनाया गया है और उसकी नायब तहसीलदार, ज्ञानपुर, वाराणसी के यहां दाखिल-खारिज का मुकदमा करके ता0 21-12-78 को बिसमिल्ला ने अपना नाम चढ़वा लिया है ? यदि हां तो क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मुकदमा नं0 324 श्री के0 पी0 सिंह, च0 अ0 के न्यायालय में नामान्तर के लिए दाखिल किया गया था जिसमें श्री बुधि राम पुत्र सकलू विक्रेता का नाम खारिज करके श्री शमीम अहमद, मुईन अहमद, नईम अहमद, पुत्रगण बिसमिल्ला व बिसमिल्ला पुत्र अब्दुल गफूर का नाम बतौर बेदार भूमिधर दर्ज करने का आदेश दिनांक 29-12-69 पत्रावली में है । इस आदेश के सम्बन्ध में विवाद है कि यह फर्जी है । इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा जांच की जा रही है । नायब तहसीलदार के न्यायालय में श्री बिसमिल्ला आदि द्वारा कोई नामान्तर का प्रार्थना-पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया था और न कोई नामान्तर का निर्णय ही दिया गया है ।

12—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुधिराम के लड़के लाल बहादुर वगैरह ने एस0 डी0 एम0, ज्ञानपुर, वाराणसी के यहां इस फर्जी दाखिल-खारिज के खिलाफ केस दाखिल किया जिस पर एस0 डी0 एम0, ज्ञानपुर ने दोनों फाइलों को देखकर 31-12-80 को फोरजरी मानकर जिलाधीश, वाराणसी को संस्तुति किया है कि सी0 आई0 डी0 से जांच कराई जाय और फाइल भी भेज दी है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

एस0 डी0 ओ0, ज्ञानपुर ने दिनांक 22-7-79 को जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी कि इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराई जाये, परन्तु जिला अधिकारी महोदय ने पत्रावली इस निर्देश के साथ दिनांक 31-7-79 को वापस कर दिया कि आप जांच करने में स्वयं सक्षम हैं । जांच जारी है ।

श्री बुद्धिराम, गांव हिम्मतपुर के चक नं0 309 को बचाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

13--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिसमिल्ला, गांव हिम्मतपुर बगुचिया ने उक्त चक नं0 309 को भदोही निवासी वेद प्रकाश सहगल को 16-11-81 को बैनामा कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बुद्धिराम की आराजी को बचाने एवं 420 करने वाले अधिकारियों एवं व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आज्ञा देगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जांच चल रही है ।

गांव हिम्मतपुर, जिला वाराणसी में आराजी नं0 91 की चकबन्दी

14--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हिम्मतपुर बगुचिया, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में आराजी नं0 91, रकबा 4 बीघा बुद्धिराम पुत्र सनकू गड़ेरिया की थी जो चकबन्दी में चक नं0 309 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा 15 धूर हो गया है ? यदि हां, तो चकबन्दी कब हुई और क्या यह सत्य है कि उक्त गांव का धारा 52 प्रकाशन सन् 1977 में हो गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद, रामपुर बनेथू ग्राम में हरिजनों को पट्टाशुदा जमीनों पर कब्जा न दिलाये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

15--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के रामपुर बनेथू ग्राम में हरिजनों को पट्टा शुदा जमीनों पर कब्जा न दिलाये जाने के सम्बन्ध में जनता पार्टी के भू0 पू0 एम0 एल0 ए0 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 7-9-81 का शिकायती-पत्र ग्राम रामपुर बनेथू के हरिजनों के मूल प्रार्थना-पत्र के साथ शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद, ग्राम अरई में चकबन्दी अधिकारी के स्तर पर मुकदमों का निस्तारण संबंधित शिकायती-पत्र

16--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के सुरहुरपुर परगना में ग्राम अरई में चकबन्दी अधिकारी के स्तर पर अधिकांश मुकदमों

का निस्तारण हुए बिना ही चक काट दिए गए हैं ? क्या इस बारे में जनता पार्टी के भूतपूर्व एम0एल0ए0 तथा भ्रष्ट अधिकारियों को, इंगित करो आन्दोलन की संघर्ष समिति के संयोजक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 29-1-81 का शिकायती-पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां तो, तो पूरे तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

17--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन [भारत के नियन्त्रक महालेखाकार परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित] की सिफारिश क्रमांक 67, 68, 69 तथा 70 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

प्रश्नगत संस्तुतियों का सम्बन्ध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (राजस्व प्राप्तियां) के प्रस्तर 52 से है जिसमें सम्बन्धित विलेख को रिलीज अथवा कन्वेयन्स मानने का प्रश्न निहित है । इस बारे में पहले ही लोक लेखा समिति के समक्ष पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया तथा यह सूचित किया गया कि उक्त विलेख-पत्र रिलीज की संज्ञा में आता है । फिर भी उक्त संस्तुतियों को ध्यान में रखकर मामले को उच्च न्यायालय में नियमानुसार रिफरेन्स करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निदेश राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिये गये हैं । उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । इसके अतिरिक्त स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (10) में दिये गये बेनामे की परिभाषा मे एक स्पष्टीकरण जोड़ कर यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि जो अन्तरण वास्तव में बेनामे हों उनके स्थान पर रिलीज के दस्तावेज लिखकर राजस्व की हानि करने की सम्भावना न रहे ।

भू-अभिलेख कार्यालय, गोरखपुर में कार्यरत सहायक अभिलेख अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

18--श्री रियासत हुसैन तथा श्री हरिबंश सहाय--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भू-अभिलेख कार्यालय, गोरखपुर में कार्यरत सहायक अभिलेख अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार में लीन होने और अनियमित कार्य करने आदि से सम्बन्धित शिकायती-पत्र डा0 बी0 के0 मिश्रा, विधायक का दिनांक 30-7-81 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां :

जिलाधिकारी गोरखपुर को इन शिकायतों की जांच कराकर आख्या भेजने हेतु निर्देशित कर दिया गया है । शीघ्र कार्यवाही कराने हेतु आयुक्त, गोरखपुर मण्डल को भी निर्देशित किया गया है ।

सर्वे कानूनगो की पदोन्नति को निरस्त करने का जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा आदेश

19—श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री कुबेर भन्डारी—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री श्याम देव, सर्वे लेखपाल के आवेदन-पत्र दिनांक 30-4-81 पर जिलाधिकारी, गोरखपुर ने दिनांक 24-5-81 को आदेश पारित कर 6 सर्वे कानूनगो की पदोन्नति को निरस्त कर दिया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील महाराजगंज के गांवों के निवासियों द्वारा सार्वजनिक रास्ता रोकने से संबंधित प्रार्थना-पत्र

20—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के निर्वाचन क्षेत्र महराजगंज के किन-किन गांवों के लोगों ने सार्वजनिक रास्ता रोकने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र स्थानीय अधिकारियों (जिलाधीश, परगना-धिकारी व तहसीलदार) एवं शासन को माह जुलाई, 1981 से अब तक भेजा है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही किस स्तर पर है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मसौधा चीनी मिल पर बकाया धनराशि

21—श्री ऊबल—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मसौधा चीनी मिल के ऊपर 10 लाख रु0 से ऊपर किसानों का बकाया है, उसको देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि गन्ना सहकारी समिति, फैजाबाद, दरियाबाद, बाराबंकी एवं मसौधा फैजाबाद समितियों का भी लाखों में बकाया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मसौधा चीनी मिल पर दिनांक 31-12-1981 की स्थिति के अनुसार 27·27 लाख रु0 बकाया था । इसमें से 1·68 लाख रु0 वर्ष 1980-81 तक का है तथा 25·59 लाख रु0 वर्तमान पेराई सत्र 1981-82 का है । गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु मिल की कुल उत्पादित चीनी पर बैंक द्वारा देय धनराशि में से 85 प्रतिशत तक धनराशि गन्ना-मूल्य के प्रथम खाते में जमा की जाती है ।

श्री शंकर सिंह, ग्राम मोलनापुर, जिला बस्ती द्वारा चक रोड को अपने खेत के मिलाने से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

22--श्रीमती गेंदा देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी, बस्ती को सम्बोधित श्री तेजबहादुर सिंह, ग्राम मोलनापुर, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती का पत्र अगस्त, 1981 माह में इस आशय का प्राप्त हुआ था कि उसी गांव के निवासी शंकर सिंह ने अपने घर के सामने से उत्तर तरफ निकले चक रोड को अपने खेत में मिलाकर गांव के लोगों का निकास अवरुद्ध कर दिया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

यद्यपि प्रश्न में संदर्भित शिकायती-पत्र का तहसील खलीलाबाद में प्राप्त होना नहीं पाया जाता, फिर भी, प्रश्नगत अतिक्रमण पड़ताल के समय जानकारी में आया जिसके सम्बन्ध में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के के नियम 115 (सी) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर दी गई थी व मामला तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है ।

परीक्षा थर्मल परियोजना, झांसी में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जांच

23--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षक थर्मल परियोजना, झांसी में व्याप्त अनियमितताओं व भ्रष्टाचारों के संबंध में दिनांक 29-8-81 के शिकायती पत्र के संदर्भ में राज्य विद्युत् परिषद् सतर्कता कोष्ठ जांच के आदेश हुए हैं ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? तथा दोषी कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां । जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही आगे की कार्यवाही संभव होगी ।

ग्राम राजनपुर, जिला शाहजहांपुर के अग्निकांड से हुई हानि व सहायता

24--श्री चेतराम गंगवार--

क्या राजस्व पुनर्वास मंत्री को ज्ञात है कि जिला शाहजहांपुर, तहसील व ब्लाक तिलहर के ग्राम राजनपुर में 13-4-80 को भीषण आग लग गई थी जिसमें अनेकों घर तथा गेहूं का खलिहान जलकर भस्म हो गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीणों में जन, धन का कुल कितना नुकसान हुआ और सरकार ने अब तक पीड़ित व्यक्तियों की क्या सहायता की ?

श्री बैजनाथ कुरील--

संदर्भित ग्राम में 13-4-80 को आग लग गई थी जिसमें खलिहान जलने से अनुमानतः 1,66,600 रु० की हानि हुई थी । इस अग्निकांड में न कोई जीवन हानि हुई और न कोई घर जले । 36 इच्छुक कृषक परिवारों का 12,600 रु० तकावी के रूप में वितरित किया गया । मुख्य देयों की वसूली सूखे के कारण स्थगित थी ।

श्री पारसनाथ, ग्राम कौडाही, जिला फैजाबाद की निजी भूमि पर व्यक्तिगत लगे नलकूप को उखाड़े जाने का कारण तथा कार्यवाही

25—मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पारसनाथ, ग्राम कौडाही, परगना बिडहा, तहसील टांडा, जिला फैजाबाद की निजी भूमि नम्बर 2009/1 रकबा 7 बिस्वा 10 धूर में लगे व्यक्तिगत नलकूप को दिनांक 28 जून, वर्ष 1981 को परगनाधिकारी, टांडा (श्री हीरालाल गुप्त) ने जरिये पुलिस फोर्स के उखड़वा दिया है और उखाड़े गये पाइपों को भी उठा ले गये हैं ? यदि हां, तो निजी भूमि पर व्यक्तिगत लगे नलकूप को उखाड़े जाने का क्या कारण था ? उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील ज्ञानपुर के कर्मचारियों, अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र

26—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम धर मिश्र, तत्कालीन सभापति, लोक लेखा समिति, उ० प्र० ने अपने पत्र संख्या 896/79, दिनांक 10-10-79 के साथ श्री विश्वनाथ शर्मा, संयोजक, तहसील किसान सभा, ज्ञानपुर, वाराणसी का 8-10-79 का प्रार्थना-पत्र तहसील ज्ञानपुर के कर्मचारियों, अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के बारे में संलग्न करके माननीय मुख्य मंत्री को भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री श्याम धर मिश्र, तत्कालीन सभापति, लोक लेखा समिति, उ० प्र० के पत्र संख्या 896/79, दिनांक 10-10-79 की तलाश कराई जा रही है ।

ग्राम कुन्डा, तहसील मेरठ में अवैध आवंटन

27—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

क्या राजस्व मंत्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 23-11-80 का ग्राम कुन्डा, तहसील मेरठ में कुछ लोगों को अनियमित रूप से आवंटित की गयी भूमि के आवंटन को निरस्त करने व उसी ग्राम के भूमिहीनों को आवंटित करने सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री महोदय यह अवैध आवंटन निरस्त करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया में चकबन्दी लेखपाल व चपरासियों का अन्य जनपदों में स्थानान्तरण

28—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद चकबन्दी, लेखपाल 142 व चपरासी 95 का तबादला मेरठ, बुलन्दशहर, आगरा, अलीगढ़ आदि जनपदों में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और पुनः अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को पुनः देवरिया वापस कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1981-82 में पूर्वी जिलों के अनेक क्षेत्रों में चकबन्दी कार्य समाप्त होने तथा पश्चिमी जिलों में चकबन्दी कार्य के प्रसार होने के कारण जनपद देवरिया के 36 लेखपालों को जनपद बस्ती में समायोजित किया गया तथा शेष 106 लेखपालों एवं 95 चपरासियों को जनपद मेरठ, बुलन्दशहर, आगरा व अलीगढ़ आदि जनपदों को स्थानान्तरित किया गया । इन लेखपालों व चपरासियों को फिलहाल अभी देवरिया वापस करने की कोई सम्भावना नहीं है ।

जनपद देवरिया के गांवों में पैमाइश तथा वादों का निस्तारण शीघ्र करने का प्रयास

29—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि देवरिया जनपद के धारा 52 के प्रकाशन के बाद कितने ऐसे गांव हैं जहां कि पैमाइश मौके पर अब तक नहीं की गयी है ? और न मुकदमों का निस्तारण ही हुआ है ? यदि हां, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद देवरिया के सभी ग्रामों में जिनका चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापन हो चुका है, स्थल पर पैमाइश कराई जा चुकी है । उपरोक्त धारा के अन्तर्गत उन्हीं ग्रामों का प्रख्यापन कराया गया है जो ग्राम वाद रहित थे अथवा लम्बित वादों की संख्या 5 से अधिक नहीं थी । लम्बित वादों में मुख्यतया कालबाधित हैं अथवा उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित हैं जिन्हें शीघ्र निस्तारित कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

ग्राम ऐरा भदियार, जिला उन्नाव में ग्राम समाज द्वारा किये गये अवैधानिक पट्टे तथा अमलदरामदगी के आदेश

30—श्री भीखालाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ऐरा भदियार परगना परियेर, तहसील व जिला उन्नाव के हरिजनों ने दिनांक 16-9-81 को जिलाधीश को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि उक्त ग्राम में ग्राम समाज द्वारा किये गये अवैधानिक पट्टों की धारा 198 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत परगना अधिकारी, उन्नाव ने 1966 से 1979 के मध्य खारिज कर दिये हैं लेकिन उनका अमलदरामद अभी तक खतौनी में नहीं कराया गया और प्राप्त भूमि भूमिहीन खेत मजदूरों में वितरित नहीं की गई ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई और उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

दिनांक 16-9-81 के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एक विशेष अभियान चलाकर इस ग्राम में सभी पट्टेदारों को नियमानुसार कब्जा दिला दिया गया है । जहां तक गांव सभा द्वारा किए गए अवैधानिक पट्टों को निरस्त करने के अमलदरामद न करने की बात है, इस बारे में अभी तक जांच से 18 अमलदरामद के आदेश प्राप्त होने की जानकारी हुयी है जिनमें 17 मामलों में अमलदरामद कर लिया गया था । केवल एक मामले में पट्टेदार द्वारा भूमि की बिक्री के उपरान्त बैनामा का अमलदरामद हो चुका था । जिन 17 मामलों में गांव सभा के पक्ष में अमलदरामद किया गया था उनमें से 5 पट्टेदारों द्वारा की गयी अपील आयुक्त, लखनऊ मंडल द्वारा स्वीकार की गयी । अतः इन पांच पट्टेदारों का नाम पुनः दर्ज कर दिया गया । शेष 12 मामलों से प्राप्त 65 बीघा, 18 बिस्वा, 10 बिस्वांसी भूमि में से आवंटन अभियान के समय 32 बीघा, 8 बिस्वा भूमि नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को आवंटित कर उन्हें कब्जा भी दिला दिया गया है । शेष भूमि सुरक्षित छोड़ी गयी है ।

गांव डंगहर, जिला वाराणसी में भूमि आवंटन में धांधली सम्बन्धी-पत्र

31—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव डंगहर, ब्लाक सुरियांवा, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी के 12 हरिजनों ने भूमि आवंटन के सम्बन्ध में की गयी धांधली के खिलाफ 2 दिसम्बर, 1977 को जिलाधीश, वाराणसी को पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांव सभा डगहरी, जिला वाराणसी में आराजी नं0 83 व 85 का आवंटन

32—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा चकहर कंश, गांव सभा डगहरी, ब्लाक सुरियांवा, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में आराजी नं0 83 तालाब व आराजी नं0 85 का आवंटन किया गया है ? क्या यह सही है कि ए0 डी0 एम0, वाराणसी ने 21 अगस्त, 1979 को तालाब का पट्टा निरस्त कर दिया है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 102-103 पर कार्यवाही

33—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन [भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित] की सिफारिश संख्या 102 तथा 103 पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 का प्रतिवेदन [भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित] जिसमें सिफारिश संख्या 102 तथा 103 भी सम्मिलित हैं, शासन को दिनांक 20 जनवरी, 1982 को ही प्राप्त हुई है। इस पर गन्ना एवं चीनी आयुक्त से आख्या एवं प्रस्ताव मांगे गये हैं। प्रस्तर 102 के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि हरदोई चीनी मिल पर क्रयकर से सम्बन्धित याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के विचाराधीन हैं। उच्च न्यायालय से शीघ्र निर्णय कराये जाने के सम्बन्ध में शासन ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता को पत्र लिखा है।

34—श्री कन्हैया लाल—

[29 जनवरी, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 15 द्वारा उत्तरित।]

उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में की गई कतिपय सिफारिशों पर कार्यवाही

35—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन [भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित] की सिफारिश क्रमांक 19, 20, 25, 26, 30, 31 तथा 38 पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त—

प्रतिवेदन की प्रति विधान सभा सचिवालय से अभी लगभग 2 सप्ताह पूर्व ही प्राप्त हुई है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री हंसनाथ यादव, गन्ना कीट विज्ञ, गोरखपुर के बकाया वेतन का भुगतान तथा उनकी पत्नी श्रीमती बेचना देवी के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

36—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री हंसनाथ यादव, गन्ना कीट विज्ञ, गन्ना शोध केन्द्र, गोरखपुर का वेतन 12 जुलाई, 1980 से अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां ।

12 जुलाई, 1980 के बाद से श्री हंसनाथ यादव का वेतन भुगतान इसलिये रुका हुआ है कि उन्होंने अपनी नियुक्ति के निर्दिष्ट स्थान पर न तो कार्यभार ग्रहण किया है और न इस अवधि के लिए उनका कोई अवकाश सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र ही प्राप्त हुआ है । उनके वेतन बकाया आदि का भुगतान उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने और कार्य से अनुपस्थिति की अवधि के विनियमितीकरण के विषय में आवेदन-पत्र देने पर निर्भर है ।

37—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह भी बतायेंगे कि दिनांक 25 नवम्बर, 1981 को श्रीमती बेचना देवी पत्नी हंस नाथयादव ने इस आशय का शिकायती-पत्र दिया है कि उनके पति को गन्ना आयुक्त के अधिष्ठान में पुनः नियुक्त करने में विलम्ब किया जा रहा है ? यदि हां, तो शिकायत-पत्र क्या है और उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां ।

श्रीमती बेचना देवी के शिकायती-पत्र की प्रति संलग्न है ।

निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे श्री यादव को नियमित रूप से तुरन्त अपने पद का कार्यभार दिलायें और उन्हें नियमानुसार वेतन आदि दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

जहां तक श्री यादव को गन्ना आयुक्त के अधिष्ठान में स्थान देने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय लोक सेवा अधिकरण ने यह निर्णय दिया है कि शासन श्री यादव को गन्ना आयुक्त संगठन और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के संदर्भ में स्टेटस सम्बन्धी निर्णय ले । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 680 पर ।)

श्री सुनहरी लाल, तहसील जसराना, जनपद मैनपुरी का पट्टों के वितरण में असमानता व प्रधान की गलत बयानी एवं कार्यवाही में विलम्ब करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

38—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 80 के 3रे शुक्रवार दिनांक 19 सितम्बर, 1980 के ता0 प्र0 सं0 12 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान की गलत बयानी एवं अन्य शिकायतों की जांच परगनाधिकारी, जसराना (मैनपुरी) ने पूर्ण कर ली ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किस अधिकारी ने की ? यदि नहीं, तो बिलम्ब के लिये कौन अधिकारी दोषी है और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

39--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व (बन्दोबस्त) अनुभाग के शासनादेश संख्या 107(1)/80(37) (राज0 बन्दो0), दिनांक 20 मार्च, 1980 के अन्तर्गत उन्हें एवं जिलाधिकारी को सुनहरी लाल व पदम सिंह व अमीरी सिंह पुत्रगण अन्तराम सिंह, निवासी खेरियाशिकमी गोहाना, तहसील जसराना, जिला मैनपुरी का प्रार्थना-पत्र, दिनांक 14 अगस्त, 1980 का भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक किस अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो विलम्ब क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा नियमानुसार जांच आवश्यक कार्यवाही करने के निदेश दे दिये गये हैं ।

गाँव सभा देवराई, जिला वाराणसी में चकबन्दी द्वारा छोड़ी गयी सड़क को अपने चकों में मिला लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

40--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा देवराई, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में चकबन्दी द्वारा छोड़ी गयी सड़क व उसके किनारे गांव सभा की जमीन को कुछ लोगों द्वारा अपने चकों में मिला लेने के सम्बन्ध में पारसनाथ व शिवशंकर, गांव देवराई का प्रार्थना-पत्र अपने पत्र के साथ प्रश्नकर्ता ने तहसीलदार, वाराणसी को 14 मई, 1981 को दिया है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांव सभा देवराई, जिला वाराणसी में पिंडरा देवराई सराय मार्ग की भूमि

41--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक पत्र प्रश्नकर्त्ता ने 3/4 माह पूर्व ही तहसीलदार, वाराणसी को गांव सभा देवराई, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी के बारे में तथा एक परगनाधीश उत्तरी वाराणसी को भी दिया है कि गांव की जमीन जो पिंड़रा देवराई सराय मार्ग की है उसे निकलवाया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इल्तफात गंज, ब्लाक टांडा के फीडर पर लगे हुए ट्रांसफार्मर बदल कर हाई पावर ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में पत्र

42--श्री मित्रसेन--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र श्री डी0 पी0 एन0 वर्मा, सहायक अभियंता (सम्बद्ध) विद्युत् वितरण मंडल फैजाबाद को दिनांक 1-10-80 को प्राप्त हुआ है, जो इल्तफात गंज, ब्लाक टांडा के फीडर पर लगे हुए ट्रांसफार्मर बदल कर हाई पावर ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि इल्तफातगंज के मात्र 160 के0 बी0 ए0 दक्षता का ट्रांसफार्मर लगाया गया है जबकि वहां पर 250 के0 बी0 ए0 दक्षता के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है ? यदि हां, तो ऐसा न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 86 तथा 87 पर कार्यवाही

43--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन [भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित] की सिफारिश क्रमांक 86 तथा 87 पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन के पैरा 86 व 87 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (राजस्व प्राप्तियां) के पैरा 77 पर आधारित संस्तुतियों के अनुसार उचित आदेश जिलाधिकारी, बलिया व राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को शासन द्वारा भेजे जा चुके हैं और इन आदेशों से विधान सभा के समिति (वित्त) अनुभाग के माध्यम से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भविष्य में भी लोक लेखा समिति, जो इस सम्बन्ध में प्रगति पर नजर रखे हुए है, को प्रगति और परिणाम से अवगत कराया जाता रहेगा ।

रवीन्द्रालय, लखनऊ में सहकारी लेखा परीक्षा संघ के वार्षिक अधिवेशन में क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध बांटा गया पर्चा

44--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-11-81 को रवीन्द्रालय, लखनऊ में सहकारी लेखा परीक्षा संघ का वार्षिक अधिवेशन में क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद (श्री भान प्रकाश जौहरी) के विरुद्ध कोई पर्चा बांटा गया तथा मंत्री को भी दिया गया था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां,

तो उसमें लगाये गये आरोपों की जांच सरकार द्वारा कराई गयी ? यदि हां, तो उससे क्या तथ्य प्रकाश में आये और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । रवीन्द्रालय, लखनऊ में हुए "सहकारी लेखा परीक्षक संघ" के वार्षिक अधिवेशन में क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध आरोपों का छपा हुआ पर्चा मुझे दिया गया था ।

उक्त पर्चे में लगाये गये आरोपों पर शासन द्वारा एक उच्च अधिकारी से जांच करायी जा रही है । जांच प्रगति पर है और अभी पूर्ण नहीं हो पायी है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही तदनुसार संभव होगी ।

सब-रजिस्ट्रार, कर्वी, जिला बांदा के कार्यालय में असिंचित भूमिधरी जमीनों का मूल्यांकन कम किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

45--श्री पंचानन राय--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब-रजिस्ट्रार कर्वी, जिला बांदा के कार्यालय की लेखा परीक्षा में अक्तूबर, 1978 में पाया गया कि सितम्बर, 1977 से मई, 1978 के बीच पंजीकृत 11 हस्तान्तरण प्रपत्रों के माध्यम से हस्तान्तरित असिंचित भूमिधरी जमीनों का मूल्यांकन कम लगाये जाने के फलस्वरूप 11,665.00 रुपये स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का कम प्रभार हुआ ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

लेखा परीक्षा में इंगित की गई कमी रसूम की कुल धनराशि 11,665 रु0 की वसूली करके खजाने में जमा कर दी गई है तथा सम्बन्धित तत्कालीन उप निबंधक कर्वी (बांदा) की दो वर्ष की वेतन वृद्धियां तथा तत्कालीन अन्य दो निबन्धन लिपिकों (तत्कालीन प्रभारी उप निबंधक) की एक एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोक दी गई है ।

सब-रजिस्ट्रार, कानपुर के कार्यालय की लेखा परीक्षा में स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस के कम प्रभार की वसूली हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

46--श्री पंचानन राय--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सब-रजिस्ट्रार, कानपुर के कार्यालय की लेखा परीक्षा में जून, 1979 में संलग्न भूमि सहित दिसम्बर, 1978 में एक भवन पंजीकृत हस्तान्तरित विलेख के माध्यम से एक लाख तैंतालीस हजार रुपये के प्रतिफल पर बेचा गया था ? यदि हां, तो क्या संलग्न भूमि का मूल्य दो लाख चौसठ हजार छ सौ रुपये कम दिया गया था, जिसके कारण सत्ताइस हजार आठ सौ तेरह रुपये के स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का कम प्रभार हुआ ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां। स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस से सम्बन्धित, महालेखाकार द्वारा इंगित 27,813 रु0 के कम प्रभार की वसूली की धनराशि को चालान सं0 1 व 2, दिनांक 19-3-80 द्वारा कानपुर कोषागार में जमा कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त मामले में जिलाधिकारी द्वारा आरोपित अर्थ दन्ड 25,167 रु0 की वसूली राजस्व परिषद् के आदेश सं0 3535/स्टाम्प/171 (के), दिनांक 16-4-80 द्वारा स्थगित कर दिया गया था। तत्पश्चात् मुख्य राजस्व नियन्त्रक अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20-8-81 द्वारा मामला पुनः अपर जिलाधिकारी कानपुर को फिर से निर्णीत करने हेतु रिमान्ड करने के आदेश दिये हैं। निबंधक महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, द्वारा सम्बन्धित उप निबंधक का स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, के निर्माण में ली गई भूमि के लोगों को स्थायी सेवा में लिए जाने के आदेश

47--श्री पंचानन राय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री शिवधन राम पुत्र श्री गुनाई राम मुराई, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद आजमगढ़ की जमीन यदि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियांव, आजमगढ़ के निर्माण में ली गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इनके पुत्र श्री राम नाथ यादव को स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चीनी फेडरेशन के पत्रांक 156/17--सी0 यू0 पी0 एफ0 स्था0 642776-74 आर 9, दिनांक 3-9-77 द्वारा ऐसे लोगों को स्थायी सेवा में लेने के लिए निर्देश दिये गये हैं जिनकी भूमि मिल के निर्माण में ली गयी हो? यदि हां, तो इनके मामले में इसका पालन क्यों नहीं किया गया है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम भौनडाडा, जनपद अल्मोड़ा में विद्युतीकरण

48--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भौनडाडा, विकास क्षेत्र सल्ट, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के ग्रामवासियों द्वारा 1977-78 में 1,600 (सोलह सौ) रुपये कनेक्शन हेतु जमा किये हैं और अभी तक उस क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा लाइन नहीं बनाई गयी है? यदि हां, तो शासन उक्त ग्रामवासियों को विद्युत् प्रकाश की सुविधा हेतु शीघ्र विद्युत् लाइन बनाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री सुनील शास्त्री--

यह सत्य है कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम भौनडाडा के कुछ व्यक्तियों ने कनेक्शन हेतु अग्रिम धनराशि जमा की है तथा उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु अभी लाइन नहीं बनायी गयी है।

जी हां।

ग्राम भोनडाडा का विद्युतीकरण अगले वित्तीय वर्ष (1982-83) में किया जाना प्रस्तावित है ।

टांडा तापीय परियोजना में 220 के0 वी0 उपकेन्द्र एवं पावर कान्सट्रक्शन डिवीजन में विभिन्न फर्मों/ठेकेदारों से कराया गया वर्क आर्डर का कार्य

49--श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती,' श्री शेरबहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद के 220 के0 वी0 पावर कान्स्ट्रक्शन डिवीजन में माह जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक वर्क आर्डर द्वारा कितने रुपये का कार्य अलग-अलग किन-किन फर्मों से कराया गया ? क्या यह कार्य टेंडर द्वारा कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

टांडा तापीय परियोजना में 220 के0 वी0 उपकेन्द्र एवं पावर कान्स्ट्रक्शन डिवीजन में माह जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 की अवधि में 22 विभिन्न फर्मों/ठेकेदारों को कुल 54 वर्क आर्डर किये गये (सूची संलग्न) जारी किये गये प्रत्येक वर्क आर्डर का मूल्य 10,000 रु0 से कम होने की स्थिति में खुली निविदा आमंत्रित नहीं की गई । परिषद् के नियमानुसार 10,000 रु0 से अधिक के कार्य के लिए ही खुली निविदायें आमंत्रित की जानी आवश्यक होती हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' पृष्ठ 681 पर ।)

टांडा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद में स्टील, सरिया, छड़ का क्रय

50--श्री शेर बहादुर, श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती' तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद में स्टील, सरिया, छड़ आदि कितनी मात्रा में रेलवे व सड़क द्वारा अलग-अलग मंगाया गया ? क्या यह सही है कि नागपुर, गाजियाबाद, मेरठ, जालन्धर, पटन, बम्बई से स्टील सड़क द्वारा मंगाई जा रही है जिसमें परियोजना की चौगुनी धनराशि खर्च हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

टांडा तापीय परियोजना में नवम्बर, 1981 के अन्त तक मंगायी गयी कुल लगभग 25,004.6 मैट्रिक टन स्टील में से 17,395 मैट्रिक टन रेल द्वारा तथा 7,609.6 मैट्रिक टन सड़क द्वारा मंगायी गयी । उपरोक्त आंकड़ों से स्वतः स्पष्ट है कि परियोजना के लिए कुल मंगाई गयी स्टील में से लगभग 70 प्रतिशत रेल द्वारा ही मंगाई गयी है । सड़क द्वारा स्टील मंगायी जाने के मुख्य कारण निम्न हैं :--

(1) स्टील सप्लायर के "आफर" में सड़क द्वारा ही ढुलाई कराये जाने की शर्त का होना ।

(2) स्टील सप्लायर के आफर बहुधा सात दिन तक ही वैध होते हैं तथा इसी बीच में आफर की गयी स्टील का भुगतान करके निश्चित अवधि में समस्त स्टील उठा लेना होता है ।

ऐसी स्थिति में रेलवे वैगन उपलब्ध न होना । आवश्यकतानुसार समुचित संख्या में रेलवे वैगन उपलब्ध न हो पाना ।

जहां तक सड़क द्वारा स्टील लाये जाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का प्रश्न है, इसका वास्तविक आंकलन सम्भव नहीं है तथा निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है :—

(1) रेलवे वैगन द्वारा जो स्टील की ढुलाई की जाती है उसको टाण्डा रेलवे स्टेशन पर ही उतारना पड़ता है तथा रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में डैमरेज एवं वारफेज का व्यय-भार परिषद् को वहन करना पड़ता है ।

(2) जो स्टील रेलवे वैगन द्वारा मंगाया जाता है उसे पुनः रेलवे स्टेशन से परियोजना स्थल तक सड़क द्वारा लाने पर व्यय भार वहन करना पड़ता है ।

(3) रेलवे वैगन द्वारा जो स्टील बुक कराया जाता है उसकी रेलवे विभाग द्वारा "सेड टू कन्टेन" आधार पर आर० आर० दी जाती है तथा रास्ते में किसी प्रकार की कमी या चोरी की जिम्मेदारी रेल विभाग नहीं लेता है ।

(4) परियोजना पर आवश्यकतानुसार समय से स्टील न पहुंचाये जाने पर परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे अन्ततः परिषद्, को राजस्व क्षति होती है ।

श्री महेन्द्र पाल सिंह, मनोरंजन कर निरीक्षक, लखनऊ का निलम्बन तथा जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान

51—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि श्री महेन्द्र पाल सिंह चौहान पुत्र श्रीदलवीर सिंह चौहान, मनोरंजन कर निरीक्षक, लखनऊ को आदेश संख्या 431 तीस-ए-74, दिनांक 30 जनवरी, 1971 द्वारा सरकारी सेवा से पृथक् करके मनोरंजन कर निरीक्षक के पद से सेवा मुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सचिव, वित्त मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने आदेश संख्या तीस-ई० बी०-5 (ई) 60 म० क० अ० लखनऊ, दिनांक 12 सितम्बर, 1980 द्वारा श्री महेन्द्र पाल सिंह चौहान के सेवा मुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया था ? और उन्हें पुनः सरकारी सेवा में मानकर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने व निर्वाह भत्ता देने के लिए आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आदेश दिया था ? और क्या सचिव, वित्त मनोरंजन कर के उक्त आदेश का अभी तक पालन आयुक्त मनोरंजन कर ने नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

शासनादेश संख्या तीस-ई-बी-5 (ई)/64, दिनांक 12-9-80 द्वारा श्री चौहान की सेवा मुक्ति के आदेश को निरस्त करते हुये उन्हें सेवा मुक्ति की तिथि से निलंबित मानकर उनके विरुद्ध नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए मनोरंजन कर आयुक्त को आदेश दिये गये थे तथा उन्हें निलंबन काल में जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार माना गया था ।

शासन के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री चौहान को नये सिरे से आरोप-पत्र दिये जाने की दिशा में मनोरंजन कर आयुक्त द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जहां तक जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में श्री चौहान ने अभी तक इस आशय का आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है कि वह निलंबन काल में किसी अन्य सेवा, व्यापार, व्यवसाय आदि में नहीं लगे थे। इस तथ्य के सम्बन्ध में विभाग द्वारा भी आवश्यक जांच कराई जा रही है।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ की सम्परीक्षा आख्याओं की अनिस्तारित आपत्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

52--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-9-81 एवं -11-81 के साथ परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त स्कूल के लेखाओं की वर्ष 1959-60 से 1980-81 तक की सम्परीक्षा आख्याओं की अनिस्तारित आपत्तियों में सम्मिलित धनराशि, बकाया सम्परीक्षा शुल्क आदि के विवरण प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो वे आपत्तियां क्या हैं तथा सरकार ने उक्त सन्दर्भ में सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां। आपत्तियों के विवरण संलग्न हैं। आपत्तियों के निस्तारण के सन्दर्भ में शासन के सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने पर ही यदि आवश्यकता पाई गई तो संस्था के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 683 पर।)

टांडा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद में रजिस्टर्ड फर्मों के स्थायी व अस्थायी पते तथा कार्य का विवरण

53--श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती,' श्री शेरबहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जैतली--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद में कितनी फर्में रजिस्टर्ड हैं और उनका स्थायी व अस्थायी पता क्या है? विभिन्न फर्मों से अलग-अलग कितनी धनराशि का कार्य कराया गया? क्या यह सही है कि बाहर की फर्मों से ज्यादा कार्य कराया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर में बन्दोबस्त सोयम में अंकित क्षेत्रफलों में तथा खेवटों के अन्तर

54—श्री दीप नारायण—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के बन्दोबस्त सोयम तथा 1359 फ0 के खाता ऐक्ट संख्या 1 व 2 आला में कितना-कितना क्षेत्रफल अंकित है तथा बन्दोबस्त सोयम में अंकित क्षेत्रफलों में तथा 1359 फ0 के खेवटों में अन्तर का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परगना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्रामों में जोतबही की व्यवस्था

55—श्री दीप नारायण—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुलतानपुर के अन्तर्गत कितने ग्रामों के किसानों को जोत बही की व्यवस्था की जा चुकी है और कितने ग्रामों को देना शेष है ? समस्त किसानों को जोत बही न देने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत कुल 166 ग्राम है नियमानुसार इन सभी ग्रामों में किसानों का पहले जोतबही तैयार कराकर वितरित करा दी गई थी । इस समय इस परगने के 159 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया लागू नहीं है । शेष 7 ग्रामों में जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया लागू नहीं है । नवीन खतौनी तैयारी के पश्चात् तुरन्त जोतबहियां तैयार कराकर किसानों को वितरित की जा चुकी हैं । चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत के 159 ग्रामों में से 10 ग्राम अभी हाल ही में चकबन्दी प्रक्रिया के बाहर आये हैं और इन ग्रामों की जिल्द बन्दोबस्त चकबन्दी सी0 एच0 45 तहसील में प्राप्त हो गये हैं । जिसके आधार पर उनकी खतौनी तैयार कराई जा रही है । खतौनी तैयारी के उपरान्त इन 10 ग्रामों में भी नवीन खतौनियों के आधार पर तुरन्त जोतबही तैयार कराकर किसानों को वितरित कर दी जायेगी । इस प्रकार जैसे-जैसे शेष ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के बाहर आते जायेंगे नियमानुसार उनकी खतौनी तैयार कराकर जोतबही की व्यवस्था किसानों के लिए की जायेगी ।

ग्राम फुंदनपुर, जिला सुल्तानपुर में जमींदारी खातमा होने पर प्रतिकर का भुगतान

56—श्री दीप नारायण—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फुंदनपुर मोहाल पोख्तादारी, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में खातमा जमींदारी होने पर उनके मालिकान आला की संख्या क्या थी और प्रत्येक को जमींदारी प्रतिकर कितना दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री फकीर बक्श, सहायक वासिल बाकी नवीस, तहसील संडीला, जिला हरदोई द्वारा गबन किये जाने सम्बन्धित जांच

57—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फकीर बक्श, सहायक वासिल बाकी नवीस, तहसील संडीला, जिला हरदोई द्वारा गबन किये जाने के सम्बन्ध में कोई विभागीय जांच चल रही है । जिसकी रिपोर्ट तत्कालीन तहसीलदार संडीला श्री बी0 एम0 पांडे ने थाना संडीला में दिनांक 19 मार्च, 1981 को दर्ज कराई थी ? उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 तिलहर, शाहजहांपुर में कुल सेवारत कर्मचारी, पिछड़े वर्ग एवं मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों की नियुक्ति

58—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, तिलहर, शाहजहांपुर, में जो इस वर्ष चलना प्रारम्भ हुई है, वर्तमान समय में जी0 एम0 से लेकर लेबर तक कुल कितने लोग सेवारत हैं ? इन समस्त सेवारत पदों पर हरिजन कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने-कितने लोग हैं ? क्या यह सही है कि पिछड़े वर्ग एवं मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों की कम नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए पिछड़े वर्ग एवं मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों की नियुक्ति करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रौजा शुगर वर्क्स, शाहजहांपुर द्वारा काश्तकारों को गन्ना मूल्य का भुगतान

59—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1978-79 में रौजा शुगर वर्क्स, शाहजहांपुर ने काश्तकारों को गन्ना का मूल्य रु0 9.84 प्रति कुन्टल के हिसाब से भुगतान क्यों किया जबकि सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य रु0 12.50 प्रति कुन्टल घोषित किया गया ? क्या सरकार सरकारी घोषित मूल्य का पूरा भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इस मिल के लिए भारत सरकार द्वारा 78–79 हेतु न्यूनतम गन्ना मूल्य दर 11.29 रु0 प्रति कुन्टल रखी गई थी। इस मिल ने भारत सरकार द्वारा नियत उक्त गन्ना मूल्य दर के विरुद्ध कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आदेश प्राप्त किया कि मिल 77–78 में दिये गये मूल्य से कम गन्ना मूल्य 78–79 म नहीं देगी। अतः चीनी मिल द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गन्ना मूल्य दर देय हुई। यह याचिका न्यायालय में विचाराधीन है और जब तक उसका निर्णय नहीं होता तब तक इस दिशा में अन्य कार्यवाही संभव नहीं है।

गन्ना सहकारी समिति शाहजहांपुर के कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

60—श्री सत्य पाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या जनपद शाहजहांपुर में गन्ना सहकारी समिति शाहजहांपुर के कृषकों का रु0 2,95,211.17 वर्ष 78–79 का गन्ना मूल्य दि किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर पर बकाया है? यदि हां, तो उसका भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया है और यह भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जनपद के चकबन्दी विभाग से लेखपाल व चपरासियों का स्थानान्तरण

61—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के चकबन्दी विभाग से गत वर्ष कितने लेखपाल व चपरासियों का तबादला मेरठ, आगरा, बुलन्दशहर आदि पश्चिमी जनपदों में किया गया तथा उन्हें कब तक अपने गृह जनपद में वापस कर दिया जायेगा?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद देवरिया के चकबन्दी विभाग से गत वर्ष 1980–81 में किसी लेखपाल व चपरासी को मेरठ, आगरा, बुलन्दशहर आदि पश्चिमी जिलों को स्थानान्तरित नहीं किया गया था। वर्ष 1981–82 में जनपद देवरिया में चकबन्दी का कार्य अनेक क्षेत्रों में समाप्त होने तथा पश्चिमी जिलों में चकबन्दी कार्य के प्रसार होने के कारण देवरिया से 106 लेखपालों एवं 95 चपरासियों को जनपद मेरठ, बुलन्दशहर, आगरा व अलीगढ़ आदि जनपदों को स्थानान्तरित किया गया है तथा 36 लेखपालों को जनपद बस्ती में समायोजित किया गया। इन लेखपालों तथा चपरासियों को अभी उनके गृह जनपद को भेजने की संभावना नहीं है परन्तु जब उनके गृह जनपद में स्थान रिक्त होगा तो इनको समायोजित किया जा सकता है।

गन्ना समिति बिलारी, जिला मुरादाबाद के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

62--श्री अकबर हुसैन--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-6-81 को गन्ना समिति बिलारी, जिला मुरादाबाद के सचिव तथा सी0 डी0 आई0 के विरुद्ध जो शिकायती-पत्र जनता ने दिया था उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां । गन्ना समिति बिलारी, जिला मुरादाबाद के सचिव (जो एस0 सी0 डी0 आई0 हैं और प्रतिनियुक्ति पर समिति के सचिव रहे हैं) के विरुद्ध दिनांक 29-6-81 के शिकायती-पत्र पर जांच कराने के उपरान्त अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

झांसी जनपद में उपभोक्ताओं को उद्योग के लिए स्वीकृत पावर कनेक्शन

63--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 81 में उद्योग के लिए झांसी जनपद में कितनी संख्या में उपभोक्ताओं को पावर कनेक्शन स्वीकृत किये गये तथा कितनों को कनेक्शन दे दिये गये तथा पावर कनेक्शन स्वीकृत होने के बावजूद कितने उपभोक्ताओं को अभी तक पावर कनेक्शन नहीं दिये गये ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

मास सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 81 में उद्योग के लिए झांसी जनपद में 138 संख्या में उपभोक्ताओं को पावर कनेक्शन स्वीकृत किये गये तथा इनमें से किसी को भी कनेक्शन नहीं दिये गये क्योंकि दिनांक 16-9-81 से नये औद्योगिक कनेक्शन देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था जो अब भी प्रभावी है ।

जनपद जौनपुर के कतिपय गांवों में चकबन्दी के दौरान ग्राम समाज की भूमि के फर्जी इन्दराज पर जांच

64--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के बीबनमऊ बजरी और भाऊपुर गांवों में चकबन्दी के दौरान भूमि अभिलेखों में परिवर्तन करके कुछ लोगों के नाम से फर्जी इन्द्राज करके ग्राम समाज की भूमि का स्वामित्व दे दिया गया है ? क्या सरकार इस अनियमितता को दूर करेगी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

65--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र के चीनी मूल्यों में अन्तर

66--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना मंत्री को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी उ0 प्र0 के किसानों को पश्चिमी उ0 प्र0 की अपेक्षा एक रुपया प्रति क्विंटल कम दाम मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या सरकार इस भेदभाव को समाप्त करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां ।

पश्चिमी व मध्य उत्तर प्रदेश के चीनी क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी उ0 प्र0 के चीनी क्षेत्र की चीनी मिलों का औसत चीनी पर्ता कम होता है तथा औसत उत्पादन व्यय अधिक आता है जिसके कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के किसानों को पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा एक रुपया प्रति कुन्टल कम दाम मिल रहा है ।

पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में गन्ना मूल्य का अन्तर भेदभाव पूर्ण नहीं है तथा दोनों क्षेत्रों की परिस्थितियों पर आधारित है । अतः इसको समाप्त किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

गन्ना न मिलने के कारण बंद चीनी मिलें

67--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, 1981 और जनवरी, 1982 में कौन-कौन सी चीनी मिलें गन्ना न मिलने के कारण कितने-कितने दिन बंद रही ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

68--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जनपद के कोल्ड स्टोरेजों में बिजली का बकाया

69--श्री हरिवंश सहाय--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में कितने कोल्ड स्टोरेज हैं तथा 31-12-81 तक उन पर कितना बिजली का बकाया है ?

श्री सुनील शास्त्री--

देवरिया जनपद में दस कोल्ड स्टोरेज हैं तथा दिनांक 31-12-81 तक उनमें से केवल 6 पर विद्युत् देयों का 1,71,347·12 रु0 बकाया है । इनमें से 3 कोल्ड स्टोरेज के कनेक्शन कटे हुये हैं और 1,24,569·64 रु0 के वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ।

जनपद बहराइच, ग्राम सभा कीर्तनपुर में ग्राम समाज की वृक्षारोपण वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जा संबंधी पत्र

70--श्री मोहन सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच, तहसील कैसरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा कीर्तनपुर में ग्राम समाज की लगभग 12 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण कार्य सन् 1976 में सम्पन्न कराया गया और उसका उद्घाटन तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय (श्री एम0 चेन्ना रेड्डी) ने किया ? क्या यह भी सही है कि बाग न लगे होने तथा उस जमीन पर अनधिकृत रूप से श्री बाबू राम तिवारी उपरोक्त निवासी ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत श्री कन्धई लाल, निवासी मो0 वशीरगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद बहराइच ने माननीय मुख्य मन्त्री, पंचायत राज मन्त्री, जिलाधिकारी बहराइच, पुलिस अधीक्षक, बहराइच को दिनांक 10-9-80 को रजिस्टर्ड भेजीं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय निवास कोतवाली तथा अन्य थानों पर विद्युत् विभाग का बकाया

71--श्री हरिवंश सहाय--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय, निवास एवं कोतवाली तथा अन्य स्थानों पर विद्युत् विभाग का 31-12-81 तक कितना बकाया है तथा उसकी वसूली के लिए कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री--

देवरिया जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय, निवास कोतवाली एवं अन्य थानों पर विद्युत् विभाग का 31-12-81 तक 1,87,883·91 रु0 अवशेष है । अवशेष धनराशि की वसूली के लिए पुलिस अधीक्षक देवरिया से सम्पर्क किया गया है । उपर्युक्त बकायों के भुगतान के लिए परिषद् स्तर से भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

72--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गांवों की आबादी के नक्शे बनवाने का विचार

73--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गांवों की आबादी के नक्शे बनवाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूप-रेखा क्या है तथा कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

74--श्री छत्तर सिंह--

[6ठें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

75--श्री हरिशंकर तिवारी--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

76--श्री धनेश्वरी देवी--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

77--श्री विजय सिंह--

[6ठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

78--श्री विजय सिंह--

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

79--श्री विजय सिंह--

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

ग्राम बिगराऊ, जनपद बुलन्दशहर के, हरिजनों को मिले आवासीय पट्टे पर कब्जा दिलवाने की कार्यवाही

80--श्री छत्तर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बिगराऊ, परगना स्थाना, जनपद बुलन्दशहर के हरिजनों को जो आवासीय पट्टे सन् 1976 में मिले थे, उन पर आज तक हरिजनों को कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया ? क्या शीघ्र कब्जा दिलवाने की कार्यवाही पूरी की जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील मोहन लाल गंज, लखनऊ से उमराई बनाम रामकली से सम्बन्धित नकल की मांग

81--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 24-6-81 को एक नकल सवाल मुहाफिज खाना माल तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में क्रम-संख्या 433 पर उमराई बनाम रामकली, निवासी ग्राम दासीनगरा, परगना मोहन लाल गंज व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ दिया गया ? यदि हां, तो उसकी नकल अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा नगर में बुन्दुकटरा तथा मधुनगर में नजूल की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

82--श्री विजय सिंह राणा--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि आगरा नगर में बुन्दुकटरा तथा मधुनगर में नजूल की जमीन पर कुछ लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो इन लोगों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

बुन्दुकटरा तथा मधुनगर, आगरा में नजूल भूमि नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

83--श्री नन्द किशोर सिंह--

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

श्री फूल चन्द्र व रघुनन्दन, ग्राम परसिया मिसकारी को आबादी हेतु पट्टे पर आवंटित की गई भूमि

84--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परसिया मिसकारी, पो0 एवं जिला देवरिया का जमीन संख्या 195/30 डिसमिल चकबन्दी द्वारा सुरक्षित आबादी छोड़ा गयी थी जिसमें फूल चन्द्र व रघुनन्दन, ग्राम निवासी को आबादी हेतु पट्टे पर आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो क्या उन दोनों व्यक्तियों को कब्जा दिलाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, आबादी हेतु सुरक्षित भूमि से श्री फूल चन्द्र व श्री रघुनन्दन प्रत्येक को 0·03 डिसमिल भूमि आबादी हेतु पट्टे पर आवंटित की गई थी। इन दोनों व्यक्तियों को कब्जा दिलाया गया था। श्री रघुनन्दन की मृत्यु हो चुकी है परन्तु उनकी बेवा श्रीमती मोती का कब्जा आवंटित भूमि पर है।

रुद्र विलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर और रजा बुलन्द शुगर फैक्ट्री, रामपुर का चीनी का कम पर्ता तथा बढ़ाने के उपाय

85--श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुद्र बिलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर और रजा बुलन्द शुगर फैक्ट्री, रामपुर का चीनी का पर्ता (रिकवरी) क्रमशः वर्ष 1979-80 एवं वर्ष 1980-81 में कितने प्रतिशत था ? पर्ता कम होने के मुख्यतया क्या कारण थे और पर्ता बढ़ाने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

रुद्र बिलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर और रजा बुलन्द शुगर फैक्ट्री, रामपुर का चीनी का पर्ता (रिकवरी) वर्ष 1979-80 में क्रमशः 9·35 प्रतिशत व 9·63 प्रतिशत तथा वर्ष 1980-81 में 9·15 प्रतिशत व 9·19 प्रतिशत था। पर्ता कम होने का मुख्य कारण मौसम का प्रभाव है, जिससे प्रति वर्ष पर्ते में उतार-चढ़ाव होता रहता है। वर्ष 1979-80 में पूरे प्रदेश भर में चीनी का पर्ता 9·77 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 1980-81 में पूरे प्रदेश भर में चीनी का पर्ता 9·46 प्रतिशत था। इस प्रकार वर्ष 1980-81 में पहले वर्ष की अपेक्षा चीनी का पर्ता 0·31 प्रतिशत कम था।

विभाग की ओर से चीनी का पर्ता बढ़ाने के लिये गन्ने का उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना व गन्ने को बीमारियों तथा कीटाणुओं के प्रकोप से बचाने का कार्यक्रम है।

क्लास (प्रथम) की राजकीय सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण का नियम

86--श्री हरि प्रसाद कुरील तथा श्री रामजी राम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्लास (प्रथम) की राजकीय सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण क्या उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा में भी यह नियम लागू है और इसमें अनुसूचित जाति के कितने अधिकारियों को प्रोन्नति में आरक्षण नियम के अन्तर्गत प्रोन्नति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां, प्रोन्नति में अनुसूचित जाति के अधिकारियों हेतु आरक्षण का नियम, उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के वर्ग "क" के पदों पर भी लागू होता है।

वर्ग "क" के 102 अधिकारियों में से 20 अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी के भराव से प्रभावित जमीन के लगान में छूट

87--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत गत वर्ष घाघरा नदी के भराव से प्रभावित जमीन के लगान में छूट दी गयी थी परन्तु अब समाप्त कर दी गयी है जबकि पानी, बालू से सारी जमीन प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित जमीन के लगान में छूट प्रदान करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील सदर में मजिठिया बंधुओं के नाम से भूमि को विभिन्न कार्यों में दिया जाना

88—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री को यह भी ज्ञात है कि तहसील सदर में मजिठिया बंधुओं के नाम से अंकित भूमि में से इस समय कितनी भूमि हवाई अड्डा, डेयरी फार्म, कुक्कुट पालन, खेल मैदान, गन्दे पानी स्टोर, ट्रस्ट आदि रूप में दी गयी है ? क्या यह सत्य है कि इनको फर्जी ढंग से दिखला कर इन पर खेती करायी जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

उत्तर की सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

श्री मनोहर लाल भारद्वाज, न्यू हैदराबाद, लखनऊ भूतपूर्व सैनिक का भूमि का आवंटन संबन्धी-पत्र

89—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मनोहर लाल भारद्वाज पुत्र श्री दुर्गा दास, मकान 3, गोपीनाथ बिल्डिंग, न्यू हैदराबाद, लखनऊ भूतपूर्व सैनिक को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ दिनांक 29-1-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील जसराना में भूमि आवंटन की वैधता की [जांच] तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

90—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र 1978 के प्रथम शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 25-11-78 से इन मामले सम्बन्धित पत्रावली संख्या 421, 377 पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं ।

इस जनपद की तहसील जसराना की भूमि प्रबन्धक समिति खरिया शिकमी गोहाना के प्रस्ताव दिनांक 26-6-70 में किये गये आवंटन की वैधता की जांच का निर्णय दिनांक 3-2-81 को ही हो चुका है जो पत्रावली संख्या 421/377 से सम्बन्धित है । इस निर्णय में शिकायत कर्त्ता के ही नहीं अपितु भू० पू० स० की बैठक दिनांक 26-6-70 में दिए गए समस्त 19 व्यक्तियों का आवंटन अनियमित होने के कारण निरस्त होने के आदेश पारित हो चुके हैं ।

तत्कालीन परगनाधिकारी जसराना के आदेश दिनांक 13-4-73 व प्रपत्र 57-ख की जांच में तत्कालीन अधिकारियों का बयान अवशेष है, जो दूसरे जनपदों को स्थानान्तरित हो चुके हैं । इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद् को लिखा जा चुका है कि सम्बन्धित अधिकारियों को प्रश्नगत जांच के सम्बन्ध में परीक्षण हेतु परगनाधिकारी, जसराना के न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें ।

जनपद मिर्जापुर में विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापितों का पुनर्वासन तथा अवशेष प्रतिकर का वितरण

91—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक मिर्जापुर जनपद के आनपारा ताप परियोजना, शक्तिनगर, सुपर ताप विद्युत् परियोजना बीना, ककरी व खड़िया काल प्रोजेक्ट तथा कनहर सिंचाई परियोजना में कितने परिवार विस्थापित हुए तथा कितने को पुनर्वासित किया गया है और अभी तक कितने परिवारों को मुआवजा वितरित नहीं किया गया है ? जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है उनके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रश्न में उल्लिखित परियोजनाओं के सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्नलिखित है :—

(अ) अनपरा ताप परियोजना—इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 604 परिवारों को विस्थापित किया गया जिसमें से 512 परिवारों को प्लाट आवंटित करके पुनर्वासित किया जा चुका है । शेष 94 परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु परियोजना द्वारा प्लाट समतल कराये जा रहे हैं । केवल 25 प्रतिशत प्रतिकर की धनराशि का वितरण किया जाना अवशेष है । कुछ मामले विवादास्पद हैं व वर्ग 4 भूमि से सम्बन्धित हैं जिनका निष्पादन सक्षम न्यायालय से न हो पाने के कारण प्रतिकर वितरण की कार्यवाही रुकी हुई है । इसके अतिरिक्त एक ही परिवार के कई सदस्य के नाम विभिन्न श्रेणी की संक्रमणीय/असंक्रमणीय भूमि, गवर्नमेन्ट ग्रांट लैन्ड, आबादी भूमि तथा वर्ग 4 से सम्बन्धित भूमि है और उक्त भूमि में मकान, कूप, फलदार वृक्ष, इमारती वृक्ष तथा बंधी आदि एक ही परिवार के भिन्न-भिन्न सदस्यों के नाम हैं । अतः जब तक पूर्णरूप से केस फाइनल न हो जाय तब तक प्रतिकर का वितरण करना सम्भव नहीं होगा ।

(ब) शक्ति नगर सुपर ताप विद्युत परियोजना--इस परियोजना के संबन्ध में वांछित सूचना निम्न प्रकार है —

1--विस्थापित परिवारों की सं0 636 ।

2--पुनर्वासित परिवारों की सं0 636 ।

3--उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अभी तक प्रतिकर नही मिला है 95 ।

इन 95 व्यक्तियों में भूमिधरी श्रेणी की भूमि एवं मकान का प्रतिकर वितरण किया जा चुका है । वर्ग 4 एवं वन भूमि से परिवर्तित भूमि का नोटिफिकेशन न होने के कारण भूमि पर प्रतिकर अवशेष है ।

(स) बीना, ककरी व खड़िया कौल प्रोजेक्ट--बीना कौल परियोजना के अन्तर्गत कुल 233 परिवार विस्थापित किये गये थे और 233 परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है । जहां तक प्रतिकर के वितरण का प्रश्न है कुल प्रतिकर की धनराशि का केवल 5 प्रतिशत प्रतिकर भुगतान करना अवशेष है ।

यह 5 प्रतिशत अवशेष प्रतिकर की धनराशि का वितरण विवादित मामलों के लम्बित होने के कारण निश्चित नहीं हो पाया है । मामला निश्चित हो जाने पर इसका वितरण शीघ्र हो जायगा ।

ककरी एवं खड़िया कौल परियोजना के संबन्ध में अभी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है । अतः किसी परिवार के विस्थापित होने तथा उन्हें बसाने एवं प्रतिकर के भुगतान का कोई प्रश्न नहीं है ।

(द) कनहर सिंचाई परियोजना--इस परियोजना के सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्न प्रकार है :--

1--विस्थापित परिवारों की सूची संख्या--1045 ।

2--पुनर्वासित परिवारों की संख्या--16 ।

उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अभी प्रतिकर नहीं मिला है 677 शेष परिवारों के बसाने के सम्बन्ध में भूमि का चयन किया जा रहा है । भूमि उपलब्ध हो जाने पर विस्थापितों को शीघ्र पुनर्वासित कर दिया जायगा ।

जहां तक अवशेष प्रतिकर वितरण का प्रश्न है मामले में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बस्ती की तहसील खलीलाबाद में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत श्री वशिष्ट तथा गोपाल की सेवा अवधि तथा रिक्त पदों की संख्या

92--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के तहसील खलीलाबाद में संग्रह अमीन पद पर कार्यरत श्री वशिष्ट और श्री गोपाल की कुल कितने वर्षों की सेवा 31-3-79 तक है ? क्या यह सच है कि इनमें

वरिष्ठ व्यक्तियों को सेवा का अवसर नहीं दिया जा रहा है ? तथा उक्त दोनों रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए खलीलाबाद तहसील में कुल कितनी जगह स्थायी रूप से रिक्त हैं ? और कब तक उन पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति कर दी जायगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद बस्ती के तहसील खलीलाबाद में दिनांक 31-3-79 तक संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत श्री वशिष्ट की कुल सेवा 3 वर्ष 3 माह 20 दिन थी तथा श्री गोपाल की कुल सेवा 5 वर्ष 1 माह 18 दिन थी। इनसे वरिष्ठ संग्रह अमीनों को सीजनल संग्रह अमीन के पद पर सेवा का अवसर मिलता रहा है। दिनांक 30 नवम्बर, 1981 को उक्त दोनों रिक्तियों को सम्मिलित करते हुये तहसील खलीलाबाद में कुल छः स्थायी रिक्तियां हैं, जिन पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम रकवारडीह, तहसील मुहम्मदाबाद की बढ़वा-काझा मार्ग में ली गई भूमि तथा भूमिधरों को त्वरित प्रतिकर भुगतान के आदेश

93--श्री खैरुल बशर--

क्या सरकार कृपया बतलाने की कृपा करेगी कि उसने अपने राजस्व विभाग-2 पत्र संख्या 286/4-4 (31) 75, रा0 अनु0-2, दिनांक 22-11-75 के द्वारा श्री राम सुमेरलाल, 283, मुशीपुरा मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ को उनके ग्राम रकवारडीह, तहसील मुहम्मदाबाद स्थित भूमि जो बढ़वा-काझा मार्ग में ले ली गयी, उसको प्रतिकर देने के लिए उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था, यदि दिया था तो सरकार के इस सम्बन्ध में भूमिधरों को त्वरित प्रतिकर भुगतान करदेने के आदेश के बावजूद भी उनको अभी तक प्रतिकर का भुगतान क्यों नहीं हुआ ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सीतापुर नगरपालिका की सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्युत् कनेक्शनों को शहरी क्षेत्र के समकक्ष विद्युत् आपूर्ति किये जाने की मांग

94--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर में कटोली फीडर तथा हरिगांव फीडर की कुछ ऊर्जा बढ़ा कर बाहरी फीडर बनाने के बारे में प्रश्नकर्ता का कोई मांग पत्र दिनांक 2 जुलाई, 80 को मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त माननीय सदस्य विधान सभा का दिनांक 2 जुलाई, 1980 का मांग पत्र प्राप्त हुआ है। मांग पत्र में सीतापुर नगरपालिका की सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्युत् कनेक्शनों को नगरपालिका (शहरी) क्षेत्र के विद्युत् कनेक्शनों के समकक्ष विद्युत् आपूर्ति किये जाने की मांग की गयी है। राज्य विद्युत् परिषद् की सामान्य नीति के अन्तर्गत यह सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं है।

तहसील बहेड़ी, जिला बरेली में तहसीलदार द्वारा प्रतिकर वसूल करने के आदेश

95—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बहेड़ी, जिला बरेली में वर्ष 1979–80 व 1980–81 में क्रमशः उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122–ख के अन्तर्गत कुल कितने प्रतिकर वसूल करने के आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किये जा चुके हैं ? इसमें से कितना प्रतिकर वसूल हो चुका है और कितने मामले में धारा 122–ख उपधारा (3) के अनुसार प्रतिकर को मालगुजारी के रूप में वसूल करने के आदेश पारित किये गये हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

तहसील बहेड़ी, जिला बरेली में उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122–ख के अन्तर्गत क्रमशः वर्ष 1979–80 में 46579·00 तथा वर्ष 1980–81 में 4888 2.00 प्रतिकर वसूल करने के आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किये गये। इसमें से वर्ष 1979–80 में 24568.00 तथा वर्ष 1980–81 में 17020.00 प्रतिकर वसूल हो चुका है। वर्ष 1979-80 में 233 तथा वर्ष 1980–81 में 199 मामलों में धारा 122 बी उपधारा (3) के अनुसार प्रतिकर की मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल करने के आदेश पारित किये गये हैं।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में आबादी रहमानीपुरा के कच्चे रास्ते पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा

96—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खंड, जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में जगदीशपुर से बाजार शुकुल जाने वाली पक्की सड़क से तीन किलोमीटर के निकट एक कच्चा रास्ता आबादी रहमानीपुर भू–खंड संख्या 1155 से भू–खंड संख्या 320, 321 से होकर जाती है जिस पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है जिसके कारण आवागमन में बड़ी असुविधा उत्पन्न हो गई है ? क्या इस सम्बन्ध में शासन को शिकायतें 30–9–81 तक प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मामले में माननीय प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17–9–81 के साथ एक श्री नूरुल हसनैन खां, निवासी ग्राम रहमानीपुरा मजरा व पोस्ट रसूलपुर का एक शिकायती–पत्र प्राप्त हुआ था। मामले में जांचोपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि प्रश्न

में उल्लिखित भूखंड संख्या 1155 से भूखंड संख्या 320 व 321 से होकर ऐसा कोई रास्ता जाता हुआ नहीं पाया गया । अतः आवागमन में बाधा पड़ने का प्रश्न नहीं उठता । ग्राम में अब चकबन्दी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है ।

प्रधान, ग्राम पंचायत सांझामऊ, जिला उन्नाव के विरुद्ध शिकायती पत्र

97—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान ग्राम पंचायत सांझामऊ, विकास खंड सुमेरपुर, जिला उन्नाव के विरुद्ध ग्राम पंचायत सांझामऊ के सदस्यों और ग्रामवासियों के हस्ताक्षरों का कोई शिकायती पत्र दिनांक 14-7-80 को परगनाधिकारी पुरवा, उन्नाव तथा प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 3-3-1981 को राजस्व मंत्री को दिया गया है ? यदि हां, तो इस शिकायती पत्र की मुख्य-मुख्य शिकायत क्या हैं ? और इन शिकायती पत्रों की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दुद्धी तहसील में भूमिहीनों को भूमि आबंटन में अनियमिततायें

98—श्री विजय सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-9-81 द्वारा दुद्धी तहसील में भूमिहीनों को भूमि आबंटन में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में तथा दिनांक 3 अक्तूबर, 1980, 15 जनवरी, 13 फरवरी, 1 अप्रैल, 4 व 5 मई, 17 जून, 28 जुलाई, 1981 के पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

15-9-81, 20-7-80 तथा 13-2-81 दिनांकित पत्र शासन में प्राप्त नहीं हुए हैं । 5-5-81 व 17-6-81 दिनांकित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं ।

1-4-81 दिनांकित पत्र का सम्बन्ध गृह विभाग से था जिन्होंने उसे मूल रूप में जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष जांच, लखनऊ को दिनांक 6-6-81 को आदेश भेज दिये । शेष पत्रों पर तुरन्त जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी, मिर्जापुर/राजस्व परिषद् को भेजे जा चुके हैं । अनियमित पट्टों के करने के बारे में सम्बन्धित सर्वे कानूनगो को निलम्बित भी कर दिया गया है ।

उन्नाव जनपद में पतेली खेड़ा के पुल के पास बिजली के तारों से दो हाथियों की मृत्यु

99—श्री भीखा लाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, 1981 में उन्नाव जनपद में हुलसी खेड़ा गौरिया मार्ग पर स्थित पतेली खेड़ा के पुल के बिजली के तार इतने ढीले और नीचे थे कि वह नीचे से गुजरने वाले एक हाथी के शरीर से छू गये और हाथी उसमें चिपक गया तथा एक अन्य हाथी उसको छुड़ाने के प्रयास में उससे चिपक गया और दोनों हाथियों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई ? यदि

हां, तो लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और हाथियों के मालिकों को शासन से क्या मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

माह अगस्त, 1981 में उन्नाव जनपद में पतेली खेड़ा के पुल के पास दो हाथियों जो बिना महावत के थे की मृत्यु बिजली के तारों के सम्पर्क में आने के कारण हुयी । यह सत्य नहीं है कि बिजली के तार पहले से ढीले थे बल्कि हाथी द्वारा खम्भों में टक्कर मारने से खम्भा टेढ़ा हो गया और तार ढीले हो गये, जिसके सम्पर्क में आने से हाथी की मृत्यु हुयी । एक और हाथी जो कि पहले से पास ही में था के सम्पर्क में आने के कारण वह भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया ।

इसमें किसी विभागीय कर्मचारी की लापरवाही नहीं पायी गई । हाथियों के मालिकों को क्षतिपूर्ति का मामला राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है ।

सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

100--श्री हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-7-81 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । कार्यालय के कर्मचारियों से जबरदस्ती वेतन रोक कर रुपया वसूलने, पुराने कर्मचारियों को हटाकर ट्रेनिंग शुदा कर्मचारियों को रखने तथा कार्य की फर्जी कारगुजारी भेजने तथा तत्सम्बन्धी अन्य शिकायतें हैं । इन शिकायतों पर जांच कराकर आख्या भेजने हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।

सहायक अभिलेख अधिकारी गोरखपुर के विरुद्ध कार्यवाही तथा सर्वे कानूनगो द्वारा दिया गया प्रतिवेदन

101--श्री हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर (रामनवल लाल) के विरुद्ध जिलाधिकारी, गोरखपुर ने 15-11-80 को शासन को लिखा था ? यदि हां, तो उसमें क्या लिखा गया था तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

102--श्री हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर (रामनवल लाल) के विरुद्ध विभाग के सर्वे कानूनगो ने 20-7-81 को अपना प्रतिवेदन शासन को दिया है ? यदि हां, तो उसमें क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं ?

ग्राम ददेलखन्ड, जनपद जालौन में बिजली का तार टूटने से बैल की मृत्यु तथा विद्युत् विभाग द्वारा मुआवजा दिये जाने पर विचार

103—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सच है कि दिनांक 9-10-81 को जालौन जनपद के ग्राम ददेलखंड के सरकारी नलकूप पर शिवनाथ नामक किसान का एक बैल बिजली के तारों से चिपक कर मर गया था तथा क्या यह भी सच है कि बिजली के तार जिनमें करेंट थी कई दिनों से नलकूप के पास पड़े हुए थे जिसकी ग्रामवासियों ने शिकायत भी की थी ? परन्तु फिर भी बिजली के तारों से करेंट नहीं काटी गयी, न तार ठीक से बांधे गये ? सरकार यह भी बतायेगी कि जिस किसान का बैल मर गया है उसको बिजली विभाग द्वारा कितना मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, किन्तु यह सत्य नहीं है कि बिजली के तार टूटने की सूचना ग्रामवासियों ने दी थी। दुर्घटना के एक सप्ताह बाद ग्राम प्रधान नियामतपुर ने केवल तार टूटने की मौखिक सूचना दी थी। उक्त सूचना मिलते ही दिनांक 19 अक्तूबर, 1981 को लाइन को ठीक कराकर लाइन चालू कर दी गयी। किसान को मुआवजा दिये जाने का मामला राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है।

श्री गंगादीन हरिजन, निवासी ग्राम न्योतनी, जिला उन्नाव की बिजली के तार से मृत्यु तथा आश्रितों को स्वीकृत धनराशि

104—श्री भीखा लाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-6-81 श्री गंगादीन हरिजन निवासी कस्बा न्योतनी, जिला उन्नाव जिसकी मृत्यु बिजली के टूटे हुए तार से टकरा जाने के कारण हुई थी, उसकी विधवा के प्रार्थना-पत्र के साथ उनको प्राप्त हुआ है ? जिसमें उसके बच्चों के भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया और कोई आर्थिक सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, क्षतिपूर्ति करने का मामला राज्य विद्युत परिषद् के विचाराधीन है। सम्प्रति मृतक के आश्रितों को 1,000 रुपये की तदर्थ अनुग्रह धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

ग्राम बम्बई में बिजली के तार से मृत गाय के मालिकों एवं बिजली से जले हरिजन को क्षतिपूर्ति देने पर विचार

105—श्री शंकर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, जालौन को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र ग्राम बम्बई में बिजली तार नीचे आ जाने के फलस्वरूप दिनांक 25-7-81 को पांच गायें मर जाने तथा नथू बसोर नामक हरिजन के

बिजली से बुरी तरह जल जाने के सम्बन्ध में दिनांक 3-8-81 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो जिन व्यक्तियों की गायें मर गयी थी उनको विभाग द्वारा कितना मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा जो हरिजन बुरी तरह जल गया उसको मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां, जिलाधिकारी जालौन को माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 3-8-81 प्राप्त हुआ था। मृत गाय के मालिकों एवं बिजली से बुरी तरह जले हरिजन की क्षतिपूर्ति का मामला राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है।

जनपद बाराबंकी, के ग्राम किन्तूर में घरेलू बिजली कनेक्शन की स्वीकृति

106--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम किन्तूर विकास खंड रामनगर, जिला बाराबंकी के 17 व्यक्तियों को घरेलू बिजली दिये जाने हेतु सन् 1979 में स्वीकृति दी जा चुकी थी ? यदि हां, तो उन्हें अब तक बिजली कनेक्शन न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम किन्तूर विकास खंड रामनगर के 17 व्यक्तियों ने घरेलू बिजली लेने हेतु सन् 1979 तक आवेदन-पत्र दिये, जिनमें से 15 व्यक्तियों को स्वीकृति इस आधार पर दी गयी थी कि उन कनेक्शनों से 15 प्रतिशत रिटर्न प्राप्त हो जाता था। चूंकि 2 व्यक्तियों को इनमें शामिल कर लेने से 15 प्रतिशत रिटर्न नहीं प्राप्त होता था, अतः इन दो व्यक्तियों को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

उपरोक्त 15 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति ने ही आवश्यक धनराशि जमा की। शेष (14) व्यक्तियों ने आवश्यक धनराशि जमा करके अन्य औपचारिकतायें नहीं पूरी की, अतः अतिरिक्त खंभे लगाकर इन 15 व्यक्तियों को बिजली न दी जा सकी, चूंकि परिषद् के नियमानुसार मेंस के लिए लगायी गई धनराशि पर कनेक्शनों से 15 प्रतिशत रिटर्न मिलना आवश्यक है।

श्री चन्द्र भूषण मिश्रा, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला सेमरी, फैजाबाद की बिजली का तार छू जाने से मृत्यु तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

107--श्री मित्रसेन--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चन्द्र भूषण मिश्रा, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, सेमरी, निवासी ग्राम अहरन, सुबन्स, विकास खंड हरिटनगंज, थाना इनायतनगर, जनपद फैजाबाद की दिनांक 20 जून, 1981 को बिजली का तार छू जाने से मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो उनके परिवार के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई ? और इस घटना में कौन-कौन दोषी हैं ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां। 1000 रु० की तदर्थ अनुग्रह धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है। दुर्घटना के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही का मामला राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है।

सहकारी चीनी मिल रसड़ा, जिला बलिया एवं सहकारी चीनी मिल सठियाव, जिला आजमगढ़ के अधिकारियों द्वारा गन्ना किसानों का गन्ना न खरीदे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बजे मध्याह्न]

*श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, राज्य सरकार के प्रोत्साहन पर पूर्वांअंचल में विशेष कर अत्यन्त ही पिछड़े जनपद आजमगढ़ के पूर्वी उत्तरी अंचल में गन्ने की समुन्नत खेती की गई और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु घोसी में एक और सहकारी चीनी मिल स्थापित होनी है किन्तु सहकारी चीनी मिल रसड़ा तथा सहकारी चीनी मिल सठियांव क्रमशः जनपद बलिया व आजमगढ़ के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के अदूरदर्शिता, असावधानी तथा कुत्सित भावना के कारण आज इन इलाकों में हजारों-हजारों एकड़ खेत में गन्ना सूख रहा है और किसान जिसने जेठ की दुपहरी में गन्ना गोड़ा, महंगी खाद व पानी इस आशा से दी कि उसे मिल से अच्छा पैसा मिलेगा, आज भी असहाय अवस्था में तड़प-तड़प कर रो रहा है। रसड़ा चीनी मिल के अन्तर्गत आने वाले आजमगढ़ के जनपद दूबारी जैसे दो दर्जन गांव के लोग गन्ना क्रय केन्द्र पर की जा रही अनियमितता से परेशान हैं तथा आजमगढ़ के सठियांव चीनी मिल के अधीन सूरजपुर गन्ना क्रय केन्द्र को, जो कई वर्षों से वहां कार्यरत था, को हटाकर ठेकेदार व कर्मचारी अपने लाभ के लिए दूर ले जाकर गाड़े हुए हैं और उस क्षेत्र के निवासियों को न तो पर्ची दी जा रही है और न तौल हो रही है और नाना प्रकार के ऐसे बहाने किए जा रहे हैं कि अगले वर्ष वह क्रय केन्द्र इस आधार पर समाप्त कर दिया जाय कि वहां गन्ना होता ही नहीं। अस्तु मैं शासन के संज्ञान में इस लोक महत्व के अविलम्बनीय सूचना को लाकर मांग करता हूं कि इन क्षेत्रों में तुरन्त अस्थाई अतिरिक्त कांटे लगाकर स्टाफ व पर्चियां बढ़ाकर उचित कार्यवाही की जाय।

बरेली जनपद के ग्राम गरेमडाम से निकली नहर के कट जाने से कतिपय ग्रामों की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द राम--

महोदय, दिनांक 26 जनवरी, 1982 को जनपद बरेली के ग्राम भोजपुर, रामनाथ, बलपतपुर, बहगुलपुर, बिहारीपुर, खजुरिया, सम्पत आदि ग्रामों में उक्त नहर के कट जाने से पानी भर गया। किसानों की खड़ी फसल जल भर जाने से खत्म हो गयी। इससे क्षेत्रीय किसान भुखमरी के कगार में पहुंच गए। उक्त गांव में नहर के कट जाने से पानी खेतों में भर जाने के कारण जो नुकसान हुआ, उसके बारे में शासन द्वारा क्षति पूर्ति की कोई घोषणा न करने से क्षेत्रीय जनता में इस शासन के प्रति घोर असंतोष एवं रोष व्याप्त है। अस्तु, लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे वक्तव्य की मांग करता हूं।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रजवारे रामपुर के हरिजनों पर सवर्णों द्वारा हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर के ग्राम, रजवारे रामपुर थाना लम्भुआ में सवर्णों द्वारा हरिजनों पर दिनांक 11-12-81 को घातक हमला किया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके दरवाजे तोड़े गए, बेरहमी से मारपीट की गयी, वृद्ध हरिजन महिलाएं तक घायल हुईं। उक्त घटना के विरुद्ध जिन-जिन राजनीतिक, सामाजिक नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं ने आवाज उठायी, उन पर जान लेवा हमले किए जा रहे हैं। सी0 पी0 एम0 के जिला मंत्री श्री राम सुमेर यादव पर 11 जनवरी, 1982 को आक्रमण करने के लिए उनके कार्यालय पर चढ़ाई की गयी। इससे हरिजन आतंकित हैं, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है। सदन का ध्यान इस लोकमहत्व की अविलम्बनीय सूचना की ओर आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं।

तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के अनिश्चितकाल की बन्दी से छात्रों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शासन, विशेषतौर से शिक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्था है। इसमें लगभग 5 हजार छात्र इस समय अध्ययनरत हैं लेकिन अफसोस है कि विगत नवम्बर, 1981 से ही यह संस्था अनिश्चितकाल के लिए बन्द है

पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्रों का इससे विशेष अहित हो रहा है। कई बार मारपीट की घटनायें हो चुकी हैं। 10 दिसम्बर को पूरा जौनपुर शहर भी यहां की घटनाओं को लेकर बन्द था। प्राचार्य पी0 के0 सिंह सहित कई लोग गिरफ्तार किये गये थे। इन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है, प्रबन्ध समिति का आपसी विवाद पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। शासन ने दो प्रबन्ध समितियों के वाद-विवाद में अभी तक कोई निर्णायक फैसला नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ है कि प्रबन्ध समिति के दो गुटों के झगड़े का यह महाविद्यालय शिकार हो चुका है। इस महाविद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य, श्री हृदय नारायण सिंह जो अभी प्रबन्धक थे उनकी समिति को कुलाधिपति ने भंग कर दिया। उच्च न्यायालय में यह मामला गया। उच्च न्यायालय ने श्री लाल बहादुर सिंह की प्रबन्ध समिति को मान्यता दे दी लेकिन आर्थिक संचालन जिला विद्यालय निरीक्षक के हाथ में है। दूसरी वजह से इस महाविद्यालय में घोर कटुता और वैमनस्य व्याप्त हो गया है।

हम शासन से अनुरोध करते हैं कि तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर को शीघ्र खोल कर पठन पाठन का कार्य आरम्भ कराया जाय। विगत दस वर्षों में जो वित्तीय अनियमितता इस महाविद्यालय में हुई है, उसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच आयोग नियुक्त किया जाय, जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट दे दे। छात्रों एवं प्राचार्य के विरुद्ध चल रहे सभी क्रिमिनल केस के फर्जी मुकदमें शीघ्र वापस किये जायं। प्रबन्ध समिति को भंग कर तत्काल साधिकार नियन्त्रक नियुक्त किया जाय और छात्रों की समस्याओं एवं मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी, जिलाधिकारी, जौनपुर की देखरेख में छात्रों, अभिभावकों तथा प्राचार्य के समर्थकों की अविलम्ब एक बैठक बुलायी जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मथुरा तथा आस-पास के गांव की गायों द्वारा गोकुल निर्वाचन क्षेत्र के गांवों की फसल नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं जनपद मथुरा की अति लोक महत्व के विषय की ओर आपका एवं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से शीघ्र उचित व्यवस्था की मांग करता हूं ।

मथुरा शहर एवं आस-पास के गांवों की हजारों की संख्या में गायें जमुना पार कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोकुल के गांव लोहबन सुखदेव नगर, अजय नगर, गोपालपुर, नगलपोला, गोकुल महाबन आदि में घुस कर गांवों के किसानों की खड़ी फसल को उजाड़ रही हैं । गायों के मालिक रात को उनका दूध दुह कर खोल देते हैं और गायें रात में उक्त गांवों की फसल को चुग जाती हैं । इस सम्बन्ध में किसानों के अनेक प्रतिनिधि मंडल अनेक बार जिलाधिकारी, मथुरा एवं पुलिस अधीक्षक, मथुरा से मिल चुके हैं लेकिन जिला प्रशासन की ओर से आज तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है । थाना सदर एवं थाना रिफाइनरी की पुलिस को गायों के मालिकों की पूर्ण जानकारी होते हुए भी गायों की कोई रोकथाम नहीं की गई है । हजारों एकड़ जमीन की फसल उजड़ चुकी है एवं उजाड़ी जा रही है । इस घटना से वहां के किसानों में भारी असन्तोष व्याप्त है ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि गायों की रोकथाम के लिए तुरन्त कारगर कदम उठाये जायं ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री राम सागर तथा श्री मोहन सिंह ने 15-1-1982 को माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है । इसमें माननीय सदस्यों का कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय श्री राम सागर द्वारा 6-2-1981 को सदन में नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना का उत्तर जान-बूझकर गलत देकर न केवल उन्हें भ्रमित किया है बल्कि सदन को भी गुमराह किया है और इस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है ।

माननीय मुख्य मंत्री ने उक्त नियम 301 की सूचना के उत्तर में माननीय श्री राम सागर को अपने पत्र दिनांक 6-3-1981 में इस बात का उल्लेख किया था कि सम्बद्ध व्यक्ति, श्री जटाशंकर को एक साल की सजा हुई थी । माननीय श्री राम सागर तथा श्री मोहन सिंह का कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दी गई यह सूचना गलत है । इसके प्रमाण स्वरूप चार अन्य पत्रों की प्रतिलिपियों के अतिरिक्त माननीय सदस्यों की उक्त शिकायत के साथ इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग 4 के संयुक्त सचिव द्वारा माननीय श्री मोहन सिंह को भेजे गये एक पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की गई है ।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तु स्थिति बताने के लिए कहा था। उनसे जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया है कि उन्होंने उक्त उत्तर प्राप्त सूचना के आधार पर दिया था। इसमें यह भी कहा गया है कि बाद में मामले की गहराई से देखने से ज्ञात हुआ कि सजा वास्तव में श्री जटाशंकर के भाई श्री देवी प्रसाद को हुई थी और श्री जटाशंकर से सम्बन्धित हिस्ट्रीशीट में इस बात का गलत उल्लेख हो जाने के कारण कि श्री जटाशंकर को सजा हुई है, यह सूचना प्राप्त हो गई और उसी के आधार पर उत्तर दे दिया गया था। यह भी सूचित किया गया है कि जब स्थिति स्पष्ट हुई तो माननीय श्री राम सागर को मुख्य मंत्री के दिनांक 19-8-81 के पत्र में स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। दिनांक 18 अगस्त, 1981 के उक्त पत्र की एक प्रति भी मुख्य मंत्री जी के पत्र के साथ प्राप्त हुई है।

इस मामले में प्राप्त उक्त जानकारी से यह स्पष्ट है कि माननीय मुख्य मंत्री ने जानबूझ कर गुमराह करने के उद्देश्य से गलत सूचना नहीं दी। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा माननीय श्री राम सागर को दिनांक 19 अगस्त, 1981 को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि को देखने से यह भी विदित होता है कि उन्होंने माननीय सदस्य को यह सूचित किया था कि इस संदर्भ में हिस्ट्रीशीट में गलत तथ्यों का उल्लेख होने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अतः मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं परन्तु साथ ही यह अपेक्षा करता हूं कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने श्री जटाशंकर से सम्बन्धित हिस्ट्री शीट में गलत उल्लेख किया है और जिसके फलस्वरूप माननीय मुख्य मंत्री द्वारा माननीय श्री राम सागर को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के प्रसंग में उन्हें गलत सूचना दी गई, उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही कर उसकी सूचना यथाशीघ्र सदन को भी दी जाय।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 फरवरी, 1982 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा का 8 फरवरी, 1982 से 24 मार्च, 1982 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय--

फरवरी, 1982

8, सोमवार (गुरु रविदास का जन्म दिवस) बैठक नहीं होगी।

9, मंगलवार (क) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण--

(1) उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982...दो घण्टे।

(2) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982...एक घण्टा।

[श्री अध्यक्ष—]

(ख) अपराह्न 5 बजे से—

वित्तीय वर्ष 1982-83 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुत किया जाना, उसके प्रस्ताव पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

10 बुधवार — निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—

(1) उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982... एक घंटा।

(2) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982...दो घंटा।

(3) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982...एक घंटा।

11 गुरुवार — (क) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—

(1) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982...दो घंटे।

(2) उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982...एक घंटा।

(ख) माननीय श्री मोहन सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित विषयक सूचना पर आधे घंटे की चर्चा—

"विगत 10-1-1982 को गोंडा जिले के तुलसीपुर में विधायक, श्री अकबाल हुसैन व उनके साथियों को कथित गलत धाराओं में गिरफ्तार करके जेल में रखने के सम्बन्ध में।"

12 शुक्रवार — असरकारी कार्य।

13 शनिवार, 14 रविवार — बैठक नहीं होगी।

15 सोमवार, 16 मंगलवार, 17 बुधवार, 18 गुरुवार, 19 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।

20	शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
21	रविवार	
22	सोमवार	(शिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
23	मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
24	बुधवार	
25	गुरुवार	
26	शुक्रवार	असरकारी कार्य ।
27	शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
28	रविवार	

मार्च 1982

1	सोमवार	वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
2	मंगलवार	
3	बुधवार	
4	गुरुवार	
5	शुक्रवार	
6	शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
7	रविवार	
8	सोमवार	(होली का अवकाश)
9	मंगलवार	बैठक नहीं होगी ।
10	बुधवार	
11	गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
12	शुक्रवार	असरकारी कार्य ।
13	शनिवार	बैठक नहीं होगा ।
14	रविवार	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री अध्यक्ष---]

15	सोमवार	वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
16	मंगलवार	
17	बुधवार	
18	गुरुवार	
19	शुक्रवार	
20	शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
21	रविवार	
22	सोमवार	वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान
23	मंगलवार	
24	बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान (अपराह्न 4 बजे तक) ।
		(2) 4.00 बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरी किशन श्री वास्तव द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर समय दिये जाने की मांग

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, मैंने आपको एक विशेषाधिकार की सूचना दी थी....'

श्री अध्यक्ष---

आपने एक पत्रिका के सम्बन्ध में दी है ।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, दो मिनट मुझे आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं उसको पत्रिका के पास भेज दूंगा । वह आपके बयान के छपने के सम्बन्ध में है । जब वहां से उत्तर आ जायेगा तो उस समय देख लेंगे ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

उसके बारे में एक मिनट का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

एक मिनट का प्रश्न नहीं है । आपको इस पर समय देने से बराबर यह प्रश्न उठेगा और परम्परा पड़ जायेगी । इसलिये भविष्य को देखकर मैं कह रहा हूं कि वहां से उत्तर आ जाने दें ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन की 6 सूचनायें प्राप्त हुई । इनमें पहली सूचना श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन, श्री मसरूर जाफरी, श्री खैरुल बसर तथा श्री कुंवर सिंह नेगी की जो बलिया जनपद के पैदल यात्रियों के साथ लखनऊ में किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में है दूसरी सूचना श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री मसरूर जाफरी ने प्रदेश में शीत लहरी के भयंकर प्रकोप से कई लोगों के मरने के सम्बन्ध में दी है, तीसरी सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री हरी किशन श्रीवस्तव, डा0 शिवानन्द नौटियाल ने दिनांक 4-2-82 को विधान सभा के समक्ष हरिजन सत्याग्रही की मृत्यु के सम्बन्ध में दी है, चौथी तथा पांचवीं सूचना भी, जोकि श्री हरगोविन्द वर्मा तथा श्री गोपीनाथ वर्मा ने दी है, वह भी इसी तीसरी सूचना के विषय से सम्बन्धित है तथा छठी सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव ने दिनांक 4-2-82 को भारत सरकार के संसदीय उपमंत्री के आजमगढ़ आगमन पर पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में दी है । ये सभी सूचनायें नियम 56 में प्राप्त हुई हैं । ये सभी अस्वीकृत की गई हैं ।

बलिया जनपद के पैदल यात्रियों के साथ लखनऊ में किये गये दुर्व्यवहार एवं उनकी गिरफ्तारी तथा विधान भवन के समक्ष हरिजन सत्याग्रही की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, बलिया से जो पैदल यात्री यहां आये थे उनके बारे में आप दो मिनट सुन लें ....

(व्यवधान)

यह जो समय-समय पर हरिजन उत्पीड़न हो रहा है, अगर सदन में हम उनकी बात को नहीं रख सकेंगे ....

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

शासन स्वयं हरिजनों का उत्पीड़न कर रहा है । दो सौ हरिजन बलिया से पैदल यहां आये थे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें....

(श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री मित्रसेन खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठ जायं । क्या आपको आय-व्ययक की सामान्य चर्चा में नहीं बोलना है ?

(घोर व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह, आप आरम्भ करें । माननीय वर्मा जी, आप बैठ जाइये ।

(घोर व्यवधान)

आप बैठ जाइये ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

मैं खड़ा हूं । आप सभी लोग बैठ जाइये ।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, हरिजनों पर यह सरकार अत्याचार कर रही है । वह लोग अपनी शिकायतें करने आये और उनको जेल भेज दिया गया । पहले डाकू मारते थे अब सरकार मार रही है ।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार यादव—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा, लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री प्रदीप कुमार यादव के कुछ बोलते रहने पर)

आप कृपया पहले बैठ जायं ।

(व्यवधान)

माननीय प्रदीप कुमार जी, आप पहले बैठ जायं ।

(व्यवधान)

माननीय कुबेर भंडारी जी, एक आध बार आप चुप भी रह जायं । यह कार्य-स्थगन में आपने सूचनायें दी हैं वह कार्य स्थगन में अस्वीकार हुई । अगर अति महत्वपूर्ण समझते हैं तो दूसरे नियम के अन्तर्गत दीजिय, मैं उनको उस नियम के अन्तर्गत देखूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी--

वे लोग पद यात्रा करके आये थे और उनको जेल भेज दिया गया।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर--घोर व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर 1982-83 के आय-व्ययक पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई ।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

बहुत अहम् मसला है, हरिजनों के उत्पीड़न का मामला है ।

(व्यवधान)

(श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी आदि कई सदस्यों के सदन के बीच में आने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग अपने-अपने स्थानों पर चले जाइये ।

(घोर व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक अनुरोध सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

पहले इनको अपने-अपने स्थान पर बैठाइये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, पहले नियम 301 में दिया, फिर नियम 56 में दिया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप अपने स्थान पर जाइये । आप सब लोग बैठ जाइये ।

(विरोधी पक्ष के जो सदस्य सदन के खाली स्थान में आकर बैठ गये थे, अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

*श्री मोहन सिंह--

एक आग्रह है, मान्ययर, आप उसे सुन लें । दो घटनायें गम्भीर हो गई हैं । एक घटना कुछ एक हरिजन यहां पर अनशन कर रहे थे, और उनमें एक मर गया....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

कोई मरा नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री मोहन सिंह अपने स्थान पर बैठ गये ।)

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे बुलाने पर, मेरी अनुमति से बोल रहे हैं, आप किसी की बात का कोई ध्यान न दें और बोलिये ।

श्री मोहन सिंह--

एक अनशनकारी हरिजन यहां दिवंगत हो गया और उसकी लाश भी पुलिस ने जला दी । और एक दूसरी घटना राम आसरे जी ने उठाई है । दो वरिष्ठ नेता बीच में आ गये, यह सचमुच एक दुखद घटना है । यह किसी की मंशा नहीं है कि हाउस न चले । हम सब लोग चाहते हैं कि सदन चले और अच्छी तरह चले । आज बजट पर चर्चा का आखिरी दिन है । इसलिये आप इस पर एक-एक मिनट सुन लें, जिससे इनकी जिज्ञासा शान्त हो जाये । जो आपने कहा, इसको भी मैं जानता हूं कि इसको दूसरे नियम में दिया जाए और इस पर किसी न किसी तरह चर्चा का मौका अवश्य दिया जाय । यह अविलम्बनीय और लोकमहत्व का अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है और चिन्तनीय है । यह पहली बार हुआ है कि इस प्रकार से अनशन करते हुये कोई हरिजन मर गया हो । इसलिये मैं आपसे विशेष विनती करना चाहता हूं कि आप इस पर इन्हें सुन लें । जितना समय अभी नष्ट हो गया, उससे कम ही इसमें लगेगा । इसलिये हमारा विशेष निवेदन है, यद्यपि यह कोई स्वस्थ परिपाटी नहीं है, लेकिन मैं एक विशेष स्थिति में ऐसा कह रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

इसीलिए मैंने कहा था, निवेदन किया था कि आप इसको दूसरे नियमों में दे दें। जो भी इसका महत्व है, चर्चा होगी, या जो भी हो सकता है होगा, उसको हम स्वीकार कर लेंगे ....

(व्यवधान)

राम आसरे जी, आप बैठ जाइये।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

आजमगढ़ के मसले को मैंने नियम 51 में दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। आपने जो दिया है, उनके महत्व को देखते हुए नियमों के अन्तर्गत उसे देख लिया जायेगा। आप मोहन सिंह जी, स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है। हमने बोलने का अवसर भी दिया है और नहीं भी दिया है। यदि आज अस्वीकार किया है तो उसके पश्चात् यह भी कहा कि इसको दूसरे नियमों के अन्तर्गत दें, तो इसको मैं देखूंगा। इसको मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन आप लोग इस प्रकार से यहां सदन के बीच में आ जायें और कार्य अवरुद्ध करें, यह आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है और आप सदन की कार्यवाही चलने दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की बात उत्तम नहीं है, सदन के गौरव के अनुकूल नहीं है कि आप अपने अध्यक्ष पर दबाव डालकर कोई कार्यवाही कराने की चेष्टा करें।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैं 1982-83 के आय-व्ययक पर

(व्यवधान)

(अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायेगा, जो बोल रहे हैं। श्री मुख्तार अनीस, यादव जी और राम आसरे जी, आप लोग बैठ जाइये।

श्री मसरूर जाफरी--

चूंकि आप इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री मसरूर जाफरी सदन से बाहर चले गये।)

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, इतनी गम्भीर घटना हो गयी है, इस पर आप वक्तव्य ही दिला दें।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आज आपने हमें मजबूर कर दिया, जो हम नहीं करना चाहते थे, वह हमें करना पड़ा ।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, चूंकि आज सदन 3 दिन के लिए उठ रहा है और जो भी घोषणा होगी उसके बाद ही हो सकती है । यह ठीक है कि आपने कहा कि किसी दूसरे नियम में दे दीजिये । माननीय राम आसरे वर्मा जी ने नियमों के अन्तर्गत अपनी सूचना दी भी है लेकिन आपने अस्वीकृत कर दी है । यहां पर 200 हरिजन सर्दी में पड़े हुये हैं । आज यहां पर इस समय मुख्य मन्त्री जी तो नहीं हैं, सिविल सप्लाइज के मन्त्री मौजूद हैं । वे ही इस बात की घोषणा कर दें कि वे लोग जो 3 दिन यहां पर पड़े रहेंगे, उनके खाने का प्रबन्ध कर दिया जायेगा । वे लोग, मान्यवर, बलिया से पैदल चलकर यहां पर आये हैं । वे 3 दिन की प्रतीक्षा न करें ?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने या विधान सभा ने कोई ऐसा मेरे अधीन कोष सुरक्षित नहीं रखा है कि जो लोग यहां पर आये हैं, उनके लिये सदाव्रत चलाऊं लेकिन आवश्यकतानुसार देखा जायेगा । सरकार की यह जिम्मेदारी जरूर है कि प्रदेश में कोई भूखों नहीं मरने पाये ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, माननीय सदन की कार्यवाही किसी भी कीमत पर नहीं चलने पायगी । कृपया हमें सुनने का कष्ट करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि सदन की कार्यवाही किसी भी कीमत पर नहीं चलने पायेगी, मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं अध्यक्ष पीठ पर बैठा हूं । सदन की कार्यवाही चलाना मेरी जिम्मेदारी है । यह नियमों के प्रतिकूल है कि कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की कार्यवाही करे और यह कहे कि सदन की कार्यवाही किसी कीमत पर नहीं चलेगी । माननीय राम आसरे जी, यादव जी व खंडल बशर जी, आप कृपया बैठ जायं ।

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मेरे दल का भी एक मामला है । हमारे लोगों की जो समस्या है, कृपया उनको सुन लीजिये । बलिया से 200 लोग चल कर लखनऊ आये हैं । ये लोग हरिजन हैं, इनकी जमीन को हड़प लिया गया है । वे अपनी फरियाद सुनाने के लिए एक सप्ताह से यहां पर पड़े हुए हैं लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी मदान्ध होकर इन लोगों से मिलते तक नहीं हैं । उनको जेल में भेज दिया गया है और वहां पर इनको कम्बल तक नहीं दिया गया । अब उनको छोड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिया गया है। वे चाहते हैं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी उनकी जो जमीन की समस्या है, उसका समाधान कर दें लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी उन पर लाठी चलवा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। माननीय कल्पनाथ राय जी वह गये और उनके आदेश से उनको और कम्युनिस्टों को व उनके बच्चों को मारा ज रहा है और बच्चों को, स्कूल के छात्रों को, पार्टी के लोगों को पीटा गया है। यह एक गम्भीर बात है। आप कृपया अपनी कुर्सी से माननीय मुख्य मन्त्री जी को आदेश कर दें कि वे कृपया उनकी बातें सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये। आप कृपया बैठें। पहले आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

मैंने इस पर अपना निर्णय दे दिया है और आप इसको नियमों के अन्तर्गत दीजिये।

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, दो मिनट कृपया मुझे सुन लें। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उनके पास फंड्स नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप सब कृपया बैठ जायें पहले। मैं खड़ा हूं, आप कृपया बैठिये।

आपने जो दिया है वह यह है "बलिया जिले के लगभग दो सौ हरिजनयें जिसमें आठ-आठ साल के बच्चों से लेकर अस्सी-अस्सी वर्ष तक के वृद्ध, महिलायें एवं पुरुष शामिल हैं, 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके 18 जनवरी, 1982 की रात को लखनऊ की सीमा पर पहुंच पाये थे। भीषण सर्दी में ठिठुरते हुये, भूख प्यास से जूझते हुये जैसे ही वह थाना चिनहट की चौकी गाजीपुर के पास आये थे वैसे ही उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। दो दिन हिरासत के बाद उन्हें रिहा किया गया। तत्पश्चात् मुख्य मन्त्री से मिलकर अपने उत्पीड़न की दर्दनाक घटनाओं से उन्हें अवगत कराने की प्रत्याशा में वे जी० पी० ओ० पार्क में रुके। मुख्य मन्त्री से उनकी मुलाकात तो दूर रही उलटे उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

माननीय राम आसरे जी, आप कृपया बठ जायें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आप सुन तो लें। वे भूखों मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपने ही लिखा है कि वे जेल भेज दिये गये हैं। फिर उनके मरने या खाने पिलाने का सवाल ही कहां है।

(विरोध पक्ष के कई आवाजें--हाऊस नहीं चलेगा)

(शोर-व्यवधान)

(श्री लाल प्रताप सिंह को पुनः पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। यह जो माननीय राम आसरे जी बोल रहे हैं, यह बिलकुल नहीं लिखा जायगा।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री खैरुल बशर--

(व्यवधान)

मान्यवर, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। उन्हें क्या भूख से तड़प-तड़प मरने दिया जायगा? वे क्या सर्दी से ठिठुर कर मरेंगे? उनके पास कोई सहारा नहीं है। हम लोग माननीय मुख्य मंत्री की इस तानाशाही को नहीं चलने देंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। मेरी बात सुन लें। आप बैठ जायं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, 1982-83 के आय-व्ययक पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई और इस बजट का एक्सरे किया गया।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आपके द्वारा मैंने एक निवेदन किया था कि उन गरीब हरिजनों के लिए कुछ खाने-पीने का प्रबन्ध कर दिया जाय, क्योंकि 3 दिन तक सदन बन्द

नोट--× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

रहेगा । माननीय खाद्य मंत्री को तनिक चिन्ता नहीं है कि वह कहां से खायेंगे। यह जो शासन है, जिसको हरिजनों के सम्बन्ध में कोई तकलीफ नहीं है, जिनके पास खाने तक भी कुछ नहीं है । उनके लिए कम से कम तीन दिन तक खाने के लिए कोई प्रबन्ध कर दें । श्रीमन्, मुझे उनके ऊपर बहुत तकलीफ है । मान्यवर, इसके विरोध में जनता पार्टी सदन का त्याग करती है ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन का त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, वे लोग तमाम कठिनाइयों से जूझे, तमाम तकलीफों को झेला और उनको आवाज सदन में रखने का मौका नहीं दिया जाता है । मान्यवर, इसके विरोध में प्रगतिशील विधायक दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री राम आसरे वर्मा कुछ निर्दलीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, उनके पास सर्दी में ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है । उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है । उनके पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं है । मान्यवर, इस उत्पीड़न के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री मित्रसेन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री धम्मन सिंह गहलौत--

मैं भी अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री धम्मन सिंह गहलौत अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मैंने मान्यवर, पहले भी आपसे निवेदन किया था । आप ऐसी व्यवस्था करवा दें कि माननीय मुख्य मंत्री जो आज 13 दिन, 14 दिन से आये हुए लोगों से मुलाकात करके, उनका जो ज्ञापन है, वह ले लें । उनके दुःखों को सुन लें। इतनी छोटी सी बात है । मान्यवर, जो इन्हीं के वोटों पर जीत कर आये हैं, नहीं तो इनकी जमानत जब्त हो जाती । उनके द्वारा इतना आश्वासन नहीं मिल रहा है । आप आश्वासन दिलवा दीजिए ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय आजम साहब, आपको क्या कहना है ?

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि सरकार कत्ल करने की आदी हो गयी है। मान्यवर, इस पर भी मौका अगर नहीं देंगे, तो किस पर मौका देंगे ? आप भी नाराज होंगे अपनी कुर्सी से, सरकार भी नाराज होगी, तो कहां पर न्याय होगा ? मुरादाबाद से लेकर बलिया के हरिजनों तक कत्ल किया, कांग्रेस कत्ल करने की आदी हो गयी है। (एक सदस्य से) आप हंसते हैं....

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

सदन नियमों के अनुसार चलेगा कि इनके अनुसार चलेगा।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

किस बात पर चर्चा होगी....

(शासन पक्ष से कुछ कहे जाने पर)

बड़े आये हैं नियम सिखाने वाले।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री मोती लाल देहलवी--

जैसा मोहन सिंह जी ने जानकारी दी..

श्री मुहम्मद आजम खां--

यह तरीका गलत है। यह बदमाशी का अन्दाज नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं उनको भी रोक रहा हूं। सब को रोक रहा हूं।

श्री मोती लाल देहलवी--

जैसा मोहन सिंह ने सदन को जानकारी दी कि एक गरीब हरिजन अपने उत्पीड़न को लेकर अपनी तकलीफ को लेकर अनशन कर रहा था। मान्यवर, उस गरीब हरिजन की बात सुन ली गई होती तो बहुत सम्भव है कि उसकी जान न जाती। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस विधान सभा के सामने गरीब हरिजन अनशन करके मर गया और उसकी बात नहीं सुनी गई और पैदल चलकर बूढ़े बच्चे डेढ़ सौ के करीब लोग जाड़े के मौसम में भूखे प्यासे इस लिये आये कि मुख्य मंत्री उनके बात को सुनेंगे। मान्यवर, वह परेशानी की हालत में पड़े हैं मुख्य मंत्री उनसे नहीं मिल रहे हैं। मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करता है।

(व्यवधान)

(श्री मोती लाल देहलवी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, यह बड़े खेद का विषय है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, श्री राज मंगल पाण्डेय . .

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, यह दुख की बात है कि बहुत से ऐसे मौके आये हैं जब शासन को मजबूत होना चाहिये तब तो शासन ने मजबूती नहीं दिखाई । लेकिन मान्यवर, जब बलिया से डेढ़ दो सौ आदमी औरते, बच्चे, बूढ़े पैदल चलकर आये हैं, चाहे उनकी जिद कहिये या इच्छा कहिये, वह मुख्य मंत्री से मिल कर अपनी समस्या का निराकरण चाहते हैं । मान्यवर, न तो आप मुख्य मंत्री को मजबूर कर सकते हैं और न हम लोग कर सकते हैं लेकिन आज जो मानवीय मूल्यों को लेकर उधर से बार-2 घोषणायें की जाती हैं और मुख्य मंत्री जी उसके प्रतीक माने जाते हैं । मैं केवल निवेदन कर सकता हूं कि इस छोटी सी बात को इतना तूल न दिया जाय अगर मुख्य मंत्री जी न मिल सकते हों तो वह स्वतः अपने किसी प्रतिनिधि को मिलने को कहते, जिससे बलिया के लोग मिलकर बात कर सकें, किसी को कह दें ।

मान्यवर, दूसरी बात बताने की है, कोई सरकार इस प्रकार बलिया या आजमगढ़ से आये लोगों को खाना देने के लिए ऐसा नहीं कहेगी जैसा कि मंत्री जी ने कही कि मेरे पास कोई बजट नहीं है लेकिन ऐसा आभास हुआ कि डी0 एस0 ओ0 के पास बजट होगा, खिलाने का । मैं समझता हूं कि ऐसा कोई बजट किसी के पास नहीं होता है । मान्यवर, नैतिक मूल्यों के आधार पर कहा गया है कि मुख्य मंत्री स्वयं या जो इस परिस्थिति में उनकी समस्या को सुनकर निराकरण कर सकें सरकारी पक्ष से करें और इधर के जो लोग उनके बारे में सारी कठिनाई से सदन को अवगत कराना चाहते हैं, वह उनकी जिद को कि मुख्य मंत्री से मिलेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे, इसको समाप्त करवायें ।

(श्री गोपीनाथ वर्मा कुछ पत्रादि फाड़ते हुए सदन से चले गये ।)

*सूचना राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

श्रीमन्, 200 आदमी नहीं हैं बल्कि 20-25 हैं । रात वह मुख्य मंत्री से मिले तो उन्होंने 500 रुपये खाने के लिये दिये है मैं स्वयं उनसे कल शाम को मिला और पत्रकार 'अमृत प्रभात' के श्री शैलेश जी हमारे साथ थे और कई लोग थे जो उनसे मिले हैं । मान्यवर, एक कम्युनिस्ट के बहकावे में वह लोग चले आये । हमने उनसे कहा कि 26 जनवरी को हरिजनों को एक-एक कम्बल बांटा है, तुम होते तो तुमको भी दे देते । कलेक्टर के पास जमा है वह मिल जायेगा । तुम लोग हमारे घर चलो मैं तुमको खाना खिलाऊंगा लेकिन इसके बावजूद वह मुख्य मंत्री के घर गये । श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के यहां गये । उस कम्युनिस्ट व्यक्ति को उन्होंने अपने बीच से भगा दिया है । वह लोग जाने के लिये तैयार हैं । मैंने उनको 100 रुपये और मुख्य मंत्री ने 500 रुपये दिये हैं । एक कम्युनिस्ट द्वारा वह बहका कर लाये गये थे और वह भाग गया है । 500 रुपये उनको दिये गये हैं, जिससे कोई खाने के बिना मर नहीं रहा है ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जैसा माननीय काशी नाथ ने सदन में कहा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है । चूंकि मैं स्वयं उस स्थान पर गया हूं और अ से देखा है । मंत्री जी ने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी उनको बहका कर लायीहै वह सत्य नहीं है, उनके पास कोई पार्टी का झंडा और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है । मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक ओर शासन नियम बनाता है कि धारा 323 की रिपोर्ट हरिजनों की यदि लिखी जाय तो उस पर अ६ऽ म्व ऐक्शन लिया जाय । दूसरी ओर 200 हरिजन खुले स्थान पर बैठे हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है । इसलिए हमारे लिए और हमारे दल के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है केवल हम लोग सदन त्याग करें । इस कारण हमारा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री हरी किशन श्रीवास्तव अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं शासन का पक्ष इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

मान्यवर, यहां पर कल जिस बारे में बात की गयी थी उसी बारे में आज कुछ माननीय सदस्यों ने योजना बनाकर पुनः हरिजन प्रकरण उठाया है । जो हरिजन बलिया से आये थे वह मुझसे भी मिले थे और अति प्रसन्न थ और उन्होंने कहा कि हम लोग चले थे तो एक झंडा लेकर, लाल झंडा लेकर चले । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको 500 रुपये दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशी नाथ मिश्र इस बात को कह चुके हैं ।

(शोर)

श्री खैरुल बशर--

यह झूठ बोलते हैं, मंत्री जी गलत बोल रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

ऐसी स्थिति में बार-बार यहां पर उसको उठाकर यह शासन की छवि को धूमिल करने का दुस्साहस कर रहे हैं ।

(शोर)

श्री खैरुल बशर--

यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। गलत और झूठ बात बोल रहे हैं।

श्री गौरी शंकर भैया--

मान्यवर, मुझे भी सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं।

[12 बज कर 57 मिनट]

1982-83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, 1982-83 के बजट पर बहुत विस्तार से चर्चा हुयी और उसका पूरे तौर से एक्सरे किया गया। मैं अपनी बात एक बहुत ही पुरानी कथा से शुरू करता हूं। बहुत क्लासिकल एन्टीक्वुइटी की बात है। एक राजा ने एक महात्मा से पूछा महाराज यह बतायें कि मैं अपना राज कैसे शक्तिशाली बनाऊं। कैसे सम्पन्नता लाऊं और किस तरह से हर व्यक्ति का जीवन स्तर उठाऊं।

श्री रियासत हुसैन--

काशीनाथ जी से पूछ लीजिये।

श्री लाल प्रताप सिंह--

महात्मा जी ने कहा राजन् 4 बातों की तरफ ध्यान रखिये। समाज में जो विशेष अधिकार हैं, प्रिवेलेज हैं उनको सदा सर्वदा के लिये समाप्त कर दीजिये। दौलत जितनी हो सके पैदा कीजिये। ज्ञान कहीं से मिले उसको हासिल कीजिये और किसी के साथ भेद भाव मत कीजिये। यह बातें पुराने वक्त में महात्मा ने राजा से कहीं लेकिन वही उद्देश्य और लक्ष्य हैं, वही मकसद हमारे इस बजट का है। यह मकसद कोई नया नहीं है। यह उस वक्त से शुरू हुआ, 1920 से जब महात्मा गांधी जी राजनीति में सक्रिय भाग लेने के लिये आये और जिस बात को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को कांस्टीट्यूंट असेम्बली में संविधान बनाने वालों के साथ कही। वही बात बराबर हमारी परम्परा में है।

सवाल इस बात का पैदा होता है कि कितना हम आगे बढ़ सके हैं और किस तरह से हम अपने अविकसित और पिछड़ेपन को दूर कर सके हैं और मार्डन भारत, आधुनिक भारत बनाने में कितना हम आगे बढ़ सके हैं। आज यह हमें देखने की जरूरत है। कितनी सफलता परिलक्षित हुयी है यह देखने की

†दिनांक 4 फरवरी, 1982 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह—]

जरूरत है । इसमें कोई संदेह नहीं कि काम हुये हैं और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि मंजिल बहुत लम्बी है । हम सबको मिलकर आगे की तरफ चलने की जरूरत है । किस प्रकार से आगे चला जाय यह हमारा बजट बताता है । आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की आवश्यकता है ।

हमारी योजना को पूरा करने के लिये जो फिजिकल और दूसरी चीजें हैं, उनको टाइट करने की आवश्यकता है तभी हम आगे जा सकते हैं । पूरा वातावरण डेवलप हो जाना चाहिये और कहीं भी, चाहे वह फिजूलखर्ची हो या अन्य कोई ऐसी चीज हो उसके पूरी तरीके से बन्द होने की जरूरत है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मुल्क में और प्रांत में समतावाद या यों कह लीजिये कि समतावाद में आर्थिक समानता वाद की व्यवस्था नहीं है । तो कैसे इसको दूर किया जाए। यह जाति-पांत का सवाल नहीं है । समाज को जात-पात और किसी वर्ग विशेष में रख कर बांटा नहीं जा सकता है । यह सारे एक रेल के डिब्बे हैं, जो एक दूसरे से जुड़कर ही चल सकते हैं और जब यह जुड़कर चलेंगे, तभी आवाम की जिंदगी बेहतर बन सकती है । और आज गांवों व शहरों की समस्याएं करीब-करीब एक ही जैसी हैं, लेकिन गावों की समस्याएं कुछ भिन्न हैं, क्योंकि 3-4 किस्म के लोग वहां पर रहते हैं । एक तो वह जिनके पास जमीन और जायदाद हैं और दूसरे वह जिनके पास जमीनें कम हैं और तीसरे वह जिनके पास कोई जमीन भी नहीं है और न ही कोई साधन है जीवनोपार्जन के । खेतीबाड़ी का काम मजदूरी पर करते हैं । इस तरह के लोगों की तादाद आज 40 प्रतिशत के करीब है । अब सवाल इस बात का उठता है कि इनका जीवन-स्तर किस प्रकार से उठाया जाए । इसलिए यहां पर कोई जातिपाति का सवाल नहीं उठता जो लोग इस तरह की बात उठायें वह आवाम के दुश्मन हैं, पीपुल्स एनिमी है और इसमें कोई शक नहीं है कि सामंतवादी अभी भी हैं । मैं इसी पर एक कहावत कहूंगा कि "मैं खां साहब हूं, मैं सोता हूं, ऐ चमारों तुम न सो जाना, मैं ठाकुर साहब हूं, पंडित जी हूं, यादव जी हूं, सोता हूं, ऐ चमारों तुम न सो जाना, ऐसे मेरे खयाल के रखवालों तुम भी न सो जाना ।" यह व्यवस्था अब भी हमारे गांवों में है, तो मान्यवर, सामंतवादी व्यवस्था का खतम होना बहुत जरूरी है । किसी भी देश और प्रदेश के उत्थान के लिए । इसलिए इस ओर मेरा पहला तो सुझाव यह होगा, अगर आप कर सकें तो पहले सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए और फिर से तकसीम कर ली जाए, अगर यह पासिबुल हो जाए तो सबसे बड़ा कदम होगा इस सामंतवादी व्यवस्था को मिटाने के लिए और दूसरी बात 9 अगस्त, 1948 से लेकर आज तक जो देखने को मिल रही है सामन्तवादी कि हर जगह इनकी तालुकेदारी, जमींदारी और हर चीज पर आज इनका कब्जा है और इधर 3-4 सालों से और ज्यादा कब्जा इनका बढ़ गया है, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, कोआपरेटिव का क्षेत्र हो, व कोई भी संस्था हो उस पर आज यह कब्जा करना चाहते हैं । तो इसके लिए भी आपको सतर्कता से ध्यान रखने की आवश्यकता है । इसके लिए यही एक रास्ता है कि सारी जमीन का नेशनालाईजेशन करके फिर से बराबर-बराबर तकसीम कर दिया जाए, तो सारी समस्याएं ठीक हो जायेंगी । और इसी प्रकार दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं उन्हें आज सर छुपाने के लिए एक मकान की सख्त जरूरत है, वे बेचारे इतने असहाय हालत में हैं कि उनको देखने से ही पता चल जाता है कि यह बेचारे किसी हद तक गरीबी की रेखा को भी पार कर चुके हैं और किसी प्रकार अपना जीवन-निर्वाह कर रहे हैं, तो इनके स्तर को उठाने के लिए भी ध्यान देना चाहिए । और मान्यवर, आज दो-दो सभ्यताओं का टकराव है, कोई किसी का जाति-पाति से

झगड़ा नहीं है ।

एक सभ्य का ताल्लुक जमीन से है और दूसरे सभ्य का ताल्लुक इन्डस्ट्रीज से है और जिनका ताल्लुक इन दोनों सभ्यताओं से है, मार्डन तरीके की तो इस नई सभ्यता के माध्यम से जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको पूरे संसाधन जुटाने की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने खर्च पर पूरी तरीके से कन्ट्रोल करना चाहिये और फिजूल खर्ची को, चाहे वह लेजिस्लेचर से सम्बन्ध रखती हो या हमारी कमेटी चाहे कोई काम न करती हो या एग्जीबोशन हो, इसको बन्द करके डेवलपमेन्ट और विकास का कार्य करना चाहिये व टैक्स भी जरूरत हो, तो लगाना चाहिये । हमारी सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, कोई खतरा नहीं उठाना चाहती है । फ्यूचर को बनाने के लिये पूरी कोशिश करनी चाहिए । एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 होना साधन है, साध्य नहीं है, जो उचित काम हो उसे करने की जरूरत है । टैक्स के सम्बन्ध में बहुत से टैक्स लगा सकते हैं--शराब पर टैक्स लगा सकते हैं रोड लाइसेन्स पर टैक्स लगा सकते हैं और भी बहुत से आइटम्स हैं । जनता टैक्स देने के लिये तैयार है बशर्ते कि काम हो और वह काम होना आवश्यक है । इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि हम सब को मिलकर चाहे किसान हो, मजदूर हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो या और कोई हो, सबको दत्तचित्त होकर विकास कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए । इसी से गरीबों को उठा सकते हैं, माडर्नाइजेशन कर सकते हैं और अन्य काम कर सकते हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा नम्बर है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका नम्बर आखिरी है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

वह रोज आखिरी होता है ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, आपने मुझे 1982-83 के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आभारी हूं ।

गत वर्ष जो बजट पेश किया गया था 97·63 करोड़ रुपये के घाटे का था उसको पूरा करने के लिये तमाम टैक्स लगाये गये । इस साल 129 करोड़ रु0 के घाटे के बजट को पेश किया है । इससे लगता है कि आम लोगों के ऊपर भारी टैक्स लगाये जायेंगे । मेरा सुझाव है कि टैक्स लगाने से या और कोई प्रक्रिया चलाने से सामान्य जनता का भला नहीं हो सकता जब तक कि खेतों में जो सामान पैदा होता है उसके दाम को निश्चित नहीं करेंगे क्योंकि जब पैदा होता है उस समय के दाम तथा बाद में जो दाम होते हैं उसमें लगभग 16 प्रतिशत का अन्तर होना चाहिए । जो फैक्टरी में सामान बनता है, उसकी लागत मूल्य के डेढ़ गुने से अधिक दाम जब पड़ेगा तो आम लोगों की कमर टूटेगी । लोगों की क्रय शक्ति घटती जा रही है ।

देवरिया जिले में चर्चा है कि देवरिया जिले में हरिजनों की सामूहिक हत्या करने की योजना बनायी जा रही है । देवरिया के जिलाधिकारी से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि हमने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी है कि देवरिया में सामूहिक हत्या की योजना बनी है लेकिन यह रिपोर्ट जरूर भेजी है कि सत्ता पक्ष के लोग बराबर अत्याचार कर रहे हैं ।

[श्री हरिवंश सहाय---]

देवरिया में खामपार थाने में छपिया गांव है, वहां पर हरिजनों को दो बार मारा गया, जब वे रिपोर्ट लिखाने गये तो रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । लड़कों को स्कूल जाने से रोक दिया गया और फिर 19 घरों को जला दिया गया, लेकिन कोई मुकदमा नहीं चला क्योंकि मुल्जिम कहते हैं कि वे भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के जाति के हैं ।

इसी प्रकार लार थाने के कुईचंबर गांव में श्याम हरिजन के घर 10-12 आदमी पहुंच गये, उससे कहा गया कि वह अपनी लड़की दमयन्ती को उन लोगों के सामने पेश करे । इस पर उसने एतराज किया तो उसे गोली मार दी गयी । पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और असरदार लोगों की मदद से उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी । यही नहीं, राजपुर में एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया गया, तमाम हरिजनों के साथ इसी प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और हुए हैं । जो अधिकारी कार्यवाही करना भी चाहता है तो यहां से मंत्रियों का टेलीफोन चला जाता है कि कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये । बाध्य होकर वहां के अधिकारी मंत्रियों के दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं कर पाते हैं । मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं उनकी आप जांच करवा दीजिये ।

मान्यवर, हमारा देवरिया जिला बिहार के बार्डर पर स्थित है । देवरिया जिले में गेहूं के भाव में और बिहार में गेहूं के भाव में 100 रु0 क्विन्टल का अन्तर है । अभी पिछले 22 नवम्बर, 1981 को तरियासुजान में कांग्रेस के लोगों ने ट्रेन छापा मारा और ट्रेन से 400 क्विन्टल गेहूं उतार लिया और तरियासुजान थाने में इसकी रपट लिखायी गयी । सवाल यह पैदा होता है कि वे लोग किसके आदेश से 400 क्विन्टल गेहूं को उतार लिये । थानेदार मौके पर जब गया तो वहां पर केवल 100 क्विन्टल गेहूं बरामद हुआ और 300 क्विन्टल गेहूं को सत्ता पक्ष से लोगों ने बेच दिया । जी0 आर0 पी0 ने मुकदमा कायम किया कि 400 क्विन्टल गेहूं आपके सत्ता पक्ष के विधायक ने छापा मार कर उतारा है । मैं चार्ज करता हूं कि 22 नवम्बर को गेहूं उतार करके बेंच दिया गया । आपके सत्ता पक्ष के विधायक श्री ध्रुव राय हैं उन्होंने इस घटना के सम्बन्ध में कहा है कि जब हमारे पक्ष के ही विधायक लोग इस तरह का अत्याचार करेंगे, डकैती डालेंगे तो विरोधी पक्ष के लोग तो कहेंगे ही ।

अभी हाल ही में देवरिया जिले में जो कि उत्तर प्रदेश के बार्डर पर स्थित है, पिछली 24 दिसम्बर को सरया गांव में खामपार थाने में छेदी कुर्मी के घर डकैती पड़ी । उसके भाई को बम लगा और कई आदमियों को उस डकैती में बम लगा और डाकू 4 बक्से ले गये । लोगों ने पीछा किया । सामान निकाल कर खाली बक्से छोड़ कर भाग गये । पुलिस में रपट की गयी । पुलिस गांव में आयी पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । उसके बाद बिहार और यू0 पी0 दोनों जगहों के डकैतों ने मिल कर डकैती डालना शुरू कर दिये हैं । उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । मान्यवर, कल मैं देवरिया गया था । मेरे गांव के बगल में जहूर नाम के आदमी के घर डकैती पड़ी । कल 3 बजे तक वहां पर पुलिस मौके पर नहीं गयी थी भैरवपुर गांव में । जब कि दो लोगों को डकैतों ने मारा है । दो आदमी की लाश कल तीन बजे तक पड़ी रही, कोई पुलिस मौके पर नहीं गयी । वहां पर पुलिस इसलिये नहीं गयी कि वहां जो क्षेत्रीय पुलिस है वह जानती है कि जब सरया में डकैती पड़ी तो कोई कार्यवाही नहीं हुई । जब बगल के गांव में डकैती पड़ी तो कोई कार्यवाही नहीं हुई तो फिर डकैती में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है ।

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि एक मेटाडोर नाम की गाड़ी है जिसको वहां का दरोगा काठमाण्डू लेकर गया था। उस गाड़ी से बड़े पैमाने पर तस्करी की गयी है। मैं मांग करता हूं कि मान्यवर, इसकी भी जांच हो।

देवरिया के अन्दर चकबन्दी हो रही है। 50 हजार एकड़ जमीन जो बंजर की है, असरदार लोगों ने अपने खाते में करा लिया है। जो गांव समाज की जमीन थी, खेती के लायक थी उसे असरदार लोगों ने ले लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन बातों की जांच करायी जाये। अभी पिछले दिन चर्चा हो रही थी, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बारे में, हमारे कांग्रेसी भाई वहां के मौजूद नहीं हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी चौरी-चौरा जा रही हैं। सब उसी चाकरी में लगे हुए हैं, स्मगलिंग करा रहे हैं, कोई बुनियादी काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री जी बैठे हैं, चार सौ क्विंटल गेहूं की जांच करा कर मुकदमा दर्ज करवायें।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

आपका मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही साथ मान्यवर, इस बजट के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि शासन ने जो बजट पेश किया है उसके लिये वह काबिले मुबारकबाद है कि उसने उसे समय के पूर्व सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया। इसका लाभ पिछली मर्तबा भी, जब सदन में यह समय से पूर्व प्रस्तुत किया गया था, यह हुआ कि हमेशा की तरह नहीं बल्कि अक्तूबर के आंकड़े से पता चलता है कि हमारे यहां 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। 6 मास की अवधि के अन्दर 44 प्रतिशत कामों का पूरा किया जाना एक मिसाली बात है जिसके लिए शासन को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। साथ ही साथ इधर मैंने खामोशी से जब से सदन शुरू हुआ है, पक्ष और विपक्ष के लोगों के भाषण सुनें। उससे ऐसा प्रतीत होता था कि प्रदेश की जनता के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह बड़ी शर्मनाक बात है कि इस सदन में जब से यह शुरू हुआ, इसी चीज की चर्चा बराबर होती रही। इसको विपक्षी दल के भाइयों और सत्ता पक्ष के लोगों को भी देखना होगा, गम्भीरता से इस पर विचार करना होगा कि अगर राजनीतिक जिन्दगी में, राजनीतिक--

(इस समय 1 बज कर 19 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

लोगों पर, एक दूसरे पर इस तरह आरोप और प्रत्यारोपों की बौछार होती रही और एक दूसरे की छवि को बिगाड़ते रहे तो आम जनता के सामने राजनीतिक लोगों का चेहरा बिगड़ जायेगा और उसके नतीजे के आधार पर जो शक्तियां जन्म लेंगी। वह देश और देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक होंगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से देश में जनता पार्टी की सरकार आयी, तो उसी दल के अन्दर ही आरोप और प्रति आरोप की शुरुआत हुई। इस प्रकार यह गंदी रवायत जनता पार्टी की देन है।

आपको, सदन के माननीय सदस्यों को यह मालूम हो कि चौधरी चरण सिंह ने बाबू जगजीवन राम के बारे में, बाबू जगजीवन राम ने चौधरी चरण सिंह के बारे में और चौधरी चरण सिंह ने मुरार जी देसाई के बारे में और मुरार जी देसाई ने चौधरी चरण सिंह के बारे में एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाये। इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप का चलन जनता पार्टी के वजूद में आने के बाद राजनैतिक क्षेत्र में शुरू हुआ।

[श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--]

मान्यवर, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यह राजनैतिक जिन्दगी में जो चीज परवान चढ़ रही है उससे राजनैतिक लोगों का चेहरा रोज बरोज बिगड़ता जा रहा है। इन्दिरा गांधी जो जो हमारी नेता हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने कभी किसी की चरित्र हत्या करने की कोशिश नहीं की है। मान्यवर, इन्होंने जनता शासन में शाह आयोग से लेकर अनेक आयोग बैठाये और अनायास जनता का लाखों रुपयों को खर्च करके इन्दिरा जी की चरित्र हत्या का असफल प्रयास किया इन्दिरा गांधी ने दुबारा राजनीति में आने के देश की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने आज तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई ऐसे आरोप नहीं लगाये जिससे कि उस नेता के कैरियर या चरित्र की हत्या होती हो। यह उनकी महानता है। परन्तु विपक्षी दल आज भी सिर्फ झूठे आरोपों का सहारा लेते हैं इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। यह कुछ कर नहीं सकते हैं। यह नई योजनायें भी लोगों को नहीं दे सकते हैं। इनके पास सिर्फ एक काम है और वह है एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाना और आज यह हमारे खिलाफ आरोप लगाकर जिस चीज को करना चाहते हैं उससे यह हमारा नहीं, अपना नहीं बल्कि इस देश की पूरी डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। यह कोई अच्छी चीज नहीं है। इसको सुधारने की जरूरत है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा सदन के सम्मुख कानपुर की एक बड़ी समस्या को रखना चाहता हूं। 1975 में कांग्रेस शासन काल के अन्दर कानपुर की एक गम्भीर समस्या सामने आई थी और वह थी गंगा बैराज। यह अत्यंत आवश्यक योजना है जिससे कि 20 लाख लोगों के जीने-मरने और उनका भविष्य निर्भर करता है। मान्यवर, सन् 76 के बजट में इसके लिए प्राविधान भी किया गया था 50 लाख रुपये का और वहां पर एक डिपार्टमेंट भी गंगा बैराज को बनाने के लिए खोला गया। वहां पर दो खंभे भी भैरो घाट के पास लगाये गए लेकिन जनता पार्टी के शासन काल में इसमें कोई प्रगति नहीं हो पाई और देश की अनेक योजनाओं के साथ-साथ कानपुर की गंगा बैराज योजना भी ठप कर दी गई। इस मर्तबा जब पुनः कांग्रेस का शासन आया तो कानपुर की जनता ने फिर उसकी मांग की और अब पुनः जनता की मांग को देखते हुए कानपुर गंगा बैराज के लिए एक करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया।

(व्यवधान)

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरशाही उस एक करोड़ रुपये में से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकी और गंगा बैराज की हमारी डिमांड आज तक हमारे सामने खड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष--

(डाक्टर धर्मपाल से) आज रनिंग कमेंटरी की जिम्मेदारी अपने ऊपर आपने ले रखी है क्या ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मुझे बड़े अफसोस के साथ सरकार की तवज्जह इस तरफ दिलानी है कि कानपुर गंगा बैराज के नाम को सफे से ही मिटा दिया गया है। मैं सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि यह कानपुर के लिये अति आवश्यक योजना है क्योंकि इस पर कानपुर के 20 लाख इन्सानों की जिन्दगी निर्भर है। इसलिये इस

बजट में उस योजना का प्राविधान किया जाय । गंगा बैराज योजना कानपुर के लिये ही नहीं बल्कि कानपुर से जुड़े हुए उन्नाव के लिये भी अति–आवश्यक योजना है ।

श्री भोखा लाल––

चूंकि यहां बैराज के विषय में जिक्र किया गया है और माननीय सदस्य सरकार के प्रवक्ता की हैसियत से ही बोल रहे होंगे । जहां तक मेरा ख्याल है सरकार ने बैराज बनाने का निर्णय इसलिये लिया कि गंगा का कटाव उन्नाव की तरफ बढ़ता जा रहा है और कानपुर उससे दूर होता जा रहा है जिससे कानपुर के वाटर सप्लाई और 'केसा' को पानी नहीं मिल पा रहा है । तो उस बैराज से 'केसा' को पानी मिलता रहे और कानपुर में भी वाटर सप्लाई सुचारु रूप से जारी रहे और साथ ही उन्नाव की तरफ कटाव भी रोका जा सके, इसकी कोई व्यवस्था करने की योजना सरकार के पास है ? इसको भी जरा आप स्पष्ट कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय भोखा लाल जी ने अभी जो प्रश्न उठाया है, इसका उत्तर शासन का कोई सदस्य जब देगा तो अपने भाषण में इसको क्लीयर कर देगा । यह मैं अपेक्षा करता हूं ।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर––

मेरे बड़े भाई माननीय भोखा लाल जी ने जिस शंका का समाधान चाहा है, उसका सही उत्तर आपने उनको दे दिया । उन्नाव की तरफ होने वाले कटाव को भी हम रोकना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि कानपुर को पानी देने के साथ–साथ उन्नाव की तरफ होने वाले कटाव को भी अवश्य रोका जाय । कानपुर के लोगों के पीने का पानी मिल जाय, कानपुर में बिजली का उत्पादन भी सही तरीके से होता रहे । हम स्वार्थी नहीं हैं । कानपुर के साथ ही साथ उन्नाव के लोगों की भी भलाई चाहते हैं । मुझे अफसोस है कि माननीय भोखा लाल जी ने यह प्रश्न उठाया कि किस तरफ बने, किस तरफ न बने । इस चीज को तो सरकार को देखना है, जो सरकार के स्पेशलिस्ट हैं, वह टेक्निकल लोग हैं उनकी ही राय से सरकार यह योजना तैयार करे । मेरी जानकारी है कि यह योजना यहां से बन–कर भारत सरकार के पास जा चुकी है लेकिन हमारे बजट में जब उसका कोई टोकन प्राविधान भी नहीं होगा तो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुई योजना के बाद भी प्रदेश सरकार योजना को कार्यान्वित कैसे कर पायेगी । इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि इतने बड़े महत्वपूर्ण काम की तरफ सरकार को तवज्जह देना अति आवश्यक है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कई बार इस बात की घोषणा की गई है कि जिन मिलों पर मजदूरों का 50 हजार रुपये से अधिक धन बकाया हो उसे मिल मालिकान से रेवेन्यू वसूली के तरीके से वसूल किया जायेगा । लेकिन आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कानपुर के कैलाश मिल की तरफ दिलाना चाहता हूं जो वर्षों से बन्द पड़ा है और उस कैलाश मिल के अन्दर मजदूरों का लाखों रुपया बाकी पड़ा है । मैं चाहूंगा कि सरकार जे0 के0 आर्गनाइजेशन जो इतना बड़ा आर्गनाइजेशन है जिसकी सम्पत्ति अरबों में है उसे जल्द से जल्द दिलाने की कृपा करे ताकि वहां के मजदूर जो बहुत ही दयनीय दशा में अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं, उनमें सुधार लाया जा सके । (लाल बत्ती होने पर) मैं आपसे चन्द मिनट का समय और चाहूंगा । मैं कानपुर की कुछ और ऐसी आवश्यक बातों पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलवाना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सोच कर ही कि आप समय कुछ ज्यादा चाहते हैं और के मुकाबले पांच मिनट अधिक दे चुका हूं। एक मिनट और आपको दिया।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर जे0 एण्ड के0 स्वदेशी काटन मिल, एलिगन मिल नं0 1, नं0 2, इनमें मजदूरों के साथ इस वक्त जो नाइन्साफी हो रही है, वह यह है कि मिलों में ठेकेदारी प्रथा के द्वारा काम लिया जा रहा है और इन मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहां मिल्क बोर्ड बंद हुये एक अरसा गुजर चुका है। इस मिल्क बोर्ड में करोड़ों रुपया सरकार का लगा हुआ है। इतना अरसा मिल्क बोर्ड को बंद हुये हो गया है। उसके 1200 कर्मचारी रोजी रोटी के लिये परेशान हैं। मैं आपके द्वारा शासन से चाहूंगा कि मिल्क बोर्ड को खुलवाने का तुरन्त इन्तजाम करें ताकि उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को राहत मिल सके और कानपुर में रहने वाले नागरिकों को दूध जैसी चीज उपलब्ध हो सके।

हमारे यहां खादी बोर्ड का मसला जमाने से उलझा पड़ा हुआ है। उस पर शासन तुरन्त कोई फैसला ले ले तो कानपुर के लिए यह गौरव की बात होगी।

सब से बड़ी बात आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कानपुर के अंदर वाटर टैक्स का रेट उत्तर प्रदेश के सारे टाउन्स से ज्यादा लगा दिया गया है। उसमें बड़ी गंभीरता की बात यह है कि कानपुर के नागरिकों ने हाई कोर्ट के द्वारा कर न जमा करने का स्टे हासिल कर लिया है जिसकी वजह से वाटर टैक्स वसूल नहीं हो पा रहा है। मैं शासन से चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो दूसरे शहर हैं, बनारस, आगरा, इलाहाबाद, जो टैक्स वहां लिया जा रहा है वही टैरिफ कानपुर के नागरिकों से भी वसूल किया जाय तो कानपुर के नागरिकों को टैरिफ जमा करने में कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी।

(पुनः लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं, उनके द्वारा कानपुर में हुए माइनारिटीज कानफरेन्स में तथा इस सदन में भी कई बार उर्दू के बारे में कहा है कि हमारा वादा है इसे लागू किया जायगा। मान्यवर, 31 दिसम्बर भी खत्म हो गई, जनवरी गुजर गया और अब फरवरी का महीना है। मेरा यह फर्ज है क्योंकि कांग्रेस का सदस्य हूं, आपके माध्यम से अपने नेता को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उर्दू जैसे मसले पर जब उन्होंने वायदा किया है तो इस चालू सत्र में उसके लिए बिल लाने का प्राविधान करेंगे।

इन शब्दों के साथ में आपका तथा सभी लोगों का आभारी हूं कि चन्द शब्द कहने और सुनने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, 1982-83 के बजट पर आपने बोलने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए आपका आभारी हूं।

मान्यवर, यह बजट देखने और पढ़ने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ ऐसे लोगों की साजिश के तहत यह बजट तैयार किया गया कि जो बजट के शोषणकर्ता हैं। बजट में कोई नई बात नहीं दिखाई पड़ती। सिर्फ इतना दिखाई

पड़ता है कि इसमें शासन पूरी तरीके से सो रहा है और शासन के अधिकारियों की तरफ से एक मिली साजिश करके इस बजट को ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है जो गरीब की तरफ और गरीब के पास तक नहीं पहुंच सकता। शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए ऐसा दिखाई पड़ता है कि इस प्रदेश की जनता के आने वाली पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इतनी टूट गई, इतनी खराब हो गई है कि उसके तहत पढ़ने वाले बच्चे और नौजवान पीढ़ी अच्छी जगहों पर नहीं पहुंच सकते हैं। मान्यवर, प्रदेश में विगत वर्ष इतने जूनियर हाई स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल और नर्सरी स्कूल हैं जिनमें 1 करोड़ 66 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। मान्यवर, आप जानते हैं कि इन 1 करोड़ 66 लाख बच्चों में से जो कि विभिन्न स्कूलों में भर्ती थे, केवल 12 लाख बच्चे ही हाई स्कूल की परीक्षा में बैठते हैं। बाकी बच्चे कहां चले गये, यह देखने की बात है। मान्यवर, या तो ये फेल हो गये, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, आगे की पढ़ाई न कर सके, कुछ कठिनाई आ गई जिससे ये बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई जारी न रख सके।

दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में 6 हजार स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपने भवन नहीं हैं, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, प्रदेश के अध्यापकों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि प्रदेश में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। यह अच्छी बात थी। उसके तहत हमारी आने वाली पीढ़ी एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था में पलती। लेकिन जब उनकी व्यवस्था ही ठीक नहीं है, उनके पास कोई साधन ही नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए टाट-पट्टी की भी व्यवस्था नहीं है किताब-पेंसिल नहीं है तो किस तरह से यह शिक्षा निःशुल्क कर पायेंगे।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बजट कम दें या ज्यादा दें प्रश्न यह है कि जो बजट दिया जाता है उसको उस स्तर तक पहुंचाया जाय जिनके लिए हम उसे यहां बैठकर तय करते हैं। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जो भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रबन्धक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रधानाचार्य कर रहे हैं और जो शिकायतें इस विभाग के सम्बन्ध में दी जाती हैं लेकिन पता नहीं यह विभाग कोई भूतबंगला है कि सब शिकायतें वहां जाकर मर जाती हैं। मैं अपने जनपद फैजाबाद जलालपुर के एक विद्यालय के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर एक नरेन्द्रदेव इन्टर कालेज है। उसमें करीब 1 लाख रुपये की धनराशि वहां के प्रधानाचार्य, मैनेजर आदि ने मिलकर खा ली है। शिक्षा मंत्री जी और परिषद् के अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच का आश्वासन देने के बाद भी अभी तक वह केस दबा हुआ है। उस कांड को दबाने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री सहयोग कर रहे हैं। यदि उनका सहयोग उक्त भ्रष्टाचार को मिलता तो अब तक उक्त भ्रष्टाचार निश्चित रूप से पकड़ा जा सकता था और फैजाबाद कोतवाली में प्रधानाचार्य, प्रबन्धक के विरुद्ध जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसकी एक रिपोर्ट कांग्रेस के एक विधायक श्री शेर बहादुर को दी गई है, उसी के बारे में ही निर्णय हो जाता। किन्तु आपकी कार्य-प्रणाली ठीक नहीं है। इसमें सुधार लाने की व्यवस्था करें।

अब मैं विद्युत् के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरा प्रदेश विद्युत् विभाग से खुश है और पूरे प्रदेश में रोशनी जलजला रही है लेकिन इस विभाग के अन्दर जो त्रुटियां हैं, उनके बारे में मैंने पिछली बार भी कुछ सुझाव दिये थे कि काश्तकारों को किस तरह से बिजली आप दे रहे हैं। मान्यवर, जो बिजली ये काश्तकार खर्च करते हैं और उसका जो पैसा यह विभाग

[श्री गोपी नाथ वर्मा--]

वसूलता है उसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि विद्युत् विभाग में जो बिल सम्बन्धित क्लर्क विकास बनाता है वह 1 हजार के बिल को 2 हजार रुपये का बना देता है और जब किसान इधर-उधर दौड़ता है तो वह क्लर्क कहता है कि एक हजार या पांच सौ रुपये दो तो हम पूरा बिल ठीक कर देंगे और उसके बाद वह बिल ठीक कर दिया जाता है। पूरे महीने भर इस तरह से काश्तकार अवैध रूप से तैयार बिल के दुरुस्तीकरण के लिए दौड़ता रहता है। इस सम्बन्ध में मैंने सुझाव दिया था कि जब बिल क्लर्क बिल को बनाये बिल बनाते समय अगर कोई क्लर्क 100 में 5 गलत बना देता है तो उसे माफ कर दिया जाय लेकिन 5 से ज्यादा बिल गलत बनाता है तो जितने गलत बिल बने हैं उतनी धनराशि उसके घर से वसूल की जाय। ऐसी स्थिति में जो बिल क्लर्क होगा वह गलत धनराशि अंकित नहीं करेगा और हमारे किसानों का भी नलकूप सुचारु रूप से चलता रहेगा और सही पैसा अदा कर सकेगा।

दूसरी बात हमारे यहां एक टाँडा तापीय प्रोजेक्ट लग रहा है उसमें दो सौ करोड़ रुपया 79-80 में खर्च होना था अब सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस पर चार सौ करोड़ खर्च होगा। जिसमें मुश्किल से 150,200 कर्मचारी कार्यरत हैं और वे फैजाबाद शहर से या टांडा से आते जाते हैं। उनके आने जाने के लिए करीब 5 प्राइवेट बसें, दो मिनी बसें तथा 60, 70 जीपें चलाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में वह विद्युत् का बजट फिजूलखर्ची के तहत खाये जा रहे हैं और कुछ विकास होने वाला नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय विद्युत् मंत्री जी से मांग की थी लेकिन पता नहीं उनका हिसाब-किताब क्या है कि विद्युत् बोर्ड के अधिकारी जो आंकड़े देते हैं या सुझाव देते हैं उन्हीं पर वह संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी समझ से कोई कदम उठाने को तैयार नहीं हैं जिससे प्रदेश में बिजली की व्यवस्था ठीक हो सके।

मान्यवर, सिंचाई के मामले में, आंकड़ों के हिसाब से, प्रदेश में सबसे आगे है लेकिन धरती पर काम कुछ नहीं हो रहा है। कहीं पर गूल निकालने की बात आई या कैनाल निकालने की बात आई तो 4-4 और 6-6 वर्षों तक किसानों को उनकी जमीन का पैसा नहीं मिलता है जिससे वह किसान अड़ंगेबाजी करते हैं उसका नतीजा यह होता है कि 10-10, 12-12 साल तक काम रुका पड़ा रहता है जिससे पूरे प्रदेश की प्रगति का काम धीमा पड़ रहा है। बहुत सी ऐसी कैनाल पड़ी हुई हैं जो सूखी हैं लेकिन वहां पर कर्मचारी कार्यरत हैं जिसकी जानकारी सरकार को है लेकिन सरकार कुछ करना मुनासिब नहीं समझती है। मेरे जनपद में मेरी ही तहसील टांडा में महतोपुर एक कैनाल है। आज से करीब 14 वर्ष पूर्व उस पर 4-5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। लेकिन आज उस कैनाल से सिंचाई हेतु पानी ही नहीं मिल पा रहा है और समस्त कर्मचारी और मशीनरी उसमें लगी हुई है जब उनसे कहा जाता है कि पानी की व्यवस्था की जाय तो कहते हैं कि हो सकेगा तो नलकूप की व्यवस्था कर देंगे। तो इस प्रकार सारा पैसा बरबाद हो रहा है और अनाप-शनाप पैसा खर्च हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष--

आज आखिरी दिन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलना है।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

सरकार द्वारा जहां तक हरिजनों की दुहाई देने की बात है मैं उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारे टांडा क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है। उस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम कुछ नहीं तो हजार हरिजन तथा दूसरे लोगों ने लिख कर दिया है कि इसका नाम हरिजनों के मसीहा देश के, विश्वविख्यात नेता डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम रखने की घोषणा की जाए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से संजय गांधी के नाम की साजिश चल रही है इससे वहां तनाव पैदा हो रहा है. .

(व्यवधान)

श्री रामजी राम--

किसी हरिजन ने दरखास्त नहीं दी है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रैक्टिस गलत है।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

यह जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं यह नहीं चाहते हैं कि हरिजनों का विकास हो यह कहते हैं कि मैं मंत्री बनना चाहता हूं, परन्तु हरिजनों के उत्पीड़न में यह शरीक हैं। हरिजनों की बुराई करते हैं और फिर उनकी सुरक्षा की बात करते हैं।

(व्यवधान)

फर्जी आंकड़े देकर हरिजनों को गुमराह करते हैं, यह मैं नहीं करता परन्तु आप खुद मुख्य मंत्री को बताना चाहते हैं कि मैं आपके गुट का हूं जिससे आपको मुख्य मंत्री जी, मंत्री बना दें। परन्तु हरिजनों का विरोध करके आप मंत्री नहीं रह पायेंगे।

सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में हरिजनों पर कांड हो रहे हैं और कहा जाता है कि यह तो जनता पार्टी के समय होते रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठिए। अब जो भी आप बिना आज्ञा के बोलेंगे वह लिखा नहीं जाएगा।

श्री कमला प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से स्वागत करता हूं, साथ ही मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बजट को निश्चित समय में प्रस्तुत किया। इस बजट को देखने से ऐसा लगता है कि यह बजट वाकई में जनता के हित का बजट है। इसमें गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए, निर्बल वर्ग और किसानों के हित की तमाम बात रखी गई है और इससे मेरा ख्याल है पूरे प्रदेश का विकास निश्चित है। हमारे माननीय मुख्यमन्त्री जी ने कुछ ऐसे

[श्री कमला प्रसाद सिंह--]

निर्णय लिए हैं, जिससे निश्चित रूपसे प्रदेश का विकास होगा । मंडलीय मंत्रियों की जो उन्होंने नियुक्ति की है, उससे स्थानीय जनता अपने जिलों में ही अपनी सारी कठिनाइयों का निपटारा करा सकेगी, उनकी परेशानी और भाग-दौड़ दूर होगी । इसमें कोई दो राय नहीं है ।

हमारे विरोध पक्ष के लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उनके समय में राम राज्य आने वाला था । मुझे सन् 1977 का दिन नहीं भूलता। जब मुझे भी यहाँ माननीय सदन में बैठने का अवसर मिला था, उस समय तो शायद विरोध पक्ष की बात यह सुनना भी नहीं चाहते थे । हम लोग यदि कोई जनहित की बात करना चाहते थे । तो उसको इनके कान नहीं सुन पाते थे । लेकिन आज ऐसा जोर-शोर से हंगामा होता है ताकि इनका नाम अखबारों में आ जाए । वह विकास का रास्ता छोड़कर विनाश के रास्ते पर चल रहे थे....

(व्यवधान)

हमारी नेता सम्मानित श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम जनता को दिया है, उससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहेगा, उससे जनता के हर वर्ग को लाभ पहुंचेगा । इसमें नियोजन की बात कही गयी है....

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सदन में इस समय कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक से दो बजे के बीच में कोरम का प्रश्न नहीं उठता है । जब आपने चैलेंज कर दिया है तो मैं उस पर विचार करूंगा ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री कमला प्रसाद सिंह--

20 सूत्री कार्यक्रम में हरिजन भाइयों के लिए भूमि की सबसे ज्यादा व्यवस्था की गयी है । ऐसे भी भूमिहीन लोग थे, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं थे । कभी-कभी ऐसा होता था कि मजदूरी करते थे और जब वह बीमार हो जाते थे, उनके घरों में चूल्हा नहीं जलता था । लेकिन हमारी नेता ने उनको जमीनें दीं, उस पर उन्होंने मकान बनवाए, साथ ही खेती की जो जमीन मिली, उस पर वह खेती करते हैं । यदि किसी कारण वह मजदूरी पर नहीं जा सके, तब भी उनके घर में दो टाइम खाने का इंतजाम रहता है । इसी तरह से छात्रों के लिए पठन-पाठन की बात है, सस्ती दर पर कापी-किताब दिलाने की बात हो, चाहे शान्ति व्यवस्था की बात हो और चाहे वृक्षा-रोपण की बात हो, 20 सूत्रीय कार्यक्रम में निश्चित रूप से जनता का हित होगा ।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बहुत सा निर्माण कार्य हुआ है । वितरण व्यवस्था के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक बहुत

अच्छा कदम उठाया । पहले जो प्राइवेट दुकानदार थे वे सारे का सारा सामान चाहे चीनी हो और चाहे गल्ला हो, खुले बाजार में ब्लैक से बेच देते थे । इस काम को सहकारी समितियों को सौंप कर सरकार ने जनता की सेवा की है । अब चीनी और गल्ला गांव वालों को ठीक ढंग से मिल रहा है और कोई भी अगर इस तरह की दिक्कत की बात माननीय मंत्री जी को बतायी जाती है तो निश्चित रूप से उसका निवारण होता है । इस समय हमारे खाद्य मंत्री जी हमारे सामने बैठे हुए हैं । हमारे यहां पर एक दुकानदार अपने गोदाम से 5 बोरी सीमेंट निकाल कर ब्लैक करने के लिए ले जा रहा था तो मुहल्ले की जनता ने उसको पकड़ा । उसके बाद वहां के लोगों ने शिकायत की पुलिस में रिपोर्ट लिखायी । वहां के जिलाधिकारी ने 2 इन्सपेक्टरों को निलम्बित कर दिया और दुकान का लाइसेन्स निरस्त कर दिया । मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि अगर इस तरह के कदम उठाये जायेंगे तो निसंदेह ही भ्रष्टाचार का खात्मा होगा ।

विरोध पक्ष की ओर से बड़ी ढोल पीटी जाती है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था ठीक नहीं है । लेकिन मैं अपने जनपद जौनपुर की बात बतान चाहता हूं कि हमारे जनपद में जो भी गुन्डे और बदमाश पनपे थे जिन्होंने कितनी ही डकैतियां डाली थीं और कितने ही मर्डर कर चुके थे लेकिन आज ऐसे लोग या तो जेल के अन्दर हैं या वे शहर को ही छोड़कर चले गये हैं ।

हमारे इस बजट के अन्दर यह भी प्राविधान है कि इस वर्ष प्रदेश में अस्पताल, ट्यूबवेल्स और सड़कों का अधिक निर्माण कार्य हो । जितनी भी जनता के हित की बात होती हैं, वे सब इस बजट में रखा गया हैं । इससे हर आदमी को सुविधा मिलेगी ।

अब मैं अपने जनपद की समस्याओं के बारे में आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं । हमारे यहां पर जब बहुत भीषण बाढ़ आई थी, आप भी मान्यवर आप भी जानते हैं कि 2–2 महीने पूरा शहर पानी से डूबा रहा, हमारे यहां की सभी सड़कें बरबाद हो चुकी थीं, आदमी उन पर चल फिर नहीं सकते थे, सड़कों की मरम्मत एवं सड़क निर्माण के लिए इस बजट में कुछ धनराशि का अवश्य प्राविधान किया गया है लेकिन जितना प्राविधान किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है ।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी मंडल बहुत ही पिछड़ा हुआ मंडल है और उसमें भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जनपद जौनपुर है । जब भी पिछड़े जिलों का नाम आता है उसमें जौनपुर जिले का कोई जिक्र नहीं होता है । मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे जनपद की सड़कों के लिए बजट में धनराशि बढ़ायी जाय । इसके अलावा हमारा जो शहरी क्षेत्र है उसमें एक ही अस्पताल है जो काफी दूरी पर है । दक्षिणी क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, कि दक्षिणी क्षेत्र में भी एक अस्पताल खुलवा दिया जाय ।

इसके अतिरिक्त हमारे यहां पर जौनपुर शहर में एक महिला डिग्री कालेज की भी नितान्त आवश्यकता है । हमारे यहां पुराने पोलिटेक्नीक स्कूल की बिल्डिंग है । अगर वहां पर इसके भवन में महिला डिग्री कालेज खोल दिया जाय तो जो लड़कियां तिलकधारी कालेज में लड़कों के कालेज में पढ़ने जाती हैं, वे वहां जाने से रुक जायेंगी ।

[श्री कमला प्रसाद सिंह--]

हमारे यहां एक महिला डिग्री कालेज अवश्य खोला जाये। इसके अलावा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृपा करके जो एक सूता मिल की स्वीकृति दी है वहां खोलने के लिए, उसके निर्माण का कार्य भी जल्दी कराया जाये। हमारे यहां सिंचाई के लिए नलकूपों की संख्या बहुत कम है और नलकूप लगवाये जायें ताकि सिंचाई सुचारु रूप से हो सके। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

[1 बजकर 56 मिनट]

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, आपने इस बजट पर बोलने के लिए मुझे समय दिया। इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों ने इस बजट की एक विशेषता यह बतायी कि इसमें कोई कर नया नहीं लगाया गया है। आज प्रदेश की जनता करों के भार से और मंहगायी से बुरी तरह पिसी जा रही है। इस कमरतोड़ मंहगायी में लोगों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। यह एक प्रश्न चिह्न उनके सामने बन कर रह गया है कि जीवन कैसे चलाया जाय। इस वर्ष बजट में आशा तो यह की जा रही थी कि करों का भार कुछ कम किया जायेगा, मंहगायी को रोकने या कम करने की ओर कोई प्रयास किया जायगा, परन्तु इस दृष्टि से जब सम्पूर्ण बजट को देखा गया तो बड़ी निराशा हुई। न तो करों को कम किया गया है और न ही कोई कदम मंहगायी को रोकने या उसको कम करने के लिए उठाया गया है। अतएव यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि यह बजट किसान, मजदूर और सामान्य जन विरोधी है।

मान्यवर, इधर माननीय सदन में आरोपों की, एक दूसरे पर, जो भरमार हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिन्तनीय है उस पर अभी एक माननीय साथी ने चिन्ता भी व्यक्त की और यह निश्चय ही चिन्ता का विषय है। अगर थोथे आरोपों को लगाया जायेगा तो इस सदन की गरिमा कैसे रह पायेगी। चाहे आज समाज के अराजक तत्वों के कारण, चाहे भ्रष्टाचार के कारण और चाहे अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, आज जो स्वरूप हमारे सामने समाज का है उसकी मीमांसा की जानी चाहिए। जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जानी चाहिये। यह सदन का निर्विवाद मत है। लेकिन जिस तरह से यहां पर जन प्रतिनिधियों के रूप में बैठकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं वह परम्परा अगर पड़ गयी तो संसदीय इतिहास में आगे आने वाला समय माफ नहीं करेगा। गलत काम करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिये, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिये, लेकिन नीयत साफ होना चाहिये और केवल दोषी व्यक्ति को ही दंडित किया जाना चाहिये। जब तक हम प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति उनके पृष्ठ-पोषण करने की नीयत रखेंगे और उसके पीछे भी सत्ता पक्ष की मजबूरी है, अपने विवेक का यह प्रयोग नहीं करते हैं।

मान्यवर, मैं बराबर देखता चला आ रहा हूं कि जो उत्तर अधिकारी लोग दे देते हैं, वही उत्तर यहां पर पढ़ दिया जाता है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं। 20 जनवरी, 1982 को इसी सदन में सिंचाई मन्त्री ने मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर देते हुये कहा था। उन्होंने कहा कि बी० सी० शीट का सत्यापन कराया गया और वहां पर 1430 टन शीट

आयातित एवं भंडारित की गयी। उन्होंने कहा कि सत्यापन ठीक था, कमी नहीं पाई गयी।

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने बताया कि 873 टन उसमें से ट्रान्सफर हुआ था, भंडार में 526.900 टन शेष पायी गयी और कुल सत्यापन ठीक है। मान्यवर, अगर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वह इन दोनों आंकड़ों को जोड़ लेते, तो 1,399.9 आता है। कुल में से घटाने पर 30.1 टन की कमी उनके उत्तर से ही स्पष्ट है। अपने विवेक का उन्होंने प्रयोग नहीं किया और न जोड़ा और न घटाया। अगर अपने विवेक को वह प्रयोग करते हुये अपनी बात को रखते तो स्पष्ट उत्तर आता। मान्यवर, स्पष्ट रूप से उन्होंने सदन को गुमराह किया।

हर समस्या पर सदन को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन के अधिकारियों को और मुख्य मन्त्री को और प्रशासन चलाने वालों को आवश्यकता है। टी0 डी0 कालेज, जौनपुर का 15 नवम्बर से पठन-पाठन बन्द है। प्राचार्य पी0 के0 सिंह को भ्रष्टाचार, अनियमितायें बरतने एवं बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने की अनेकों शिकायतें नोटिस द्वारा प्रस्तुत करके छात्रों ने उनको हटाने के लिए शान्तिपूर्ण हड़ताल प्रारम्भ कर दिया और लड़के शान्तिपूर्ण ढंग से अपना आन्दोलन चला रहे थे। 15 दिसम्बर को उनके समर्थन में सम्पूर्ण जौनपुर बन्द रहा। जौनपुर की बाजार बन्द रही। जनता ने उसके समर्थन में कामकाज बन्द रखा। 17 दिसम्बर को कालेज के कैंपस में अपने रिवाल्वर और बाहर से चम्पारन और बिहार से बुलाये हुए 15 गुंडों को साथ लेकर उन लड़कों पर गोलियां बरसाई। वे सभी अपराधी लोग एवं प्राचार्य महोदय 307 भा0 द0 वि0 के जुर्म में मौके पर ही बन्दी बनाये गये। इसके बाद भी प्राचार्य वहीं रहेंगे, मान्यवर, चाहे जो भी हरकत करेंगे? आज भी वह विद्यालय बन्द है। टी0 डी0 महाविद्यालय आज भी वहां पर बन्द है। पठन-पाठन नहीं हो रहा है। मान्यवर, यह जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता पक्ष वालों की ही है। इस ओर विशेष ध्यान दें। उनके ऊपर इसी तरह पूर्व के आपराधिक चार्जेज और भी हैं। पावन विद्यामन्दिर में प्राचार्य के रूप में एक अपराधी बैठे, इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिये।

मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यहां पर कहा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के उत्तर देने के समय, जब वह बोल रहे थे, कि मल्लाह, जलजीवी और अन्य लोगों के लिए हमने यह योजना दी है कि तालाब, पोखरा और अन्य जल प्रणालियों का उनको पट्टा दिया जायेगा और ठेकों में तथा नीलामियों में उनको वरीयता दी जायगी। मान्यवर, मैं यहां पर जनपद बहराइच का दृष्टान्त बताना चाहता हूं कि वहां पर गांव सभा के निवासी मछुआ एवं मल्लाहों का फर्जी तरीके लगाकर नानपारा तहसील में 4 गांव धरमापुर, सेमरी मलमका, हरखापुर और उर्रा में 20 हजार रुपया घूस लेकर घर में चुपके से बैठकर फर्जी नीलामी कर दी गई और मान्यवर, यह नीलामी अहदम खां और बाबू खां के कुनबे, जो पीलीभीत के रहने वाले हैं, के नाम किया गया। इस एलाटमेंट को कैंसिल करने के लिये मेरे द्वारा बराबर लिखा एवं कहा जा रहा है। जिलाधिकारी कहते हैं कि गलत तो हुआ है हम कार्यवाही करना चाहते हैं लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, नहीं कर पा रहा हूं। वह मजबूरियां क्या हैं मुख्य मन्त्री जी, राजस्व मन्त्री जी यह देखें उनकी क्या मजबूरियां हैं और उन मजबूरियों को हटा कर अपनी घोषणा का पालन करवायें। मान्यवर,

[श्री जटा शंकर सिंह--]

इसके साथ में आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस बजट को जो जन आकांक्षाओं के विपरीत है, गरीब विरोधी बजट की संज्ञा देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक चीज निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस सामान्य चर्चा का आखिरी दिन है और अधिकतम लोग बोलना चाहते हैं इसलिये मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि जो बोलने का समय 10 मिनट रखा गया था वह घटाकर 7 मिनट कर दिया गया है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं । मान्यवर, अगर सूची के माध्यम से बुलाते हों तो उसमें हमारा प्रथम नम्बर होगा । मैंने कई बार बोलने का प्रयास किया और मान्यवर, मैंने पार्टी में सामान्य चर्चा पर बोलने के लिये कहा था । जो पार्टी की तरफ से नाम आये उनमें अन्य लोगों का नाम आपने लिये लेकिन मान्यवर, क्या कारण है कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं है लेकिन जो लिस्ट प्राप्त हुई, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि वह लिस्ट मेरी सुविधा के लिये है और निश्चित रूप से आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं वरिष्ठ तो नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं विराज तो रहा हूं । मान्यवर, आपकी इच्छा के विरुद्ध कौन बोल पायेगा ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 1982-83 के वार्षिक बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं और जो बजट माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने रखा है उस बजट को देखने और पढ़ने के बाद हमारे विपक्ष के सदस्यों की तरफ से जो उत्तर आये हैं, जो टीका टिप्पणी या आलोचना हुई उससे अपने को अलग करते हुये, कोई आरोप न लगाते हुये यह कहना चाहूंगा कि शायद स्वस्थ परम्परा होती तो उसमें बढ़कर सुधार की तरफ रास्ता दिखलाते, रोशनी दिखाते जिससे हम लोगों को राह मिलती और जनता का हित होता । उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ विपक्ष की तरफ से कहा गया शायद उन्होंने बजट को उस बात को नहीं देखा जो चीनी, सीमेंट, वनस्पति है, सस्ता कपड़ा है, खाद्यान्न है । मान्यवर, 1978-79 और 1979-80 की तुलना में 1980-81 में कितना वृद्धि हुई है । चीनी में 22.9 की वृद्धि पिछले बजट के

मुकाबले हुई है । बनस्पति तेल में 36 प्रतिशत, सीमेंट में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सूती वस्त्र 1979-80 में 1897 लाख मीटर कपड़ा बनता था जो नये बर्ष में 2069 लाख मीटर बना है, जो 7.4 प्रतिशत की वृद्धि होती है । इसी प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस वृद्धि को देखते हुये जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह जनहित में गरीबों के विकास के लिये और प्रदेश के विकास के लिये निश्चित रूप से होगा जिसके सम्बन्ध में विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को कम से कम बताना चाहिये था ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से आई0 आर0 डी0 और एन0 आर0 ई0 सी0 कम्पोनेन्ट तथा स्पेशल कम्पोनेंट आदि कई योजनायें जनता और हरिजनों को राहत पहुंचाने के लिये चलाई हैं लेकिन इसका उन्होंने जवाब दिया कि यह हरिजनों के नाम पर झूठा ढिंढोरा पीटा गया है । आज भी विरोध पक्ष के सदस्य यहां डेढ़ घंटे हरिजनों के नाम पर बहस करते रहे । इससे हरिजनों से इनका कितना लगाव है उसको यहां पर कहने से समझ में नहीं आयेगा । यदि उनसे लगाव है तो उनके लिये समयबद्ध तरीके से कोई योजना तैयार करके उनको सुविधा बाहर पहुंचावें । उनके बारे में आपका जो विचार है वह सब हरिजन अच्छी तरह से जानते हैं । बहरहाल, बजट प्रस्तुत करने के बाद विरोध पक्ष की तरफ से केवल आरोप आये हैं कि भ्रष्ट हैं, नीच हैं, चरित्रहीन हैं, और चोर एवं अमानवीय हैं जो कि अच्छी परम्परा नहीं है । इसकी जगह पर बजट में कोई सुधार के सुझाव देते तो वह इन्होंने नहीं दिये हैं । किसी मन्त्री को चोर कहना, चरित्रहीन और भ्रष्ट कहना ठीक नहीं है और यदि कहना है तो स्पेस्फिक तरीके से कहें तो श्रीमती इन्दिरा गांधी इनको छोड़ने वाली नहीं हैं । प्रेस वाले अपका नाम डाल दें इसलिये यह लोग निराधार बातें यहां कहते हैं । आज ही डेढ़ घंटे हाऊस नहीं चलने दिया, मन्त्री के ऊपर आरोप लगाकर हाऊस न चलने दें तो यह इसलिये करते हैं कि जिससे इनका नाम अखबार में आ जाय कि उन्होंने हाऊस नहीं चलने दिया । इसलिये आप अपने पद का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, न जनता की सेवा ही कर रहे हैं और न अपने क्षेत्र के सुधार के सम्बन्ध में यहां सदन में कोई कार्यक्रम ही रखकर मांग किया है । इस प्रकार की आपकी कोई नीयत नहीं है । मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं परन्तु आरोप प्रत्यारोप सुनता रहा । मान्यवर, इधर से कोई बात नहीं कही गयी ।

एक पत्र मुजफ्फरनगर-किराना जांच आयोग का पढ़ा गया । उस आयोग ने अपनी फाइन्डिंग में लिखा था जो "राजनैतिक उपयोग" के सम्बन्ध में है :--

> "इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करने के पूर्व इस बात का खेदपूर्वक उल्लेख करना पड़ रहा है कि जांच के अधीन मामलों के विभिन्न पहलुओं एवं साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ करने अतिशयोक्तियों तथा असत्य बातों का समावेश कुछ स्वार्थी नेताओं द्वारा अथवा उनके कहने पर किया गया है । इन नेताओं को उक्त दुखद घटनाओं से प्रभावित जनता की मुसीबतों के फलस्वरूप अपने निजी लोकप्रियता को बढ़ाने तथा राजनैतिक भविष्य बनाने और अपने राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों को बदनाम करने के लिये एक सुनहरा मौका "जीवन में एक बार" मिल गया जिससे सत्य को सुनिश्चित करने का कार्य अत्यधिक कठिन हो गया है ।"

इस प्रकार की टिप्पणी जो जांच आयोग की है उसने अपनी फाइंडिंग्स में लिखी है । मान्यवर, अपनी फाइंडिंग्स में आयोग ने लिखा है कि "इस आरोप का उद्देश्य उनकी धार्मिक भावनाओं को उभाड़कर भविष्य में होने वाले निर्वाचनों के लिये उनका समर्थन प्राप्त करना और प्रशासन को बदनाम करना था ।"

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मुईद अहमद--

अभी 2, 3 मिनट बाकी हैं ।

मान्यवर, अन्त में मैं एक बात और पढ़ देना चाहता हूं । चौधरी चरण सिंह, श्री राम नरेश यादव, श्री कृपा नारायण पर इस बात के लिये जोर डाल रहे थे कि वे उन सभी उचित अथवा अनुचित साधनों को अंगीकृत करें ताकि वर्तमान जांच का फैसला जनता के पक्ष में सुनिश्चित हो सके क्योंकि यह उनके राजनैतिक लाभ के हित में होगा । उक्त परिस्थितियों में यह जानकर दुख होता है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के उच्चासीन पद की अवहेलना करते हुये फिर भारत सरकार के गृह मंत्री तथा अन्त में देश के उस स्पृहणीय पद को धारण करते हुये जो प्रधान मंत्रित्व का है विशेषतया उस समय जबकि वर्तमान जांच भारत सरकार के गृह मंत्री होने की अवधि में बैठायी गयी थी, श्री चरण सिंह, ने अनुचित एवं आपत्तिजनक साधनों को अपनाकर पक्षपातपूर्ण फैसले को प्राप्त करने के सुझाव देकर न्यायक्रम में प्रतिकूल प्रभाव डालने हेतु पीठ पीछे प्रयास किये ।" मान्यवर, इस प्रकार की टिप्पणी आयोग ने की है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, एक मिनट की आज्ञा दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री मुईद अहमद--

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह चीजें फाइंडिंग्स में आ गयी हैं इसके बावजूद भी आप निराधार आरोप लगाते हैं जो उचित नहीं है । मैं अन्त में इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, 1982-83 के बजट को मैंने गौर से पढ़ा । यह बजट अत्यन्त निराशाजनक है, किसान और मजदूर विरोधी है । उत्तर प्रदेश के सामने जो बहुत सी ज्वलंत समस्यायें हैं उन समस्याओं में से किसी भी समस्या का समाधान इस बजट में नहीं है । जहां तक कानून और व्यवस्था की बात है वह तो धरातल में चली गयी है ।

प्रदेश के अन्दर दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है । ऊपर से लेकर नीचे तक विशाल रूप में व्यापक भ्रष्टाचार है । किसी भी समस्या का समाधान इस बजट में नहीं है । मान्यवर, प्रदेश के वित्त मंत्री यहां पर घोषणा करते हैं कि प्रदेश के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और उधर के बैठने वाले मेजें थपथपाकर उनकी घोषणा का स्वागत करते हैं ।

पिछले वर्ष के बजट पास होते ही आपने मालगुजारी बढ़ायी, खाद के दाम बढ़ाये, डीजल के दाम बढ़ाये, आबपाशी के दाम बढ़ाये और दो बार बस का किराया बढ़ाया गया। इन सब चीजों का सम्बन्ध सामान्य जनजीवन से होता है।

आपने मान्यवर पढ़ा होगा कि 27 फरवरी को संसद में बजट पेश होगा और वहां भी बजट पास होने से पहले ही एक अरब का टैक्स लगाया गया है। मान्यवर, 31 मार्च के बाद वित्त मंत्री भी नये टैक्स लगाने का कार्य शुरू करेंगे। मान्यवर, आशा थी कि इस बजट में किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। उनकी खाद, पानी, डीजल, सस्ते दामों पर मिलेगा बेरोजगारी कम होगी, लेकिन ऐसी कोई बात बजट में नहीं है। एक नयी बात जो बजट में देखने में आयी है वह है एक नया नारा 'श्रमेव जयते' जो मुख्य मंत्री जी ने परिष्कृत भाषा में सदन के सामने रखा है। मान्यवर, इस देश और प्रदेश में श्रम तो किसान करता है खेतों और खलिहानों में और कल-कारखानों और कार्यशालाओं में मजदूर करता है, लेकिन यह करते हुए इन्हें 30-32 साल गुजर गये, फिर भी वह आज भी गरीबी की रेखा से नीचे ही हैं और आज भी पेट भर भोजन और तन ढकने को कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस प्रकार के केवल थोथे नारों से क्या होगा, इससे पहले भी एक नारा हिन्दुस्तान में गूंजा था कि "गरीबी हटाओ" लेकिन इस पर आज तक क्या हुआ, यह सभी जानते हैं। इसी तरह का आज एक नया नारा और निकाला गया है 'श्रमयेव-जयते,' इससे क्या होने वाला है, केवल इन गरीबों को गुमराह करने के सिवा और कुछ नहीं है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है।

माननीय मंत्री श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने कहा, जो इस समय यहां पर उपस्थित नहीं हैं, उन्हीं से सम्बन्धित एक बात थी, जैसा कि माननीय वित्तमंत्री के बजट भाषण व शांति एवं व्यवस्था के शीर्षक में लिखा है कि "राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखना सरकार का प्रमुख कर्त्तव्य है। क्षुद्र साम्प्रदायिकता को समूल नष्ट करने, निर्बल वर्ग के प्रति अत्याचार को समाप्त करने और जन साधारण के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए हम कटिबद्ध हैं।" तो मान्यवर यदि इसी तरह की कटिबद्धता माननीय गृहमंत्री जी की चलती रही तो मैं समझता, हूं कि आईन्दा आने वाले समय में एक समय ऐसा आयेगा कि जब देश व प्रदेश की जनसंख्या की समस्या अपने आप ही सुलझ जायेगी क्योंकि जिस प्रकार से आज हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक कत्लेआम हो रहे हैं और विशेषकर हरिजनों, दलित वर्ग के लोगों के हो रहे हैं और किसी को कहीं देखने को नहीं मिलेंगे जैसे कि नवम्बर में देबली, दिसम्बर में सादूपुर और अभी जनवरी में पलतुआ गांव, आगरे में हुयी और मैं भगवान से मनाता हूं कि फरवरी में कुछ न हो। यह सिलसिला बहमई काण्ड से, कुंवरपुरा, एटा आदि से बराबर होता चला आ रहा है और सारे काण्ड हरिजनों से ही सम्बन्धित हैं। इसी सम्बन्ध में एक अखबार की पंक्ति बहुत ही रिलेवेंट होगी, जो 'हिन्दुस्तान टाईम्स' के करेस्पोंडेंट, मिस्टर आई0 एच0 नकवी, 24 जनवरी, 82 को सन्डे मैगजीन में लिखते हैं :— जिसका शीर्षक है

"यू0 पी0'ज इयर आफ दि डकैट्स"

"1981 बिल बी रिमेम्बर्ड इन उत्तर प्रदेश ऐज दि इयर आफ मास किलिंग्स। नेवर बिफोर इन दि क्राइम हिस्ट्री आफ दि स्टेट वेयर सो मेनी पीपुल किल्ड इन कोल्ड ब्लड बाई डकैट्स ऐज इन दि इयर जस्ट गान बाई," इसका तर्जुमा यह है कि "1981 का वर्ष उत्तर प्रदेश में सामूहिक हत्याओं के वर्ष के रूप में याद किया जायेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के अपराधों के इतिहास में इससे

[श्री नरेन्द्र सिंह—]

पूर्व कभी भी डकैतों द्वारा इतनी निर्मम हत्यायें नहीं हुयी हैं जितनी कि हाल में गुजरे वर्ष में ।"

लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर बड़ा संतोष व्यक्त किया है और कहा कि इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि अपराधों की स्थिति अब संतोषजनक चल रही है, लेकिन मान्यवर, पूरा प्रदेश जानता है कि कोई भी नामवर डाकू या इनलिस्टेड डाकू न मारा गया है और न पकड़ा ही गया है ।

और यह अपराध दिनोंदिन बढ़ने का एक मात्र कारण यह भी है जहां और कारण है कि इन डाकुओं और अपराधियों को चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर के बैठने वाले, जब तक शरण देते रहेंगे, उनके संरक्षण में इनका हाथ रहेगा, तब तक यह समस्या सुलझने वाली नहीं है ।

(व्यवधान)

हाल ही में जिला मुजफ्फरनगर में 15-20 बदमाशों को पुलिस ने छापा मारकर पकड़ा, उनमें से एक जिला कांग्रेस के अधिकारी थे । निश्चित रूप से उस जिले के विधायक और मंत्री उन्हें संरक्षण देने में शामिल हैं ।

(सदन की बिजली चले जाने के कारण व्यवधान)

बुन्देलखंड, एटा, मैनपुरी, इटावा उनको छोड़ दीजिये में मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूं । बेदखली के दावे वहां होने बन्द हो गये क्योंकि वहां पर एस0 पी0 कुछ नहीं बोल सकता था, कलेक्टर कुछ नहीं बोल सकता था ।

(सदन की बिजली चले जाने के कारण व्यवधान)

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण और यह बजट भाषण जो 35 पृष्ठ का पोथा है, इसमें किसी समस्या का हल नहीं है । इस सारे प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है । नीचे से ऊपर तक मन्त्रि-परिषद् तक भ्रष्टाचार व्याप्त है । एक साफ और स्वच्छ प्रशासन देने के बारे में इस लम्बे भाषण में कुछ नहीं है और न राज्यपाल के भाषण में कुछ है ।

उधर से एक सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं । इस सम्बन्ध में श्री बी0 के0 नेहरू, जो आजकल गवर्नर हैं जम्मू काश्मीर के, मैं उनके दो वाक्य पढ़ना चाहूंगा, जो उनके 24 दिसम्बर के मद्रास में दिये गये भाषण में उन्होंने कहे हैं—

"एन अकमफर्टेबली लार्ज नम्बर आफ पालिटिशियन्स एण्ड मिनिस्टर्स आर करेप्ट करप्शन इज युनिवर्सल इन दि लोअर रैंक्स आफ दि पब्लिक सर्विसेज इटहैज एफेक्टेड दि मिडिल रैंक्स एज वेल एण्ड इज नाऊ इनफैक्टिंग दि अपेक्स आफ आवर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर—दि आल इण्डिया सर्विसेज—व्हिच यूज्ड एट वन टाइम टु बी लाइक सीजर्स वाइफ, होललो अबव, उसपोसियन दि कौनसीक्वेन्स इज ऐबनीयेशन आफ दि रुल आफ ला" ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

आपको इसका अनुवाद बता दूं । वे आगे कहते हैं--

"इट इज इन्ट्रेस्टिंग, ऐज ऐन इनडैक्स टु दि काइन्ड आफ परसन्स हू नाऊ वोल्ड पावर, दैट इन वन पर्टिकुलर स्टेट नो लैस दैन ए थर्ड आफ दि लेजिसलेचर्स आर इनवाल्व इन क्रिमिनल केसेज आफ वन टाइप आर दि अदर"

इसका हिन्दी अनुवाद हुआ--

"राजनीतिज्ञों तथा मन्त्रीगण की बहुत बड़ी संख्या भ्रष्ट है । नीचे के स्तर की सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार विश्व व्यापी है । उसने मध्य वर्ग के नौकरियों को भी प्रभावित किया है और अब यह रोग सर्वोच्च सेवाओं--जैसे कि आई0 ए0 एस0 में भी फैल गया है जो एक समय सीजर की पत्नी की तरह सन्देह से ऊपर मान जाते थे । परिणाम यह हुआ कि कानून का राज्य नहीं रहा ।"

उन्होंने आगे कहा है कि--

"यह देखना बहुत रोचक है कि किस प्रकार के व्यक्ति आज सत्ता में हैं और एक विशेष राज्य में कम से कम एक तिहाई विधायक किसी न किसी अपराध में लिप्त हैं ।"

मान्यवर, यह बात निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में है । आपके हाथों में गरीबों का हरिजनों का खून लगा है । अगर आप 10 वर्ष तक गंगा में खड़े होंगे तो भी उस खून को धो नहीं पायेंगे ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं बजट के समर्थन में बोलना चाहता हूं और उस बजट के जो कि हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, सर्वप्रथम तो मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कोई नया कर जनता के ऊपर नहीं लगाया है ।

कई सदस्य--

नहीं लगाया है तो लगा देंगे ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

मान्यवर, उस पर भी जब कोई कर नहीं लगाया गया है तो हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य फिर भी आंसू गिरा रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । मान्यवर, मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तीन-चार दिनों के अन्दर ही कुछ बड़े काम किये हैं जिससे प्रदेश का नाम बहुत ऊंचा हो गया है । मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों को मालूम हो जाय कि अभी सरकार ने एक उपग्रह छोड़ा है और उस उपग्रह की स्थापना के लिये प्रयास किया है । यह प्रदेश के विकास के लिये बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है । उपग्रह का सम्बन्ध सीधे हमारे नियोजन से है ।

[श्री ओम प्रकाश जिन्दल--]

उससे हमारे प्रदेश के विकास के सब काम हो सकेंगे । इससे हम जान सकेंगे कि कहां पर पानी अच्छा है और कहां पर खारा है, कहां-कहां कौन-कौन खनिज पदार्थ हैं इत्यादि । एक यह बहुत बड़ी बात हमारी सरकार ने की है ।

मान्यवर, अभी पिछले तीन-चार दिनों में ही हमारे प्रदेश के कुछ बड़े-बड़े डकैत जिन्हें कि हमारे विपक्ष के कुछ सम्मानित सदस्य संरक्षण दिये चले आ रहे थे, उनको हमारे बहादुर सिपाहियों ने, पुलिस के कर्मचारियों ने मार गिराया । मान्यवर, उनमें हमारे आगरा के आस-पास एक बहुत बड़ा गिरोह था भीमा का जिसने कि नियोर में कान्ड किया था और उस पर विपक्ष के लोगों ने चिल्ला-चिल्ला कर कहा था कि सरकार भीमा को क्यों नहीं पकड़ती है । लेकिन उसके चार दिन के बाद ही पुलिस ने उसको मार गिराया । अभी कल ही शिवराज सिंह के नाम के डाकू को जो कि छविराम के गिरोह का दाहिना हाथ था उससे पुलिस की मुठभेड़ हुई और उसे पुलिस ने मार गिराया । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि उन डकैतों को संरक्षण कौन देता है ? कहीं हमारे ब्राह्मणों को और कहीं अनुसूचित जाति के लोगों को कत्ल करते हैं, कहीं बलात्कार करवाते हैं, कहीं उनसे डकैती डलवाते हैं । मान्यवर, विपक्ष बराबर लम्बे-लम्बे आरोप लगवा रहा है । आप देखेंगे कि हमारे जिले के अन्दर उन्हें लोक दल के सदस्य जो कि बराबर डकैतों को संरक्षण देते चले आ रहे हैं जिसकी वजह से वहां के लोगों का कत्ल किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है और डकैतियां डलवाई जा रही है । जो सदस्य डकैतों को संरक्षण देते हैं वह हैं लोकदल के महाराजा रिपुदमन सिंह । मान्यवर, आप देखेंगे कि वह राजा कैसे बने ?

मान्यवर, जब स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में जब देश में हमारे बड़े-बड़े क्रान्तिकारी लोग जो देश की आजादी के लिये लड़ रहे थे तो अंग्रेजों के सामने जब छोटे-छोटे आदमी कन्धों पर हल रख कर उसे ले जाते थे तो अंग्रेज पूछता था कि तुम कौन हो । तो वह कहते थे कि हम आपके क्रान्तिकारी हैं और इतने क्रान्तिकारियों को मार कर आपके सामने आये हैं । तब अंग्रेज कहता था कि अच्छा क्रान्तिकारी है । तो हल को दिखाते हुए ये कहते थे कि हमने सबको इस हथियार से मारा है तो अंग्रेज खुश होकर उनको जमीन और जागीरें देता था । तो यह उस वक्त के क्रान्तिकारियों में से हैं जिनको कि अंग्रेजों ने जागीर दे कर राजा बनाया है क्योंकि इन्होंने उस समय देश के खिलाफ काम किया था । अब आप डकैतों को संरक्षण दे रहे हैं । डकैतों को संरक्षण दे कर आप जनता को लुटवाते हैं, बलात्कार कराते हैं ।

मान्यवर, इसको देखना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्री जिन्दल, क्या जो सदस्य सदन में मौजूद नहीं हैं, उनके बारे में चर्चा हो सकती है ?

श्री ओम प्रकाश जिन्दल---

सदन के मेम्बर हैं, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन के मेम्बर हैं और सदन में मौजूद नहीं हैं तो क्या उनको पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिलेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

इसको कार्यवाही से निकाल दिया।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

ठीक है, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं आपका ऐसा करना विषयान्तर था ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

डाकुओं को कौन संरक्षण देता हैं, यह तो मालूम होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं यह प्रेक्टिस गलत हैं । आप गलत प्रेक्टिस डाल रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

मान्यवर, देश की प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की हैं और हमारी सरकार ने अपने बजट में उसे पूरी करने की घोषणा की है, यह बहुत बड़ा काम है । अनुसूचित वर्ग के लोग, हरिजन समाज के लोग जो हैं, उनको विशेष सुविधा, बिजली की सुविधा, पेयजल की सुविधा मिलेगी । उनकी समस्यायें हल होंगी और ग्रामों का विकास किया जायेगा ।

सेल्सटैक्स के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं, मान्यवर । पिछली सरकार ने सेल्सटैक्स समाप्त करने की बात कही थी लेकिन वह समाप्त नहीं कर पायी था । मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम चाहे सेल्सटैक्स समाप्त न हो लेकिन उसका सरलीकरण होना चाहिये ताकि व्यापारियों को कुछ राहत मिल सके ।

वेतन आयोग की संस्तुतियों को मान कर हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और जिन कर्मचारियों को 290 रुपये बेसिक वेतन मिलता था उनका अब 305 रुपया बेसिक वेतन हो जायेगा ।

एक बात मान्यवर, मैं मेडिकल के बारे में कहना चाहता हूं । वैसे तो हमारी सरकार ने उसमें बहुत कुछ सुधार किया है लेकिन मैं इस बात की पुरजोर सिफारिश करता हूं कि डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगानी चाहिये, उसके लिए कोई न कोई कानून, व्यवस्था करनी चाहिये नहीं तो हमारे समाज के जो गरीब आदमी हैं उनको मेडिकल एड नहीं मिल पायेगी ।

मान्यवर, 1979 से आज तक डकैती के जो आंकड़े हैं उससे मालूम होता है कि उसमें 25 से 30 प्रतिशत की घटती है । 79 में 3650 डकैतियां पड़ीं और 1981 में 2858, इसी प्रकार 79 में 7003 लूट मार हुई और 81 में 3506 । इसी प्रकार राहजनी में भी कमी हुई है । इसी प्रकार आप देखें मान्यवर, पहले से अब की स्थिति, शांति व्यवस्था काफी अच्छी है ।

भावों में, दालों के भावों में 10 प्रतिशत की गिरावट आयी है पिछले साल से ।

[श्री ओम प्रकाश जिन्दल--]

कृषि विभाग के संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं । हमारे यहां पिछली सरकार ने, जब माननीय राम नरेश यादव जी मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक अधिकारी काम करते थे उनको आई0 ए0 एस0 बनवा दिया और उसके बाद उनको हार्टीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के अन्दर ही आता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनवा दिया । ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के बाद, उनके जो कर्मचारी थे, उनके मातहत थे या उनके समकक्ष थे, या सीनियर थे, उनसे वह सीनियर हो गये और उन्होंने उनसे बदला लेना शुरू कर दिया । इसलिए मैं यह चाहूंगा कि वह डाक्टर रमेश यादव, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिये और मैं अपनी सरकार से यह चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर से होकर आई0ए0 एस0 बना है, उसको उसी डिपार्टमेन्ट में ही पोस्ट नहीं करना चाहिये उसको कहीं और पोस्ट कर देना चाहिये । इसलिए मान्यवर, . . .

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया । (श्री जिन्दल के न रुकने पर) माननीय जिन्दल, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

आगरा में, जब हमारी सरकार थी तो सौन्दर्यीकरण योजना पर, यमुना नदी पर एक बैराज बनाने की घोषणा की थी । लेकिन जब जनता सरकार आई तो वह बैराज बनाने की योजना खटाई में पड़ गई थी और उसकी वजह से पेयजल की समस्या और बहुत सी समस्यायें उठ खड़ी हुई अतः मेरा निवेदन है कि इन चीजों को देखते हुए यमुना नदी पर बैराज बनाना चाहिये । दूसरी चीज यह है कि भारत में एशियन गेम्स होने जा रहे हैं इसलिए आगरा में लाखों की संख्या में पर्यटक आयेंगे इसलिए उसका सौन्दर्यीकरण होना चाहिये और सड़कों के रख-रखाव के लिए और बहुत सी नागरिक सुविधाओं के लिए इस बजट में कुछ ज्यादा प्राविधान होना चाहिए । अब मैं मान्यवर, अपनी बात को समाप्त करते हुए बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो इस बजट पर चर्चा हो रही है उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैंने पिछले 9 सालों से जनता सरकार और कांग्रेस सरकार के बजट देखें । यह पहला बजट है जिससे न किसी गरीब को फायदा हो रहा है, न किसी हरिजन को फायदा हो रहा है, न किसी देहात के जीवन को लाभ पहुंच रहा है और न शहर में रहने वालों को ही लाभ पहुंच रहा है । इसलिए यह बजट दिशाहीन और सारहीन बजट है ।

इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारे उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया है कि वे यहां की जनता की सुरक्षा के लिए जागरुक हैं और जागरूक हैं यहां की जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए और जितने भी माननीय सदस्य उधर से बोलते हैं वे सारे के सारे देवली और साढूपुर कांड की चर्चा अवश्य करते हैं । वह यह कहना चाहते हैं कि हरिजनों के साथ जो उत्पीड़न हुआ है उसका उन्होंने मुकाबला किया है और जो भी सदस्य बोलते हैं वह श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम जरूर लेते हैं । श्रीमती इन्दिरा गांधी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नाम के बगैर वह अपना भाषण समाप्त करना नहीं चाहते हैं। हमारे सत्ता पक्ष के लोग यह भूल जाते हैं कि जिस दिन इन्दिरा गांधी इस प्रदेश में सुरक्षा का आश्वासन दे रही थीं उस दिन साढ़ूपुर कांड हुआ और जिस दिन 21 नवम्बर को राजीव गांधी कानपुर में तशरीफ लाये उससे दो ही दिन पहले देवली कांड हो चुका था। इस तरह से इनके दो नेता जब आये तो दो कान्ड हुए।

यह वर्ष सामूहिक नरसंहार का सबसे बड़ा वर्ष है, कलंक का वर्ष है। जिस प्रकार इन्हीं के राज्य में पिछला साल बलात्कार का वर्ष था उसी तरह से यह वर्ष सामूहिक नर संहार की वजह से गूंज रहा है और यह घोषणा करते हैं कि हम जनता की सुरक्षा के प्रति जागरुक हैं। मान्यवर, मुझे आपके माध्यम से अनुरोध करना है कि सत्ता पक्ष के लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी हालत से उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। इनका केवल एक ही मकसद है कि चाटुकारिता के बूते पर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी तरह से अपनी कुर्सी बचाये रहें। यह 'रविवार' है 6 तारीख का इसमें दिया है कि एक सांसद की दो करोड़ रु0 की कानपुर यात्रा। इसमें मुख्य मंत्री जी ने अपना भाषण दिया। माननीय राजीव गांधी भी वहां मौजूद थे। इसमें एक शब्द भी उन्होंने हरिजनों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जब कि दो दिन पहले ही देवली कांड हो चुका था। वहां पर जो चाटुकारिता के शब्द उन्होंने कहे थे उससे उत्तर प्रदेश की सारी जनता का सर शर्म से झुक जाता है। आपकी इजाजत से उसे पढ़ देना चाहता हूं। यह 6 दिसम्बर, 1981 का 'रविवार' है "दीपक द्वारा सूरज की स्तुति"।

राजीव गांधी की कानपुर यात्रा के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जो भाषण दिया वह अक्षरशः उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत है। "जिस तरह धमनियों में खून के संचार से शरीर चुस्त हो जाता है उसी तरह आज हम सब के पूज्य नेता श्री राजीव गांधी के कानपुर आगमन से उत्तर प्रदेश के लोगों में चुस्ती आ गयी है। मैं मुख्य मंत्री वगैरह कुछ नहीं हूं, मैं तो राजीव जी का एक सिपाही हूं। वह मेरे सेनापति हैं। हिमालय से गंगा सागर को गंगा ही नहीं बल्कि श्री राजीव गांधी भी जोड़ते हैं। नेहरू परिवार सोने की खान है, जहां से सोना के अलावा कुछ नहीं निकलता। राजीव जी सिर्फ हमारे नेता ही नहीं बल्कि हृदय सम्राट भी हैं। इनके तेज के आगे सूर्य व चन्द्रमा दोनों ही बेकार हैं। मेरी इनसे प्रार्थना है कि वे हमेशा हम सबका नेतृत्व करके हमें दिशा देते रहें।"

मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री ने वहां देवली कांड के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जब कि दो दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में नर संहार हो चुका था। चाटुकारिता में तो उन्होंने अपने नेता श्री नारायण दत्त तिवारी को भी पीछे छोड़ दिया। पिछड़े वर्ग की बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन इस बजट में एक शब्द भी उनके लिए नहीं है।

गन्ना मूल्य के बारे में सरकार की तरफ से बार-बार कहा गया कि किसानों को गन्ने का पूरा मूल्य मिलेगा लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद में 7 व 8-8 और 9 रुपये क्विंटल तक गन्ना बेचने के लिए किसान बाध्य हो रहे हैं। हमारे जनपद में तीन बदमाशों को जनता ने मार गिराया लेकिन उनकी बहादुरी के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। न मालूम गलत मुठभेड़ दिखला कर कई सौ लोग मारे जा चुके हैं। बख्शी जी को चाहिए कि वे शान्ति व्यवस्था की स्थिति को सुधारने का प्रयास करें।

*श्री रूप राम—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने माननीय वित्त मंत्री श्री ब्रह्मदत्त जी द्वारा 82-83 का बजट पेश करने पर जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज इस पर चर्चा का पांचवा दिन है। मैंने सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के सदस्यों को भी सुना। सरकार चाहे जनता पार्टी की रही हो या कांग्रेस पार्टी की रही हो, मसला सबका एक सा है। दोनों पक्ष यही चाहते हैं कि गरीबों का उद्धार करें, हरिजनों की हिफाजत करें। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि फिर इसमें कारण क्या है कि वह हो नहीं पा रहा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सारी सूचना देने वाले, सारे काम करने की जो हमारी मशीनरी है, आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, या पी० सी० एस० हैं उनको बधाई देनी चाहिए क्योंकि बजट को तैयार उन्होंने ही किया है। श्री ब्रह्मदत्त जी का तो नाम ही नाम आया है लेकिन तैयार तो बजट उन्होंने किया है इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है नेता विरोधी दल से, अन्य दलों के नेताओं से और माननीय मुख्य मंत्री जी के मंत्रिपरिषद् के जितने सदस्य हैं उनसे और अपने साथी सब विधायकों से कि हम लोगों का समय पांच साल का है और हम लोग पांच साल तक यहां पर कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं और चले जाते हैं। चुन कर फिर आते हैं या नहीं आते हैं। तो यह आई०-ए० एस० और पी० सी० एस० और आई० पी० एस० का जो तबका है उन लोगों के लिए भी कोई संविधान होना चाहिए कि अगर पांच साल में तुम ने काम नहीं किया तो इसी तरीके से तुम्हारी भी सेवायें अस्थायी की जा सकती हैं। यह होना चाहिए तब ही इस प्रदेश का और इस देश का कल्याण हो सकेगा। यह हमको आगे नहीं बढ़ने देता है।

हम जितने भी विधायक चुन कर आते हैं सब एक भावना लेकर आते हैं कि हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश, हमारा देश, जिला तहसील और गांवों का विकास हो। यही भावना लेकर आते हैं और कोई काम लेकर के नहीं आते। तो मेरी समझ में यह नहीं आता है कि हम इतना धन बजट में पास करते हैं और वह जब जिलों में जाता है तो खर्च नहीं हो पाता। वह धन ज्यों का त्यों पड़ा रहता है और उस के ऊपर ब्याज हम को देना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इनके ऊपर भी ऐसा कानून बनाया जाय कि आपकी सेवा अस्थायी है, आप परमानेन्ट नहीं हैं।

मान्यवर, जब कोई भी बजट बनता है तो ऐसा मालूम होता है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वे सो जाते हैं। हमारे जिले शाहजहांपुर की बात है। पूर्वी क्षेत्र वाले समझते हैं कि यह पश्चिमी क्षेत्र में है और पश्चिमी क्षेत्र वाले समझते हैं कि यह पूर्वी क्षेत्र में है यह जिला त्रिशंकु बना हुआ है। इस जिले का कहीं भी कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो शासन से यह चाहता हूं कि जनपद शाहजहांपुर को यू० पी० से निकाल दे या और किसी प्रदेश में जोड़ दे जिससे कि इस जिले का भी विकास हो। 33-34 के शासन में इस जनपद में आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ कि जिस। इस जनपद का भविष्य उज्जवल होता है और यहां के लोग यह जान पाते कि हमारे जनपद के जिन तीन शहीदों, राम प्रसाद बिस्मिल, अश्फाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, जिन्होंने जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी थी, जिनको लेकर वे शहीद हुये थे, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुये सरकार ने इस जनपद में कोई कार्य किया है, जिसकी हम आज सराहना करते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इसी सम्बन्ध में इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे पुवायां में सन् 76 से चीनी मिल प्रस्तावित थी और हम इस बात के लिए वचनबद्ध थे कि अगर चीनी मिल पुवायां में मंजूर की जाय तो जितने शेयर हैं उनको तीन महीने के अन्दर देने के लिए तैयार हैं। हमारे पुवायां क्षेत्र में, हमारे विकास क्षेत्र बन्डा में ही, 40 हजार कुन्तल प्रतिदिन गन्ना पेरा जाता है। समझ में नहीं आता कि सरकार की दुरंगी नीति क्या है। सरकार ने अन्य चीनी मिलों के लिए 21 रुपये कुछ पैसे का रेट दिया किन्तु हमारे यहां 15 रुपये का रेट दिया है। मैं अपने विधायक जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वहां 15 रुपये के रेट का आदेश है और इससे कम में यदि कोई गन्ना मिल खरीदेगा तो सरकार उनसे भी निपटने के लिए सक्षम है। मान्यवर, मैं अधिक न कहकर इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बजट ब्रह्मदत्त जी ने पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

[2 बजकर 55 मिनट]

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने 1982-83 के लिए जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसको मैंने पढ़ा और पढ़ने से इस नतीजे पर पहुंचा कि यह बजट परम्परागत रूप से तैयार किया गया एक डाक्यूमेन्ट है और इसमें कहीं भी जनता के लाभ की कोई अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। मान्यवर, यह जो सत्ता पक्ष है, इसका जन्म ही हिंसा, बूथ कैप्चरिंग तथा सत्ता के इस्तेमाल करने से हुआ है। इस सरकार से इस देश और प्रदेश के रहने वालों के लिए कोई अनोखी अथवा चमत्कारी चीज की आशा करना गलती होगी। इस सरकार से कुछ होने वाला नहीं है।

प्रदेश के अन्दर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यहां की 2/3 आबादी अर्थात् यहां के रहने वाले जो लोग हैं, वे गरीबी की रेखा के नीचे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनको दो वक्त भोजन नहीं मिल पाता है, शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, बीमारी हो जाय तो दवा-दारू के लिए पैसा नहीं है। इसके अलावा मान्यवर, भोजन के रूप में जो भी उनको खाने-पीने को मिलता है, उसमें इतनी मिलावट होती है कि जिसके कारण उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वे जन्म से ही बीमार होते हैं साथ ही कुपोषण के कारण वे जिन्दगी भर बीमार रहते हैं। यह सदी बीतने के बाद आगे आने वाली पीढ़ी में मान्यवर, लाखों की तादाद में लोग अपंग पैदा होंगे। किसी की आंख नहीं होगी तो किसी का पैर नहीं होगा। जहां तक अपने देश के रहने वाले रहनुमाओं का सवाल है, अधिकारियों का सवाल है, सत्ता और विपक्ष के लोगों का सवाल है आज उनमें चरित्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। विदेशों से जो आज मदद के तौर पर दूध आता है, कपड़ा आता है या गेहूं आता है, दलिया आता है, वह गरीबों को न मिलकर बड़े-बड़े अधिकारियों या जिनके हाथ में उसको बांटने की जिम्मेदारी दी जाती है, वे खुद इस्तेमाल करते हैं। यदि इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वे उसे बाजार में बेच देते हैं। इस तरह की हालत है जिसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिये।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में आज महंगाई बढ़ती जा रही है। सब लोग महंगाई से त्रसित हैं चाहे वे बाबू हों, मन्त्री हों या कोई गरीब स्तर का वाषित ही क्यों न हो। महंगाई सबके लिये है। जहां तक सत्ता में बैठने वाले लोगों का सवाल है, उनके लिये महंगाई इसलिये कम है क्योंकि दूसरे रास्तों से

[श्री प्रदीप कुमार यादव--]

उनकी आमदनी का जरिया मौजूद होता है। इस तरह से सबसे पहले इस बात पर विचार करना होगा कि देश और प्रदेश में बढ़ते हुये दामों को कैसे रोका जाय। आज महंगाई चरम सीमा पर है और जो जनोपयोगी वस्तुयें हैं उनका दाम सुरसा की भांति बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यह सदन में बैठकर बुनियादी मुद्दों पर विचार नहीं करते हैं। जब तक यहां विचार नहीं करेंगे तब तक इस देश और प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है। आज जरूरत इस बात की थी कि चीजों के दामों का बांधने के सवाल को लेकर इस सदन में लड़ाई होती और चीजों के दाम निर्धारित किये जाते जिससे हमारे लोगों की गृहस्थी में एक नया रास्ता आता लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है।

अपने प्रदेश में आज सबसे बड़ी समस्या कानून और व्यवस्था की है। कानून और व्यवस्था नाम की आज इस प्रदेश में कोई चीज नहीं है। आज प्रदेश में कोई कानून का राज्य नहीं है, न किसी पार्टी का राज्य है और न माननीय मुख्य मन्त्री जी का राज्य है, इनके हाथ में कोई शक्ति नहीं है मैं कहूंगा कि आज इस प्रदेश में इनकाऊंटर का राज्य है। पुलिस वाले मनमाने ढंग से दुश्मनी के बिना पर विरोधी लोगों से पैसा लेकर किसी को भी मुठभेड़ के नाम पर बगीचे में ले जाकर शिकार कर देते हैं। यह पुलिस जनता की सेवा के लिये बनाई गयी थी, पुलिस और जनता का सम्बन्ध जितना अच्छा होना चाहिये था, वह नहीं है। दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, जनता और पुलिस में कोई एक रूपता इस प्रदेश और देश में नहीं है। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि लोग पुलिस से घृणा करने लगे हैं क्योंकि जो काम बदमाश करते हैं, डाकू करते हैं वही काम पुलिस के अधिकारी भी कर रहे हैं दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया है। आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस और अपराधियों के प्रति जनता में फर्क मालूम हो। जब तक यह फर्क जनता को मालूम नहीं होगा तब तक इस देश और प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है।

आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि प्रदेश में तीन तरह के लोगों का गुट बना हुआ है इसमें भूतपूर्व सामंत, पुलिस वाले और सफेदपोश अपराधियों से मिलकर इस प्रदेश की जनता को राहत के नाम पर लूट रहे हैं। आज कानून और व्यवस्था को बड़ी दुहाई दी जाती है। लेकिन आये दिन बेहमई और देवली कांड हो रहे हैं और भी अनेक कांड यहां पर हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं हमारे देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके साथ हमारे मुख्य मन्त्री भी वहां गये थे तथा दूसरे अधिकारी भी गये थे। वहां हैलिकाप्टरों का काफिला सा लगा था। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो वहां पर खेतों में लोगों की फसल थी, वह तबाह हो गयी, बरबाद हो गयी, इनका जसन वहां पर मनाया जा रहा था। बड़े-बड़े अधिकारी हजारों रुपयों का सामान ले जा कर वहां जश्न मनाया करते थे और मौज करते थे और गरीबों के दुधमुहे छोटे बच्चे जो परेशानी में सिसक रहे थे, इनके खाये पत्तलों पर झपट रहे थे।

इनके रहते कुछ होने वाला नहीं है यह मैं साफ कहना चाहता हूं। सुरक्षा व्यवस्था की बात मैं बताना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी पुलिस के संरक्षण में हैं, माननीय मन्त्रीगण पुलिस के संरक्षण में हैं, विधायकों को भी शैडा मिले हुये हैं लेकिन जो गरीब गांव में रहते हैं जिनके जानमाल की कोई हिफाजत नहीं है, रात भर लोग जाग-जाग कर सुबह सूरज की रोशनी देखते हैं, डकैत उनका तेजी के साथ कत्लेआम कर रहे हैं, आज वे लोग अपने को असुरक्षित

महसूस कर रहे हैं यहां तक कि लोग थानों और अदालतों में सुरक्षित नहीं हैं, लोग अपने घरों में ही काटे जा रहे हैं तो मान्यवर, समझ में नहीं आ रहा है कि यह बजट किसलिए बनाया जा रहा है, पास कराया जा रहा है। यह किसकी सुरक्षा के लिये बजट दिया जा रहा है ? आज पुलिस की भर्ती होती जा रही है और उन्हे अच्छे से अच्छे आर्म्स एम्युनिशन्स दिये जा रहे हैं फिर भी जनता की कोई सुरक्षा नहीं हो पा रही है। अगर इस तरह से इस सरकार की नीयत रही तो अपना देश रसातल को चला जाएगा और कांग्रेसी देखते रह जायेंगे। तो अब मैं अपने जिले बाराबंकी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, यहां के अफसर लोग, अपने जान-माल की सुरक्षा के लिए नीचे स्तर से रिपोर्ट आने के बावजूद भी पीड़ित लोगों को आर्म्स के लाइसेंस नहीं देते हैं। यदि किसी परगनाधिकारी, जिला अधिकारी ने दिया है तो उसने अपने ट्रांसफर के समय उसे बैक-डेट में दे दिया है। इस पर मैंने अपने जिलाधीश से पूछा कि आखिर लाइसेंस न देने का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा यह शासन का हुक्म है। यह शासन खुद तो किसी की रक्षा कर नहीं पाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति खुद अपनी रक्षा के लिए लाइसेंस चाहता है और रिपोर्ट भी उसके पक्ष में है, तो भी उसको लाइसेंस नहीं दिया जाता है।

मेरे यहां ग्राम मदरहा मजरे डूरी, थाना पटरंगा के एक शीतल नामक युवक को 28 अक्तूबर, 1981 को कत्ल कर दिया गया। इसने भी प्रार्थना-पत्र लाइसेंस के लिए दिया था, थाने से रिपोर्ट आ जाती है कि इसकी जान को खतरा है, इसको हथियार दे दिया जाए, लेकिन सम्बन्धित अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण उसको लाइसेंस नहीं दिया गया और नतीजा यह हुआ कि उसका कत्ल कर दिया गया। इसके एक महीने पहले उसके बड़े भाई का भी कत्ल कर दिया गया था। तो मैं इस शासन से क्या आशा करूं कि यहां के आवाम के जान माल की रक्षा होगी, जो कि इनके भक्षक बने हुये हैं। मुख्य मन्त्री को चाहिये था कि वह जिलाधिकारियों को निर्देश देते कि अधिकारी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुये जान-माल की रक्षा के लिए लोगों को उदारतापूर्वक लाइसेंस दें। विदेशों में जैसे फ्री लाइसेंस दिये जाते हैं, वैसे यहां भी बन्दूकों आदि के फ्री लाइसेंस दिए जायें। एक तर्क इसके विपरीत यह दिया जाता है कि जो लाइसेंसधारी लोग हैं वह बदमाशों को गोली देते हैं। लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं, 4/6 दिन पहले अखबार में खबर छपी थी कि मध्य रेलवे लाइन को भालगड़ी जा रही थी, जिसमें सैनिक सामग्री जा रही थी और उसमें 24 हजार कारतूस भी जा रहे थे। लेकिन इन कारतूसों को डब्बे की सील तोड़कर निकाल लिया जाता है। इससे सरकार को 7 लाख का घाटा हुआ है। तो वास्तव में इस तरह से यह कारतूस बड़े-बड़े बदमाशों को मिलते हैं, इन बदमाशों को लाइसेंसधारी कोई कारतूस नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

एक तर्क और दिया जाता है कि असलहे दिये जायेंगे तो उससे जरायम और बढ़ेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह जरायम देशी-कट्टे और हथगोले से होते हैं। कहीं भी ऐसे मामले में लाइसेंसी बन्दूक का इस्तेमाल होते हुये नहीं मिला है। इसके साथ विरोधी दल के नेता ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनका समर्थन करते हुये मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह भविष्य में इस

[श्री प्रदीप कुमार यादव--]

सम्बन्ध में ध्यान देगी और जनमानस की रक्षा के लिए उदारता से लाइसेंस देने पर विचार करेंगी ।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस आय-व्ययक पर चर्चा करने के लिए समय दिया ।

मैंने दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के भाषण सुनें । मेरा निवेदन यह है कि इस माननीय सदन में जो भी हम लोग आये हैं, वे एक बड़ी ही गौरवमयी व्यवस्था के लिए आये हुए हैं, सभी देश सेवा के लिए आए हुए हैं, जन प्रतिनिधि बन कर आये हैं लेकिन जो मैंने यहां पर देखा तो पाया कि सब ही एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं । इसके अतिरिक्त मुझे कोई और बात यहां पर देखने की नहीं मिली है, मेरी समझ में नहीं आयी है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हू कि उन्होंने जो आय-व्ययक सदन में प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही सराहनीय है । मेरा यह निवेदन है कि मुझे सदन में बोलने का बहुत ही कम समय मिलता है, बड़े प्रयास करने के बाद ही मेरा नम्बर आता है । जो बात मैं कहने जा रहा हूं अगर उसका अनुपालन हो जाये तो प्रदेश का और देश का बड़ा सुधार हो सकता है । मैं इस बजट की बड़ी सराहना करता हूं और इसके समर्थन में आज खड़ा हुआ हूं । आज लोग देश के हित की बात कहते हैं, इधर के भी और उधर के भी माननीय सदस्य, सब यही कहते हैं । लेकिन मैं कहता हूं कि बजट में जिन चीजों का प्राविधान किया गया है अगर उनका ठीक ढंग से अनुपालन हो जाय तो प्रदेश का कल्याण ही हो जाय । इसमें कोई कसर नहीं है और वे चाहते हैं कि वे उनके अनुपालन का ध्यान रखेंगे ।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि यदि शिक्षा को ठीक तरह से सुव्यवस्थित कर दी जाय तो और बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जायेंगी । जैसे मैं चाहता हूं कि देश और प्रदेश में संस्कृत को अनिवार्य विषय कर दिया जाय और यदि इसको अनिवार्य विषय कर दिया गया तो भाषायी जितने भी झगड़े होते हैं, वे अपने आप में समाप्त हो जायेंगे । यदि मेरी यह बात सही है तो शांति से मेरी बात को सुनना चाहिए । आये दिन हमारे यहां पर भाषायी झगड़े होते हैं । हमारे प्रदेश के सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए लेकिन सब की एक ही दवाई है । यदि उत्तर प्रदेश से यह काम आरम्भ होता है, संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाया जाता है और सभी भाषायें जो हैं, उनका सम्मान होता है, उससे यह होगा कि संस्कृत को पढ़ने वाले स्वयं संस्कृत हो जायेंगे । संस्कृत में एक श्लोक है :

अनुद्वेगकरों वाक्यं, सत्यंप्रियहितं चयत,

स्वाध्यायाभ्यर्न तैव, वाङःमय तपउच्यते ।

तो अगर यह सरकार यहां पर संस्कृत अनिवार्य विषय कर देती है तो उसके पढ़ने से जितनी उच्छंखलतायें सामने आती हैं स्वयं नष्ट हो जायेंगी, जिनको हम बहुत कुछ यहां पर सुनते और कहते रहते हैं ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो संस्कृत के अध्यापक हैं और उन पाठशालाओं के अन्य कर्मचारी हैं, उनको समान रूप से वेतन देना चाहिए। मैं आपसे बताऊं कि हर संस्कृत पाठशाला में न एक लिपिक है और न चपरासी। अगर किसी में एक चपरासी है भी तो आज भी उसका वेतन 80 रु० प्रतिमाह है। इस महंगाई के समय में भी उनके वेतन बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन भी बहुत कम हैं। मेरा निवेदन है कि उनका वेतन अन्य अध्यापकों के समान होना चाहिये। प्रौढ़ शिक्षा भी ठीक तरह से नहीं चल रही है। अगर संस्कृत को अनिवार्य कर दिया तो उससे बहुत लाभ होगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इसको करने से लोगों में जो घृणा और निन्दा आदि के भाव एक दूसरे के प्रति आते हैं वे समूल नष्ट हो जायेंगे।

अराजक तत्वों का उनमूलन करने के लिये भी विशेष प्रयास किया जाना चाहिये। इस ओर गृह विभाग ने बहुत कुछ काम किया भी है। मैं पुलिस की सराहना इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे आजमगढ़ में पिछले साल भर के अन्दर एक भी अपराध नहीं हुये हैं। वहां की पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी रही है। इस वक्त गृह विभाग का काम जितना अच्छा चल रहा है, उतना पहले नहीं चला।

(व्यवधान)

विपक्षी दल के माननीय सदस्य जब कोई बात कहते हैं तो उनको धैर्य से दूसरों की बात भी सुनना चाहिये। यह गलत तरीका है कि जब कोई इधर से अपनी बात कहने के लिये खड़ा होता है तो विपक्ष खड़े होकर एक साथ हू–हू करने लगता है।

श्री उपाध्यक्ष:–

अब आप कृपया बैठें। आपका समय समाप्त।

श्री माता प्रसाद पांडेय:–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इतने दिनों के अनवरत प्रयास के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री उपाध्यक्ष:–

इसके लिये आप अपने दल के सचेतक को धन्यवाद दीजिये।

श्री माता प्रसाद पांडेय:–

मान्यवर, वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को मैंने बड़े गौर से सुना। उनकी यह आदत रही है कि वे पीछे देखकर आगे की बात कहते हैं। पहले क्या–क्या हुआ, कितना हुआ, यह बताकर वे आगे की बात बताते हैं। इस बजट में जो राजस्व प्राप्तियां हैं, उससे आप अपने सूबे की तरक्की का अन्दाज लगा सकते हैं। पिछले साल जो राजस्व प्राप्त हुआ था उससे आपने कितना विकास का काम किया। इससे अच्छे बजट की जानकारी होती है 29 दिसम्बर को माननीय वित्त मंत्री जी का एक बयान छपा था, जिसमें इन्होंने बयान दिया था कि इसमें मेरा पूरा राजस्व इस्टैब्लिशमेंट में चला जाता है यही। मान्यवर, यह रोजगार परक बजट नहीं है। रोजगार के बारे में यह बजट पूर्णरूपेण मौन है। जो खेतिहर बेरोजगार हैं उसके लिए कोई नई योजना लानी चाहिये।

मान्यवर, एक योजना चलाई गयी, हमारी पुरानी सरकार ने एक योजना खाद्यान्न की चलाई थी। उसके बदले में आपने ग्रामीण रोजगार योजना चलाई। मान्यवर, ग्रामीण रोजगार योजना के लिए आपने 78 करोड़ रुपया इस बजट में प्राविधान

[श्री माता प्रसाद पांडेय--]

किया है जो कम है, जो 81 का सेंसस आया है, हमारे यह खेतिहर मजदूरों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है । ·5 हेक्टेयर से कम 49 परसेंट किसान हैं, जिनकी होल्डिंग ·5 हेक्टेयर से कम है । मान्यवर, जिनकी खेती छोटी होती है जो छोटी खेती वाले होते हैं, जब वह खेती के काम से बेकार हो जाते हैं, तब कोई नौकरी ढूढ़ते हैं ।

मान्यवर, पिछली सरकार ने खाद्यान्न योजना चलाई थी, बेकार आदमियों को उसमें काम मिला था । इन्होंने जो व्यवस्था की है उसमें कितने लोगों को काम मिलेगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । यह केन्द्रीय सरकार की पूरी की पूरी व्यवस्था इसमें है । मान्यवर, इन्होंने उत्पादन बढ़ाने की बात कही, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूंगा । मान्यवर, सिंचन के बारे में पिछली बार तुलना करके मंत्री जी ने बताया कि अबकी बार जो सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, वह पिछले से कम है । पिछले वर्ष 8·30 लाख हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था बजट में की थी । अबकी बार इन्होंने 7·6 लाख हेक्टेयर कर दिया । उर्वरकों के दाम बढ़े हैं । सिंचन क्षमता कम हो रही है । कौन सा किसान ऐसा होगा जो अपना सारा समय लगा कर गल्ला पैदा करेगा और जिसमें लाभ कुछ नहीं पायेगा । अगर वह अपने परिश्रम का फल न पावे, तो कौन उत्पादन बढ़ायेगा ? यह जो सिंचन क्षमता है, इस पर ज्यादा बजट दें ।

मान्यवर, बीस सूत्री कार्यक्रम का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया उसमें बायो गैस एवं गोबर गैस संयंत्र की व्यवस्था की गयी है तथा उसका उद्घाटन मंत्री एवं जिलाधिकारी आदि कर रहे हैं । मेरे जिले में भी गोबर गैस संयंत्र का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया । मेरे अपने जिले में बायो गैस और गोबर गैस आप जानते हैं यह कहां होता है । जिलों-जिलों में इसका उद्घाटन जिलाधिकारी घूम-घूम कर कर रहे हैं । मान्यवर, जब पूरे प्रदेश में आधा हेक्टेयर से कम, आधे से अधिक किसान हैं, तो यह किसके लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं बायो गैस और गोबर गैस के लिए कम से कम पांच पशुओं के गोबर की आवश्यकता होती है । जो छोटा किसान है, जिसके पास पशु नहीं होंगे, तो वह कैसे बायो गैस और गोबर गैस लगायेगा । उस बायो गैस से किसको लाभ पहुंचाने की बात की गई है तो यह बजट गरीबों के लिए न होकर, कुछ चन्द लोगों के लिए है, जिनके घरों में सामान है, ऊर्जा का, उनके लिए यह व्यवस्था अपने की गांव के गरीबों के पास ईंधन की व्यवस्था नहीं है । छोटे-छोटे पशु जब चरने जाते हैं, तो बच्चे खांची लेकर उनका गोबर बीनते हैं, जो जलाने के काम आता है । जिन बच्चों को स्कूलों में पढ़ना चाहिये, वे बच्चे ईंधन की खोज में इधर-उधर घूमते रहते हैं । यह विडम्बना है । उनके लिए क्या व्यवस्था इस बजट में की है ?

मान्यवर, सीलिंग की बात आई । सीलिंग से निकली हुई जमीन जो है, उसके बारे में पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि जो मुकदमे उनके विरोध में चल रहे थे जो कि 90 हजार वापस लिये गये हैं । जो मुकदमें चल रहे थे, एक अध्यादेश के जरिये खत्म कर दिये गये । जब आपने उन मुकदमों को वापस ले लिया तो क्या तनाव नहीं पैदा होगा ? उसमें किसी का दरवाजा दे दिया गया है, किसी का पिछवाड़ा दे दिया गया है । यदि आपको ईमानदारी से उन्हें देना है, तो सम्पूर्ण भूमिहीनों का सर्वे कराइये और उसके बाद उनको एक एकड़, दो एकड़ के हिसाब से जो भी निश्चित करें आप सम्पूर्ण गांव की जमीन में से कटौती करके दे दीजिए इससे किसी प्रकार का झगड़ा आदि नहीं होगा । परन्तु मुकदमा वापस कराइये और जबरन जमीन दीजिए ।

मान्यवर, हर ब्लाक में 6 सौ परिवारों को ऊपर उठाने की बात इस बजट में माननीय मंत्री जी ने की है लेकिन धन कितना रखा गया है 8 लाख। हर ब्लाक में 8 लाख 6 सौ परिवारों को देंगे। मान्यवर, इसमें व्यवस्था है 4 करोड़ के करीब इनका अनुदान के रूप में है और बैंकों से रुपया कब दिलायेंगे। गरीब आदमी को जब बैंक से रुपया दिलाया जाता है, तो मान्यवर, उस रुपए पर जितना अनुदान देते हैं, उससे अधिक उसको ब्याज देना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो कुछ भी आप दें उसमें यह व्यवस्था कर दें कि अनुदान के बाद जो बचेगा उसी पर ब्याज देना पड़ेगा।

मान्यवर, मैं बाढ़ के क्षेत्र से आता हूं। मान्यवर, मैं अपने जिले की शान्ति व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। आज यहां शान्ति व्यवस्था की बात बहुत सीना तानकर की जाती है। मान्यवर, अप्रैल के महीने में 2 मसकट, पुलिस के जवानों से डकैतों ने छीन लिया और उसके द्वारा मेरे पूरे क्षेत्र में आतंक मचाए हुए हैं, लड़कियां और बच्चे उठाए जा रहे हैं। मान्यवर, आप कल्पना करें उस बाप की आप कल्पना करें उस मां की जिससे कहा जाता है कि अपनी लड़की को फला जगह भेज दो नहीं तो गांव को भून दिया जायगा तो हताश, निराश पुलिस से उपेक्षित व्यक्ति विवश होकर अपनी लड़कियों को डाकुओं को सौंप देता है। हमारे क्षेत्र से लड़कियां उठाई जा रही हैं। मान्यवर, आज तक न तो उनसे बन्दूक वापस ली गई और न ही उन सिपाहियों को मुअत्तल किया गया जिनसे वह बन्दूकें छीनी गई थी।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी हमारे जिले में हेलीकाप्टर से बराबर जाया करते हैं। जाने के पहले प्रोग्राम छपता है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और यह सोचता हूं चलो कम से कम हमारे क्षेत्र की जनता हर महीने हेली काप्टर तो देख लेती है। मान्यवर, हमारे जिले में बाढ़ आयी। वित्त मंत्री ने देखा 80 प्रतिशत फसल समाप्त हो गई। मैंने वित्त मंत्री जी से कहा लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं, पेड़ों की पत्तियां उबाल कर खा रहे हैं अपनी क्षुधा को शान्त करने के लिए कोई योजना बनाइये। माननीय मंत्री जी ने कहा मैं लिख रहा हूं। मान्यवर, सैकड़ों गांव बाढ़ की विभीषिका से डूब जाते हैं उसको बचाने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि उसके लिए योजनायें बनायें।

मान्यवर, मेरे यहां गन्ना किसानों की बात है। यहां पर बहुत ढिंढोरा पीटा गया कि गन्ना किसानों का एक-एक पैसा दिला देंगे। मान्यवर, मेरे यहां बढ़नी सहकारी गन्ना समिति है लाखों रुपया किसानों का लेकर सहकारी समिति का कर्जा चुका दिया गया लेकिन 1979 से आज तक उस क्षेत्र के किसानों को एक पैसा नहीं दिलाया गया। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वहां पर किसानों का पैसा नहीं दिया जाता है और कमला साहनी जिस क्षेत्र से आती हैं वहां दिला दिया जाता है। मैं चूंकि विरोधी हूं इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मैं भीख नहीं मांग रहा हूं। यह मेरा अधिकार है, मैं गन्ना मंत्री जी को चुनौती देकर कहता हूं कि वह मेरे क्षेत्र के लोगों का पैसा दिलावें यदि आप अपने वचन के पक्के हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हुआ। इसीलिए आपको समय नहीं मिलता क्योंकि आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मैं कहना चाहता हूं इस बजट में गरीबों के लिए, भूखों के लिए, बेरोजगारों के लिए जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, बच्चे भूख से तड़प-तड़प कर मर रहे हैं उनके लिए कुछ होता तो इस बजट का समर्थन किया जाता अन्यथा इस बजट का मैं खुला विरोध करता हूं ।

श्री पंचानन राय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के प्रस्तावों पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, इन बजट प्रस्तावों का मैं हृदय से समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि जिन कठिन परिस्थितियों में आज से लगभग 2 वर्ष पहले इस देश की सत्ता श्रीमती इंदिरा गांधी को और उसके बाद इस प्रदेश की सत्ता हमारे मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को मिली, उससे पहले देश और प्रदेश में अराजक-तत्वों और हिंसा को बढ़ावा मिल रहा था । हमारी सरकार बनने के बाद वह कम हुआ और जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने का प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया गया है । जिस तरह से प्रदेश में अपराधिकतत्वों और डाकुओं का दमन किया गया है, वह सराहनीय है और उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मैं एक बात मान्यवर, कहना चाहता हूं कि जब हमारे मित्र सत्ता पक्ष में बैठे थे तो कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन की मांग को स्वीकार करते हुए भी उसे चलने के उद्देश्य से एक वेतन आयोग बनाकर चले गए और आयोग ने संस्तुति उस समय दी जब वह लोग जनता द्वारा तिरस्कृत कर दिए गए और विरोध पक्ष में बैठे हैं । उस वेतन आयोग ने जो संस्तुति दी उससे सारा कर्मचारी वर्ग असन्तुष्ट रहा । जिससे हमारी सरकार ने कर्मचारियों के संगठन के और शिक्षकों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके विसंगतियों को दूर किया और सम्मानजनक हल निकालने का प्रयास किया । इसी कारण बजट प्रस्तावों में 71 करोड़ पहले वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार खर्च करने का अनुमान किया गया था लेकिन विसंगतियों को दूर करने के कारण अब 120 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं । इसके लिए वित्त मंत्री और सरकार बधाई की पात्र है कि बिना कोई नया कर लगाये हुए इन्होंने कर्मचारियों और शिक्षकों की बहुत सी सुविधाओं को स्वीकार किया है ।

मान्यवर, शिक्षकों के सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । शिक्षकों से भी सरकार ने वेतन आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में एक सम्मानजनक समझौता किया है । मैं उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ का महामंत्री होने के नाते उस समझौते में शामिल था और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने स्वीकार किया था कि शिक्षा के महत्व को और समाज के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये उनके वेतनमानों में संशोधन किया जायेगा । सरकार ने यह भी स्वीकार किया था कि पूरी सेवाकाल में दो पदोन्नतियां उपलब्ध होंगी, यदि यह नहीं हो सकेगा तो एक और पदोन्नति हेतु सेलेक्शन ग्रेड का प्राविधान किया जायेगा, यदि दोनों विकल्प सम्भव न हों तो एक ही ग्रेड में 16 वर्ष सेवा के उपरान्त सेलेक्शन ग्रेड कर दिया जायेगा । इसके साथ ही साथ राज्य कर्म-चारियों की भांति चिकित्सा सुविधाओं में समानता, मकान किराया भत्तों में पूर्ण समानता भी देना सरकार ने स्वीकार किया था । इसके साथ ही क्राफ्ट और व्यायाम शिक्षकों की विसंगतियों को दूर किया गया । मान्यवर, वित मंत्री ने 29 तारीख को बजट भाषण प्रस्तुत किया तो शिक्षक समुदाय आशा करता था कि उनके

बारे में भी दो शब्द कहे जायेंगें । मैं इस बात को जानता हूं और स्वीकार करता हूं कि सरकार ने समझौता जो किया है, वह सोच समझकर किया है और सरकार उसका सम्मान कर रही है और आगे भी करेगी । लेकिन हमारे विरोध पक्ष के साथी सरकार को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं कि जो समझौता सरकार ने किया था उससे वह मुकर रही है । इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि जब बजट भाषण का उत्तर दें तो कम से कम कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ जो समझौता हुआ है, उसके सम्बन्ध में भी प्रकाश डालेंगे ।

मान्यवर, समय से बजट प्रस्तुत किया गया है लेकिन हमारे श्री माता प्रसाद पांडेय अभी कह रहे थे कि वित्त मंत्री जी पीछे देखते हैं । वो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पीछे के अनुभवों से यदि नीति तय की जायेगी तो वह सही नीति होगी । यह नहीं हो सकता है कि बिना अनुभव के हम कभी आगे बढ़ सकते हैं । मान्यवर, पिछली बार बजट समय पर प्रस्तुत हुआ । एक लम्बे अरसे के बाद पिछला समय से प्रस्तुत हुआ है । पिछले 8, 10 सालों से बजट समय पर प्रस्तुत नहीं हो पाते थे । पिछला बजट जब प्रस्तुत हुआ तो 30 अप्रैल तक जो भी खर्च होना था, उसके आदेश जारी कर दिए गए थे । समय पर खर्च होने के आदेश जारी करने से यह फायदा हुआ कि जिन मदों के लिए वह पैसा दिया गया था, उसमें खर्च हुआ । फर्जी वाउचर बनाकर उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सका ।

इसी तरह से इस वर्ष भी समय पर बजट प्रस्तुत किया गया है । पहली बार सरकार ने योजना को नीचे तक ले जाने का प्रयास किया है । इस भवन में बनने वाली योजनायें गांव की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती थीं, इसलिए जन प्रतिनिधियों को योजना के कार्य से जोड़ा गया । इस सम्बन्ध में बहुत से लोगों से कहा कि हमको नहीं बुलाया गया है । लेकिन यह सवाल नहीं है । इस योजना में जन प्रतिनिधियों को जोड़ा गया है, पहली बार यह प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि डाकखाने की गलती से उनको सूचना न मिली हो या जिले के किसी अधिकारी की गलती से उनको सूचना न मिल पाई हो । मान्यवर, चाहे विरोधी पक्ष के साथी हों या चाहे सत्तारूढ़ दल के साथी हों जनतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी सब पर है । मैं कहना चाहता हूं कि झूठ, चरित्र हत्या एक दूसरे की करने से हम जनतंत्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं । आप जब सत्ता में थे और जब आप आज सत्ता से अलग हो गए हैं लेकिन आप उसी तरह से सोच रहे हैं जैसा आपके समय में भ्रष्टाचार था । आज परिस्थितियां बदल गयी हैं । आज डाकुओं को संरक्षण सत्ता की तरफ से नहीं है । अगर है तो उन लोगों के द्वारा है, जो जब डाकू मारे जा रहे हैं, पुलिस मुठभेड़ों में मार रही हैं तो उनके समर्थन में जन आन्दोलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनके द्वारा ही डाकुओं को संरक्षण दिया जा रहा है । मैं एक बार पुनः प्रस्तुत बजट का हृदय से स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वेतन आयोग के सम्बन्ध में शासन की नीति स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

श्रीमन्, मैं आपका, विशेष कृपा के लिए आभारी हूं । मान्यवर, इस बजट पुस्तिका के पृष्ठ 7 पर माननीय वित्त मंत्री जी ने अंकित भी कराया है और उन्होंने बजट प्रस्तुत करने के दिन इस पर विशेष रूप से इंफेसिस किया था शांति और व्यवस्था के लिए । खास तौर से उन जिलों के लिये जो क्राइम के लिये बहुत

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट--]

ही बदनाम रहे हैं । हमारा जनपद इटावा--मान्यवर, मैं शांति और व्यवस्था की बात कर रहा हूं और माननीया गृह मंत्री जी चली जा रही हैं, मैं क्या करूं । मान्यवर, इटावा जनपद उन 7 दुर्भाग्यशाली जिलों में एक है । अब 7 जिलों के स्थान पर 12 जिलों की सूची हो गयी है । अभी तक 7 अपराधिक जिलों में इटावा एक था अब 12 जिलों की सूची में एक है । मान्यवर, शांति तो है ही नहीं और इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है तो शांति और व्यवस्था पर विशेष रूप से क्या चर्चा की जाय ।

मान्यवर, बजट में कहा गया है कि "मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद तथा इटावा में डाकुओं की समस्या से जूझने के लिये प्रत्येक जनपद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किये गये हैं ।" मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति करने से शांति और व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती है । जब तक वहां की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन नहीं करेंगे, मानवीय परिस्थितियों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा । मान्यवर, इस सम्बन्ध में विचार करें और चिंतन करें कि आखिर इसका कारण क्या है । मान्यवर, खास तौर से इटावा जनपद, जमुना, क्वारी, चंबल, सेंन आदि नदियों के बीच में बसा हुआ है । खास तौर से वह पट्टी जिसके कारण यह जिला बदनाम है, तो जब तक इसका चिंतन नहीं होगा कि वह कौन सी समस्यायें हैं जिसके कारण यहां के लोग चबल के खारों में कूद जाते हैं । वहां पर कुछ पैदा नहीं होता है, वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं कि झगड़ा फसाद होने के दूसरे दिन ही लोग चंबल के खारों में कूद जाते हैं, बागी हो जाते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति करने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है ।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि 20 करोड़ रु0 रिवाईन्स के रि-क्लेम करने के लिए प्राविधान किया गया है, लेकिन इस पूरे बजट में कहीं भी इस बात का उल्लेख तो मुझे दिखायी नहीं दिया और मैं नहीं समझ पाया कि वह 20 करोड़ रु0 कहां चला गया, जब कि आज इस बात की जरूरत है कि यह सारे रिवाईन्स बुल्डोजर्स द्वारा ध्वस्त किये जायें और वहां के लोगों को किसी काम धंधे में, किसी कल-कारखानों में लगाने की आवश्यकता है । और आज इटावा में जरूरत है इस बात की कि वहां पर कोई कल-कारखाना स्थापित किया जाए, जिससे कि वहां के बेकार लोगों को कुछ रोजगार के अवसर मिल सकें । इस सम्बन्ध में पहले विचार चला था कि एक फर्टीलाइजर कारखाना वहां खोला जायेगा, इसकी आज वहां जरूरत भी थी, लेकिन इस प्रकार का कोई भी उल्लेख आपके इस बजट में नहीं किया गया है, यही एक मात्र कारण है कि इन चीजों की कमी के कारण वहां का निवासी ज्यादातर मिलेट्री सर्विस में है, उत्तर प्रदेश का एक ही ऐसा जनपद है जहां के अधिक से अधिक लोग मिलेट्री की सेवा में कार्यरत हैं, अगर आप इसी को देखते हुए ही वहां पर एक सैनिक स्कूल खुलवाने की चर्चा इस बजट में करते तो मैं आपको बधाई देता और आप वास्तविक रूप से बधाई के पात्र होते लेकिन इन सारी चीजों की वहां पर खास कर उपेक्षा की गयी है और केवल एक अतिरिक्त पुलिस कप्तान दे दिया गया है, जिससे कोई समस्या सुलझने वाली नहीं है ।

ग्रामीण विकास और एकीकरण विकास की आज बड़ी चर्चा है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जो कार्य पहले के फूड फार वर्क, खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो विकास कार्य प्रारम्भ किये गये थे, उनको किस हद तक पूरा किया गया है, क्या उन पर देश की जनता की गाढ़ी कमाई का धन नहीं लगा था ? देश और प्रदेश के

लोगों का उसमें खून और पसीना नहीं बहा था ? उसमें शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों का समय और परिश्रम नहीं लगा था ? यह नहीं देखना चाहिए था कि किस दल, पार्टी या वर्ग से सम्बन्धित है। आपने उन कामों के साथ सौतेलापन किया है। पैसा और परिश्रम सब एक समान है, वह किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं होता है, उसकी कदर हर एक को करनी चाहिए थी, वह आपने नहीं की, इस प्रकार आपने करोड़ों रुपया वेस्ट कर दिया और जो मार्ग, सड़कें आदि बनाई गयी थीं, उन सब को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, अगर उन्हीं को आप पूरा करवा दिये होते अपने दो वर्ष के शासन काल में, तो आप बधाई के पात्र होते और यही नहीं, आपने सिंचाई की बात भी अपने बजट भाषण में दो पृष्ठों में रखी है, अब उसमें जो भी योजनाएं हों, उसमें जिक्र किया है। सौभाग्य से मैं प्रथम बार सन् 74 में यहां चुनकर आया हूं और यह तीसरा टर्म है आपके आशीर्वाद से, उस समय से मैं इटावा में बनने वाले पंचनद के बारे कहता आया हूं और तब इस वर्ष भी आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि "वर्ष 1982-83 में पुटकोली, तकिया, परनपुर, चितईया, नवलगढ़-पकरी गब्बापुर जलाशय योजनायें एवं पाण्डा पम्प कैनाल तथा पटना टैंक योजनाएं आय-व्ययक में सम्मिलित की गयी हैं। इटावा जनपद में यमुना, चम्बल, सिंध, पहुज व क्वारी नदियों के संगम के नीचे यमुना नदी पर लगभग 80 फुट ऊंचे पंचनद बैराज, जिसकी लागत 440 करोड़ रुपये अनुमानित है, की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए विस्तृत अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के कार्य किये जायेंगे।"

मान्यवर, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अभी इतने वर्ष बीत गये, लेकिन अभी तक उसका सर्वेक्षण ही नहीं हो सका है, फिर यह कहा गया कि राक्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब एडवांस टेक्नोलोजी में यह बात साबित हो गयी कि अब इन राक्स की आवश्यकता नहीं है तब आपने यह कहना शुरू कर दिया कि सर्वेक्षण करा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जो यहां पर बैठे हैं आप उस समय बिजली मंत्री थे, आपने उसमें अभी तक क्या किया और न ही कोई इस बार विशेष रूप में पंचनद के बारे में जिक्र किया है, तो इस प्रकार से केवल जिक्र करने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है, जब योजनाओं पर समान रूप से विशेष ध्यान दिया जायेगा तो कुछ उपलब्धि अवश्य होगी।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं अपने समय में ही अपनी बात समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिये कृपया एक मिनट के लिये आप लाल बत्ती को बुझा दीजिये।

ट्यूबवेल जिसके लिये 250 एकड़ का एरिया रखा गया है। कोई भी ट्यूबवेल 250 एकड़ का रकबा सींच नहीं सकता है। निश्चित रूप से आपका कोई हक नहीं है कि आप उससे रुपया वसूलें। इसका एरिया ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 एकड़ कर दें तभी आपके उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

अन्त में, आपने चाहे जितनी हरिजनों के लिये योजना बनायी हो लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक आपके मन में इस बात का इरादा नहीं होगा कि गांव-गांव और गली-गली में हरिजनों की हत्यायें समाप्त हों, जगह-जगह पर थाने बनवाइये और सेन्सिटिव प्लेसेज में अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त कीजिये और कोई वारदात हो जाने पर पूरे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराइए। जिस मैजोरिटी ने उस घटना को किया हो या जो उसके लिये जिम्मेदार हो, उसको सामूहिक रूप से दण्डित किया जाय, जब इस प्रकार से दण्डित करने की व्यवस्था करेंगे तो समाज का मन बदलेगा। गली-गली और गांव-गांव में जो हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं और नौजवानों

का मन पीड़ा से भरा हुआ है और उनके मन में हुंकार उठ रही है । मैं उनकी भावनाओं को एक शेर के साथ अर्ज करके अपनी बात समाप्त करता हूं :—

गर या कयामत का सामान लिए बैठे हैं,
तो हम भी मर मिटने का अरमान लिए बैठे हैं,
दर्दे दिल शोजे जिगर, चाके गरीबां की कसम,
अपनी हर आह में तूफान लिए बैठे हैं,
गर तड़प उठते तो बदल जाए जमाने का निजाम,
गो लाख हाल हम परेशान लिए बैठे हैं ।
काफिले वाली संभल कर न भटक जाना कहीं,
फितने हर गाम पर शैतान लिए बैठे हैं ।

श्री रघुबीर सिंह यादव—

आपने जो मुझे 1982–83 के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं ।

यह 1982–83 का बजट घाटे का बजट है । इसमें 95 करोड़ 98 लाख का घाटा है लेकिन इस सरकार ने यह घोषणा की है कि इस घाटे के बजट के बावजूद हम कर नहीं लगायेंगे और इस कमी को बकाया वसूली में तेजी लाकर और गैर योजना के खर्च को कम करके हम इसे पूरा करेंगे ।

उत्तर प्रदेश की आय में 22·8 प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि कृषि उत्पादन 49% से बढ़ा है । हमारे देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस वर्ष को उत्पादन वर्ष के रूप में घोषित करने का नारा दिया है । उन्होंने केवल उत्पादन वर्ष का ही नारा नहीं दिया बल्कि एक और नारा दिया 'सत्यमेव जयते' के साथ 'श्रमेव जयते' का नारा भी दिया है । हमारी सरकार ने उसी के माध्यम से राज्य कर्मचारियों का, मजदूरों का और किसानों का आवाहन किया है कि वे श्रम करें और उत्पादन बढ़ायें और राज्य का विकास करें । मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे "बन्द" के आयोजन को बन्द करें और उत्पादन वर्ष में सरकार के साथ सहयोग करें विकास की गति को तेज करें ।

मान्यवर, 1977 से 80 तक यहां एक गठजोड़ की सरकार थी, उस जमाने में आपने देखा कि लकड़ी का मूल्य 40 रु० क्वि० था ।

(व्यवधान)

मैं इस प्रदेश की ही बात कर रहा हूं । मान्यवर, किसानों की मेहनत से पैदा किया हुआ गन्ना जिसमें उसने खाद भी दिया था, पानी भी दिया था, अपना श्रम भी लगाया था वह 6 रुपये, 3 रुपये और 2 1/2 रुपए तक बिक गया । मान्यवर, ये विरोधी दल के लोग अपने को किसानों का ठेकेदार समझते हैं, तो इन्होंने किसानों का नुकसान किया जब कि उन्होंने (किसानों ने) कहा कि हम क्या करें, तो इन्होंने उनके सर्वोच्च नेताओं ने कहा कि हमारी चांद पर बो दो ।

तो मान्यवर, इस तरह से हमारे किसानों ने गन्ना बोना बन्द कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि चीनी मिलना बन्द हो गई । चीनी से हम विदेशी मुद्रा कमाते थे जिसे कि देश के विकास के काम में लगाते थे । मान्यवर, इन्होंने विदेशी मुद्रा को हमारे देश से पानी की तरह बहा दिया । हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश को एक आसान सा तरीका बतलाया कि उत्पादन बढ़ाकर पहले आत्मनिर्भरता प्राप्त करो । आपको पता है कि हमारे देश में पहले खाद्यान्न बाहर से मंगाया जाता था । हम बाहर से खाद्यान्न मंगाते थे । हमने खाद्यान्न के बफर स्टाक बनाये थे । यदि हमारे देश पर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोई विपदा आती सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है तो उससे हम देश की रक्षा कर सकेंगे और लोगों को कम से कम खाने के लिए अनाज दे सकेंगे । आप देखें कि अभी हमारे मित्र खाद्यान्न योजना की बात कर रहे थे । उस योजना के अन्तर्गत उन्होंने देहातों की सड़कों का निर्माण किया । मुझे अफसोस है कि उस खाद्यान्न योजना से बेरोजगारी दूर करने के लिए नहीं प्रयोग किया गया बल्कि उस खाद्यान्न से मजदूरों को मजदूरी न देकर बी0 डी0 ओज0 ने उसे ब्लैक मारकेट में बेच दिया । मैं कहता हूं कि उस खाद्यान्न को अगर हम उन सड़कों पर बिछा देते तो वे सड़कें खाद्यान्न से ही बन जातीं । इन्होंने हमारे देश के खाद्यान्न के बफर स्टाक को समाप्त कर दिया । जब हमारे देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने फिर देश के बफर स्टाक्स सम्पन्न करने के लिए बाहर से खाद्यान्न मंगाया है तो ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं और उसकी आलोचना कर रहे हैं ।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं आगामी वर्ष 1982-83 की योजनाओं में लगभग 334 करोड़ रुपये की धनराशि जो जिला स्तर पर दी गयी है, उसके लिए कुछ कहना चाहता हूं । इस बार हमारे जनपदों ने अपने संसाधनों की सीमा में रहते हुए अपनी कुछ योजनायें तैयार की हैं कि विकेन्द्रित नियोजन के द्वारा विभिन्न मदों की परियोजनाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए 1202 करोड़ की योजना को अनुमानित किया है ।

श्री उपाध्यक्ष --

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रघुबीर सिंह यादव--

मान्यवर, इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन अब आपका समय समाप्त हो गया, आप विराजिये ।

श्री रघुवीर सिंह यादव--

इसके साथ ही मैं अपने जनपद की बात करते हुए कहना चाहूंगा कि क्योंकि इस सदन में मेरा दो बार नाम पुकारा गया है, इसलिए मान्यवर, मुझे कुछ अधिक समय प्रदान करेंगे । मान्यवर, दिनांक 27-1-82, दिन बुधवार को माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र की फोटोस्टेट कापी आपके समक्ष प्रस्तुत की थी । जिस पर माननीय नेता विरोधी दल ने प्रश्न उठाया था कि 1980 में छविराम डाकू ने कुछ एम0 एल0 ए0 की मदद की थी चुनाव के समय और इस सम्बन्ध में एक पत्र पेश किया था मुख्य मंत्री जी ने जो कि श्री लटूरी सिंह का था ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, वह पत्र पढ़ा जा चुका है, उसकी जरूरत नहीं है ।

श्री रघुवीर सिंह यादव—

उसके सन्दर्भ में केवल यह कहना है पत्र में कहा गया है कि कुरावली इलाके से खबर मिली है कि रघुवीर सिंह जी की पोजीशन खराब है । मैं बता देना चाहता हूं कि जनता एस, के हमारे यहां सत्येन्द्र सिंह यादव खड़े हुए थे जिनकी वह पोजीशन अच्छी समझते थे, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि आप जीतते व्यक्ति की मदद करें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष —

आप को केवल अपना स्पष्टीकरण देना है दूसरे का नहीं ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया आप सुन लें । यहां पर श्री लटूरी सिंह जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा था कि मैंने छवि राम को पत्र नहीं लिखा । जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है— प्रिय नेता जी—तो माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं तो क्या छवि राम जी ने आपको बताया या मुख्य मंत्री जी को बताया....

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुझसे व्यवस्था क्या चाहते हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, आप व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं ।

आप विराजें । माननीय रघुवीर सिंह जी, आप भी विराजें ।

श्री रघुवीर सिंह यादव—

मान्यवर, मैं केवल दो स्पष्टीकरण देना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष —

आप बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं ।

श्री रघुवीर सिंह यादव—

मैं यह कह रहा था कि. ..

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब जो मेरी आज्ञा के बिना बोल रहे हैं वह नोट नहीं किया जायेगा ।

[3 बजकर 57 मिनट]

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, श्री नश्तर जी कुछ समय पहले बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि वर्ष 1981-82 का बजट सम्भावनाओं से भरा-पूरा था और 82-83 का बजट भी सम्भावनाओं से भरा-पूरा है। तो मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि 1981-82 के बजट में हम देवली से बढ़पुरवा पहुंचे हैं तो अब हम कहां पहुंचेंगे अगर यही हालत रही तो, इसमें क्या कहा जा सकता है? उत्तर प्रदेश केवल हलचलों का प्रदेश हो गया है, आतंक का प्रदेश हो गया है, डाकुओं और डकैतों का वातावरण हो गया है। हमारे यहां व्यवस्था के नाम पर करोड़ों-करोड़ रुपया व्यय करने का बजट आया है और मैं सोच रहा था कि वह व्यय कहां किया जायेगा। गोरखपुर से छपने वाला दैनिक अंग है, कल छपा था, देवरिया में जंगल पार्टी के नाम पर दस्युराजों का गिरोह काम कर रहा है और आज के प्रतिनिधि ने छापा है कि सत्ता पक्ष के लोग, आप कहेंगे कि आरोप-प्रत्यारोप फिर प्रारम्भ हो गया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 4-2-82 का आज संस्करण है, गोरखपुर का, आप देख लें, 85 लोग सदस्य हैं और आज के प्रतिनिधि ने जानना चाहा है कि उसमें किन-किन स्तर के लोग हैं। उसने कहा है 12 मंत्री हमारे गोल के सदस्य हैं और अन्य लोग भी आ जाते हैं। हमारा करोड़ों रुपये का बजट, दस्यु राज्य के माध्यम से, साथ में बैठ कर सरकार के लोग आहरित कर रहे हैं, अगर यही व्यवस्था है, तो देश की तरक्की कैसे होगी।

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक देवरिया के यहां शांति और व्यवस्था के नाम पर बैठक हो रही थी, वहां अहरौली दान में पी० ए० सी० थी, पी० ए० सी० के दो जवानों का सशस्त्र अपहरण पारस अवधिया ने किया था, मैंने कहा था कि अहरौली से पी० ए० सी० न हटाओ, उनका हटाना वहां की जनता की जान लेना है, तो वे मुझसे बोले कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पारस अवधिया ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि नगीना राय सांसद बिहार (कां० ई०) ने मुझे आश्वस्त किया है कि इस तरह की घटना कोई नहीं करेगा। इसे डकैतों को संरक्षण न माना जाय तो क्या माना जाय? तमाम हत्यायें पुलिस कार्यालय एस० पी० के बंगले के आस-पास हुई हैं। बंश गोपाल तिवारी की हत्या एस० पी० बंगले के पूरब हुई है राम नक्षत्र की हत्या पुलिस अस्पताल एवं पुलिस कार्यालय के दक्षिण तरफ सटे हुई है। 3 किलो खाद के नाम पर एक नवजवान की हत्या हुई है। राघव तिवारी की हत्या 75 और 100 मीटर की दूरी पर एस० पी० के बंगले और कार्यालय के बीच हुई है।

आज जान की कोई कीमत नहीं रह गई है देवरिया में। यदि वाराणसी को छोड़ दिया जाय तो इस बजट पर सामान्य चर्चा का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। यू० पी० कालेज के छात्रों द्वारा शान्ति प्रदर्शन किया जा रहा था और संयत रूप से छात्र अपना प्रदर्शन लेकर जा रहे थे उसमें पुलिस के लोगों ने अवरोध पैदा किया और लाठी चार्ज किया गया। वीणा पाण्डेय को निर्मम रूप से पुलिस ने पीटा और जब वीणा पाण्डेय ने कहा कि महिला पुलिस को बुलाओ तो अतिरिक्त जिलाधिकारी, एस० पी० सिटी, वाराणसी ने कहा कि मुझे ही महिला मान लो और ऐसा कह कर उस वीणा पाण्डे के साथ अभद्र व्यवहार किया गया।

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—]

जब वीणा अचेत होकर गिर पड़ीं तो उसे पुलिस के कब्जे में जबरन ले जाया गया और थाने में 12 बजे रात तक बिठाये जाने के बाद बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी कागज पत्र के छोड़ दिया गया । यही नहीं, बनारस यूनिवर्सिटी में बिना किसी अनुमति के पुलिस प्रवेश हुआ और चाहे वहां के अधिकारी रहे हों, चाहे कर्मचारी रहें हों, किसी को भी बख्शा नहीं गया । लाठी से मारा गया । वहां कमरा नं0 11, 12 और 13 में आज भी खून के धब्बे इस शासन के बदनुमा दाग की तरह वहां मौजूद हैं । इससे ज्यादा व्यवस्था के नाम पर कुव्यवस्था और क्या हो सकती है । जहां गरीबों के जीवन धन की सुरक्षा की कोई निश्चितता नहीं है यह देश कैसे चलेगा ? एक सीता और द्रोपदी के चीर हरण पर रामायण और महाभारत की रचना हो गई यहां रोजाना सीता और द्रोपदी का चीर हरण हो रहा है । अनेकों वीणा पीटी जा रही हैं । यह देश कहां जा रहा है, प्रशासन कहां जा रहा है ।

किसानों को सुविधा देने की बात कही गई है लेकिन आज किसान मजबूरी में खेती कर रहा है और मजबूरी किसान के सामने यह है कि अगर करेगा तो धीरे-धीरे मरेगा और नहीं करेगा तो तत्काल मर जायगा । आप भगवान को दो नम्बर पर मानते हैं और मतदान की स्थिति में किसान को एक नम्बर का मानते हैं और आज उस एक नम्बर के भगवान किसान को उसके विश्वास को सरे आम नीलाम कर रहे हैं । आप साढ़े 11 करोड़ लोगों के साथ, उनके विश्वास के साथ धोखा कर रहे हैं । आप औद्योगिक विकास को गांवों में नहीं ले जायेंगे । शहरों में जकड़े रहेंगे । आज गांव उजड़ता जा रहा है । गांव का गरीब शहरों की तरफ देख रहा है ।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

शहर की क्षमता भी एक निश्चित क्षमता है, कितने लोगों को वह भरणपोषण दे पायेगा, कितने लोगों को पनाह दे पायेगा ? बेकार हाथ को काम चाहिए और खाली खेत को पानी चाहिए । शक्ति के स्रोत के रूप में विद्युत है जो पहले 24 घंटे मिलता था, 18 घंटे पर आया, फिर 8 और अब तो 5 घंटे पर आ गया है । मान्यवर, आप स्वयं देखते हैं कि यहां भी कभी-कभी अंधेरा हो जाता है । जब यहां अंधेर है तो प्रदेश में कितना अंधेर है । इसे आप देख और समझ सकते हैं ।

आप विकास करने की बात कहते हैं लेकिन विकास की व्यवस्था यही है । सामान्य बिजली उपभोक्ता जब कनेक्शन के लिए जूनियर इंजीनियर के पास जाता है तो उसे सैकड़ों रुपये का नाजायज तौर पर भुगतान करना पड़ता है, फिर उसे कहीं विद्युत कनेक्शन मिल पाता है । इस तरह से सत्यता में और सही कार्य बिन्दु तक पहुंचने में बहुत दूरी है । आपके चलने का ढंग और कार्यक्रम विचित्र सा है । आप सेल पर सेल बनाते जा रहे हैं । हमारे यहां देवरिया में भी विद्युत विभाग के पुलिस सेल के लोग हैं । वहां पुलिस वाले गांवों में जाते हैं और गांव वालों से नाजायज तौर पर रुपया लूटते रहते हैं ।

अब मैं वितरण के सम्बन्ध में कुछ कह दूं । सीमेंट वितरण का अधिकार आपने तहसील स्तर पर परगनाधिकारी को दे रखा है । उसकी ड्यूटी यह है कि वह जांच करके, तब लोगों को सीमेंट दे । परगना अधिकारी तहसील स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे आपने मिनी अंतुले बना कर रख दिया है और

इस तरह से सारे प्रदेश में सीमेन्ट वितरण के सिलसिले में लूट मची हुई है। परगने का जो सर्वोच्च अधिकारी पी० सी० एस० है, उससे आप सीमेन्ट वितरण करा रहे हैं और प्रदेश में न मालूम कितने मिनी अंतुले को बैठा रखे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सीमेन्ट वितरण की व्यवस्था में पर्याप्त सुधार लाने का प्रयत्न करें। वितरण विकास खंडों के माध्यम से करावें।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, पिछले कुछ दिनों से इस वर्ष के बजट के ऊपर चर्चा चल रही है। बहुत से माननीय विद्वान सदस्यों ने इसमें भाग लिया। मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इसका समर्थन किया उनके प्रति भी और जिन्होंने आलोचना की उनके प्रति भी। क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि जब हम आलोचना कर सकते हैं तो हमें आलोचना सुननी चाहिए। आलोचना लाभप्रद होती है।

(व्यवधान)

इतना ही निवेदन है कि मेरी बात सुन लें, कुछ गम्भीर बातें कहूंगा। इससे आपको कष्ट तो जरूर होगा सुनने में। मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने समय से बजट प्रस्तुत करने के लिए मुझे बधाई दी है। वास्तव में अभी तक का यह अनुभव रहा है कि समय पर बजट प्रस्तुत नहीं होता था जिससे विकास के कामों में अवरोध उत्पन्न होता था और खर्च भी समय के अनुसार नहीं हो पाता था। बजट का पैसा आखिरी दिनों में आकर खर्च होता था। मैं देख रहा था कि 1966 में 14 फरवरी को बजट पेश हुआ, उसके बाद कभी भी समय से बजट प्रस्तुत नहीं हुआ। पिछले वर्ष 30 जनवरी को मैंने बजट प्रस्तुत किया था और इस साल उससे एक दिन पहले 29 जनवरी को बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका लाभ यह हुआ कि हमको खर्च करने के लिए पूरे ग्यारह, बारह महीने मिले। इस साल मैं उम्मीद करता हूं सारी वित्तीय स्वीकृतियां अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी कर पाऊं। एक बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही, इस सम्बन्ध में कि वित्तीय पत्र में, आय-व्ययक में, जो चीजें शामिल हो जाती हैं उसके बाद भी वित्त विभाग परीक्षण करता है और उसमें समय लग जाता है। एक मजबूरी है क्योंकि जब हम आय-व्ययक में कोई नई बात रखते हैं तो उसका वित्तीय अनुशासन कायम रखने के लिए परीक्षण जरूरी होता है। लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि इस वर्ष के पहले नौ-दस महीनों में, मेरा अनुमान है 31 जनवरी तक, हम लगभग 55, 60 फीसदी अपना योजना व्यय कर पाये हैं।

एक शंका यह जाहिर की गई कि और यहां तक कह दिया गया कि घाटे के बजट से इनफ्लेशन, मुद्रा स्फीति पैदा होगी। मेरा यह नम्र निवेदन है कि प्रदेश सरकार का बजट मुद्रा स्फीति में कुछ अंश तक प्रभावी हो सकता है सभी प्रदेशीय सरकारों का बजट घाटे का है, इससे मुद्रा स्फीति हो सकती है। यह मुद्रा स्फीति का मूल कारण नहीं बन सकता है। एक बात का ध्यान माननीय सदस्यों को दिलाना चाहता हूं कि बजट साहित्य के साथ एक स्मृति-पत्र दिया गया। इसमें आप 1980-81 के बजट को और 1982-83 के बजट को बात देखें। 1980-81 का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं पेश किया था। उसमें हमको जो शुरू में मिला था, विरासत में मिला था, उधर जो लोग बैठे हैं, उनकी कृपा से मिला था, उसमें 131 करोड़ 15 लाख का घाटा था। बाद

[श्री ब्रह्म दत्त—]

में इसका पुनरीक्षण किया गया, वित्तीय अनुशासन किया गया और पिछले वर्ष जो हमने 1981-82 का बजट पेश किया था उसमें हमारा प्रारम्भिक शेष 2 करोड़ 60 लाख रही। वास्तविक 65 करोड़ 38 लाख रहा। हमारी कुल प्राप्तियां मूल 2555 करोड़ और वास्तविक 2893 करोड़ रही और जो घाटा 97 करोड़ 46 लाख अनुमानित था, वह 33 करोड़ 69 लाख के मुनाफे में बदल गया। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि कम से कम बगैर किसी नये टैक्स को लगाये और बगैर कोई ऐसा भार बढ़ाये जिससे कि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था खराब होती हो, घाटे के बजट को मुनाफे के बजट में बदल देना एक अच्छी बात है।

श्री रियासत हुसैन—

86 करोड़ रुपये में जो आपने बिजली में बढ़ोत्तरी की, लगान में बढ़ोत्तरी की 3 1/8 से घटा कर डेढ़ एकड़ किया, इस प्रकार 86 करोड़ इकट्ठा किया, इसकी कहीं पर गिनती की है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जिस चीज का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, उससे तो हम को घाटा आने वाला ही नहीं है, वह संसाधन में आता ही नहीं है। इस बजट में विद्युत् परिषद् का बजट शामिल नहीं है। आप तो तजुर्बेकार सदस्य हैं। बजट में वह नहीं आता है। जो बजट हम प्रस्तुत करते हैं विद्युत् परिषद् का बजट, मान्यवर, उसमें प्रस्तुत नहीं करते हैं। हम राज्य सरकार का बजट प्रस्तुत करते हैं....

श्री रियासत हुसैन—

बिजली का सिर्फ 33 करोड़ हुआ बाकी इरिगेशन, बसों का किराया, लगान, इनमें बढ़ाकर वसूल किया है, वह कहीं गिनती में है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, बसों का किराया तो यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 से होता है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री के हिसाब से यह आश्वासन मैं नहीं दे सकता कि कोई चीज बढ़ेगी नहीं।

आज प्रदेश के सामने दो रास्ते हैं—एक स्टेगनेशन का और दूसरा विकास का। विकास के रास्ते पर चलने के लिये हमें अपने संसाधन जुटाने पड़ेंगे और संसाधन नहीं जुटायेंगे तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला जा रहा है पिछड़ता चला जायेगा। उसके लिये वर्तमान सरकार न पिछड़न देने के लिये कृत संकल्प है। उसी के लिये योजना आयोग से हमें नये साधन भी प्राप्त होते हैं। मान्यवर, इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं और इस वर्ष जो हमने प्रयास किये हैं उनके अच्छे नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। जो हमारी टैक्सों की वसूली की स्थिति है, वह अच्छी जा रही है। मान्यवर, 1979-80 में सेल्स टैक्स में हमको 256 करोड़ रुपया मिला था। मनोरंजन कर का 64 करोड़ रुपया मिला था, रजिस्ट्रेशन स्टाम्प आदि से 30 करोड़ रुपया मिला था। इसके अतिरिक्त अगले वर्ष में बिक्री-कर से जब हमने दरों का सरलीकरण किया, कोई दरें नहीं बढ़ाई, उससे हमको 301 करोड़ मिला। रजिस्ट्रेशन स्टाम्प से कुल 2 करोड़ का फर्क पड़ा और मनोरंजन कर में 5 करोड़ का फर्क आया।

मान्यवर, इस वर्ष भी हम करीब-करीब सेल्स टैक्स में 251 करोड़ पर पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं हम पिछले वर्ष के मुकाबले में 30-32 फीसदी आगे जायेंगे। सवाल यह है कि हमारे सामने दो-तीन तरीकों से अपने संसाधन बढ़ाने हैं। पहला तो यह है कि हम अपने करों की वसूली को ठीक करें, कर प्रवंचना को रोकें। इस तरह से हमने जो कदम उठाये हैं उसमें प्रगति हुई है। लेकिन जितनी प्रगति हुई है उससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं। दूसरा यह है कि हम किस तरह से अपनी करों की वसूलयाबी को बढ़ायें। इसमें यह शंका व्यक्त की गई है कि हमने पावर बढ़ा ली है। हमने इसके सम्बन्ध में पूरी विस्तृत व्याख्या कर ली है और उसे हम अपने मंत्रि-मंडल के सामने रखेंगे और पुरानी वसूलियों को वसूल करने के लिये जनता के सामने तथा विधायकों के सामने उसे रखा जायेगा। हम उन वसूलयाबियों को आपकी परमीशन और आज्ञा से ही वसूल करना चाहते हैं।

हमारी वसूली तीन तरह की है। एक तो यह है कि जो वसूलियां सन् 66 से पहले की हैं, उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम और पता ही हमको मालूम नहीं है कि किन-किन से वसूल करना है। ऐसी वसूलियाँ हमारे संसाधनों में तो जुड़ जाती हैं किन्तु वे वास्तव में वसूल नहीं होती हैं जिसको कि सरकार की नाकामयाबी समझा जाता है। कुछ ऐसी वसूलियां होती हैं जो वसूल ही नहीं हो सकती हैं जिनको कि छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसी होती हैं जिन पर कुछ पिनल्टी आदि लगा करके किश्तों में उनको बांट दिया जाता है ताकि हमारा रुपया वसूल हो जाय। इसमें किसी के साथ पक्षपात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 1979 में मनोरंजन कर की छूट थियेटर्स को दी गई और करोड़ों रुपये का नुकसान उससे हुआ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

28 करोड़ की रबड़ फैक्टरी बरेली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट....

श्री ब्रह्म दत्त--

रबड़ फैक्टरी भी उसमें आ रही है और टायर फैक्टरी भी आ रही है। मनोरंजन कर की छूट देने के लिये एक व्यवस्था की गई है और एक कमेटी बना दी है। वह बाकायदा विश्लेषण करती है पिछले वर्ष एक पिक्चर को कर की छूट दी गई थी जिसमें ढाई-तीन लाख की हानि हुई, मैं इसको मानता हूं कि आम छूट देने से कोई फायदा नहीं होता।

एक बात यहां कृषि मूल्यों के सम्बन्ध में कही गई। मेरा मान्यवर, नम्र निवेदन है कि किसी भी दल को सदन के बाहर और सदन के भीतर एक सी नीति का प्रतिपादन करना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए कि सदन के बाहर हम कुछ कहते हैं और सदन के भीतर कुछ कहते हैं।

श्री जटाशंकर सिंह--

हरिजन वाले मसले पर आप बता दें?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं उत्तर की बात कर रहा हूं और आप पश्चिम की बात कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं इस समय केवल कृषि मूल्य की बात कह रहा हूं इस देश में स्वतन्त्रता के बाद कृषि क्षेत्र में जो हुआ मैंने बहुत कोशिश की जानने की, संसार के इतिहास को पढ़ने की तो जितनी उन्नति हमारे यहां हुई, जिस ढंग से यहां कृषि

[श्री ब्रह्म दत्त--]

क्षेत्र में क्रांति लाई गयी, उतनी कहीं नहीं हुई । आजादी से पहले मौरूसी अधिकार दे दिये गये लेकिन बाद में जमींदारी उन्मूलन हुआ, उसके बाद सीलिंग लगी, सिंचाई की क्षमता का विस्तार हुआ, नये किस्म के बीजों की खोज हुई तो उससे जो हरित क्रांति आई उसके प्रभाव से कृषि उपज के दाम गिर सकते थे, जिससे किसान को दंड़ित होना पड़ता जो उसने ज्यादा उत्पादन किया लेकिन हमारी समर्थन मूल्य की व्यवस्था ने किसान को एक मिनिमम मूल्य दिलाया । अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए कृषि के लिये हमने समर्थन मूल्य दिये । सौभाग्य से इस देश के पहले प्रधान मंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जो परम्परा रखी है उसको कोई सरकार बदलने की हिम्मत नहीं कर सकेगी । लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं यह जो समर्थन मूल्य का सवाल है कि किसान को उसकी उपज का कम से कम लागत मूल्य दिये जायं इसके बारे में मैं लोकदल के वरिष्ठ नेता की राय बताना चाहता हूं यह ऐकेडेमिक चीज है ।

(व्यवधान)

इसमें बहस की बात नहीं है यह एक किताब है ।

"इंडियाज इकनोमिक पालिसी"

--चरण सिंह

इसको चौधरी साहब ने लिखा है । इसका एक पैराग्राफ पढ़ कर सुनना चाहता हूं । इस पर दल के अन्दर भी विचार करें और बाहर भी विचार करें ।

श्री रियासत हुसैन--

इसमें आपकी मदद ली होगी ।

श्री ब्रह्म दत्त--

यह एकेडेमिक चीज है, डिसकसन जरूरी नहीं होता । सब को मालूम हो जायेगा । मैं लोक दल के साथियों से कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

मैं उनकी पार्टी के बारे में ज्यादा बता सकता हूं । लोक दल के ऊपर मेरा एहसान है, लोक दल को खड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी थी । वह आप नहीं जानते हो ।

श्री रियासत हुसैन--

यही तो बदकिस्मती है कि आप ऐसी पालिसी बना गये ।

श्री ब्रह्म दत्त--

एक सैद्धांतिक बात है, ऐकेडेमिक चीजों में इस तरह बहस नहीं होती, तो सपोर्ट प्राइस के बारे में चौधरी साहब ने एक बाइटल बात कही है--

"दि अब्व आर्ग्यूमेंट एबाउट प्राइस सपोर्ट्स मेक्स ए ग्रेट अपील टू दि फार्मर ।"

यह समर्थन मूल्य दिया जा रहा है यह किसानों को अपील करता है लेकिन हमारी राय में--

"बट इन आवर ओपीनियम, ऐनी इफेक्टिव पालिसी इन दिस रिगार्ड इज अन-वर्केबिल इन इंडिया ।"

इस तरह की पालिसी हिन्दुस्तान में चल नहीं सकती । मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं ।

"इट इज ऐन आइडिया बारोड फ्राम दि वेस्टर्न कन्ट्रीज ।"

यह पश्चिमी देशों से लिया गया एक आईडिया है ।

(व्यवधान)

मैं बहस की बात नहीं कर रहा हूं । माननीय भानु प्रताप सिंह तो कृषि मंत्री भी रहे, उनसे मेरा निकट का साथ रहा है वह आपके पड़ोसी हैं, मेरे बड़े मित्र हैं, उनकी भी एडवाइस थी ।

(व्यवधान)

यह एकेडेमिक चीज है ।

"अपार्ट फ्राम इटस फाइनेंशियल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन्स, इट इज डाउटफुल व्हेंदर फिक्सेशन आफ मिनिमम एग्रीकल्चरल प्राइसेस इज अदरवाइज डिजायरेबिल ।"

इसके आर्थिक और प्रशासनिक परिणामों के अलावा यह भी सन्देहजनक है कि कृषि उपज का कम से कम दाम तय किया जाना दूसरे कारण से वांछनीय नहीं है ।

श्री हुकम सिंह--

इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इसका निष्कर्ष यह हुआ कि आपका दल किसानों को समर्थन मूल्य देने के पक्ष में नहीं है । मान्यवर, समर्थन मूल्य का एक इतिहास है । सबसे पहले 1967 में समर्थन मूल्य तय किया गया था और फिर 68 में हुआ और फिर 77-78 में मान्यवर । गेहूं का मूल्य 76-77 में 105 रु0 था । 77-78 में जनता पार्टी ने पहले साल 5 रु0 बढ़ा दिये और 110 कर दिया फिर 78-79 में ढाई रुपया बढ़ा कर गेहूं का मूल्य 112·50 कर दिया और 80 में केवल दो रुपया बढ़ाया । और मान्यवर, 1980-81 के मुकाबले में 1981-82 में 117 से बढ़ाकर 130 कर दिया, यानी 13 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की····

(व्यवधान)

अब मैं गन्ने के बारे में बताना चाहता हूं । वर्ष 1977 में 680 लाख मैट्रिक टन गन्ना इस देश में पैदा हुआ लेकिन हमने विदेश को चीनी भेजने का जो समझौता किया था, वह नहीं निभाया और गुड़ पर भी प्रतिबन्ध रहा । उन दिनों में सुन रहा था कि क्या-क्या स्लोगन यह लगाते थे । उस साल साढ़े 13 रुपया पश्चिम क्षेत्र में और साढ़े 12 रुपया पूर्वी क्षेत्र मे मूल्य था । लेकिन जो पेमेन्ट हुआ

श्री ब्रह्म दत्त--

किसान को वह मुख्य बात है। 155 करोड़ रुपया इसमें मिला था। वर्ष 1979-80 में 15 रुपया प्रति क्विंटल तय किया गया था जब हमारी गवर्नमेंट पहले साल आई, तो . . .

(व्यवधान)

1977-78 में 6 करोड़ 80 लाख मैट्रिक टन गन्ना पैदा हुआ, 1978-79 में 5 करोड़ 78 लाख मैट्रिक टन पैदा हुआ और 1979-80 में 4 करोड़ 71 लाख टन यह रह गया। क्योंकि जिस समय गन्ने की फसल थी, उसको सिंचाई की जरूरत थी, हमारे यहां के जो पांच-साढ़े पांच लाख पम्पिंग सेट्स थे, उनके लिए डीजल नहीं था और डीजल के लिये 1/1 मील लम्बी लाईन लगती थी। उसके बाद के साल में बढ़कर फिर यह 5 करोड़ 76 लाख हो गया। जिसमें 19 रुपया और 21 रुपया शुरू में था और बाद में उसे बढ़ाकर 21 व 23 रुपया कर दिया गया।

इस संबंध में यह एतराज आया कि शुरू में आपने 19 रुपया तय कर दिया, इससे जो किसान अपना खेत खाली करने की जल्दी में थे, उन्हें नुकसान हो गया, वह घाटे में रह गये। जब यह विचार सामने आया तो यह निश्चय किया गया कि जो रेट तय करें वह शुरू से आखीर तक एक सा तय करें, ताकि छोटे किसान को भी उसका लाभ मिले, जो अपना खेत जल्दी खाली करने की जल्दी में रहते हैं. .

(व्यवधान)

जब समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह उस समय घोषित हो जाना चाहिए जब फसल मार्केट में आने वाली हो। और इसमें भी आदर्श व्यवस्था यह है कि जब किसान खेत में फसल बोएगा, उसी वक्त उसको उसका मूल्य बता दिया जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कृषि मूल्य आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया है, वह रणधीर सिंह जी हैं, जो किसान हैं।

श्री रियाज़त हुसैन--

सुबह जो गन्ना मंत्री जी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे सके अब नम्बर दो के मंत्री जी इस समय गन्ने के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में बता दें।

श्री ब्रह्म दत्त--

कैबिनेट में नम्बर एक, दो कुछ नहीं होता है। यह प्रश्नकाल में हो जाएगा।

मैं दूसरे ढंग से इसको समझाना चाहता हूं, जो यह प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया रहता है वह क्या है।

हमने पिछले साल का पूरा का पूरा बकाया अदा करा दिया है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1978, 1979 का 155·31 करोड़ रुपया किसानों को भुगतान कराया। फिर वह 286 करोड़ रुपया करा दिया इस प्रकार से 131 करोड़ रुपये का भुगतान बढ़ा। और इस साल हमें आशा है कि हम 350 करोड़ रुपये का भुगतान करायेंगे। इस प्रकार से 2 वर्ष की अवधि में यह भुगतान दुगना हो जायेगा, किसान के घर में दुगना पैसा चला जायेगा। मैं समझता हूं कि यह स्थिति बहुत संतोषजनक और अच्छी है।

मान्यवर, एक बात मैं यह बताना चाहता हूं और इसका जिक्र मैंने अपने बजट भाषण में भी किया है। हमें जो अर्थ व्यवस्था मिली थी, वह वर्ष 1979-80 की मिली थी जिसमें पिछले साल के मुकाबले लगभग 17-18 प्रतिशत हमारी आय घट गयी थी लेकिन हमने सरकार के साधनों को घटने नहीं दिया और यह सूचना देते हुए मुझे हर्ष है कि लगभग 22 प्रतिशत आगे गये। इस प्रकार से जो वर्ष 1979-80 में नुकसान हुआ था, वह भी पूरा किया और अब इस वर्ष को हम उत्पादन वर्ष मनाने जा रहे हैं।

हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने कुछ चीजों का जिक्र किया। हमारे माननीय नेता विरोधी दल की कुछ बातों के सम्बन्ध में, कह चुका हूं। उन्होंने कहा था कि राज्य की आकस्मिक निधि का बड़ा दुपयोग किया गया। मैं बता देना चाहता हूं कि इस बजट के जरिये हमने उसको नियंत्रित किया है। एक पहला सप्लीमेंटरी बजट लाने वाला हूं और दूसरा सप्लीमेंटरी बजट लाया जायेगा उसके बाद आपको विदित करा दिया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहला सप्लीमेंटरी बजट वे लाने वाले हैं, और दूसरा भी समय से आयेगा तो मेरी प्रार्थना है कि इसको भी मंत्री जी स्पष्ट कर दें ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जो रुपया आकस्मिकता निधि से लिया जाता है, उसको सप्लीमेन्टरी द्वारा लाकर आपकी आज्ञा ली जाती है और तब उसको पूरा किया जाता है।

यहां पर इस पक्ष से और उस पक्ष से यह भी चिन्ता की गयी कि हम लोग जो अपनी योजना 9,600 करोड़ रुपये लेकर गये थे हमें 6,200 करोड़ रुपये ही मिले और उन्होंने यह भी चिन्ता व्यक्त की साल में 1400 करोड़ रुपये के स्थान पर हमें केवल 1200 करोड़ रुपये ही मिले। लेकिन मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी योजना का आकार इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारे कितने संसाधन होते हैं। ये 1082 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ के अर्थात् लगभग 12 1/2 प्रतिशत ज्यादा हुए।

हमें हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये के बजाय 120 करोड़ रुपया मिला। इसके लिए हम यह चेष्टा करेंगे कि अधिक पूंजी लगायें हमारा जो 213 क्षेत्र है वह तो प्राइवेट क्षेत्र में है। आधा किसानों का है। उद्योग भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, थोड़ी संस्था को छोड़ कर। दूसरे उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात में भी प्रयत्नशील है कि उद्योग क्षेत्र में कुशलता लाये और उनका घाटा पूरा करे। तीसरे हमारी जो संस्थागत संस्थायें हैं, बैंक्स हैं, हम उनके जरिए ज्यादा पूंजी लें। हमारी 1980-81 की वार्षिक योजना 934 करोड़ की थी लेकिन हम 800 करोड़ की पूंजी और लगा पाये, हमारा प्रयास है कि 900-1000 करोड़ रुपया हम संस्थागत वित्तीय साधनों से जुटा पायें।

इसके अलावा मान्यवर, हमने वर्ल्ड बैंक की मदद से भी कुछ महत्वपूर्ण योजनायें बनायी हैं जिनका उल्लेख मैं कर देना चाहता हूं। जब वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन यहां आये थे तो हमने उनके सामने उन योजनाओं को बनाकर रखा। पहली योजना हमारी है सोशियल फारेस्ट्री प्रोजेक्ट की। प्रदेश के 42 जिलों में इसका प्रसार होगा। इससे काफी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यह योजना सन् 84 के अन्त तक चलने वाली है।

[श्री ब्रह्म दत्त--]

दूसरी योजना हमारी ट्यूबवेल्स लगाने की है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से 500 ट्यूबवेल्स हम बना रहे हैं और इससे 62 हजार 500 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। 4500 ट्यूबवेल्स लगाने की योजना हमने और दी है जो 3-4 साल में पूरी होगी।

तीसरी योजना इन्लैंड फिशरीज प्रोजेक्ट की है। यह लगभग 4 करोड़ 67 लाख की है। इससे 5 हजार 53 किसान लाभान्वित होंगे।

चौथी योजना हमारी ग्रामों में गोदाम बनाने की है। 4,600 गोदाम बनाये जायेंगे जिनकी क्षमता 100 टन की होगी। इनके बन जाने से किसान के माल को रखने की व्यवस्था हो सकेगी।

पांचवीं योजना हमारी वाटर सप्लाई एन्ड सीवरेज प्रोजेक्ट की है। यह 5 कवाल टाउन्स में, 8 हिल डिस्ट्रिक्ट्स में और 5 बुन्देलखंड के जिलों में लागू की जायेगी।

छठी योजना हमारी एक सेकेन्ड नेशनल सीड प्रोजेक्ट की है। इसके द्वारा अच्छा बीज किसानों को फ्री दिया जा सकेगा। मान्यवर, इन सब योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश को पहुंचेगा और विशेषकर जो पूर्वान्चल के जिले हैं, जो पिछड़े हुये जिले हैं, उनको होगा। वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया गोरखपुर बस्ती और आजमगढ़ आदि के लिए विशेष ध्यान रखा गया है जिनको इन योजनाओं से लाभ होगा। प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना भी की जायेगी। जब यह योजना पूरी हो जायेगी तो उससे पूर्वान्चल के लोगों को काफी लाभ होगा। एक बहुत बड़ी आवश्यकता वहां के लोगों की पूरी हो सकेगी।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

एक बात पूछना चाहता हूं मान्यवर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, माननीय मंत्री जी बैठ नहीं रहे हैं।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, अभी समाचार पत्रों में आया है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को जो अनुदान दे रहा है, उसमें 50 फीसदी की कटौती करने जा रही है। इसका प्रभाव, आप जिन योजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, उन पर पड़ेगा। इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, ये जो समझते हैं, वह आधा ही समझते हैं। यह आई० डी० आई० क्रेडिट है, मुझे उम्मीद है यह पूरा मिलेगा।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, इन्टरेस्ट के साथ है कि इन्टरेस्ट फ्री है?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, यह वर्ल्ड बैंक की योजनाएं हैं। इसमें पहली योजना है बिजली के बारे में, जिसमें हमारे साथी बहुत चिंतित हैं। यह निश्चित है बिजली के बिना न उद्योग चल सकता है और न खेती ही हो सकती है। स्वायल एरोंजन पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहा है। इसलिए पर्यावरण के लिए हमने योजना बनाने के लिए कहा है। उसके लिए वाटर शेड मैनेजमेंट में दिया है। अब सरजू नहर की योजना जो है, उससे उम्मीद करता हूं एग्रिकल्चर के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, बागवानी के विकास के लिए है। यह आपका जो मध्य का हिस्सा है, उसमें सीतापुर, हरदोई सब शामिल होता है, जहां पर कुछ पैदा ही नहीं होता। हमने इसको इसलिए किया ताकि ऊसर दिमाग और ऊसर जमीन में कुछ पैदा होने लग जाय। एक और स्कीम है इंटीग्रेटेड वाटरशेड रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यह यू० पी० हिमालियाज एण्ड शिवालिक्स में यह योजना वहां पर लागू की। मान्यवर, इस तरह से 4 बड़ी प्रोजक्ट हमने वर्ल्ड बैंक को समर्पित किये हैं और इसका परीक्षण भी किया है। हमें विश्वास है, यह सफल होगी।

एक बात मान्यवर, मैं और कहना चाहता हूं कि विकास के लिए हमने यह तय किया है कि 35 फीसदी सिंचाई पर, बिजली पर और 5 प्रतिशत बाढ़ नियंत्रण के कार्य पर करेंगे। माननीय सदन को यह ज्ञात होगा कि भारत सरकार प्रयत्नशील है। हमारे यहां की जो नदियां हैं, वह, गंगा, जमुना हमारे यहां की हैं। लेकिन राप्ती, सरयू, गंडक ये नदियां नैपाल से आती हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि नैपाल सरकार के साथ कोशिश कर के इस पर बांध बनाया जाय जिससे हमारा भी फायदा हो और उन्हें भी फायदा हो। बाढ़ के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय योजना बनाने का निर्णय लिया है, मैं समझता हूं कि उससे बड़ा भारी फायदा होगा। पंचनद स्कीम इटावा में है। पंचनद स्कीम में पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी और बड़ा भारी उसका असर इन तमाम जिलों के ऊपर आने वाला है। हम पूरा प्रयास करेंगे और अगर उसकी योजना बनाई, तो किसी न किसी सप्लीमेंट्री बजट में उसके लिए प्राविधान करेंगे। हमारे कानपुर के नश्तर साहब ने गंगा बैराज के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। हमने कहा था 1 करोड़ रुपया उसके लिए पिछले साल रखा गया था। इस योजना का क्या रूप होगा, यह अभी तय नहीं हो पाया है। इस लिए अभी तक वह रुपया खर्च नहीं हुआ है। अभी पिछले वित्तीय वर्ष में तीन महीने बाकी हैं और इस वर्ष के बजट में 10 लाख रुपये का प्रतीक प्राविधान कर दिया गया है।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

इस 1982-83 के बजट में कोई भी हेड कायम करके कोई रुपया गंगा बैराज के लिए नहीं रखा गया है।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, 10 लाख रुपये का प्राविधान किया है। अभी जो रिपोर्ट रखी गई थी, उसमें एक बात बताई गई थी कि 1979-80 में प्लान का रुपया पूरा व्यय नहीं हो सका और 767 करोड़ में 723 करोड़ व्यय हुआ, बाकी 43 करोड़ रुपया बिना व्यय हुए रह गया। मैंने यह निवेदन किया था कि 1980-81 में पूरा किया है और 1981-82 में पूरा व्यय करेंगे और हर योजना का अनुवीक्षण करके उसके ऊपर पूरा नियंत्रण करेंगे। यहां पर मान्यवर, मैं फिर जिला योजना की बात

[श्री ब्रह्म दत्त—]

दोहराना चाहता हूं । पहली दफा यह क्रान्तिकारी कदम इस प्रदेश में उठाया गया है । योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया, वित्तीय विकेन्द्रीकरण और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण दोनों इस बार किया गया और 30 प्रतिशत पैसा जिला योजनाओं के लिए रखा गया है और उसके लिए मानक तय कर दिया गया है और उसमें हर विधायक को सम्बद्ध किया जायेगा, संसद सदस्य को सम्बद्ध किया जायेगा । यह कल्पना पिछले अक्तूबर में रखी गई थी लेकिन मुझे अपनी योजनाओं को केन्द्रीय वित्त योजना के रूप में लेकर जाना था । इसलिए पूरी परीक्षा जितनी होनी चाहिए थी, वह पूरी तैयारी नहीं हुई । प्रारम्भिक तैयारी कर दी गई है । जब हमारे माननीय विधायक जिलों में जायेंगे तो उनको निमंत्रण मिलेगा 1982-83 के योजनाओं को विस्तृत रूप देने का ।

सेक्टर के हिसाब से तो एलोकेशन कर दिया गया है कि कितने ट्यूबवेल लगेंगे, कितनी सड़कें बनेंगी । लेकिन कहां बनेगी, इसका एलोकेशन आपको करना है । हर ब्लाक में हर क्षेत्र में आबादी के हिसाब से कितने स्कूल हैं कितनी सड़कें हैं और कितनी होनी चाहिये इसके लिए जो नार्म्स तय किये गये हैं अगर उसके हिसाब से रुपये का बटवारा करेंगे तो मैं समझता हूं चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे विरोध पक्ष के हों, कोई झगड़े का सवाल नहीं पैदा होता और इसका बटवारा हो जायेगा । मान्यवर, अब जन प्रतिनिधियों का काम खाली कानून बनाना नहीं है कानून बनाने के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा काम कानून को लागू कराना, और योजनाओं को कार्यान्वित कराना है और यह देखना है कि यह योजनायें ठीक से लागू हो रही हैं या नहीं । इसीलिये हमारी जो जिला योजना समितियां हैं जिसमें इधर और उधर दोनो तरफ के विधायक और संसद सदस्य होंगे, जिला योजना समिति योजना बनायेगी और उन योजनाओं का अनुरक्षण भी करेगी उसका इवेल्यूशन भी करेगी । और समिति इस बात को भी देखेगी कि योजनायें ठीक से चल रही हैं या नहीं, जिलाधिकारी के साथ बैठकर उनका परीक्षा करेगी । जिला स्तर पर समिति का जो विचार होगा, उस पर मंडल स्तर पर विचार किया जायेगा और मंडल का जो अनुरक्षण होगा, उसका हम यहां अनुरक्षण करेंगे । मैं नहीं मानता कि लखनऊ में बैठकर 56 जिलों की योजनाओं को देखा जा सकता है, यह सम्भव नहीं है । इस प्रकार जो हमने विकेन्द्रीकरण किया है इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपके सामने आयेगा ।

श्री राम सागर—

मान्यवर, जैसा आपने कहा यह मंडल स्तर पर अनुदान आवंटित किया जायेगा । फैजाबाद मंडल में जितनी योजनायें जाती हैं उसमें ज्यादातर अमेठी चली जाती हैं । क्या ऐसी व्यवस्था आप कर देंगे कि प्रत्येक जिले को बराबर मिलेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

माननीय सदस्य ने अगर हमारी बात को सुना होता तो पूछने की जरूरत न होती । हर ब्लाक और हर क्षेत्र के लिए तय कर दिया गया है । उसी हिसाब से खर्च होगा । मैं योजना आयोग का उपाध्यक्ष हूं अगर किसी जगह किसी सदस्य को ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है । तो वह हमको बता दें । मैं जो अन्याय हुआ है, उसको दूर कर दूंगा या जो गलतफहमी होगी, उसको दूर कर दूंगा । एक हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे

कि 8 लाख रुपया एक ब्लाक के लिए रखा है । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना जो है इसके अन्तर्गत आदमी को रोजगार का जरिया देना है । श्रम और जानकारी उसके पास है केवल पूंजी नहीं है । पूंजी उपलब्ध कराना बैंक के जरिए से है । इसीलिए जो हमारी विकास योजनायें हैं हर जिले में, उसके लिए प्लान अलग से बनाया गया है । 1982–83 तक की जो योजनायें हैं उसके अन्तर्गत जो व्यक्ति चयनित किया जायेगा या उसके अलावा जो होंगे, उनके रोजगार के लिए पूंजी जुटाने का हमारा प्रयास है । इसके लिए हम काम कर रहे हैं । हमें सन्तोष है कि मंडल स्तर पर जो कार्यवाही हैं मंडल कर सकता है और जिले स्तर पर जिलाधिकारी विधायकों के साथ बैठकर, बैंक के मैनेजर के साथ बैठकर यह काम करेंगे । जो नेशनल बैंक के चेयरमैन हैं उनके साथ एक दफा बैठक हो चुकी है । दो दफा गवर्नर रिजर्व बैंक आ चुके हैं । इस योजना को हम पूरा कर लेंगे तो प्रदेश को काफी पिछड़ापन कम कर सकेंगे ।

मान्यवर, अब मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि यह शासनतंत्र जो कर्मचारियों के जरिये चल रहा है, जो गांव से लेकर, लखनऊ स्तर तक विभिन्न विभागों में और विभिन्न जगहों पर बैठकर काम करते हैं, उनके लिए पिछली सरकार ने वेतन आयोग बिठाया था जिसकी संस्तुतियों पर हमेशा होता आया है कि सरकार निर्णय करती है और यदि कोई विसंगति या झगड़ा होता है तो उसको भी सरकार दूर करती है । हमारे मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करेंगे और लागू किया । संतोष तुलनात्मक चीज है । लेकिन विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ वह कहें कि खर्चा बढ़ाया गया है और दूसरी तरफ कहें कि तुमको कम मिला है, तो दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं । इसलिए बजट भाषण में कहा है कि 1 जुलाई, 1979 से संस्तुति लागू की जाय । पुराने वेतनमानों के न्यूनतम व अधिकतम का अनुपात 1:17 था जो घटकर 1:10 रह गया है, न्यूनतम वेतन 305 रुपए किया और धुलाई भत्ते को बढ़ाया गया है ।

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कान्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम लागू की और उनका कान्ट्रीब्यूशन सरकार देगी । इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो सेवा करते हुए अपंग हो जाते हैं या मर जाते हैं तो उनको और उनके परिवार के लिए कुछ रुपए दिए जाने की व्यवस्था की है, उनको पेंशन देने की व्यवस्था की है । यह क्रान्तिकारी कदम है जिसके लिए हमको गर्व है । इस सम्बन्ध में मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूं ।

मान्यवर, दूसरी बात कर्मचारियों के लिए आवास की बात है । मैं सिद्धान्तः सहमत हूं कि हर सरकारी कर्मचारी के पास, जब रिटायर हो तो उसके पास उसका निजी मकान हो लेकिन सीमित साधन हैं उससे यह सम्भव नहीं है । इसलिए इसको एक योजनाबद्ध तरीके से हम चला रहे हैं और इसके लिए 4 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है ताकि मकान कर्मचारियों को मिल जायं, जो सेवा निवृत्त हो रहे हैं । चूंकि 30 साल सेवा करने के बाद जो कर्मचारी सरकारी मकान में रहते हैं, उनको मकान खाली करने का नोटिस मिल जाता है जिससे उनको खाली करना पड़ता है । इसलिए योजनाबद्ध तरीके से मकान दिलाने का हमारा प्रयास है ।

मान्यवर, पुलिस के लोगों को जिनको आवास की सुविधा नहीं थी, यह भी निर्णय लिया है कि 3 वर्षों में 50 हजार कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिलों को मकान हम देंगे और चाहे वह बढ़िया न हो लेकिन उनको हम छत प्रोवाइड करेंगे ।

[श्री ब्रह्मदत्त--]

मान्यवर, हमने अनुकम्पा निधि को भी बढ़ाया है। निर्णय लिया गया है कि हर जिला मुख्यालय में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा के लिए अलग से अस्पताल बनायेंगे और कान्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अन्तर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का कान्ट्रीब्यूशन सरकार देगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों की मांग थी कि हमको बाहर घूमने का मौका कभी-कभी मिलना चाहिए और वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट देती है। यह स्पष्ट है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में लीव इनकैशमेन्ट की व्यवस्था नहीं है लेकिन हम एक महीने का देते हैं। यह जो लीव ट्रवेल कंसेसन है यह केवल वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल जो अपने को प्रगतिशील तथा क्रांतिकारी कहती है, वहां पर भी लीव इनकैशमेन्ट की व्यवस्था नहीं है। हमने अपने कर्मचारियों को एल० टी० सी० की सुविधा देने का निर्णय लिया है ताकि सर्विस करते हुए वह एक बार भ्रमण कर सकें देश का।

श्री शंकर सिंह--

आपका इतना बड़ा बहुमत है सब लोग चट्टी चटखाते हुए घूम रहे हैं तो इनके लिए भी कुछ आवास का प्रबन्ध किया है या नहीं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इस बारे में अपने लोगों से सहानुभूति तो नहीं है लेकिन आपसे जरूर है। 300 में से 200 लोग चट्टी चटखाते घूम रहे हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंने नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध किया है कि एक 150-200 एकड़ का प्लाट लेकर हायर परचेज सिस्टम पर आवास की व्यवस्था करायें। इसके लिए आवश्यक धन का हम प्रबन्ध करेंगे। क्योंकि चट्टी चटखाने की नौबत वहां है लेकिन कभी न कभी यहां आ सकती है। हमको और आपको आवास मिलेगा।

मान्यवर, कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या स्टेगनेशन की थी। प्रोन्नति के अवसर नहीं होते थे, आदमी सालों एक पद पर पड़ा रहता था। इसमें हमने किया है कि जो नीचे के लोग हैं, निम्न श्रेणी के लोग हैं, जो नीचे का वेतन पाते हैं उसमें अब 70 फीसदी उससे ऊपर का वेतन पायेंगे। वैयक्तिक सहायकों, प्रवर वर्ग सहायकों को 20 परसेन्ट, निजी सचिव ग्रेड-2, अनुभाग अधिकारियों के 15 परसेन्ट पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखने का निर्णय लिया है। सचिवालय के अलावा जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी सेवाओं में गतिरोध जहां पाया जायगा, सेवा में कितने लोग हैं और कितने प्रोन्नति के अवसर हैं, इसके लिए एक सेल बना दी गयी है जो इसका परीक्षण करती रहेगी और गतिरोध को समाप्त करने का पूरा प्रयास करेगी। हमने यह निर्णय खाली सचिवालय और अपने दफ्तर के लिए नहीं लिया है बल्कि इंजीनियरिंग तथा अन्य सभी संवर्गों में हमने परीक्षण करने के बाद सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की है और जहां-जहां गतिरोध होगा वहां उसका परीक्षण किया जायगा और सेलेक्शन ग्रेड बढ़ाने की व्यवस्था की जायगी।

मान्यवर, हमारी सरकार शिक्षकों को बहुत आदर और सम्मान की दृष्टि से देखती है। बहुत सहयोग हमारे शिक्षकों का रहा है। परीक्षायें समय पर हुयी हैं और अगले साल हम और नियमित करा पायें, इसका प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों के प्रतिनिधि मुख्य मन्त्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मिले कभी-कभी मैं भी शामिल रहता था तो

उसके परिणाम स्वरूप हाई स्कूलों के प्रवक्ताओं और अध्यापकों के वेतनमानों और सेलेक्शन ग्रेडों में बढ़ोत्तरी की गई है। अब सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों के लिए 450-720 के साधारण वेतनमान और 620-820 का सेलेक्शन ग्रेड रखा गया है। एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापक 540-910 के साधारण वेतनमान तथा 740-1090 के सेलेक्शन ग्रेड में होंगे। इंटरमीडियेट कालेजों के प्रवक्ता 650-1280 के साधारण वेतनमान में और 960-1480 के सेलेक्शन ग्रेड में होंगे। इन संवर्गों में वृद्धि अवरोध न हो इसका बराबर परीक्षण किया जायगा और अगर आवश्यकता हुयी तो सेलेक्शन ग्रेड का परसेन्टेज बढ़ाया जायगा।

मान्यवर, समय हो गया है। मैं केवल 5 मिनट और लूंगा। यहां पर इनकाउन्टर्स का बड़ा जिक्र हुआ, तो हमने गृह विभाग से यह अनुरोध किया था कि जितने भी मामलों की इनकाउन्टर्स की लिस्ट माननीय नेता विरोधी दल ने दी है, उनको उपलब्ध कराया जाए, तो मान्यवर, वह सारे उपलब्ध कराये जा रहे हैं। यह मान्यवर, अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा आरोप है हमारे लिए जैसे हमारा काम यही हो गया है हत्याएं कराने का ही।

(यह सही है की आवाजें) की।

(शोर)

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, यह कहना बहुत ही गलत होगा, ऐसा हर समय में होता रहा और मैं तो कहता हूं कि जैसी घटनाएं इनके कार्य-काल में पंतनगर और स्वदेश मिल, कानपुर की हुयी हैं, जिसमें खेतों में लोगों को जिंदा जलाया गया है। मान्यवर, मैं यह बातें दोहराना नहीं चाहता था और माहौल को दुःखद नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है, उस समय जिस प्रकार की रोयें खड़े कर देने वाली घटनाएं घटी हैं, वैसी तो कोई भी घटना भगवान का शुक्र है कि नहीं घटी है। एक बात मान्यवर, और कहूंगा खासकर उन माननीय सदस्यों से जो नये आये हैं, वह यहां की कार्यवाही 1979 और 1980 की पढ़ें जो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाये गये थे, उन्हीं को पढ़ें तो मैं इस सम्बन्ध में दावे के साथ कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यों पर सक्रिय कार्यवाही हुई है और अपराधों की संख्या पहले के मुकाबले बहुत घटी है।

दूसरे मान्यवर, आज रेडियो पर यह सूचना सुनी कि विरोधी दल के माननीय नेताओं को यह शंका है कि शायद सरकार राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें उत्पीड़न करने की कार्यवाही करने जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर इस प्रकार की कोई कार्यवाही शासन नहीं करने जा रहा है. हां उन लोगों को अवश्य नहीं छोड़ा जायेगा जो राजनीतिक मुखौटा रखकर अपराधियों और डाकुओं की मदद करने वाले हैं, उनको नहीं छोड़ा जायेगा। हमारे पास सारी रिपोर्ट्स पंतनगर हत्या काण्ड, वैद्यलिंगम रिपोर्ट आदि-2 इन सारे मामलों पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं होगी और जिन लोगों ने राजनीतिक बदले की भावना से कार्यवाही की, उनका हश्र आज सामने है, जनता ने उन्हें स्वयं तिरस्कृत करके अलग कर दिया, इसलिए ऐसी कोई कार्य-

[श्री ब्रह्मदत्त--]

वाही हमारी ओर से नहीं होनी है। इसके अलावा एक चीज सिद्धान्तरूप में हमारे और आपके सामने है वह यह कि हम सभी लोगों को मिलकर और दलगत भावना से ऊपर उठना पड़ेगा, हरिजनों, अल्प संख्यकों, निर्बलवर्ग के लोगों की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा, साम्प्रदायिकता को दूर करना पड़ेगा, जातिवाद के बढ़ावे को कम करना पड़ेगा और समाज में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यह कत्तव्य दोनों पक्षों के हैं, केवल एक के नहीं और सरकार इसमें आपके सहयोग का आवाह्न करती है, साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि किसी भी सरकार को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है कि एक अच्छा विकल्प विपक्ष का हो, इसलिए ऐसा विकल्प होना चाहिए, हम स्वयं कह रहे हैं कि इसका होना जरूरी है, लेकिन क्या कोई ऐसा विकल्प है, यह सत्ता क्या जनता रियासत हुसैन को सौंप दें, या राजेन्द्र गुप्ता को या हरीकिशन श्रीवास्तव को, किसको सौंप दें ? इस देश में, राज्य में अराजकता के फैलाने वाले नहीं कर सकेंगे वहां सत्तारूढ़ दल का विकल्प नहीं है और सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस देश की यही है...

(शोर)

प्रतीक्षा करिए, 5 साल बाद चुनाव होगा, आपको फिर मौका मिलेगा, जनता अगर आपको चुनेगी तो आप इधर आ जाइएगा, हम उधर चले जायेंगे।

पहली दफा इस देश के इतिहास में कांग्रेस पार्टी को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि विपक्ष में रहते हुए भी उसने राष्ट्रीय विपक्ष बनाया। लोकतन्त्र की बड़ी आवश्यकता पूरी की, उसकी नकल कीजिए, विपक्ष के लोगों को यह मेरी सलाह है वरना बहुत दुर्दिन देखने बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष —

यह आय व्ययक पर सामान्य चर्चा समाप्त हुई।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष —

माननीय कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी की दिनांक 4 फरवरी 1982 को विधान सभा के समक्ष हरिजन सत्याग्रही की रहस्यमय ढंग से मौत तथा पोस्टमार्टम के बाद बिना छानबीन के पुलिस द्वारा शवदाह के सम्बन्ध में नियम 51 में सूचना स्वीकार की गई है, शेष नियम 51 में जो सूचनायें आयी थीं, वे अस्वीकार हुई।

इस पर वक्तव्य कब देंगे मन्त्री जी ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)--

12 तारीख को दे देंगे, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

अब मद संख्या-9 लेते हैं, माननीय गृह मन्त्री।

[5 बजकर 7 मिनट]

जनपद वाराणसी में थाना मुगलसराय के अन्तर्गत ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत अग्रेतर वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

दिनांक 19 जनवरी, 1982 को बबुरी चौकी, थाना चन्दौली, जनपद वाराणसी में प्रातः 7.30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि भारत बन्द के संदर्भ में बबुरी बैरियर पर लाठी आदि एवं आग्नेयास्त्रों से लैस उग्रवादी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए, वाहनों के आवागमन में अवरोध उत्पन्न करके क्षति पहुंचा रहे हैं और यात्रियों को भी मारा-पीटा जा रहा है। इस सूचना के आधार पर उक्त चौकी के पुलिस दल ने मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसी मध्य प्रातः 9-00 बजे सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष, मुगलसराय के पुलिस दल व एक सेक्शन पी0 ए0 सी0 सहित घटनास्थल पर पहुंचने पर 3-4 हजार उपद्रवियों ने उनके ऊपर हमला बोलकर पथराव व फायरिंग शुरू कर दी, कर्मचारियों को घसीटकर मारने लगे, राइफल आदि छीन ली तथा बैरियर भवन में लूट-पाट कर आग लगा दी। जन सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु एवं आत्म रक्षार्थ बलवाइयों को तितर-बितर हो जाने के निर्देश देने के पश्चात् पुलिस द्वारा लाठी चार्ज का प्रयास किया गया परन्तु फोर्स अपर्याप्त होने के कारण यह कार्यवाही निष्प्रभावी रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसके फलस्वरूप मौके पर दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई व कुछ घायल हो गये। घटनास्थल पर 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटनाक्रम में 23 पुलिस कर्मियों को चोटें आयीं। इस घटना के सम्बन्ध में थाना मुगलसराय में धारा 147/148/149/307/395/336/337/341/436/332/188/427 भा0 दं0 वि0 व 7-क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। चूंकि इस अपराध का घटनास्थल जनपद मिर्जापुर का ग्राम डबक है, अतः इसकी विवेचना सम्बन्धित थानाध्यक्ष, जमालपुर द्वारा की जा रही है। विवेचना से प्रकाश में आये 32 अभियुक्तों में से 7 गिरफ्तार किए जा चुके हैं व 17 ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। शेष फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु वारन्ट प्राप्त करने की रिपोर्ट न्यायालय भेजी गई है। विवेचनोपरान्त 18 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र भेजा गया।

आयुक्त, वाराणसी मंडल, पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र तथा मिर्जापुर व वाराणसी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण दिनांक 19-1-82 को ही किया जा चुका है। घटनाक्रम की मजिस्टीरियल जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। जनता की सुरक्षा हेतु पुलिस गश्त आदि की प्रभावी व्यवस्था की गई है। क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं है।

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले वही प्रश्न को पूछना चाहता हूं जो कि मैंने उस दिन पूछा था और जिसका उत्तर नहीं मिला था, आपने रोक दिया था। बयान में कहा गया है कि पुलिस को सूचना मिली कि बबुरी बैरियर की चौकी के पास हजारों आदमी लाठी, भाले एवं आग्नेयास्त्रों से लैस हो कर वाहनों के आवागमन में

[श्री भीखा लाल--]

अवरोध उत्पन्न करके क्षति पहुंचा रहे हैं और घटनास्थल पर पांच आदमियों को पकड़ा गया है। मैंने पूछा था कि जो हजारों आदमी बसों, ट्रकों को क्षति पहुंचा रहे थे तो उन्होंने कितनी बसों और ट्रकों को क्षति पहुंचाई ? दूसरी बात यह कि जो पांच आदमी पकड़े गये हैं, उनके पास कौन से हथियार बरामद हुए ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसमें सब बस और ट्रक मिला कर उन्होंने तीन को क्षति पहुंचाई है।

श्री भीखा लाल--

और पकड़े गये आदमियों के पास कोई हथियार मिले ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

चूंकि वे भाग गये थे, इसलिये जो पकड़े गये उनके पास कोई हथियार बरामद नहीं हुआ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, उस दिन भी मैंने यही पूछा था और आज भी वही प्रश्न कर रहा हूं कि चौकी की फोर्स को बुरी तरह से अपराधियों ने मारा-पीटा और वे चोटें खा कर भाग गये। आज आप कह रहे हैं कि सूचना के आधार पर तमाम फोर्स आयी। क्या आप बतायेंगे कि यह सूचना किसने दी और सूचना थाने में कैसे पहुंची जिस पर फोर्स आयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

श्रीमन्, यह सूचना बस का मालिक कहिये या ड्राइवर, जिसका नाम श्री कान्त सिंह है, वह अपनी बस सैयद राजा, वाराणसी को बस लेकर जा रहा था। जब उनको बस पर पथराव हुआ तभी मुगलसराय थाने पर सूचना दी कि अमुक स्थान पर उपद्रवी लोग आवागमन में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री हुकम सिंह--

जब चौकी पर फोर्स लगी हुई थी तो उसमें कितने आदमियों को चोटें आयीं, उसमें से किसी आदमी को आग्नेयास्त्र की भी चोट आयी है या नहीं ? दूसरे जो आपने अपने वक्तव्य के लास्ट पैराग्राफ में कहा है कि घटनास्थल के क्रम में मैजिस्टीरियल जांच हेतु जिला मैजिस्ट्रेट को आदेश देने की बात की है, तो एक तरफ तो जांच चल रही है और दूसरी तरफ आपने मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिये हैं। तो यदि मैजिस्टीरियल जांच में जो आपने आरोप-पत्र दाखिल कर दिये हैं, उनके विरुद्ध जांच पायी गयी तो क्या आप अपने आरोप-पत्र वापस लेने की स्थिति में रहेंगे ? मान्यवर, इनकी दोनों बातों में बड़ी भारी विडम्बना है। आप अपना आरोप-पत्र वापस लेने की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, जरा इस बात पर आप प्रकाश डाल दें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

श्रीमन्, बबुरी आउट पोस्ट से दो सब-इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबिलों को उसमें चोटें आयीं हैं। करीब 23 पुलिस के लोग घायल हुए और स्थिति यह रही कि जो

घायल लोग थे वे अपने बचाव की स्थिति में मजबूर हो कर लगे रहे और आगे कोई कार्यवाही नहीं कर पाये ।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है कि मैजिस्टीरियल जांच की कार्यवाही चल रही है । आरोप-पत्र वहां पर भेजा गया है । अगर मैजिस्टीरियल जांच के अधिकारी अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, कोई प्राइमाफेसी दी गयी, तो वापस किया जायेगा, नहीं तो कार्यवाही चलती रहेगी ।

श्री रियासत हुसैन--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, 5 व्यक्तियों का जिक्र किया गया है जिनके पास हथियार या कोई चीज बरामद नहीं हुई है तो क्या इस पर विचार करेंगे कि जो सारा ताजीराते हिन्द खत्म हो गया लेकिन जो 5 पकड़े गये हैं और हथियार बरामद नहीं हुए हैं, उन पर 188-189 जो लगी हुई है, इसका माने क्या है, इस पर विचार करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री शंकर सिंह--

मंत्री जी ने बताया कि दो आदमी समाप्त हो गये, 5 को चोटें आयी हैं तो जिनको चोटें आयीं हैं उनके किस स्थान पर आयी हैं और जो मारे गये, उनके कहां पर आयी हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जिन-जिन को चोटें आयी हैं, मान्यवर, अगर आज्ञा हो तो पढ़ दूं····

अनेक सदस्य--

केवल 7 ही तो लोग हैं, पढ़ दें ।

श्री यदुनाथ सिंह--

दो लोग मारे गये हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, दोनों सगे भाई हैं और एक को जब दूसरा उठाने गया तो उसको मार दिया तो क्या पुलिस कर्मचारियों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न पूछा जा चुका है, रियासत साहब ने पूछा है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

82-83 की जो कुर्की हो रही है, अदालत में भेजा है वारंट के लिए, तो जब अनुज्ञा प्राप्त करेंगे, तो वहां आतंक फैल गया है, जब कि 32 में से 7 को गिरफ्तार किया गया है····

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न क्या कर रहे हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह--

जो दशहत का वातावरण है 82-83 की कुर्की का, अदालत से मान्यवर···

श्री अध्यक्ष---

बैठ जायें आप पहले । कुर्की की कार्यवाही तभी की जाती है जब आदमी गिरफ्तार नहीं हो पाता है ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिलवा दीजिये ! केवल 7 व्यक्ति हैं । इससे इन्टेंशन पता चल सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आपके पास रिपोर्ट है चोटों की ? आप बता दें ।

श्री यदुनाथ सिंह---

मान्यवर, 82--83 की कुर्की की बात है···

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह कुछ को तो पीछे लगी है । एक कन्फ्यूजन है । एक नीलगू का निशान और एक स्वेलिंग है । दो लोगों के सामने चोटें लगी हैं और दो लोगों की पीठ पर लगी हैं ।

श्री शंकर सिंह---

यह किस चीज से चोटें लगी हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

लाठी से चोटें लगी हैं । काले निशान हैं और फूलने के निशान हैं ।

थाना भगतपुर तथा थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत पड़ी डकैतियों के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)---

प्राप्त सुचना के अनुसार जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर में दिनांक 1-12-81 से 31-1-82 की अवधि में भा0 दं0 वि0 के पंजीकृत अभियोगों में 11 अभियोग सत्य पाए गए थे जबकि दिनांक 1-12-80 से 31-1-81 की अवधि में 17 सत्य अभियोग पंजीकृत हुए । दिनांक 1-12-79 से 31-1-80 की अवधि में 15 भा0 दं0 वि0 के सत्य अभियोग पंजीकृत हुए । इस प्रकार गत वर्षों की अपेक्षा इस अवधि में इस वर्ष थाना भगतपुर में अपराध स्थिति अच्छी रही ।

थाना डिलारी में दिनांक 1-12-81 से 31-1-82 की अवधि में कुल भा0 दं0 वि0 के 20 अभियोग पंजीकृत हुए जबकि दिनांक 1-12-80 से 31-1-81 की अवधि में कुल 13 अभियोग पंजीकृत हुए थे । इसी प्रकार दिनांक 1-12-79 से 31-1-80 की अवधि के बीच 15 अभियोग पंजीकृत हुए । दिनांक 1-12-81 से 31-1-82 की अवधि में मामूली अपराध बढ़े हैं, जिसे नगण्य की

संज्ञा दी जावेगी । यह बढ़ोत्तरी मुख्यतः भा0 दं0 वि0 की अन्य धारा के अन्तर्गत अपराधों के शीर्षक में होने के कारण हुई है । इस थाने की अपराध स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है । इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि वर्ष 1982 से सत्य पाए गए भा0 दं0 वि0 के अपराधों की संख्या 99 है जबकि वर्ष 1980 में 104 थी ।

गत दो माह में दिनांक 1-12-81 से 31-1-82 की अवधि में ग्राम बढ़ानपुर, गंजोवाली, रायपुर, समदा, लालपुर, पुरोहित, रसूलपुर, मेवला, घोसीपुरा में पुलिस अभिलेखों के अनुसार डकैतियों की घटना होने की पुष्टि नहीं होती है और न ही कोई इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र या शिकायतें ही प्राप्त होने की पुष्टि हो पाई । लाडपुर नाम का ग्राम इन दोनों थानों के क्षेत्रों में नहीं स्थित होना पाया गया है ।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22-1-82 की रात्रि को कथित बस जब जहांगीरपुर, थाना डिलारी, जनपद मुरादाबाद के निकट पहुंची तो उस बस में सफर कर रहे यात्रियों के रूप में बैठे 5 बदमाशों द्वारा बस में बैठे अन्य 14 मुसाफिरों के माल व नकदी मिलाकर कुल 6,497 रु0 की लूट की गई । अब तक की विवेचना से प्रकाश में आए 3 अभियुक्तों में से 1 अभियुक्त मोहम्मद हनीफ पुत्र तफज्जुल हुसेन, निवासी पीपलखाना, थाना भोजपुर को दिनांक 31-1-82 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उससे उपरोक्त घटना में लूटा गया कुछ माल भी बरामद किया जा चुका है । इसके सम्बन्ध में सदन में दिनांक 3-2-82 को वक्तव्य दिया जा चुका है । दिनांक 25/26-1-82 की रात्रि में ग्राम जाहिदपुर, सीकमपुर और मिलक में श्री अफसर अली आदि के कथित 17 घरों के लूटे जाने के सम्बन्ध में थाना भगतपुर पर कोई रिपोर्ट किसी ग्रामवासी के द्वारा अंकित कराया जाना नहीं पाया गया और न ही अभिलेखों के अनुसार ग्रामवासियों की ओर से कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त होना पाया गया है ।

यह कहना सही नहीं है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में डकैतियों की घटनायें हो रही हैं तथा क्षेत्र की जनता में भय तथा असुरक्षा की भावना व्याप्त है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरी जो सूचना थी उसको माननीय गृह मन्त्री जी ने स्वयं तफसील कर लिया है, 17 घरों में जो लूट हुई और सुबह एफ0आई0आर0 लिखाने के लिये रियासत अली, राहतपुर ने जो पढ़ा लिखा नौजवान है, 17 आदमियों में कुछ के अंगूठे के निशान और कुछ के दस्तखतों के साथ एस0 ओ0 के हाथ में दरख्वास्त दी, उसने यह कह कर उसे वापस कर दिया कि या तो डकैतों का नाम बतलाओ या डकैतों को पकड़ कर ले आओ और आज तक वहां कोई नहीं गया । 31 तारीख को जब रियासत अली सबके साथ मुझसे मुरादाबाद में मिला और सारी बात बतलायी तब मैंने पहली तारीख को नोटिस दिया । ये जितनी वारदातें हुई हैं सब 5 किलोमीटर के दायरे में हुई हैं । सारी वारदातें उसी क्षेत्र में हुई हैं जिस क्षेत्र के लिये दो दिन पहले यहां प्रस्ताव आया था । तो मेरी सूचना को आधार मान कर क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे और उस पर कोई कार्यवाही करेंगे ? बुढ़ानपुर में राधेलाल के यहां डकैती पड़ी और गंजोवाली में तो गांव प्रधान को ही गोली से मार दिया गया । हो सकता है कि दो एक दिन आगे पीछे ये वारदातें हुई हों । रायपुर, मसदा में पूरा गांव लूट लिया गया । लालपुर, पुरोहित में तो

[श्री रियासत हुसैन—]

किन्हीं कारणों से हथियारों का लाइसेंस देना ही बन्द है। रसूलपुर में डकैती हुई ये सब गांव भगतपुर हल्के में ही पड़ते हैं। वहां का सी० ओ० जो एक विशेष बिरादरी का है, तीन साल 8 महीने से उसी क्षेत्र में रह रहा है, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय सदस्य ने जैसा इंगित किया है, उस सम्बन्ध में अवश्य जांच करायेंगे और जिस सी० ओ० के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा है, उसका उस हल्के से ट्रांसफर कर दिया गया है। उस हल्के से वह चला गया।

श्री मीठा लाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 1-12-81 से 31-12-81 तक कितने केस पंजीकृत किये गये थे जिनमें से 11 अभियोग सत्य पाये गये ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

16 अभियोग पंजीकृत हुए थे।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 5 आदमी जो यात्री के रूप में बैठे थे और उन्होंने बस को लूटा तो वे किस स्थान से बैठे थे और जब रात में बस चलती है तो बस को पुलिस इस्कोर्ट कहां मिला था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

पांचों आदमी रामनगर से ही बैठे थे जिन्होंने बस को लूटा। उस बस में इस्कोर्ट की व्यवस्था नहीं रहती है बल्कि वहां पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है। दो सिपाही बस आते समय वहां रहते हैं और दो सिपाही जाते समय रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, 9 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर मंगलवार, 9 फरवरी, 1982 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
5 फरवरी, 1982

नत्थी 'क'

(देखिये दूसरे शुक्रवार (29-1-82) के माननीय ग्राम विकास मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 162 का उत्तर पीछे पृष्ठ 535 पर)

(सफेद पेपर पं.0 टो0 जी0)

(रेट प्रति रिम)

क्रम-संख्या	कागज का नाम, प्रकार, आकार तथा वजन	वर्ष 1979-80	वर्ष 1980-81	वर्ष 1981-82	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	क्रीम लेड 43×69/8·0 के0जी0	रु0 77·45 पै0 दर से	..	..	..
2	क्रीम बीव 43×69/8·9 के0जी0	रु0 75·00 पै0 दर से	..	.	..
3	क्रीम बीव 43×69/8·3 के0जी0	रु0 68·50 पै0 दर से	..	..	..
4	सफेद मैपलीथो 43×69/8·3 के0जी0	रु0 66·90 पै0 दर से	..	..	..
5	सफेद मैपलीथो 43×69/8·6 के0जी0	रु0 69·35 पै0 दर से	..	..	..
6	सफेद आफसेट 43×69/8·9 के0जी0	रु0 91·30 पै0 दर से	..	..	..
7	सफेद पेपर (एचपीसी) इम्पोर्टेड 43×69/8·9 के0जी0	रु0 75·70 पै0 दर से	रु0 80·49 पै0 दर से	..	..
8	सफेद पेपर (एचपीसी मैकनेकल) 43×69/8·9 के0जी0		रु0 69·50 पै0 दर से	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विविध कागज

1	2	3	4	5	6
9	सफेद पेपर (एचपीसी जापान 43×69/7·4 के0जी0	..	रु0 76·96 पै0 दर से ..		
10	सफेद पेपर (एचपीसी ब्राजील) 43×69/8·9 के0जी0	..	रु0 86·18 पै0 दर से	रु0 86 18 पै0	
11	सफेद पेपर (एचपीसी रुमानिया) 43×69/8·9 के0जी0	..	..	रु0 80·40 पै0	
12	सफेद क्रीम बोब 45.5×56/5·6 के0जी0	रु0 51·24 प्रति रिम	..	..	
13	कोल्ड प्रिन्टिंग पेपर 45·5×56/6·0 के0जी0	रु0 55·80 प्रति रिम	रु0 0·00 प्रति रिम	रु0 57·85 प्रति रिम	
14	कोल्ड प्रिन्टिंग पेपर 45·5×56/6·6 के0जी0	..	रु0 60·00 पै0	..	
15	एस0एस0 मैपलीथो (कवर) 58·5×91/31·9 के0जी0	रु0 303·05 पै0 प्रति रिम	..	..	
16	मोटा कागज 45.5×58·5/4·1 के0जी0	रु0 44·52 पै0 प्रति रिम	..	..	
17	बोर्ड 23 ओ0आर 45 डेका	रु0 60·87 प्रति बन्डल	रु0 60·40 प्रति बन्डल	..	
18	बोर्ड 68 डेका	रु0 64·10 प्रति बन्डल	रु0 71·50 प्रति बन्डल	..	
19	एफ क्राफ्ट पेपर (भूरा कवर) 43×69/16·3 के0जी0	रु0 130·43 प्रति रिम	..	..	
20	एफ क्राफ्ट 43×69/17·8 के0जी0	रु0 148·99 पै0 प्रति रिम	..	..	
21	सफेद मैपलिथो (एस0एस0एस0) 45·5×56/8·2 के0जी0	रु0 84·66 पै0 प्रति रिम	रु0 91·28 पै0 प्रति रिम	रु0 89·90 पै0 प्रति रिम	
22	मीन पल्प बोर्ड 56×71/8·6 के0जी0	रु0 82·79 पै0 प्रति ग्रास	रु0 92·00 पै0 प्रति ग्रास	..	
23	सफेद क्रीम बोर्ड 45×56/6·0 के0जी0	रु0 60·70 प्रति रिम	..	..	
24	सफेद क्रीम बोर्ड 51×76/9·9 के0जी0	रु0 103·75 प्रति के0जी0	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

25	सफेद क्रीम बोर्ड 51×76/0·1 के0जी0	..	..	रु0 85·54 प्रति रिम
26	सफेद पल्प बोर्ड 56×71/8·6 के0जी0	रु0 79·00 प्रति ग्रास	..	..
27	सफेद बाई प्रिन्टिग पेपर 56×91/11·2 के0जी0	रु0 93·50 प्रति रिम	..	..
28	सफेद आफसेट प्रिन्टिग ओ0बी0 पेपर 51×76/11·6 के0जी0	रु0 104·75 पै0 प्रति रिम	..	रु0 104·40 पै0 प्रति रिम
29	मीनकवर पेपर 52×77·5/24·2 के0जी0	रु0 239·20 पै0 प्रति रिम	..	..
30	जर पेपर 43×69/12·2 के0जी0	रु0 113·46 पै0 प्रति रिम	..	..
31	जर पेपर 43×69/10·4 के0जी0	रु0 98·80 पै0 प्रति रिम	..	रु0 105·04 पै0 प्रति रिम
32	जर पेपर 51×76/18·4 के0जी0	रु0 171·12 पै0 प्रति रिम	..	..
33	..	..	..	..
34	अजर पेपर 51×76/15·5 के0 जी0	..	..	रु0 156·55 प्रति रिम
35	रंगीन कार्डशीट 56×71/8·6 के0 जी0	रु0 81·50 प्रति ग्राम	..	..
36	एस–अनलेट बान्ड पेपर 45·3×53·5/7·7 के0 जी0	रु0 106·25 पै0 प्रति रिम	रु0 131·00 पै0 प्रति रिम	रु0 124·00 पै0प्रति रिम बान्ड (जे0 के0)
37	फटपेपर 73·5×112/13·0 के0 जी0	रु0 114·48 पै0 प्रति रिम	..	..
38	,, 72·5×91·5/60·0 के0 जी0	रु0 477·00 पै0 प्रति रिम	..	रु0 545·90 पै0प्रति रिम बान्ड (जे0 के0)
39	लिथोक्रीम वो 45·5×56/6·0 के0 जी0	रु0 62·85 पै0 प्रति रिम	..	..

अरुणाचल प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
40	ग्रीन कवर पेपर 52×77·5/18·1 के0 जी0	रु0 180 00 पै0 प्रति रिम	..	..	
41	ग्रीन पोटोज. पेपर 45·5×56/7·1 के0 जी0	रु0 63·50 प्रति रिम	..	..	
42	लेजर पेपर 51×78·5/16·8 के0 जी0	रु0 156·24 पै0 प्रति रिम	..	..	
43	रंगीन पेपर 45·5×56/6·0 के0 जी0	रु0 60·60 पै0 प्रति रिम	..	..	
44	सफेद आर्ट कार्डशीट 76×71/10·9 के0 जी0	रु0 192·00 पै0 प्रति ग्रास	..	..	
45	नेचुरल क्राफ्ट पेपर 43×69/12·2 के0 जी0	..	रु0 104·92 पै0 प्रति रिम	..	
46	नेचुरल क्राफ्ट पेपर 43×69/16·3 के0 जी0	..	रु0 137·00 पै0 प्रति रिम	..	
47	नेचुरल क्राफ्ट पेपर 43×69/17·8 के0 जी0	..	..	रु0 162·50 पै0 प्रति रिम	
48	क्राफ्ट पेपर 73·5×112/23·6 के0 जी0	..	..	रु0 212·00 पै0 प्रति रिम	
49	रंगीन पेपर 45·5×56/7·2 के0 जी0	..	रु0 60·00 पै0 प्रति रिम	..	
50	सफेद पेपर 45·5×56/6 से 6·1 के0 जी0	..	रु0 54·00 पै0 प्रति रिम	..	
51	नार्वे पेपर (एच0 पी0 सी0) 45·5×56/8·9 के0 जी0	..	रु0 67·00 पै0 प्रति रिम	..	
52	सुपर आर्ट कागज 51×76/18·4 के0 जी0	..	..	रु0 310·00 पै0 प्रति रिम	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 537 पर।)

वर्ष 1975–80 में राजस्व विभाग में नियुक्त किये गये कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीनों की सूची जिनका वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या जी–2–777/दस–142, दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 के अनुसार किया गया है—

1—श्री परमात्मा प्रसाद

2—श्री मोहर्रम अली

3—श्री मोहर अली

4—श्री फेकू प्रसाद

5—श्री शिव बालक

6—श्री त्रिजुगी नाथ

7—श्री राम बिलास

8—श्री जोखू राम

9—श्री राम दुलारे वर्मा

10—श्री हजरत अली

11—श्री बजरंगी लाल

12—श्री मो0 हुसेन

13—श्री रोपवर प्रसाद

14—श्री रघुवीर सिंह

15—श्री राम सहाय

16—श्री बाबू राम

17—श्री राम किशोर वर्मा

18—श्री एजाज अहमद

19—श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी

20—श्री राम देव दुबे

21—श्री चन्द्र शेखर सिंह

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 568 पर)

प्रतिलिपि

सेवा में,

माननीय मंत्री जी,
गन्ना विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

आदरणीय महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरे पति श्री हंसनाथ यादव जो गन्ना कीट विज्ञ, गन्ना अनुसंधान केन्द्र, गोरखपुर में कार्यरत हैं, उनका स्थानान्तरण निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर ने मुजफ्फरनगर करके दिनांक 12–7–80 से वेतन भुगतान रोक दिया। डा0 एच0 एन0 सिंह, निदेशक से उनकी व्यक्तिगत नाराजगी है। शासनादेश सं0 1910–सी0 डी0/छियालिस–58(33)–78, दिनांक जुलाई 24, 1978 व शासनादेश स0 4699 सी0 डी0/12–एच––1000 (15)–76, दिनांक 13–12–76 के पैरा 6(12) के अनुसार निदेशक को स्थानान्रण करने का कोई अधिकार नहीं था। मेरे पति ने स्थानान्तरण आदेश का विरोध गन्ना आयुक्त/सचिव गन्ना (उ0 प्र0 शासन), गन्ना विकास विभाग को दिया किन्तु स्थानान्तरण आदेश के पालन के विषय में कोई निर्देश मेरे पति को नहीं दिया गया बल्कि निदेशक को वेतन भुगतान हेतु निर्देश गन्ना आयुक्त के स्तर से जारी किया गया फिर भी उन्होंने भुगतान नहीं किया, तत्पश्चात विवश होकर लोक सेवा अधिकरण में याचिका दायर की थी जिसपर माननीय अधिकरण अपने निर्णय दिनांक 29–10–81 में वेतन भुगतान करने और गन्ना आयुक्त के अधिष्ठान में स्थान देने के बारे में निर्णय दिया, किन्तु सचिव, उ0 प्र0 शासन, गन्ना विकास विभाग के स्तर से अब तक कोई निर्देश वेतन भुगतान के विषय में नहीं हुआ है।

मेरे बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ रही है और इस भीषण महंगाई और सूखे से हम लोग तबाह हैं और इधर वेतन न मिलने से गुजर बसर कठिन हो गया है। अतः प्रार्थना है कि दिनांक 12–7–80 से अब तक का वेतन भुगतान कराने एवं गन्ना आयुक्त के अधिष्ठान में स्थान दिलाने की कृपा करें।

भवदीय,
ह0–वेचना देवी
धर्म पत्नी श्री हसंनाथ
यादव, गन्ना कीट विज्ञ,
गन्ना शोध केन्द्र, गोरखपुर।

दिनांक 25–11–81

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या --49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 573 पर)

220 के0 वी0 उपकेन्द्र एवं पावर कन्सट्रक्शन डिवीजन, टाण्डा तापीय परियोजना (पूर्व में विद्युत शक्ति निर्माण खंड) के अन्तर्गत जनवरी 1981 से दिसम्बर, 1981 की अवधि में वर्क आर्डर द्वारा विभिन्न फर्मों से कराये गये कार्य का विवरण ।

क्रम संख्या	फर्म/ठेकेदार का नाम	जारी किये गये वर्क आर्डर की संख्या	वर्क आर्डर का विवरण जिनके अन्तर्गत कार्य पूरा हो जाने पर भुगतान भी हो चुका है		वर्क आर्डर का विवरण जिनके अन्तर्गत कार्य पूरा हो गया है परन्तु भुगतान अभी नहीं हुआ है	
			वर्क आर्डर की संख्या	किये गये कार्य के लिये भुगतान की गई धनराशि रु0	वर्क आर्डर की संख्या	वर्क आर्डर का मूल्य रु0
1	2	3	4	5	6	7
1	मेसर्स ब्राइट स्टील इन्डस्ट्रीज, कालपी रोड, कानपुर	1	1	9,360.00	..	..
2	मेसर्स मारुति कांसट्रक्शन कम्पनी, मिरानपुर, टाण्डा	2	..	..	2	9,863.39
3	मेसर्स न्यू लाइन इन्टरप्राइजेज, वाराणसी	1	..	..	1	6,434.45
4	मेसर्स श्याम लाल गुप्ता, टान्डा	2	..	..	2	7,265.53
5	मेसर्स माडर्न इलैक्ट्रिकल, गाजीपुर	1	..	..	1	1,532.50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
6	मेसर्स नियाज अहमद, हयातगंज, टाण्डा	2	1	5,325.00	1	7,055.00
7	मेसर्स कमलेश ट्रेडिंग कारपोरेशन, बड़हलगंज, गोरखपुर	1	..	..	1	2,587.85
8	मेसर्स त्रिपाल ब्रदर्स, फतेहपुर, टाण्डा	1	..	..	1	3,178.00
9	मेसर्स देवी प्रसाद रामजी, टाण्डा	1	1	6,656 00	..	..
10	मेसर्स खालिक इलेक्ट्रिक वर्क्स, छोटी बाजार, टाण्डा	1	1	2,893.00	..	..
11	मेसर्स आत्माराम गुप्ता, हयातगंज, टाण्डा	1	1	6,720.00	..	..
12	मेसर्स अशोक ट्रेडर्स, दोहरीघाट, आजमगढ़	2	2	13,232.00	..	..
13	मेसर्स विजय इन्टरप्राइजेज, मिरानपुर, टाण्डा	1	1	7,246.80	..	..
14	मेसर्स एखलाख अहमद, रामपुर, आजमगढ़	5	5	25,969.33	..	..
15	मेसर्स जुबेर अहमद, टाण्डा	6	6	21,646.84	..	..
16	मेसर्स सिंह ब्रदर्स एन्ड कम्पनी, सुल्तानपुर	3	3	15,594.00	..	..
17	मेसर्स अशोक इंजीनियरिंग कम्पनी, हयायतगंज, टाण्डा	1	1	5,355.75	..	..
18	मेसर्स संजय इंजीनियरिंग वर्क्स, मखदुमनगर, टाण्डा	2	2	8,235.81	..	..
19	मेसर्स जनता कन्सट्रक्शन कम्पनी, टाण्डा	1	1	1,218.00	..	..
20	मेसर्स इरशाद अहमद, बेलथरा रोड, बलिया	5	4	25,712.91	1	3,673.73
21	मेसर्स जितेन्द्र इंजीनियरिंग कम्पनी, मखदुमनगर, टाण्डा	8	7	28,451.57	1	8,126.50
22	मेसर्स अम्बिका टेलीकम्युनीकेशन आर यंत्र, रिकाबगंज फैजाबाद	6	5	29,619.00	1	9,000.00
	योग ..	54	42	2,13,236.01	12	58,116.15

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 575 पर)

संलग्नक

क्रम संख्या	वर्ष	संपरीक्षा आख्या के अनुच्छेद	अमान्य/अनियमित भुगतान की राशि	विवरण
1	2	3	4	5
1	1976–77 एवं 1980–81	..	8.40	श्री सतुआ को 4–12–76 से 4–1–77 तक 32 दिन के स्थान पर 33 दिन का भुगतान ।
2	1979–80	7(2)	117.15	अध्यक्ष के कानपुर कार्यालय के लिये किया गया डाक व्यय विद्यालय के कोष से वहन किया जाना अनियमित था ।
3	1979–80	10	60.00	विद्यालय कोष से अध्यक्ष के जलपान हेतु भुगतान किया गया था, जो अनियमित था ।
4	1978–79	7	100.00	बिल का वास्तविक धनराशि से अधिक भुगतान किये जाने के कारण भुगतान अमान्य था ।
5	1977–78	7	978.00	श्री सूरजमल गौतम को स्वीकृत अवधि के उपरान्त से 3 माह का 326 रु0 प्रतिमाह की दर से अनियमित/अधिक भुगतान ।
6	1975–76	5(क)	1,446.86	अनावर्तक अनुदान की अवशेष धनराशि ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7	1975-76	5(ख)	3,405.66	राजकीय कोषागार में वापस जमा न किया जाना तथा इसका रोके रखना धन का दुरूपयोग था ।
8	1975-76	9	3,990.00	श्रीमती शिवपति सक्सेना गृहमाता को 114 माह तक 35 रु0 प्रतिमाह की दर से अनियमित मंहगाई भत्ते का भुगतान किया गया था जो अमान्य था ।
9	1974-75	5	2,500.00	अतिरिक्त भत्तों के लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति न होने पर भी उसका भुगतान किया गया था, जो अनियमित था ।
10	1974-75	5(2)(1)	14,386.00	कु0 कुसुम सक्सेना को दिनांक 1-7-70 से 25-11-77 तक वेतनादि का अनियमित भुगतान किया गया था जो अमान्य था ।
11	1974-75	6(प)	11,[illegible]28.00	श्री हरिशंकर श्रीवास्तव को दिनांक 1-9-72 से 31-3-76 तक अनियमित वेतन का भुगतान किया गया था जो अमान्य था ।
12	1970-71	6(क)	1,042.75	भुगतान प्रमाणक संपरीक्षा में अप्रस्तुत रहने के कारण व्यय का औचित्य नहीं सिद्ध हो सका, अतएव वह भुगतान अमान्य था ।
13	1969-70	6(स)	91.95	अध्यक्ष के कानपुर से लखनऊ आकर प्रगति आश्रम के निरीक्षण के संबंध में किया गया था, जो अनुदान का दुरूपयोग था ।
14	1969-70	4	26,420.20	अनुदान का उपभोग निर्धारित प्रयोजनों पर न कर अन्य प्रयोजनों पर किया गया था, जो अनुदान का दुरूपयोग था ।
15	1969-70	6(ख)	750.00	बिल जो आल इंडिया क्राइम प्रिवेंशन सोसायटी लखनऊ के लिये किये गये कार्य से संबंधित था वह प्रगति आश्रम पर भारित किया गया था अतएव वह व्यय अनियमित था ।

अवर सचिव, विधान सभा

16	1968–69	3 टिप्पणी (तीन)	2,000.00	अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति से विद्यालय संचालन हेतु जो ऋण लिया गया था उससे अधिक धनराशि का ऋण की वापसी को भुगतान किया गया था, जो अमान्य एवं अनियमित था ।
17	1968–69	5(ख)	2,685.91	पार्श्वांकित धनराशि के मूल्य का सामान श्रीमती एस0 कमल अधीक्षिका द्वारा आश्रम से लेकर वापस नहीं किया गया था जो अनियमित था यह राशि अधीक्षिका से वापसी ली जानी चाहिए थी ।
18	1967–68	6(2)	54.45	आज टेबुल वाच का क्रय विद्यालय के लिये पूंजीगत व्यय होने के कारण अमान्य था ।
19	1967–68	6(2)	47.88	अध्यक्ष के निजी मोटर हेतु पेट्रोल का क्रय किया गया था जो अनियमित था ।
20	1961–62	4(बी)	2,251.94	अनावर्तक अनुदान से अधिक पूंजीगत व्यय अनुरक्षण निधि से किया गया था जो अनियमित था ।
21	1961–62	4(सी)(2)	3,640.06	बची हुई अनुदान की धनराशि जिसे शासन को वापस कर दिया जाना चाहिये था वह वापस नहीं की गयी थी, यह अनियमित था ।
22	1961–62	4(सी)(2)	400.00	श्री रामेश्वर दयाल सोसाइटी के सदस्य को अनवार्तक अनुदान से अनियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया गया था, जो अमान्य था ।
23	1961–62	6(ई)	1,235.78	लेट्रिन निर्माण पर किया गया पूंजीगत व्यय अनुरक्षण निधि से किया जाना अमान्य था ।
	योग	..	80,040.09	

5–9–1981
ह0 अपठित
अतिरिक्त सहायक परीक्षक (मु0),
स्थानीय निधि लेखा, उ0 प्र0,
इलाहाबाद ।

पी0एस0यू0पी—14 एल0ए0 (पी0डी) 24–7–82

उत्तर प्रदेश विधान सभा